




भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2008-09 की संख्या सी ए 15

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन**

मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2008-2009 की संख्या सी ए 15**

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I – सामान्य		
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	1.1	1
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.2	3
उपयोग प्रमाणपत्र	1.3	3
भाग-क- निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन		
अध्याय II – कृषि मंत्रालय		
राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव		
उत्पादन एवं पश्च-पैदावार प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागबानी का विकास	2	5
अध्याय III- मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
संत लोंगोंवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोंवाल	3	35
अध्याय IV- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय		
कॉयर बोर्ड के क्रियाकलाप	4	57
भाग-ख- अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ		
अध्याय V – कृषि मंत्रालय		
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नैफेड)		
रबी-2005 के दौरान सरसों के लिए समर्थन मूल्य योजना (पी.एस.एस.) के प्रचालन का कार्यान्वयन	5.1	89
अध्याय VI- कोयला मंत्रालय		
कोयला खान भविष्य निधि संगठन		
8.34 करोड़ रु. के ब्याज की हानि	6.1	106
कम्प्यूटरीकृत परियोजना पर 8.02 करोड़ रु. का व्यर्थ व्यय	6.2	107
नाममात्र दर पर विद्युत आपूर्ति के कारण 1.74 करोड़ रु. की हानि	6.3	108

अध्याय VII- विदेश मंत्रालय		
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद		
अनुचित भुगतान	7.1	111
अध्याय VIII- वित्त मंत्रालय		
आर्थिक कार्य विभाग		
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण		
बी.नि.वि.प्रा. के सदस्यों को अनुचित लाभ	8.1	113
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड		
निवेशकों के धन का निष्फल व्यय	8.2	114
अध्याय IX – मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग		
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद		
अपात्र अभ्यर्थियों को यात्रा अनुदान की निर्मुक्ति	9.1	116
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय		
1.32 करोड़ रु. की कम वसूली	9.2	117
लाइसेंस शुल्क की कम वसूली	9.3	118
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर		
विज्ञापन पर 84 लाख रु. का परिहार्य व्यय	9.4	119
राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय		
कर्मचारी आवास की खरीद पर 2.58 करोड़ रु. का निष्फल व्यय	9.5	120
अध्याय X- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
प्रसार भारती		
लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन के बावजूद उपचारी कार्यवाही के कार्यान्वयन में विफलता	10.1	122
अध्याय XI- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन		
पेंशन का कम भुगतान: 9.16 करोड़ रु.	11.1	124

अध्याय XII- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय		
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान		
पेंशन निधियों के निवेश पर हानियाँ	12.1	126
अध्याय XIII- जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		
कोचीन पत्तन न्यास		
समय पर बीमा का नवीकरण नहीं करने से 1.04 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय	13.1	129
मोरमुगांव पत्तन न्यास		
2.68 करोड़ रू का व्यर्थ निवेश	13.2	130
22.28 लाख का अतिरिक्त व्यय	13.3	131
मुम्बई पत्तन न्यास		
लाइसेंस शुल्क की कम वसूली	13.4	132
अधिसूचित प्रभारों की उगाही में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	13.5	133
विशाखापट्टनम पत्तन न्यास		
40 लाख रू का अतिरिक्त परिहार्य व्यय	13.6	134
38.18 लाख रू का राजस्व का घाटा	13.7	135
अध्याय XIV- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
भारतीय सांख्यिकी संस्थान		
बैंक और डाकघर से 59.51 लाख रू के किराए की वसूली न होना	14.1	137
अध्याय XV- शहरी विकास मंत्रालय		
दिल्ली विकास प्राधिकरण		
पार्किंग लॉट की गैर-उपयोगिता के कारण 1.20 करोड़ रू की निधि का अवरोधन	15.1	139
66.26 लाख रू का अनियमित व्यय	15.2	140
41.19 लाख रू का निष्फल व्यय	15.3	141
कार्यों को अनियोजित ढंग से सौंपना	15.4	142

अध्याय XVI-युवा कार्य एवं खेल कूद मंत्रालय		
भारतीय खेल प्राधिकरण		
अधिक मांगे गए विद्युत भार के भुगतान पर अपव्यय	16.1	144
अध्याय XVII		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति	17.1	146
परिशिष्ट		
I	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2007-2008 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण	149
II	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) तथा 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2007-2008 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण	160
III	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनकी 2007-2008 की सूचना दिसम्बर 2008 तक प्राप्त नहीं हुई थी	166
IV	निकायों की सूची जिन्होंने लेखे तीन माह के विलम्ब के उपरान्त प्रस्तुत किए	167
V	2007-08 तक की अवधि के लिए लेखों में प्रस्तुतीकरण में बकाया	169
VI	स्वायत्त निकायों की सूची जिन के संबंध में 31 दिसम्बर 2008 तक संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	170
VII	स्वायत्त निकायों द्वारा संसद में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 हेतु लेखापरीक्षित लेखों की प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	173
VIII	बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	176
IX	बकाया कार्यवाही टिप्पणियां	186

प्राक्कथन

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के विविध प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में 32 पैराग्राफ तथा तीन निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

- क) उत्पादन तथा पशु फसल प्रबंधन योजना के माध्यम से वाणिज्यिक बागबानी का विकास, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव
- ख) संत लोंगोंवाल अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोंवाल
- ग) कॉयर बोर्ड के कार्यकलाप, कोच्ची

लेखापरीक्षित संगठन परिवर्ती स्वरूप तथा विषयों वाले स्वायत्त निकाय हैं। इन संगठनों से आवश्यक रूप से सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कुछ विशिष्ट जन लोकोपयोगी सेवाएं पूरा करना अथवा सरकार की नीतियों तथा निश्चित कार्यक्रमों का निष्पादन करना अपेक्षित है। इन निकायों तथा प्राधिकरणों में कोयला खान भविष्य निधि संगठन, मुख्य पत्तन न्यास तथा शैक्षिक संस्थान शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2007-2008 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में जानकारी में आए।

विहंगावलोकन

सामान्य

स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

2007-08 में 276 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिनके लेखाओं को नि.म.ले.प.की (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के तहत प्रमाणित किया जाना था। 2007-08 के दौरान भारत सरकार ने 220 निकायों को अनुदानों/कर्जों के प्रति 16992.12 करोड़ रु जारी किए। तीन निकायों को जारी शासकीय अनुदान की राशि की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

264 केन्द्रीय निकायों के 2006-07 के लेखे 30 जून 2007 तक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए जाने थे और लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2007 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से, 104 निकायों के लेखे अनुबद्ध समय के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए। 10 निकायों के लेखे संबंधित संगठनों द्वारा दिसम्बर 2008 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 1.1)

कृषि मंत्रालय

राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड

उत्पादन एवं पशु फसल प्रबंधन योजना के माध्यम से वाणिज्यिक बागबानी का विकास

राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड (एन.एच.बी.) की स्थापना, देश में बागबानी के एकीकृत विकास के प्रोत्साहन हेतु अधिदेश के साथ, भारत सरकार (भा.स.) द्वारा 1984 में समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक स्वायत्त समिति के रूप में की गई थी। इस अधिदेश के अनुपालन में, एन.एच.बी. ने IXवीं योजना अवधि के दौरान “उत्पादन एवं पशु-फसल प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागबानी का विकास” की मुख्य योजना कार्यान्वित की।

योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि इस योजना के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु कोई युक्तिमूलक मापदण्ड नहीं था क्योंकि एन.एच.बी. द्वारा न तो वार्षिक कार्य योजनाएं और न ही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सूत्रबद्ध किए गए थे। आशय पत्र जारी करने में अत्याधिक विलम्ब हुए थे, जिसका परिणाम परियोजनाओं के देरी से पूर्ण होने में हुआ। उत्तरी-पूर्व राज्यों में 10.30 करोड़ रु की राशि की आर्थिक सहायता के दुरुपयोग के मामले पाए गए। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खुले क्षेत्रों में मौसमी/अल्पावधि फसलों की पैदावार के संदर्भ में लाभभोगियों को 4.23 करोड़ रु की आर्थिक सहायता दी गई।

योजना का विस्तार अनियमित था एवं कुछ मुख्य बागबानी उत्पादक राज्यों की उपेक्षा की गई थी। उपज प्रवृत्तियों ने इंगित किया कि योजना की देश में बागबानी फसल के अन्तर्गत बागबानी उत्पादन बढ़ाने तथा क्षेत्रों को बढ़ाने में केवल एक सीमान्तक भूमिका थी। एन.एच.बी. ने पश्च-उपज प्रबंधन से संबंधित अवयवों के आच्छादन में कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की। यह बागबानी उत्पादकों एवं व्यापारियों के बीच संबंध सुधारने में भी असफल था। यह योजना मांग-प्रेरित थी और धन हेतु एन.एच.बी. से सम्पर्क करने वाले प्रोत्साहकों पर निर्भर थी। एन.एच.बी. ने विशेष रूप से लक्षित क्षेत्रों तथा समाज के लक्षित भागों के बीच योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किया।

(पैराग्राफ 2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संत लोंगोंवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

संत लोंगोंवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा की एकीकृत प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए 1989 में की गई थी, जो राज्य के आर्थिक विकास हेतु पंजाब के युवाओं की उर्जा एवं ताकत को प्रयुक्त करने तथा पोषित करने की दृष्टि से नम्यता, प्रमापीयता, बहु-सूत्री आगम एवं बहु-सूत्री निर्गम हेतु प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री स्तरों पर विचार करते हुए, गुण एवं ज्ञान के इष्टतम मिश्रण को उपलब्ध कराते थे।

संस्थान की निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि इसने पिछले पांच वर्षों के दौरान अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन एवं प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रमों को पहचानने एवं निर्धारित करने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया। संस्थान में वित्तीय प्रबंधन की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि इसने अपने बजट अनुभागों को वास्तविक कार्यरत संख्या बल की जगह पर स्वीकृत संख्या बल के आधार पर स्थापना व्यय को समाविष्ट करते हुए तथा अपनी सम्पूर्ण आंतरिक प्राप्तियों को दर्शाए बिना ही तैयार किया। शैक्षिक कार्यक्रमों का कोई आवधिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। असफल/छूट गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के संबंध में, 2003-04 में 32 से बढ़कर 2007-08 में 54 तथा डिग्री पाठ्यक्रम के संबंध में 2003-04 में 24 से बढ़कर 2007-08 में 42 हो गई। संस्थान डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों की उर्ध्व गतिशीलता हेतु उम्मीदवारों को, उनके औद्योगिक अनुभव पर विचार किए बिना ही, आरक्षण उपलब्ध कराकर बहु-सूत्री आगम बहु-सूत्री निर्गम की अपनी मूल धारणा से विचलित हो गया।

संस्थान ने अपने 10 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, नौ डिग्री पाठ्यक्रमों एवं चार एम.टेक कार्यक्रमों में से उक्त तिथि तक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से केवल दो डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायन प्राप्त किया था। संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों का अनुसरण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप इसकी भरती क्षमता से

अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। विभिन्न संकायों के स्वीकृत पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े थे। इसके अतिरिक्त, संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी।

(पैराग्राफ 3)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कॉयर बोर्ड के क्रियाकलाप

कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत संस्थापित कॉयर बोर्ड को भारत में कॉयर उद्योग के सतत विकास हेतु एकीकृत कॉयर विकास परियोजना, महिला कॉयर योजना, ब्राउन फाइबर विकास योजना, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नतिकरण योजना (रिमोट) तथा पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ती) जैसी विभिन्न उन्नयनकारी एवं विकासशील योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्यभार सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न कॉयर विकास गतिविधियां कार्यान्वित की, हिन्दुस्तान कॉयर तथा प्रदर्शन कक्ष/बिक्री डिपो प्रचालन जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से विभिन्न अनुसंधान क्रियाकलापों को भी संचालित किया।

2003-04 से 2007-08 के दौरान उपरोक्त योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा ने निधियों के अनुपयोग, लाभार्थियों का अनुचित चुनाव, श्रमिक ओर सूत की कमी, दोषयुक्त रट्स की आपूर्ति, पुरानी मशीनों पर निर्भरता, अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि जैसे उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों को प्रकट किया। इसके अतिरिक्त, स्फूर्ती एवं रिमोट जैसी योजनाएं, जो समयबद्ध थीं, अत्यन्त आशापूर्ण प्रक्षेपण के कारण प्रत्याशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ीं। बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उत्पादन एवं मशीनरी का पूर्ण सीमा तक वाणिज्यिक लाभ नहीं उठाया। हिन्दुस्तान कॉयर का उत्पादन 2003-04 से 2007-08 के दौरान 4.07 लाख वर्ग मी. की वार्षिक संस्थापित क्षमता के प्रति क्रमशः 1.56 लाख वर्ग मी. तथा 2.12 लाख वर्ग मी. था। रिपोर्ट की अवधि के दौरान अनुसंधान क्रियाकलापों पर लगभग 29 करोड़ रु. खर्च करने के बाद भी नए उत्पादों एवं मशीनरी का विकास तथा व्यापार के प्रौद्योगिकी का प्रचार यथेष्ट के विपरीत था।

(पैराग्राफ 4)

कृषि मंत्रालय

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नैफेड)

रबी मौसम-2005 हेतु सरसों के बीज से संबंधित मूल्य समर्थन योजना (मू.स.यो.) की लेखापरीक्षा जांच कृषि मंत्रालय से प्राप्त अनुरोध (जनवरी-2006) के अनुपालन में की गई। मू.स.यो. प्रचालनों के अन्तर्गत नैफेड द्वारा सरसों के बीज की खरीद से संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 2.11 लाख क्विंटल सरसों बीज की खरीद में 19.64 करोड़ रु. मूल्य के 1.16 लाख क्विंटल के संबंध में विसंगतियां थीं। विसंगतियां, कोई भी सीमा तय किए बिना अत्याधिक खरीद, गलत पते/गैर-भूमि धारिता के कारण अनियमित खरीद, गिर्दावरीज की छेड़-छाड़ आदि को आरोप्य थी।

(पैराग्राफ 5.1)

कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (को.खा.भ.नि.सं.) ने फरवरी से नवम्बर 1996 के दौरान भारतीय प्रतिभूति औद्योगिक वित्त निगम की चार श्रेणियों में 110.84 करोड़ रू की निधि का निवेश किया। वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाने के कोयला मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद परिपक्वता अर्थागम की वसूली में अधिक विलम्ब के कारण को.खा.भ.नि.सं. को 8.34 करोड़ रू के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

(पैराग्राफ 6.1)

को.खा.भ.नि.सं. ने संगठन के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का कार्य 8.02 करोड़ रू की लागत पर एक वेन्डर को सौंपा। यद्यपि त्रुटि-रहित आंकड़ों की उपलब्धता परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पूर्वापेक्षित थी, लेकिन को.खा.भ.नि.सं. ने ऐसे आंकड़ों को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था किए बिना ही कार्य को सौंप दिया। परिणामस्वरूप, परियोजना को लगभग दो वर्षों के बीत जाने के बाद भी परिचालन नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 6.2)

विदेश मंत्रालय

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने पर्याप्त औचित्य के बिना और सरकारी नीतियों के उल्लंघन में लोक संबंध परामर्शदाता को कुल 49.91 लाख रू का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 7.1)

वित्त मंत्रालय

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने परियोजना के संबंध में प्रतिस्पर्धी बोली के बिना तथा बाजार प्रतिभागियों से प्रतिपुष्टि का इंतजार किए बिना ही निवेशकों से संबंधित डाटाबेस के कार्य को सौंप कर निवेशकों की लागत पर 11.54 करोड़ रू का निष्फल व्यय किया।

(पैराग्राफ 8.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों से जल प्रभार की कम वसूली के कारण 2004-05 से 2007-08 के दौरान 1.32 करोड़ रू की हानि उठानी पड़ी।

(पैराग्राफ 9.2)

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

जुलाई 2005 में, भारत सरकार ने सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अपने विज्ञापनों को श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) से मार्गस्थ करने का निर्देश दिया। यद्यपि डी.ए.वी.पी. की दरें निजी अभिकरणों द्वारा प्रभारित दर से काफी कम थीं फिर भी, रा.प्रौ.सं., दुर्गापुर ने शासकीय आदेशों का उल्लंघन करते हुए निजी अभिकरणों के माध्यम से विज्ञापनों को प्रकाशित कराने की अपनी पहले की प्रक्रिया को जारी रखा जो अप्रैल 2006 से मार्च 2008 के दौरान 84 लाख रू. के अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ।

(पैराग्राफ 9.4)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

प्रसार भारती ने लोक लेखा समिति को रायल्टी के भुगतान के संबंध में अपने आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के आश्वासन के बावजूद, बिलों की अनुचित संवीक्षा के कारण मई से नवम्बर 2007 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को 21 लाख रू. की रायल्टी का अधिक भुगतान किया।

(पैराग्राफ 10.1)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

पेंशन के कम्प्यूटरीकरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनाई गई कम्प्यूटरीकृत कर्मचारी पेंशन प्रणाली के प्रणाली डिजाइन में कमियां 9.16 करोड़ रू. के पेंशन के कम भुगतान में परिणत हुईं।

(पैराग्राफ 11.1)

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) ने अपनी पेंशन निधियों को हानि उठा रहे संगठनों के बंधपत्रों में किया जिसकी जमानत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई थी। यद्यपि संगठन समय पर मूलधन एवं ब्याज के बकाए का भुगतान करने में असफल था, फिर भी आई.आई.पी.ए. ने राज्य सरकार की जमानतों का आह्वान नहीं किया और 39 लाख रू. के ब्याज की हानि उठाई और 20 लाख रू. की निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 12.1)

जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

कोचीन पत्तन न्यास

निकर्षण पोत की बीमा कवरेज के नवीकरण पर निर्णय लेने में विलम्ब के कारण कोचीन पत्तन न्यास को इसके मरम्मत के पश्चात इसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर 1.04 करोड़ रू का व्यय वहन करना पड़ा था।

(पैराग्राफ 13.1)

मोरमुगाव पत्तन न्यास

पोत-विहार यात्रियों के लिए अपेक्षित सुविधाओं की कमी के कारण मोरमुगाव पत्तन में पोत-विहार जलयान टर्मिनल की अनुपयोगिता के परिणामस्वरूप 2.68 करोड़ रू का निष्क्रिय निवेश हुआ।

(पैराग्राफ 13.2)

मुम्बई पत्तन न्यास

मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) ने अपने स्थल को विभिन्न सरकारी एवं निजी पार्टियों को किराये पर देने के लिए महापत्तन न्यासों हेतु टैरिफ प्राधिकरण (टी.ए.एम.पी.) द्वारा अनुमोदित लाइसेंस शुल्कों के प्रभारित करने हेतु दरों के उपयोग न किए जाने के कारण अक्टूबर 2001 से दिसम्बर 2006 के दौरान 62.63 लाख रू की हानि वहन की।

(पैराग्राफ 13.4)

मु.प.न्या. ने टी.ए.एम.पी. द्वारा अनुमोदित जल प्रभारों के नई दरों की कार्यान्विति में विलम्ब के कारण 53.10 लाख रू की हानि वहन की।

(पैराग्राफ 13.5)

विशाखापतनम पत्तन न्यास

विशाखापतनम पत्तन न्यास (वि.प.न्या.) ने वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात क्रय आदेश प्रस्तुत करने के कारण, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी से एक लोकोमोटिव के प्रापण में 40 लाख रू का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

(पैराग्राफ 13.6)

वि.प.न्या. ने वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात क्रय आदेश प्रस्तुत करने के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से 1595.27 एम.टी. रेल के प्रापण पर 38.18 लाख रू की हानि उठाई।

(पैराग्राफ 13.7)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारतीय सांख्यिकी संस्थान

भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने भारत सरकार द्वारा नियत दरों से अपने परिसर में स्थित बैंकों तथा डाक घर से किराया वसूल नहीं करने से 59.51 लाख रू की हानि उठाई।

(पैराग्राफ 14.1)

शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) द्वारा संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में कब्जा रहित कार्यस्थल और आरेखों की उपलब्धता के बिना पार्किंग लॉट के निर्माण कार्य को सौंपे जाने के परिणामस्वरूप 1.20 करोड़ रू के व्यर्थ व्यय तथा 22 लाख रू की परिणामी हानि हुई क्योंकि पार्किंग लॉट नवम्बर 2008 तक पूर्ण नहीं हुआ था।

(पैराग्राफ 15.1)

दि.वि.प्रा. ने घरेलू सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद भी, आवासीय योजना की विवरणिका की छपाई एक निजी प्रैस से करवाई जो 66.26 लाख रू के अनियमित व्यय में परिणत हुई।

(पैराग्राफ 15.2)

दि.वि.प्रा. ने अर्जुन नगर, दिल्ली में पुस्तकालय एवं मनोरंजन कक्ष के निर्माण पर 41.19 लाख रू का निष्फल व्यय किया क्योंकि कक्ष को इसके पूर्ण होने के लगभग चार वर्ष की समाप्ति के बाद भी, जनवरी 2009 तक दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय को सौंपा नहीं गया था।


(पैराग्राफ 15.3)

युवा मामले एवं खेल कूद मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली ने अधिक संविदा मांग के कारण मार्च 2004 से अक्टूबर 2007 के दौरान इंदिरा गांधी खेल परिसर, नई दिल्ली द्वारा खपत की गई विद्युत हेतु 1.50 करोड़ रू का अतिरिक्त भुगतान किया।

(पैराग्राफ 16.1)



अध्याय I : सामान्य

1.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

1.1.1 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान तथा ऋण

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए, निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971(अधिनियम) की धारा 19(2) के अन्तर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों तथा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति वार्षिक लेखाओं के प्रमाणन के साथ-साथ धन की उपयोगिता की लेखापरीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय जो संघ सरकार से अनुदानों तथा ऋणों द्वारा वित्त पोषित हैं अधिनियम की धारा 14(1) तथा 14(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा धन की उपयोगिता लेखापरीक्षा की प्रकृति में निहित है।

2007-08 के दौरान, संघ सरकार के मंत्रालयों ने 380 स्वायत्त निकायों को 20459.49 करोड़ रु. की कुल अनुदान/ऋण जारी किया। 2007-08 के दौरान 220 स्वायत्त निकायों जिन्हें 16992.12 करोड़ रु. के कुल अनुदान/ऋण जारी किए गए थे, के संबंध में भारत के एक मात्र लेखापरीक्षक¹ थे (परिशिष्ट-I)। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अन्य 53 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों जिन्हें 2007-08 के दौरान कोई अनुदान या ऋण जारी नहीं किया गया था, के भी एक मात्र लेखापरीक्षक है।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 2007-08 के दौरान 160 निकायों को 3467.37 करोड़ रु. का कुल अनुदान/ऋण जारी किया गया था जिसके लिए वित्तीय/प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा निजी लेखापरीक्षकों को सौंपी गई थी (परिशिष्ट-II)। इन निकायों की अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा करना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है।

तीन स्वायत्त निकायों के संबंध में सूचना संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी (परिशिष्ट-III)।

1.1.2 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने की अवधि के भीतर अपने लेखे तैयार कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित

¹ वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

वर्ष 2006-07 के लिए 264 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी। इनमें से, 104 स्वायत्त निकायों के लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए थे। जबकि दिसम्बर 2008 तक 10 स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा 150 स्वायत्त निकायों के लेखे देय तिथि के उपरान्त प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

एक माह तक का विलम्ब	64
एक माह से अधिक तथा तीन माह तक का विलम्ब	37
तीन माह से अधिक तथा छः माह तक का विलम्ब	32
छः माह से अधिक विलम्ब	17
योग	<u>150</u>

उन स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन माह से परे विलम्बित रहे तथा उन निकायों जिनके लेखे दिसम्बर 2008 तक प्राप्त नहीं हुए, का ब्यौरा **परिशिष्ट-IV** में दिया गया है।

1.1.3 लेखाओं के प्रस्तुतीकरण का बकाया

चार स्वायत्त निकायों ने तीन से छः वर्षों की बीच कई वर्षों हेतु अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं (**परिशिष्ट- V**)।

लेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण तथा लेखापरीक्षा के कारण तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं होगा कि क्या;

- वांछित उद्देश्यों के लिए निर्धारित नियमावली के अनुसरण में अनुदान उपयोग किए गए थे;
- प्राप्तियों का सही प्रकार से निर्धारण, प्राप्ति तथा दर्ज किया गया था;
- अधिशेष निधियों तथा अप्रयुक्त शेषों के निवेश हेतु एक उपयुक्त प्रणाली मौजूद थी;
- उत्तरदायित्वों का सर्जन वैध था तथा सभी पहचान किए गए उत्तरदायित्वों तथा हानियों हेतु प्रावधान बनाए गए थे;
- परिसम्पतियाँ तथा अन्य स्रोत मौजूद थे; तथा
- लेखांकन अभिलेख सही एवं पूर्ण थे।

यह इन स्वायत्त निकायों पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अभाव तथा नियंत्रण के अभाव को इंगित करेगा।

इस प्रकार, स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण न केवल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है बल्कि गबन तथा दुष्प्रबंधन की सम्भावना से ओत-प्रोत भी है।

1.2 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे नौ माह के भीतर अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक संसद में प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (1975-76) में सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए कागजों पर अनुशंसा की थी कि स्वायत्त निकाय के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुत करने की स्थिति की समीक्षा निम्न के अनुसार थी:

लेखा वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गए किन्तु संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए	देय तिथि के उपरान्त प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखों की कुल संख्या
2006-07	10	56*
2007-08	67	-

* वर्ष 2005-06 हेतु दो मामले शामिल हैं

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि निर्धारित समय के भीतर संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखों की बड़ी संख्या को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

स्वायत्त निकायों के नामों सहित ब्यौरा जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए/देय तिथि के उपरान्त प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट-VI तथा परिशिष्ट-VII में शामिल हैं।

1.3 उपयोग प्रमाणपत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों के संबंध में अनुदानों के उपयोग के प्रमाणपत्र संबंधित निकायों/संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन से 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित था। मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 19564.45 करोड़ रु. की राशि के मार्च 2008 तक देय (जिस वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी किए गए थे के 12 महीनों के उपरान्त) कुल 41046 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति दर्शाने वाला मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-VIII में दिया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य एवं जन संवितरण, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, निगम कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, उत्तर-पूर्वी विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, दादरा एवं नागर

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

हवेली प्रशासन तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की सूचना प्रस्तुत नहीं की।

मार्च 2008 की समाप्ति पर 16807.15 करोड़ रु. की राशि के कुल 17998 उपयोगिता प्रमाणपत्र जो 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित थे, में से 5298.70 करोड़ रु. की राशि के 14007 प्रमाणपत्र मार्च 2006 तक जारी अनुदानों से सम्बन्धित थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

31 मार्च 2008 तक बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2007 को समाप्त अवधि के लिए		मार्च 2006 को समाप्त अवधि के लिए	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	परिवार कल्याण	2041	5509.42	1278	2012.71
2.	माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1486	3137.17	1190	942.99
3.	स्वास्थ्य	1834	1933.02	1004	553.63
4.	भारी उद्योग	74	1284.92	35	140.18
5.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2608	1121.93	2161	170.84
6.	पर्यावरण तथा वन	8843	1013.80	7793	623.43
7.	सूचना एवं तकनीकी	481	857.32	320	423.77
8.	वाणिज्य	220	846.34	77	102.70
9.	कृषि	266	601.80	115	105.83
10.	आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	145	501.43	34	222.62
योग		17998	16807.15	14007	5298.70


भाग क - निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

कृषि मंत्रालय

राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड,
गुड़गांव

उत्पादन एवं पश्च-पैदावार
प्रबंधन के माध्यम से
वाणिज्यिक बागबानी
का विकास



अध्याय II : कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव

2 उत्पादन एवं पशु-पैदावार प्रबंध योजना के माध्यम से वाणिज्यिक बागबानी का विकास

विशिष्टताएं

- राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड ने योजना के निष्पादन निर्धारण हेतु कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रतिपादित नहीं किए।

(पैराग्राफ 2.7.1)

- लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए 1372 प्रकरणों में से 292 प्रकरणों में उद्देश्य के पत्रों के निर्गम हेतु प्रकरणों को अंतिम रूप देने में तीन से 23 माह तक के अत्यधिक विलम्ब थे। एल.ओ.आई. के निर्गम में विलम्ब ने लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने से वंचित किया जिसके परिणामस्वरूप उनकी परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब हुआ।

(पैराग्राफ 2.7.3)

- उत्तर-पूर्वी राज्यों में 10.30 करोड़ रु. की राशि के आर्थिक सहायता के दुर्विनियोजन के प्रकरण थे।

(पैराग्राफ 2.8.2)

- योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खुले मैदानों में मौसमी/लघु अवधि फसलों की पैदावार के संबंध में लाभार्थियों को 4.23 करोड़ रु. के आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया था।

(पैराग्राफ 2.9.3)

- एन.एच.बी. ने अवधि ऋणों के मानदण्डों का पालन किए बिना आठ प्रकरणों में 87.36 लाख रु. का आर्थिक सहायता जारी किया।

(पैराग्राफ 2.9.4)

- यद्यपि एन.एच.बी., महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में उत्पादन के माध्यम से वाणिज्यिक बागबानी का विकास करने में सफल रहा किन्तु कई राज्यों में योजना का कार्यान्वयन करने तथा पशु-पैदावार प्रबंधन गतिविधियों को आवृत्त करने में भी अप्रभावी रहा।

(पैराग्राफ 2.10.3 एवं 2.10.4)

- एन.एच.बी., बागवानी उत्पादकों तथा मार्केटर्स के मध्य संयोजन सुधार करने तथा बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग हेतु एकीकृत नेटवर्क सृजित करने में अधिक प्रगति नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 2.10.5)

- एन.एच.बी., प्राथमिकता क्षेत्रों अर्थात् निर्यात अभिमुखी इकाईयों, सहकारी क्षेत्र परियोजनाओं इत्यादि, से परियोजनाएं आकर्षित करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 2.10.6)

अनुशंसाओं का सारांश

- एन.एच.बी. को योजना के निष्पादन के निर्धारण के उद्देश्य से भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के स्पष्ट प्रतिपादन सहित परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- एन.एच.बी. को योजना की समीक्षा करनी चाहिए तथा उपयुक्त प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सन्निविष्ट किया जाना चाहिए कि सदृश घटक हेतु लाभार्थी द्वारा दावा किया गया आर्थिक सहायता समान घटक वाली अन्य योजना के अन्तर्गत दावा नहीं किया गया है।
- एन.एच.बी. तथा बैंकों के मध्य समुचित समन्वय हेतु एक यंत्रावली का लाभार्थियों द्वारा ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए सूत्रपात किया जाना चाहिए।
- एन.एच.बी. को एल.ओ.आई. को जारी करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने चाहिए जिससे कि लाभभोगी समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।
- एन.एच.बी., परियोजनाओं की समाप्ति से पहले अग्रिम आर्थिक सहायता को प्रदान करने की प्रणाली की समीक्षा करे।
- एन.एच.बी. यह सुनिश्चित करने के लिए एक यंत्रावली का सूत्रपात करे कि परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किए बिना 36 माह से पहले प्रवर्तकों के ऋण लेखाओं में आर्थिक सहायता राशियों का समायोजन बैंकों/एफ.आई./एन.सी.डी.सी. द्वारा नहीं किया गया है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए कि देय प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् तथा सभी निर्धारित जांचों को पूरा करने के पश्चात् ही आर्थिक सहायता जारी किया गया है।
- एन.एच.बी., योजना में, सहकारी क्षेत्र; एस.सी./एस.टी., पूर्व सैनिक तथा महिला उद्यमियों की पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित करे।
- एन.एच.बी. को अपनी आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, देश में बागबानी के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक आदेश से समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक स्वायत्त समिति के रूप में भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। इस आदेश के अनुसरण में एन.एच.बी. ने VIIवीं तथा VIIIवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जिनके लाभ कुछ राज्यों/क्षेत्रों में ही देखे गए थे। नई योजनाओं के उपाय के रूप में एन.एच.बी. ने IXवीं योजना अवधि के दौरान नई योजनाओं का एक सेट प्रतिपादित किया जो व्यापक आधारवाला तथा ठेकेदार-चालित था। मुख्य योजनाओं में से एक 'उत्पादन एवं पश्च-पैदावार प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागबानी का विकास' थी जो सरकार द्वारा मई 2000 में अनुमोदित की गई थी।

योजना का उद्देश्य हैं:

- अभिज्ञात बेल्टों में उच्च गुणवत्ता बागबानी फार्मों का विकास करना तथा ऐसे क्षेत्रों को बागबानी गतिविधि से गुंजायमान बनाना, जो क्रम से उच्च-तकनीक बागबानी तकनीकों को अपनाकर वाणिज्यिक बागबानी विकसित करने के लिए हबों के रूप में कार्य करेंगे;
- पश्च-पैदावार प्रबंध मूलभूत संरचना का विकास करना;
- बागबानी उत्पादकों तथा मार्केटर्स के मध्य संयोजनों का सुधार करना;
- बागबानी उत्पाद की मार्केटिंग के लिए एकीकृत नेटवर्क सृजित करना;
- देश में बागबानी प्रोत्साहन के क्षेत्र में व्यस्त सभी अन्य संबंधित अभिकरणों/संगठनों भा.स. तथा संबंधित राज्यों/यू.टी. दोनों, वित्तीय संस्थानों (एफ.आई.जे.) तथा निजी अभिकरणों, से संसाधन संघटन हेतु योजनाओं की नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।

योजना में दो प्रमुख घटक अर्थात् उत्पादन एवं पश्च-पैदावार घटक सम्मिलित हैं।

योजना के प्राथमिकता क्षेत्र निर्यात अभिमुखी इकाईयां/परियोजनाएं, सहकारी क्षेत्र की परियोजनाएं; नई प्रक्रियाओं नई प्रौद्योगिकी/ उपस्कर सहित, उत्पादों अथवा मार्केट्स, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में परियोजनाएं तथा महिला उद्यमियों एवं पूर्व-सैनिकों से आवेष्टित परियोजनाएं हैं।

2.2 संगठनात्मक संरचना

निदेशक मण्डल (बी.ओ.डी.), एन.एच.बी. जो इसके प्रबंध का पर्यवेक्षण करता है जिसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा इसके उपाध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय राज्य कृषि मंत्री करते हैं। प्रबंध समिति की अध्यक्षता इसके चेयरमैन के रूप में केन्द्रीय सचिव (कृषि एवं सहकारिता) द्वारा की जाती है। समिति को एन.एच.बी. के कार्यों एवं क्रिया-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रबंध निदेशक, एन.एच.बी. का प्रधान कार्यकारी होता है।

एन.एच.बी का मुख्य कार्यालय गुडगांव में स्थित है तथा देश भर में इसके 21 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 36 विपणन सूचना केन्द्र स्थित हैं।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह जांचना तथा निर्धारित करना था कि क्या:

- योजना के कार्यान्वयन हेतु आयोजना समुचित सर्वेक्षण पर आधारित थी तथा प्रभावी थी,
- योजना हेतु उद्दिष्ट निधियों का आबंटन, जारी करना तथा उपयोग, पर्याप्त थे,
- योजना सफल एवं प्रभावी ढंग में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की गई थी,
- योजना हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता बागबानी फार्मों एवं पशु-पैदावार प्रबंध मूलभूत संरचना का विकास, बागबानी उत्पादकों एवं मार्केटर्स के मध्य संयोजन में सुधार, योजना के प्राथमिकता क्षेत्रों की पर्याप्त आवृत्ति इत्यादि हुई, तथा
- एन.एच.बी. के विभिन्न स्तरों पर योजना को मानीटर किया गया था।

2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए थे:

- वित्तीय नियमों के प्रावधान।
- योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देश।
- योजना के निष्पादन हेतु भा.स. द्वारा जारी नियम, विनियम तथा अनुदेश।
- वार्षिक कार्य योजनाएं तथा लाभार्थियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा
- एन.एच.बी. द्वारा स्थापित मानीटरिंग यंत्रावली।

2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2003-04 से 2007-08 तक की अवधि हेतु योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई-अक्टूबर 2008 के दौरान की गई थी।

2.6 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा, जुलाई 2008 में गुडगांव में प्रबंध निदेशक, एन.एच.बी. के साथ प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ हुई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्ड, लेखापरीक्षा के क्षेत्र तथा पद्धति पर चर्चा की गई थी। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निपटाए गए सभी आर्थिक सहायता प्रकरणों का पच्चीस प्रतिशत बिना प्रतिस्थापन पद्धति के साधारण यादृच्छिक नमूना के आधार पर विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित किए गए थे। 22095

आर्थिक सहायता प्रकरणों में से 5627 प्रकरणों, जैसा परिशिष्ट-क में दिये गये हैं, की संवीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट ज्ञापन प्रबंध को जारी किए गए थे तथा लेखापरीक्षा परिणामों पर दिसम्बर 2008 में आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान विस्तार में चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

योजना में एन.एच.बी. द्वारा बैंक एण्डिड पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता* पर विचार किया गया था। आर्थिक सहायता, एन.एच.बी. द्वारा अथवा विभिन्न राज्यों में इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से परियोजना इकाईयों को दिया गया था। राशि प्रति परियोजना 25 लाख रू की अधिकतम सीमा सहित कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी थी। तथापि, उत्तर-पूर्वी/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रू प्रति परियोजना थी। आर्थिक सहायता, परियोजनाओं की पूर्णता पर ही जारी किया जाना था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.7 आयोजना

ऊपर अभिव्यक्ति के अनुसार, एन.एच.बी. ने परियोजना इकाई को या तो प्रत्यक्षतः अथवा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बैंक-एण्डिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी उपलब्ध करवाई। ठेकेदारों/किसानों को उद्देश्य पत्रों (एल.ओ.आई.) को पाने के लिए एन.एच.बी. को आवेदन करना था। यदि प्रत्यक्षतः योग्य पाए जाते तो एन.एच.बी. उनके प्रस्तावों पर विचार करता और एल.ओ.आईज जारी करता। सहकारी क्षेत्रों के प्रकरण में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) तथा सांझेदार बैंकों/एफ.आईज के माध्यम से योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता संस्वीकृति तथा जारी की गई थी। एन.एच.बी. के क्षेत्रीय कार्यालयों को 7 दिसम्बर 2006 से 20 लाख रू. तक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु एल.ओ.आईज की संस्वीकृति की शक्ति प्रदान की गई थी। उन्हें पहले 10 लाख रू. तक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहायता संस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त थी। संस्वीकृत आर्थिक सहायता को “आर्थिक सहायता आरक्षित निधि” नामक पृथक बैंक खाते में रखा जाना था तथा अन्तिम किस्त की वसूली के भाग के रूप में समायोजित किया जाना था। तथापि, 20 लाख रू. तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए एन.एच.बी. को, बैंक/एफ.आईज द्वारा अवधि ऋण जारी करने के पश्चात् अग्रिम में आंशिक आर्थिक सहायता जारी किया जाना था। योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों) के अनुसार, बैंक/एफ.आईज ने एक अवधि ऋण का प्रबन्ध किया जो कि 30 लाख रू. से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का

* पहले समाप्त आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत, लाभभोगी अपनी परियोजनाओं के लिए बैंकों/एफ.आई./एन.सी.डी.सी. से आवधिक ऋण का लाभ उठाते हैं तथा एन.एच.बी. द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को अपनी परियोजनाओं की समाप्ति पर ग्रंहीता के आवधिक ऋण की अंतिम किस्तों की वापसी के प्रति समायोजित करते हैं।

40 प्रतिशत तथा 30 लाख रू. लागत वाली परियोजनाओं का कम से कम 25 प्रतिशत होगा।

2.7.1 परिप्रेक्ष्य योजनाओं तथा लक्ष्यों के निर्धारण की तैयारी न करना

एन.एच.बी. ने योजना को उद्देश्यों के प्राप्त करने के उद्देश्य से उपलब्ध इनपुट्स को ध्यान में रखने के पश्चात् प्रावस्थाबद्ध रीति में योजना के अन्तर्गत विभिन्न घटकों/गतिविधियों को आवृत्त करने के लिए कोई परिप्रेक्ष्य यो तैयार नहीं की। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रतिपादित नहीं किए गए थे। निकास सम्मेलन के दौरान एन.एच.बी. ने बताया कि चूंकि योजना मांग आधारित थी अतः कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे। प्रबन्ध का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का प्रतिपादन, योजना की प्रगति के निर्धारण हेतु अनिवार्य है।

अनुशंसा

- एन.एच.बी. को योजना के निष्पादन निर्धारण के उद्देश्य से भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के स्पष्ट प्रतिपादन सहित एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

2.7.2 योजना की आवृत्ति

भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2000 में स्थापित राष्ट्रीय औषधीय वनस्पति बोर्ड (एन.एम.पी.बी.), औषधीय वनस्पति की पैदावार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता की आवृत्ति से बचने के लिए एन.एच.बी. ने अपने सभी क्षेत्र अधिकारियों तथा इसके केन्द्रों को तुरंत प्रभाव से ऐसी पैदावार, अर्थात् सफेद मूसली तथा अन्य औषधीय वनस्पतियों की पैदावार से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार न करने का निर्देश दिया (जुलाई 2003)। अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 113 प्रकरणों में 2.31 करोड़ रू. की राशि का आर्थिक सहायता, एन.एच.बी. के अनुदेशों के उल्लंघन में औषधीय वनस्पतियों (अर्थात् अलोयवेषा तथा स्टेविया) की पैदावार हेतु 2003-04 से 2007-08 तक के दौरान जारी किया गया था। एन.एच.बी. के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई यंत्रावली नहीं थी कि समान परियोजनाओं को एन.एम.पी.बी. द्वारा एक ही समय वित्तीय रूप से सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

यह भी देखा गया था कि एन.एच.बी. क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला में तीन लाभार्थियों ने बागबानी प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत 2006-07 से 2007-08 तक के दौरान 3.04 लाख रू. का आर्थिक सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त कार्नेशन परियोजनाओं के लिए ग्रीनहाउसों की स्थापना हेतु 4.15 लाख रू. का बैंक एण्डिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर्थिक सहायता प्राप्त किया था। इसके परिणामस्वरूप एन.एच.बी. केन्द्र तथा राज्य बागबानी विभाग के मध्य मुख्यतः समन्वय की कमी के कारण 4.15 लाख रू. की राशि की बैंक एण्डिड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर्थिक सहायता का अग्राह्य भुगतान हुआ।

निकास सम्मेलन के दौरान एन.एच.बी. ने बताया कि योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहक के लिए इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था कि उसके द्वारा समान परियोजना के लिए किसी अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं किया गया था। एन.एच.बी. भी इस संबंध में राज्य सरकारों के जिला बागबानी प्राधिकारियों से प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने के लिए अनुदेश जारी कर रहा था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए प्रकरणों में यह देखा गया था कि राज्य सरकार के बागबानी प्राधिकरण तथा एन.एम.पी.बी. से एन.एच.बी. द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

अनुशंसा

- एन.एच.बी., योजना की समीक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान घटक के लिए लाभार्थी द्वारा दावा किया गया आर्थिक सहायता का उसी प्रकार के घटक वाली अन्य योजना के अन्तर्गत दावा नहीं किया जाता है उपयुक्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए।

2.7.3 उद्देश्य के पत्रों के प्रचालन में विलम्ब

परिचालनात्मक दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) निर्धारित करते हैं कि ठेकेदारों/ किसानों/पात्र आवेदकों को इकाई/परियोजना स्थापित करने के अपने उद्देश्य के बारे में निर्धारित प्रपत्र में एन.एच.बी. को आवेदन करना अपेक्षित था, जिसकी प्राप्ति पर, उनके प्रस्तावों पर विचार किया गया था। परीक्षण के पश्चात् यदि वे प्रत्यक्षतः पात्र पाए गए तो एन.एच.बी., आवेदकों को एल.ओ.आईज जारी करता था जो निर्गम की तारीख से एक वर्ष हेतु वैध होते थे। एल.ओ.आईज के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु बैठकें माह में एकबार आयोजित की गई थीं। यद्यपि एल.ओ.आईज के प्रचालन हेतु कोई पृथक समयसंरचना निर्धारित नहीं की गई थी, एन.एच.बी. ने बताया (अक्टूबर 2008) कि पूर्ण प्रस्तावों में एल.ओ.आई. जारी करने के लिए सामान्यतः एक माह का समय अपेक्षित होता था। 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि प्रधान कार्यालय तथा दो केन्द्रों पर नमूना-जांच किए गए 1372 प्रकरणों में से 292 प्रकरणों में एल.ओ.आई. के प्रचालन में असामान्य विलम्ब थे जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	स्थान	जांच किए गए प्रकरणों की संख्या	विलम्बित प्रकरणों की संख्या	जांच किए गए विलम्बित प्रकरणों की प्रतिशतता	विलम्ब की अवधि (माह में)
1.	गुड़गांव	प्रधान कार्यालय	1,250	269	21.52	3 से 23 माह
2.	चण्डीगढ़	हरियाणा	58	16	27.59	3 से 8 माह
3.	तिरुवनन्तपुरम	केरल	64	7	10.94	3 से 6 माह
योग			1,372	292		

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, एल.ओ.आईज के प्रचालन में प्रधान कार्यालय (21.52 प्रतिशत) तथा चण्डीगढ़ केन्द्र (27.59 प्रतिशत) के संबंध में विलम्ब के प्रकरणों की प्रतिशतता उच्च थी। एल.ओ.आईज के प्रचालन में विलम्ब ने लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायताओं को प्राप्त करने से वंचित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप आगे उनकी परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब हुआ।

निकास सम्मेलन के दौरान, एन.एच.बी. ने बताया कि विलम्ब मुख्यतः अगस्त 2004 से परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु एल.ओ.आई. को इन-प्रिंसीपल अप्रूवल (आई.पी.ए)¹ से प्रणाली में परिवर्तन के कारण था। आगे यह बताया गया था कि एन.एच.बी. के पास सीमित तकनीकी स्टाफ था, जिसके कारण प्रस्तावों की बृहद् संख्या के साथ राज्यों में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलम्ब मुख्यतः प्रधान कार्यालय में थे। इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्र कार्यालयों में स्टाफ की अधिक अथवा कम समान संख्या की उपस्थिति ने उनकी कार्यभार पद्धति का ध्यान किए बिना सूचित किया कि स्टाफ की तैनाती हेतु बुद्धिसंगत व्याख्या की आवश्यकता है।

2.7.4 परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात् एल.ओ.आईज का प्रचालन

एन.एच.बी. के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि आई.पी.एज/ एल.ओ.आईज, 96 प्रकरणों में परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात् जारी किए गए थे जबकि उन्हें परियोजना के आरम्भ होने से पहले जारी किया जाना था। परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात् आई.पी.ए./ एल.ओ.आई. के प्रचालन ने उसके प्रचालन के उद्देश्य को विफल कर दिया। इसके अतिरिक्त, इन इकाईयों को 3.96 करोड़ रु. की राशि के आर्थिक सहायता का भुगतान अनुचित था।

एन.एच.बी. ने बताया (जनवरी 2009) कि लाभार्थियों को फसल मौसम के अनुसार परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने से रोका नहीं गया था बाद में उन्होंने एल.ओ.आईज के लिए आवेदन किया था। प्रक्रिया के अनुसार, एक किसान/प्रोत्साहक एन.एच.बी. को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् बैंकों से ऋण प्राप्त करना आरम्भ कर सकता है। आई.पी.ए./एल.ओ.आई. के अनुमोदन कभी-कभी यह मानते हुए परवर्ती स्तर पर आवेदकों को सूचित किए गए थे कि उनके आवेदन एन.एच.बी. द्वारा पहले ही प्राप्त कर लिए गए थे। उत्तर, योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

2.7.5 परियोजनाओं में उद्देश्य के पत्रों की निम्न परिपक्वता दर

दिशानिर्देशों के अनुसार, एल.ओ.आई. की वैधता निर्गम की तारीख से एक वर्ष थी तथा एक प्रोत्साहक को तदनुसार तुरंत अपनी पसंद के बैंक/एफ.आई. के पास जाना था तथा

¹ इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक/एफ.आईज को ठेकेदार के आवेदन का मूल्यांकन करना तथा आर्थिक सहायता हेतु एन.एच.बी. को प्रस्ताव करना अपेक्षित था। प्रस्ताव की प्राप्ति पर, आई.पी.ए. के निर्गम पर एन.एच.बी. द्वारा विचार किया जाना था। यह प्रणाली अगस्त 2004 से एल.ओ.आई. के साथ प्रतिस्थापित थी जिसके अन्तर्गत ठेकेदार से एन.एच.बी. को जो एल.ओ.आई. जारी करेगा, प्रत्यक्षतः आवेदन करना अपेक्षित था।

एल.ओ.आई. के निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैंक/एफ.आई. से अपना अवधि ऋण संस्वीकृत करवाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 1.52 लाख आवेदकों में से, जिन्हें 2004-08 के दौरान एल.ओ.आई.ज जारी किए गए थे, केवल 21,000 आवेदकों (14 प्रतिशत) ने अपनी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की तथा आर्थिक सहायता प्राप्त किए। ऐसी कम परिपक्वता दर न केवल योजना की अपर्याप्त सफलता की सूचक थी बल्कि प्रोत्साहकों को ऋणों को जारी करने के संबंध में एन.एच.बी. तथा बैंकों/एफ.आई.ज के मध्य समन्वय की कमी को भी प्रतिबिम्बित किया।

एन.एच.बी. ने बताया कि अवास्तविक आवेदकों को हतोत्साहित करने के लिए संसाधन फीस के प्रभारण तथा एल.ओ.आई. आवेदनों के साथ बैंक आवेदन फार्म/सहमति पत्र जैसी विभिन्न शर्तों के आरम्भ करने से एल.ओ.आई. का परिपक्वता स्तर महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया। यद्यपि सफलता की प्रतिशतता आरम्भ में बहुत कम थी, फिर भी स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ था। तथापि, उत्तर, उपर्युक्त अवधि के दौरान कम परिपक्वता के कारणों के बारे में मौन था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि 2007-08 के दौरान परिपक्वता दर 31 प्रतिशत थी, जो अभी भी बहुत कम थी।

अनुशांसाएं

- एन.एच.बी. तथा बैंकों के मध्य समुचित समन्वय हेतु एक यंत्रावली का लाभार्थियों द्वारा ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयों को कम करने के लिए सूत्रपात किया जाना चाहिए।
- एन.एच.बी. को एल.ओ.आई. को जारी करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने हेतु सम्मिलित प्रयास करने चाहिए जिससे कि लाभभोगी समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें।

2.8. वित्तीय प्रबन्ध

2.8.1 आबंटन तथा व्यय

एन.एच.बी. को केवल भारत सरकार (भा.स.) द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से निधिबद्ध किया जाता है। 2003-08 के दौरान भा.स. से इसकी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एन.एच.बी. द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार थी:

(करोड़ रूपयों में)

योजना का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	योग
उ.पू. तथा पहाड़ी राज्यों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन योजना सहित एन.एच.बी. योजनाएं	56.26	78.35	78.50	115.00	126.79	454.90

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

भारत सरकार ने योजना-वार आबंटन किए बगैर सभी योजनाओं के लिए एन.एच.बी. को एकमुश्त अनुदान जारी किया। तथापि, एन.एच.बी. ने व्यय के योजना-वार विवरण अनुरक्षित किए। 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि हेतु, समीक्षा के अन्तर्गत योजना पर वर्ष-वार व्यय निम्नानुसार था:

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	योग
तात्कालिक योजना पर व्यय	21.15	28.43	66.37	99.16	99.94	315.05
कुल सहायता अनुदान से व्यय की प्रतिशतता	38	36	85	86	79	69

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2005-06 से आगे इस योजना पर सहायता अनुदान की महत्वपूर्ण प्रतिशतता खर्च की गई थी।

2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान विभिन्न घटकों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को योजना के अन्तर्गत सहायता के संवितरण के विवरण परिशिष्ट-ख में दिए गए हैं।

2.8.2 आर्थिक सहायता का दुर्विनियोजन

परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के निर्धारण के लिए एन.एच.बी. कर्मचारियों द्वारा पूर्व एवं पश्च-पूर्णता निरीक्षण, दिशानिर्देशों में अनुबद्ध हैं। एन.एच.बी. द्वारा जारी निर्देशों (सितम्बर 2005) के अनुसार 10 लाख रु. से कम मूल्य वाली परियोजनाओं के निरीक्षण बैंकों द्वारा किये जाने थे तथा इन परियोजनाओं के पांच प्रतिशत का एन.एच.बी. द्वारा यादृच्छिक रूप से निरीक्षण किया जाना था।

अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि यद्यपि एन.एच.बी. ने हरियाणा तथा पंजाब में पूर्व एवं पश्च-पूर्णता निरीक्षण किए किन्तु उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोई पूर्व निरीक्षण नहीं किए गए थे। यह भी देखा गया था कि एन.एच.बी. ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटी को 2005-08 के दौरान 15.83 करोड़ रु. की राशि का आर्थिक सहायता जारी किया जिसमें से 10.30 करोड़ रु. की राशि के दुर्विनियोजन के बहुत से प्रकरण देखे गए थे। संबंधित बैंकों तथा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटी के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध छः प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर कर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ये प्रकरण भेजे गए थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, एन.एच.बी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि दिशानिर्देशों का अनुसरण करके दुर्विनियोजन का पता लगाया जा सकता था।

2.8.3 निधि प्रबंधन

- लाभार्थियों, जिन्होंने योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया था, से दिसम्बर 2003 से परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में निर्धारित दरों पर

संसाधन फीस प्रभारित की जा रही थी। एन.एच.बी. ने इस राशि के उपयोग हेतु कोई विशिष्ट नीति नहीं बनाई थी। परिणामस्वरूप 14.22 लाख रू तथा 3.45 करोड़ रू के बीच की निधियां 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान एन.एच.बी. के बचत बैंक खाते में पड़ी रही थी। इसने पूंजीगत व्यय अथवा एफ. डी.आर. में निवेश हेतु इन निधियों का उपयोग सितम्बर 2006 से ही आरम्भ किया।

- एन.एच.बी. ने लाभार्थियों से संगृहीत संसाधन फीस में से 1.52 करोड़ रू का एक अग्रिम दिल्ली में नांगलोई में मानव संसाधन विकास भवन के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के पास जमा किया (सितम्बर 2006)। आवासीय से संस्थागत उपयोग के लिए भूमि के परिवर्तन के अनुमोदन की अप्राप्ति के कारण दिसम्बर 2008 तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु अनुमोदन प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य हेतु अग्रिम का निक्षेप न्यायोचित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 20.52 लाख रू के ब्याज (छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर) की हानि के अतिरिक्त 1.52 करोड़ रू का अवरोधन हुआ।
- 2002-08 के दौरान पूर्ववर्ती योजनाओं² के अन्तर्गत न्यायालय प्रकरणों हेतु कानूनी प्रभारों के रूप में 1.63 करोड़ रू का व्यय किया गया था जबकि व्यय को समीक्षा के अन्तर्गत योजना के अधीन दर्ज किया गया था। एन.एच.बी. ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2009) कि प्रबंध समिति ने निर्णय लिया (मार्च 2000) था कि एन.एच.बी. की किसी योजना/कार्यक्रम के सभी आकस्मिक खर्चों, चाहे न्यायालय में मामलों के बचाव से संबंधित हों अथवा अन्य प्रकार से, को उस विशिष्ट योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभारित किया जा सकेगा। चूंकि खर्च प्रारंभिक योजनाओं के लिए आकस्मिक थे, इसलिए कानूनी प्रभारों को उन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा किया जाना चाहिए।

2.9 योजना का कार्यान्वयन

एन.एच.बी. के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता का भुगतान निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था उपयुक्त नियंत्रण का उपाय नहीं किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां थीं।

2.9.1 लागत मानदण्डों के उल्लंघन में अतिरिक्त आर्थिक सहायता का निर्गम

एल.ओ.आई. के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता की प्रमात्रा, परियोजना में व्यय की विभिन्न स्वीकार्य मदों के संबंध में 'एन.एच.बी. के लागत मानदण्ड' के

² समीक्षा के अन्तर्गत स्कीम के आरम्भ से पहले एन.एच.बी. ने 'बागबानी फसलों के पशु-पैदावार मूलभूत संरचना के प्रबंध पर एकीकृत परियोजना' तथा 'बागबानी उत्पाद के विपणन के विकास हेतु स्कीम' नामक दो पूर्ववर्ती स्कीमों के अन्तर्गत आसान ऋण जारी किए।

आधार पर तथा संबंधित बैंक/एफ.आई. तथा एन.एच.बी. के कर्मचारियों से बने एक संयुक्त निरीक्षण दल (जे.आई.टी.) की अनुशंसा को ध्यान में रखने के बाद निश्चित की जानी थी। एन.एच.बी. के लागत मानदण्ड तथा बैंक द्वारा अनुमोदित लागत के मध्य भिन्नता के प्रकरणों में निम्नतम लागत पर विचार किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एन.एच.बी. के प्रधान कार्यालय, हैदराबाद, रायपुर, शिमला, नासिक, पुणे तथा नागपुर केन्द्रों में 80 प्रकरणों में इन मानकों की अवज्ञा की गई परिणामतः 20.35 लाख रू. के अतिरिक्त आर्थिक सहायता का भुगतान हुआ जैसा परिशिष्ट-ग में प्रदर्शित किया गया है।

2.9.2 दम्पतियों को आर्थिक सहायता का जारी करना

एन.एच.बी. ने जनवरी 2007 से पतियों तथा पत्नियों को पृथक रूप से आर्थिक सहायता अनुमत करने के लिए एक प्रावधान आरम्भ किया बशर्ते कि वे दोनों पृथक एवं व्यक्तिगत रूप से आयकर प्रदाता/निर्धारिती हों। जनवरी 2007 से पहले पति-पत्नी को पृथक अस्तित्व के रूप में मानने का कोई प्रावधान नहीं था। यह अवलोकित किया गया था कि एन.एच.बी., गुडगांव ने जनवरी 2007 से पहले पति एवं पत्नी प्रत्येक को पृथक रूप से 25 लाख रू. का आर्थिक सहायता जारी किया परिणामतः 25 लाख रू. का अतिरिक्त आर्थिक सहायता जारी हुआ। इसके अतिरिक्त, शिमला, पुणे तथा नागपुर में एन.एच.बी. केन्द्रों ने पतियों एवं पत्नियों को 7.65 लाख रू. का आर्थिक सहायता यह सत्यापन किए बिना जारी किया कि क्या वे दोनों आयकरदाता थे। इन उदाहरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	अतिरिक्त आर्थिक सहायता की राशि (लाख रूपयों में)	अभ्यक्तियाँ
1.	प्रधान कार्यालय गुडगांव	25.00	पति-पत्नी दोनों को आर्थिक सहायता अनुमत करने हेतु प्रावधान के प्रभाव में आने से पहले जनवरी 2007 से पूर्व आर्थिक सहायता जारी किया गया।
2.	शिमला	0.88	आर्थिक सहायता यह पता लगाए बिना जारी किया गया कि दोनों आयकरदाता थे।
3.	पुणे तथा नागपुर	5 प्रकरणों में 6.77	-सम-

एन.एच.बी. ने बताया (अक्टूबर 2008) कि जनवरी 2007 से पहले किसी प्रावधान के अभाव में पति एवं पत्नी को पृथक रूप से आर्थिक सहायता अनुमत किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे आर्थिक सहायता की अनुमति जनवरी 2007 में प्रावधान के आरम्भ तथा उसमें वर्णित शर्तों के अवलोकन के पश्चात ही अनुमत की जानी चाहिए।

2.9.3 मौसमी/कम अवधि वाली फसलों की पैदावार पर आर्थिक सहायता का भुगतान

परियोजनाएं, जिनमें खुले मैदानों में मौसमी/कम अवधि वाली बागबानी फसलों पर विचार किया गया था, योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु अर्हता प्राप्त नहीं थी। एन.एच.बी. के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 874 प्रकरणों (पुणे केन्द्र: 4.17 करोड़ रू: 868 प्रकरण तथा चण्डीगढ़. केन्द्र: 0.06 करोड़ रू: 6 प्रकरण) में 4.23 करोड़ रू की राशि का आर्थिक सहायता योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 2005-08 के दौरान खुले मैदानों में स्ट्राबेरी फसलों की पैदावार हेतु जारी किया गया था। एन.एच.बी. ने बताया (अक्टूबर 2008) कि बी.ओ.डी. ने 2 नवम्बर 2004 को आयोजित अपनी बैठक में स्ट्राबेरी को इसकी उच्च-तकनीक उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा प्रति एकड़ अधिक आच्छादन के कारण उपयुक्त फसल के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया।

2.9.4 अवधि ऋण की शर्त का अनुसरण किए बिना आर्थिक सहायता का अनियमित भुगतान

दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया था कि योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायताओं की संस्वीकृति तथा जारी करने हेतु अवधि ऋण, जहां परियोजना लागत 30 लाख रू तक थी, परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। 30 लाख रू से ऊपर के प्रस्तावों के प्रकरणों में अवधि ऋण परियोजना लागत का कम से कम 40 प्रतिशत होना था। परियोजना फाइलों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि आठ प्रकरणों में 87.36 लाख रू का कुल आर्थिक सहायता दिशानिर्देशों के उल्लंघन में जारी किया गया था।

- तमिलनाडु के एक लाभार्थी ने 6 जनवरी 2005 को एन.एच.बी., गुडगांव को एल.ओ.आई के प्रचालन हेतु आवेदन दिया। जनवरी 2005 में किए गए पूर्व-निरीक्षण में यह पाया गया था कि परियोजना को बैंक/एफ.आई. से कोई अवधि ऋण प्राप्त किए बिना निजी निवेशकों तथा अन्य स्रोतों से धन उपयोग करके पूर्ण किया गया था तथा प्रकरण को एन.एच.बी. की परियोजना अनुमोदन समिति (पी.ए.सी.) द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तथापि, "इन प्रिंसीपल अप्रूवल" (आई.पी.ए.) के अन्तर्गत उसके 28 मार्च 2005 के आवेदन को स्वीकार करने के पश्चात् उसी परियोजना हेतु अगस्त 2006 में लाभार्थी को 23.40 लाख रू की राशि का आर्थिक सहायता जारी किया गया था क्योंकि बैंक ने इस परियोजना हेतु मार्च-अप्रैल 2005 के दौरान अवधि ऋण संस्वीकृत कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी को 23.40 लाख रू की राशि के आर्थिक सहायता का अनियमित भुगतान हुआ।
- एन.एच.बी. गुडगांव ने बताया (अक्टूबर 2008) कि ऋण संवितरण में प्रक्रियात्मक कारणों के कारण विलम्ब हुआ था। योजना के अभिप्राय को देखते हुए परियोजना अनुमोदन समिति ने आर्थिक सहायता अनुमोदित किया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि परियोजना की समाप्ति के पश्चात् एन.एच.बी. के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के संबंध में आर्थिक सहायता स्वीकार्य नहीं था।

उत्तर इस बारे में भी मौन था कि अगस्त 2004 में एल.ओ.आई. प्रणाली के आरम्भ होने के पश्चात् आई.पी.ए. प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन पर विचार क्यों किया गया था।

- 23.26 लाख रू. की राशि का आर्थिक सहायता अवधि ऋणों की शर्तों को पूरा किए बिना चार प्रकरणों में एन.एच.बी. के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। परिणामस्वरूप 23.26 लाख रू. का आर्थिक सहायता अनियमित जारी किया गया।
- 40.70 लाख रू. की राशि का आर्थिक सहायता एन.एच.बी. के प्रधान कार्यालय द्वारा तीन प्रकरणों में जारी किया गया था, जहां अवधि ऋण की अपेक्षित शर्तें लाभार्थियों द्वारा परियोजनाओं की समाप्ति के पश्चात्, पूरी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 40.70 लाख रू. की राशि का आर्थिक सहायता अनियमित जारी किया गया।

निकास सम्मेलन के दौरान, एन.एच.बी. ने बताया कि प्रोत्साहक की कुल परियोजना लागत की बजाए बैंक द्वारा मूल्यांकित लागत का ध्यान रखते हुए 40 प्रतिशत ऋण की शर्त थी तथा इस संबंध में अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे कोई अनुदेश एन.एच.बी. के पास उपलब्ध नहीं थे।

2.9.5 प्रोत्साहकों के पक्ष में बैंक/एफ.आई. को आर्थिक सहायता का जारी करना

जैसा कि अनुच्छेद-2.7 में बताया गया था, वैयक्तिक इकाइयों के पक्ष में बैंकों/एफ.आई./ एन.सी.डी.सी. को एन.एच.बी. द्वारा जारी किया गया आर्थिक सहायता, “आर्थिक सहायता आरक्षित निधि” नामक पृथक खाते में ऋणी-वार रखा जाना था। पुनर्भुगतान हेतु अनुसूची इस प्रकार तैयार की जानी थी कि आर्थिक सहायता राशि बैंक ऋण हिस्सा (आर्थिक सहायता को छोड़कर) परिसमाप्त होने के पश्चात् समायोजित की गई थी। ऐसा समायोजन अवधि ऋण के जारी करने की तारीख से 36 माह पहले नहीं किया जाना था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

2.9.5.1 ऋणियों के अवधि ऋण खातों का समयपूर्व समापन

पुणे तथा नासिक केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों के साथ प्रोत्साहकों के अवधि ऋण खातों तथा एस.आर.एफ. खातों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि बैंकों ने 1.74 करोड़ रू. की राशि से आवेष्टित 385 प्रकरणों में उनकी परियोजनाएं पूर्ण होने से पहले ऋणियों के अवधि ऋण खातों को बन्द कर दिया।

परियोजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किए बिना प्रोत्साहकों के ऋण खातों में आर्थिक सहायता राशियों के समायोजन के परिणामस्वरूप परियोजनाओं, के उन प्रकरण

में आर्थिक सहायता का अनियमित भुगतान हुआ जो सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हुई थी।

एन.एच.बी. ने बताया (दिसम्बर 2008) कि प्रबंध समिति ने निर्णय लिया (अगस्त 2006) कि बैंक लॉक-इन-पीरियड से पहले अवधि ऋण खातों के समापन पर विचार कर सकते थे।

प्रबंध का दावा न्यायसंगत नहीं है क्योंकि परियोजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किए बिना प्रोत्साहकों के ऋण खातों में आर्थिक सहायता राशियों को समायोजित करना बैंक-एण्डिड-सब्सिडीज प्रदान करने के असली उद्देश्य को विफल कर देगा। इसके अतिरिक्त, ऋण खातों का पूर्व-समापन दर्शाएगा कि प्रोत्साहक केवल आर्थिक सहायता का लाभ उठाने के लिए ऋण प्राप्त कर रहे थे।

2.9.5.2 आर्थिक सहायता को पृथक् ऋणी आरक्षित निधि खाते में न रखा जाना

एन.एच.बी. केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम ने चार प्रोत्साहकों के पक्ष में एच.डी.एफ.सी. बैंक को 9.62 लाख रू. का आर्थिक सहायता जारी किया। बैंक ने आर्थिक सहायता राशियों को पृथक् ऋणी आरक्षित निधि खाते में रखने की बजाए उन्हें प्रोत्साहकों के अवधि ऋण खातों के प्रति समायोजित किया। योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किए बिना प्रोत्साहकों के ऋण लेखाओं में आर्थिक सहायता राशियों का समायोजन आर्थिक सहायता के अनियमित भुगतान का कारण बन सकता था यदि परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हुई थी।

अनुशंसा

- लाभार्थियों द्वारा ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयों को कम करने के लिए एन.एच.बी. तथा बैंकों के मध्य समुचित समन्वय हेतु एक यंत्रावली की युक्ति निकालनी चाहिए।

2.9.6 अपूर्ण परियोजनाओं पर आर्थिक सहायता के भुगतान पर निष्फल व्यय

जैसाकि अनुच्छेद संख्या 2.7 में बताया गया था, आंशिक/अग्रिम आर्थिक सहायता जहां परियोजना लागत 20 लाख रू. तक थी, जारी किया जा सकता था। शेष आर्थिक सहायता परियोजनाओं की पूर्णता पर जारी किया जाना था। इसके अतिरिक्त, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाएं, ऋणों की संस्वीकृति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित/पूर्ण की जानी थी। दिशानिर्देशों के अनुसार एल.ओ.आई. की अननुपालना तथा योजना के अकार्यान्वयन के प्रकरणों में एन.एच.बी. को आर्थिक सहायता की सम्पूर्ण राशि वसूल करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि, दिशानिर्देशों में दोषियों पर शास्ति के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान नहीं किया था। परियोजना फाइलों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 1.15 करोड़ रू. के अग्रिम आर्थिक सहायता से आवेष्टित 232 परियोजनाओं को दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् भी प्रोत्साहकों द्वारा पूर्ण नहीं किया गया जैसा नीचे विवरण दिया गया:

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	राज्य का नाम	प्रकरणों की संख्या	जारी किए गए आर्थिक सहायता की राशि (रु. लाख में)
1.	गुडगांव	प्रधान कार्यालय	2	9.06
2.	रायपुर	छत्तीसगढ़.	16	8.58
3.	बैंगलुरु	कर्नाटक	29	11.42
4.	चण्डीगढ़.	हरियाणा, पंजाब	15	8.29
5.	भोपाल	मध्य प्रदेश	61	17.64
6.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	53	35.12
7.	जयपुर	राजस्थान	5	2.74
8.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	19	7.23
9.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	6	3.94
10.	चेन्नई	तमिलनाडु	15	6.02
11.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	3	1.40
12.	गंगटोक	सिक्किम	8	3.39
योग			232	114.83

इस प्रकार, प्रोत्साहकों को 1.15 करोड़ रु. के अग्रिम आर्थिक सहायता प्रदान करने के बावजूद परियोजनाएं, दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् भी पूर्ण नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, राशि वसूल करने के लिए एन.एच.बी. द्वारा अब तक (दिसम्बर 2008) कोई प्रयत्न नहीं किए गए थे।

एन.एच.बी. ने बताया (जनवरी 2009) कि उन प्रकरणों में, जहां परियोजना लागत 20 लाख रु. से कम थी, केन्द्रों द्वारा आंशिक आर्थिक सहायता जारी किया गया था। जहां परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा बैंकों ने कोई अवधि ऋण जारी नहीं किया था, एन.एच.बी. ने अग्रिम आर्थिक सहायता वापस मांग लिए थे। प्रबंध ने इस संबंध में वसूली के विवरण प्रस्तुत नहीं किए तथा 232 लाभार्थियों को प्रदत्त 1.15 करोड़ रु. का अग्रिम आर्थिक सहायता अब तक वसूल नहीं किया गया था।

अनुशंसा

- एन.एच.बी. को परियोजनाओं की पूर्णता से पहले अग्रिम आर्थिक सहायता को उपलब्ध कराने की समीक्षा की जानी चाहिए।

2.9.7 अपंजीकृत पट्टे पर ली गई भूमि, भूमि पट्टे की अवधि से संबंधित मानदण्ड का पालन किए बिना निष्पादित परियोजनाओं पर आर्थिक सहायता का अदेय लाभ

दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष होनी थी तथा पट्टे को सक्षम पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाया जाना था। यह अवलोकित किया

गया था कि 53.04 लाख रू की राशि का आर्थिक सहायता इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन में जारी किया गया था जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रू. में)	टिप्पणियां
1.	प्रधान कार्यालय	6	40.24	पट्टा विलेख, सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाए गए थे।
2.	प्रधान कार्यालय	1	6.98	पट्टा विलेख, 10 वर्षों की अपेक्षा के प्रति नौ वर्ष के लिए था।
3.	हैदराबाद	1	1.49	प्रोत्साहकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा बैंक के अभिलेखों के मध्य भूमि के आकार में भिन्नता थी।
4.	पुणे	2	1.76	भूमि अभिलेखों तथा बैंक निरीक्षण रिपोर्टों के अनुसार परियोजना के स्थानों में अन्तर था।
5.	नासिक	2	1.66	
6.	नासिक	1	0.91	भूमि, परियोजना के प्रोत्साहक के बजाए अन्य व्यक्ति के नाम थी।
कुल		13	53.04	

उपयुक्त भूमि पट्टा दस्तावेजों के अभाव में, सम्पूर्ण उत्पादन अवधि हेतु परियोजनाओं के अकार्यान्वयन की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका था।

2.9.8 बैंकों/एफ.आई./एन.सी.डी.सी. द्वारा उ.प्र. प्रस्तुत न किया जाना

दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों/एफ.आई./एन.सी.डी.सी. को एन.एच.बी. द्वारा जारी आर्थिक सहायताओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत करने थे।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च 2005 के अन्त तक योजना के अन्तर्गत बैंकों/एफ.आई./एन.सी.डी.सी. को 100.57 करोड़ रू की राशि के आर्थिक सहायता जारी किए गए थे। ऋणियों के अवधि ऋण खातों में आर्थिक सहायता राशियां, केवल अन्तिम किस्तों की वसूली के हिस्से के रूप में समायोजित की जानी थीं तथा अवधि ऋणों का पुनर्भुगतान बैंकों/एफ.आई./एन.सी.डी.सी. द्वारा उ.प्र. को जारी करना शामिल करते हुए उनकी जारी करने की तारीख से 36 माह के भीतर किया जाना था। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि उ.प्र. के प्रस्तुतिकरण हेतु देय तिथि के बाद दिसम्बर 2008 तक नौ से 57 माह से अधिक की समाप्ति के पश्चात् भी इन संस्थानों से कोई उ.प्र. प्राप्त नहीं हुए थे। इन संस्थानों से उ.प्र. के अभाव में, एन.एच.बी. यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या उन्हें जारी किए गए आर्थिक सहायताओं का लाभार्थियों द्वारा उचित रूप से उपयोग किया गया था।

एन.एच.बी. ने बताया (दिसम्बर 2008) कि आर्थिक सहायता को जारी करते समय, निधियों का उपयोग संयुक्त निरीक्षण दल/बैंक द्वारा सुनिश्चित किया गया था। उत्तर, बैंकों को जारी पत्रों के निबन्धनों एवं शर्तों के अतिरिक्त परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के

प्रावधानों जिसने अनुबद्ध किया कि उ.प्र. एन.एच.बी. को प्रस्तुत किए जाने चाहिए के अनुरूप नहीं है।

अनुशंसा

- एन.एच.बी. को यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किए बिना 36 माह से पहले बैंकों/एफ.आई/एल.सी.डी.सी. द्वारा प्रोत्साहकों के ऋण खातों में आर्थिक सहायता राशियों का समायोजन नहीं किया गया है, एक यंत्रावली बनानी चाहिए।

2.9.9 उपयुक्त दस्तावेजों के बिना आर्थिक सहायता जारी करना

दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात् बैंकों/एफ.आई. ने संस्वीकृति पत्रों की प्रतियों सहित परियोजनाओं पर संक्षिप्त रूपरेखा/तथ्य-पत्र, ऋणों को जारी करने के विवरणों तथा परियोजनाओं के निरीक्षण के पश्चात् पूर्णता की तिथियों, मूल्यांकन टिप्पणियों, एन.एच.बी. को प्रस्तुत करने थे। इसके अतिरिक्त, बैंकों ने परियोजना के अन्तर्गत गतिविधियां, प्रोत्साहकों की रूप-रेखा, परियोजना की तकनीकी संभाव्यता तथा वित्तीय व्यवहार्यता इंगित करनी थी।

अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 1841 प्रकरणों में से 329 में पुणे केन्द्र ने तथ्य-पत्र में अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त किए बिना आर्थिक सहायता जारी किया। बैंकों ने आर्थिक सहायताओं को जारी करने के लिए अवधि ऋणों की संस्वीकृतियां एवं जारी करना, परियोजना पूर्णता रिपोर्टें, परियोजनाओं की तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय व्यवहार्यता इत्यादि जैसे विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि बैंकों ने परियोजनाओं के वास्तविक निरीक्षण के बिना ऋणों की किस्तों की निर्मुक्ति की अन्तिम तिथियों को परियोजनाओं की पूर्णता तिथियों के रूप में लिया था। ऊपर कथित सभी दस्तावेजों सहित विस्तृत मूल्यांकन टिप्पणियों के अभाव में आर्थिक सहायता की संस्वीकृति अनियमित थी। यह पद्धति, प्रोत्साहकों द्वारा परियोजनाओं के अकार्यान्वयन तथा आर्थिक सहायता के दुरुपयोग के जोखिम से भी पूर्ण थी क्योंकि बैंकों द्वारा एन.एच.बी. ने निरीक्षण की जिम्मेदारी छोड़ रखी थी जिन पर कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

अनुशंसा

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि यथोचित कार्यविधि का अनुसरण करने के पश्चात् तथा सभी निर्धारित जांचों को करने के पश्चात् ही आर्थिक सहायता जारी किए जाते हैं एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

2.10 योजना के हस्तक्षेप के परिणाम

योजना के उद्देश्य, चिन्हित बैल्टों में उच्च गुणवत्ता बागबानी फार्मों का विकास करना तथा ऐसे क्षेत्रों को जो बदले में वाणिज्यिक बागबानी का विकास करने हेतु हबों के रूप

में कार्य करेंगे को बागबानी गतिविधि से गुंजायमान बनाना। पश्च-पैदावार प्रबंध मूलभूत संरचना के विकास के अतिरिक्त एन.एच.बी. को बागबानी उत्पादकों तथा विपणनकर्ताओं के मध्य संयोजन को बढ़ावा देना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्देश्यों की प्राप्ति में निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

2.10.1 घटक-वार लक्ष्यों का नियत न किया जाना

चूंकि बागबानी तथा उत्पादन के अन्तर्गत आवृत्त होने वाले क्षेत्र, लाभार्थियों की संख्या के संबंध में कोई भौतिक लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे, लेखापरीक्षा उस सीमा का निर्धारण नहीं कर सकी जिसमें एन.एच.बी., इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई।

2.10.2 बागबानी बैल्टों की पहचान

एन.एच.बी. ने 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान, किसी भी बागबानी बैल्ट को चिन्हित नहीं किया। तथापि, इसने बताया (जनवरी 2009) कि बागबानी फसलों के क्षेत्रों तथा उत्पादन के संबंध में एन.एच.बी. द्वारा तैयार किया गया वार्षिक डाटाबेस अनुरक्षित किया जा रहा था।

एन.एच.बी. ने सांगली, नासिक तथा बीजापुर में अंगूर बैल्टों, आनन्द में केला बैल्ट, शोलापुर में अनार बैल्ट, अनन्तपुर तथा नलगोंडा में मौसमी बैल्ट, होशंगाबाद एवं कच्छ में आम बैल्टों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु तथा गुजरात राज्यों में क्रमशः पुणे, बेंगलुरु तथा नीलगिरी में फूल बैल्टों सहित 15 फसलों की बैल्टें विकसित की। यह देखा गया कि एन.एच.बी. अन्य राज्यों में बैल्टों का विकास करने में विफल हुआ। यह भी देखा गया था कि यद्यपि 2003-04 से 2007-08 तक कुल बागबानी उत्पादन ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई, फिर भी क्षेत्र-वार व्याप्ति अस्थिर थी तथा अवगम्य वृद्धि दर्ज नहीं की थी जैसा कि आंकड़े से सुस्पष्ट है:-

वर्ष	क्षेत्र हजार हेक्टेयर्स में	उत्पादन हजार मी.ट. में
2003-04	19449.00	157834.90
2004-05	20198.90	169828.80
2005-06	19327.20	185206.90
2006-07	19392.80	191831.30
2007-08	20086.60	207012.10

उपर्युक्त से यह सुस्पष्ट था कि एन.एच.बी., रिपोर्ट अवधि के दौरान बागबानी उत्पाद के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने में प्रमुख भेदन प्राप्त नहीं कर सका।

2.10.3 उत्पादन के माध्यम से वाणिज्यिक बागबानी का विकास

एन.एच.बी. ने योजना के अन्तर्गत 2003-04 से 2007-08 के दौरान देश भर में 22,185 लाभार्थियों को 314 करोड़ रु. की राशि के आर्थिक सहायता जारी किए। जारी किए गए आर्थिक सहायताओं के एक विश्लेषण ने प्रकट किया कि पांच राज्यों अर्थात्

महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु तथा गुजरात में 15,490 लाभार्थियों (70 प्रतिशत) को 227.17 करोड़ रु. (72 प्रतिशत) की राशि का एक मुख्य हिस्सा जारी किया गया था। यह भी अवलोकित किया गया था कि अकेले महाराष्ट्र में ही 8525 लाभार्थियों सहित 110.35 करोड़ रु. के आर्थिक सहायता जोकि देशभर में कुल आर्थिक सहायता का 35 प्रतिशत बनता था लाभार्थियों का 38 प्रतिशत से अधिक था। कर्नाटक के पास 3,417 लाभार्थियों (15.40 प्रतिशत) तथा 37.90 करोड़ रु. (12.07 प्रतिशत) की राशि सहित आर्थिक सहायता का दूसरा बड़ा हिस्सा था। दूसरी ओर, सभी यू.टी. के अतिरिक्त झारखण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, गोवा, सिक्किम जैसे सात राज्यों में केवल 4.09 करोड़ रु. (1.27 प्रतिशत) की राशि का आर्थिक सहायता संवितरित किया गया था। इसने देशभर में वाणिज्यिक बागबानी के विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन को सूचित किया।

देश में मूल बागबानी राज्यों में योजना की व्याप्ति की सीमा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार जैसे कुछ प्रमुख बागबानी राज्यों में योजना का बहुत कम हस्तक्षेप था जिनका देश में उच्चतम बागबानी उत्पादन था तथा बागबानी फसलों के अन्तर्गत पर्याप्त क्षेत्र भी था जैसा नीचे विवरणित है:

राज्य	2003-08 के दौरान निधिबद्ध परियोजनाओं की संख्या	2003-08 के दौरान एन.एच.बी. द्वारा जारी आर्थिक सहायता की राशि (करोड़ रुपयों में)	कुल परियोजनाओं की प्रतिशतता	कुल आर्थिक सहायता की प्रतिशतता	2003-04 से 2007-08 के दौरान बागबानी फसलों का औसत क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	2003-04 से 2007-08 तक के औसत बागबानी उत्पादन (हजार मी. ट. में)
महाराष्ट्र	8525	110.35	38.43	35.14	2123.68	16343.54
कर्नाटक	3417	37.90	15.40	12.07	1582.98	11023.34
आन्ध्र प्रदेश	1633	27.47	7.36	8.75	1620.24	15190.10
तामिलनाडु	1013	23.74	4.57	7.56	1133.50	15828.40
गुजरात	902	27.72	4.07	8.83	1009.20	10737.46
उत्तर प्रदेश	855	6.28	3.85	2.00	1298.74	20478.46
बिहार	505	1.75	2.28	0.56	1151.70	16801.58
पश्चिम बंगाल	400	3.26	1.80	1.04	1607.86	21845.52
केरल	292	5.18	1.32	1.65	1826.34	10545.58
उड़ीसा	175	6.23	0.79	1.98	1262.14	9981.12

यह आगे, अवलोकित किया गया था कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में जिसने इस योजना के लाभों का अधिकांश हिस्सा घेर लिया 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान बागबानी फसलों के अन्तर्गत बागबानी उत्पादन तथा क्षेत्र की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (परिशिष्ट-घ), क्रमशः 5.64 प्रतिशत तथा 3.47 प्रतिशत (महाराष्ट्र) और 3.27 प्रतिशत तथा 2.15 प्रतिशत (कर्नाटक) थी। इसके प्रति, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जिनका योजना में छोटा हिस्सा था, हेतु संबंधित वृद्धि आंकड़े, क्रमशः 8.20 प्रतिशत तथा 6.56 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश) और 5.00 प्रतिशत तथा 5.77 प्रतिशत (पश्चिम

बंगाल) थे। यह इस तथ्य का सूचक था कि देश के प्रमुख बागबानी बैल्टों में बागबानी वृद्धि का श्रेय केवल योजना को नहीं दिया जा सकता है।

इस प्रकार योजना की व्याप्ति, योजना के क्षेत्र तथा विभिन्न घटकों दोनों के संबंध में असंतुलित थी जैसा अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.10.4 योजना के विभिन्न घटकों की असमान व्याप्ति

योजना के दो आलोचनात्मक सीधे संघटित घटक; उत्पादन घटक तथा पश्च-पैदावार प्रबंध (पी.एच.एम.) घटक थे। यद्यपि, बागबानी उत्पाद की उपज की परियोजनाओं में लाने के लिए प्रोत्साहकों को आर्थिक सहायता जारी करके उत्पादन पहलू का ध्यान रखा गया था, फिर भी एन.एच.बी. ने पी.एच.एम. के विभिन्न घटकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा था। रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रारम्भ की गई 22185 परियोजनाओं में से केवल 422 परियोजनाएं (दो प्रतिशत) पी.एच.एम. के अन्तर्गत आवृत की गई थी। विवरण नीचे दिए गए हैं।

घटक का नाम	लाभार्थियों की संख्या					
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
ग्रेडिंग/पैकिंग/धुलाई / वैक्सिंग/छंटवाई/झाईंग/केन्द्र	0	0	16	0	6	22
प्री-कूलिंग यूनिट/ कूल स्टोर्ज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रीफर वैन/कंटेनर (मल्टी चेंबर, मल्टी-प्रोडक्ट सुविधा सहित)	1	0	6	0	7	14
विशेष परिवहन वाहन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिटेल आउटलेट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नीलामी प्लेटफार्म	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
राईपनिंग/क्यूरिंग चेंबर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मार्केट यार्ड्स/रोपवे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रेडियेशन यूनिट/डीहाइड्रेशन यूनिट वैपीर हीट ट्रीटमेंट यूनिट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उत्पादों का प्राथमिक संसाधन, फरमेंटेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, जूस वेंडिंग पल्लिंग, झैसिंग, कटिंग, चिप्पिंग इत्यादि	15	24	47	79	57	222
बागबानी सहायक उद्योग अर्थात् औजार, उपकरण, प्लास्टिक, पैकेजिंग इत्यादि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्लास्टिक क्रेट्स, कार्टनस, बास्केट्स, एसेप्टिक पैकेजिंग एण्ड नेट्स	35	57	41	19	12	164
कुल	51	81	110	98	82	422

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, पी.एच.एम. के 12 घटकों में से आठ घटकों के लिए 2003-04 से 2007-08 तक के दौरान वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव नहीं किए गए थे। इसने उत्पादन तथा पश्च-पैदावार प्रबंध के मध्य सीधे संघटन की कमी सूचित थी। इसके अतिरिक्त, चूंकि बागबानी उत्पाद प्रकृति में बिगड़ने वाला है अतः उत्पाद की पैकिंग, भण्डारण, परिवहन तथा विपणन जैसी पी.एच.एम. की परियोजनाओं को सशक्त ढंग से लिया जाना चाहिए।

उत्पादन घटक, जिसमें 10 घटक सम्मिलित हैं, के अन्तर्गत भी प्रगति ढलवां थी क्योंकि दो घटकों अर्थात् "उच्च गुणवत्ता वाणिज्यिक बागबानी फसल" तथा "देशी फसल/उत्पाद" पर जोर दिया गया था। 21624 परियोजनाओं में से कुल का 90 प्रतिशत बनाते हुए 19368 परियोजनाएं 2003-04 से 2007-08 के दौरान इन दो परियोजनाओं के अन्तर्गत आवृत की गई थी।

2.10.5 बागबानी उत्पादकों तथा विपणनकर्ताओं के मध्य संयोजन

एन.एच.बी. ने बागबानी उत्पादकों तथा विपणनकर्ताओं के मध्य संयोजन सृजित करने के लिए संगठित प्रयास नहीं किए क्योंकि "प्री-कूलिंग यूनिट/कूल स्टोर्ज", "विशेष परिवहन वाहन", "रिटेल आउटलेट्स", "नीलानी प्लेटफार्म", "मार्केट यार्ड्स/रोपवे", "रेडिएशन यूनिटों/डीहाइड्रेशन यूनिट/वैपोर हीट/ट्रीटमेंट यूनिट्स", "बागबानी सहायक उद्योग" इत्यादि जैसे घटकों से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु नहीं लिया गया था।

निकास सम्मेलन के दौरान, एन.एच.बी. ने बताया कि चूंकि एन.एच.बी. की योजना मांग-संचालित तथा क्रेडिट-लिंकड थी, अतः बैंकों को अवधि ऋणों की संस्वीकृत करने में प्रमुख भूमिका अदा करनी थी। एन.एच.बी. ने पी.एच.एम. घटकों के संघटित करने के, जहां कहीं फसलों तथा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित था प्रयास किए। कई परियोजनाओं ने उपयुक्त ग्रेडिंग/सार्टिंग तथा पैकेजिंग जैसे घटक शामिल किए जो पी.एच.एम. का हिस्सा थे। एन.एच.बी. ने देश भर में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के सृजन में निर्णायक भूमिका निभाई थी जो बिगड़ने वाले पदार्थों के लिए पी.एच.एम. का आलोचनात्मक संयोजन था।

उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पी.एच.एम. के अन्तर्गत परियोजनाओं का मात्र दो प्रतिशत आवृत किया गया था स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं एन.एच.बी. की अन्य योजना के अन्तर्गत सृजित की गई थी तथा इस प्रकार, इस योजना के अन्तर्गत उपलब्धि के रूप में नहीं दर्शाई जा सकती।

2.10.6 वरियता क्षेत्र

यद्यपि दिशानिर्देशों में अनुबद्ध था कि एन.एच.बी. को निर्यात-अभिमुखी ईकाईयों, सहकारी क्षेत्रों तथा महिला उद्यमियों से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए फिर भी यह देखा गया कि एन.एच.बी. ने इसका अनुसरण नहीं किया था। 2003-04 से 2007-08 के दौरान वरियता क्षेत्रों के अन्तर्गत परियोजनाओं तथा जारी किए गए आर्थिक सहायता के वर्ष-वार विवरणों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	परियोजनाओं की कुल संख्या	आर्थिक सहायता पर कुल व्यय (करोड़ रूपयों में)	निर्यात अभिमुखी		महिला उद्यमी		के संबंध से महिला उद्यमियों की प्रतिशतता	
			संख्या	व्यय (करोड़ रु. में)	संख्या	व्यय (करोड़ रु. में)	संख्या	व्यय
2003-04	965	20.62	1	0.25	58	1.01	6	5
2004-05	1086	28.22	-	-	90	1.89	8	7
2005-06	4662	66.30	-	-	235	3.95	5	6
2006-07	7138	99.05	-	-	537	8.63	8	9
2007-08	8334	99.80	-	-	763	11.26	9	11
कुल	22185	313.99	1	0.25	1683	26.74	8	9

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि:

- यद्यपि निधियों का 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए चिन्हित किया गया था फिर भी एन.एच.बी. ने 2003-04 से 2007-08 के दौरान योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों को केवल नौ प्रतिशत आर्थिक सहायता जारी किया।
- 2003-04 के दौरान केवल एक निर्यात-अभिमुखी परियोजना को 25 लाख रु. की राशि का आर्थिक सहायता जारी किया गया था।

इसने सूचित किया कि एन.एच.बी. ने इन वरियता क्षेत्रों से परियोजनाएं आकृष्ट करने के लिए संगठित प्रयास नहीं किए। एन.एच.बी. ने बताया (जनवरी 2009) कि आर्थिक सहायता दावे सामान्यतः अनुदानों की कमी के कारण लम्बित नहीं रहते थे तथा इसलिए क्षेत्रीय वरियता अपेक्षित नहीं थी। एन.एच.बी. के उत्तर ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे को संबोधित नहीं किया था क्योंकि वरियता क्षेत्रों की सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पहचान की गई थी तथा मात्र उपलब्ध निधियों के उपयोग हेतु नहीं बनी थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर ने तथ्य को रेखांकित भी किया कि एन.एच.बी. की योजना तक पहुंच प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि तथा मांग-चालित थी।

2.10.7 एस.सी./एस.टी./पूर्व-सैनिकों के डाटाबेस का अनुरक्षण न करना

एन.एच.बी. को अनुदान मुहैया करवाने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते समय, भारत सरकार ने एक शर्त अनुबद्ध की थी कि एन.एच.बी., एस.सी. तथा एस.टी. लाभार्थियों के लिए निधियों का क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत उद्दिष्ट करना सुनिश्चित करेगी। यद्यपि दिशानिर्देशों ने एल.ओ.आई. हेतु आवेदन-पत्र में श्रेणी "एस.सी./एस.टी./ ओ.बी.सी./ पूर्व-सैनिकों" दर्ज करते हुए विशिष्ट कॉलम निर्धारित किया किन्तु सभी नमूना जांच मामलों में, कॉलम रिक्त पाया गया था। ऊपर कथित डाटा के अभाव में लेखापरीक्षा, योजना में एस.सी./ एस.टी./ पूर्व-सैनिकों की भागीदारी की सीमा का निर्धारण नहीं कर सकी थी। मैसर्ज ग्लोबल एग्री सिस्टम द्वारा किए गए

योजना के मूल्यांकन अध्ययन ने प्रकट किया कि योजना के अन्तर्गत केवल एक प्रतिशत एस.सी. तथा दो प्रतिशत एस.टी. लाभार्थियों को आवृत किया गया था।

अनुशंसा

- एन.एच.बी. को सहकारी क्षेत्र; एस.सी./एस.टी./ पूर्व-सैनिकों तथा महिला उद्यमियों की पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.11 आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली

आन्तरिक नियंत्रण, नियमों एवं विनियमों की अनुपालना के संबंध में एक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति, परिचालनों की दक्षता एवं प्रभावकारिता तथा सही वित्तीय विवरणों के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक यंत्रावली है।

- एन.एच.बी. ने अपेक्षित महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे प्राप्त प्रस्तावों का रजिस्टर, निरीक्षण का रजिस्टर, एल.ओ.आई/आई.पी.ए. के निर्गम हेतु आवेदनों की प्राप्ति, बैंकों/ एफ.आई./एन.सी.डी.सी. से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की निगरानी हेतु रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया। इन रजिस्ट्रों का अनुरक्षण योजना की बेहतर मानीटरिंग के लिए सुसाध्य बना सकता था।
- एन.एच.बी. ने परियोजनाओं की और आगे की प्रगति का पता लगाने के लिए उनकी पूर्णता के पश्चात् परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी। कुल परियोजनाओं के केवल पांच प्रतिशत हेतु निर्धारित किया गया एक-मुश्त पश्च-निरीक्षण अपर्याप्त था तथा परियोजनाओं की महत्वपूर्ण संख्या निरीक्षण किए बगैर रही।
- एन.एच.बी. ने अपने द्वारा किए गए पांच प्रतिशत पश्च-निरीक्षणों के संबंध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन निरीक्षणों की पर्याप्तता का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निरीक्षणों के दौरान देखी गई कमियों का सुधार किया गया था कोई अनुवर्ती यंत्रावली नहीं थी।
- एन.एच.बी. ने लाभार्थियों द्वारा बागबानी उत्पाद के उत्पादन की सीमा के संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से फीड-बैक एकत्र करने के लिए किसी प्रणाली का आरम्भ नहीं किया।
- एन.एच.बी. द्वारा कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध स्थापित नहीं किया गया है।

अनुशंसा

- एन.एच.बी. को योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपनी आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

2.12 निष्कर्ष

योजना के निष्पादन को मापने के लिए कोई तार्किक मानदण्ड नहीं था क्योंकि एन.एच.बी. द्वारा न तो वार्षिक कार्ययोजना और न ही भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य प्रतिपादित किए गए थे। परियोजनाओं में उद्देश्य के पत्रों की निम्न परिपक्वता दर थी। परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, आर्थिक सहायता के दुर्विनियोजन तथा आर्थिक सहायता के भुगतान के प्रकरण थे। योजना की व्याप्ति असमान थी तथा योजना के अन्तर्गत कुछ मूल बागबानी पैदावार करने वाले राज्यों को पर्याप्त रूप से आवृत नहीं किया गया था। वृद्धि प्रवृत्तियों ने सूचित किया कि बागबानी उत्पादन बढ़ाने में देश में बागबानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने तथा योजना की केवल न्यूनतम भूमिका थी। एन.एच.बी. ने पशु-पैदावार प्रबंध से संबंधित घटकों को आवृत करने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं की। यह बागबानी उत्पादकों तथा विपणनकर्ताओं के मध्य संयोजनों के सुधार तथा बागबानी उत्पाद के विपणन हेतु संगठित नेटवर्क का सृजन करने में भी विफल रहा। योजना मांग-चालित थी तथा निधिकरण हेतु एन.एच.बी. के पास आने वाले प्रोत्साहकों पर निर्भर थी। एन.एच.बी. ने विशेषतः समाज के लक्षित क्षेत्रों, लक्षित खण्डों में योजना को उन्नत करने के लिए सम्मिलित प्रयास नहीं किए। एन.एच.बी. की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी।

आभारोक्ति

हम, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा को एन.एच.बी. द्वारा प्रदान किए गए सहयोग तथा सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2008 में भेजा गया था; फरवरी 2009 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट-क

(पैराग्राफ 2.6 के संदर्भ में)

समीक्षा हेतु चयनित प्रकरणों की संख्या दर्शाने वाले विवरण

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	राज्य का नाम	प्रकरणों की कुल संख्या	जांच हेतु चयनित प्रकरणों की संख्या
1.	गुडगांव	प्रधान कार्यालय	5056	1250
2.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	1156	321
3.	पटना	बिहार	493	123
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	111	32
5.	अहमदाबाद	गुजरात	432	108
6.	चण्डीगढ़	हरियाणा, पंजाब	212	54
7.	रांची	झारखण्ड	59	15
8.	बैंगलूरु	कर्नाटक	2648	663
9.	तिरुवनन्तपुरम	केरल	249	64
10.	भोपाल	मध्य प्रदेश	633	164
11.	पुणे	महाराष्ट्र	3860	965
12.	नासिक		2627	658
13.	नागपुर		92	23
14.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	212	54
15.	जयपुर	राजस्थान	359	87
16.	चेन्नई	तमिलनाडु	754	188
17.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	590	143
18.	बडौत		242	61
19.	देहरादून	उत्तराखण्ड	420	124
20.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	164	42
21.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	161	40
22.	गुवाहटी	असम	1174	349
23.	गंगटोक	सिक्किम	139	33
24.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	252	66
कुल			22095	5627

परिशिष्ट-ख

(पैराग्राफ 2.8.1 के संदर्भ में)

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता का संवितरण दर्शाने वाले विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		योग	
		संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में
1	आन्ध्र प्रदेश	179	445.37	111	353.76	272	529.94	664	873.76	407	544.08	1633	2746.91
2	बिहार	1	0.57	8	4.74	57	30.84	166	60.02	273	79.28	505	175.45
3	छत्तीसगढ़	36	89.71	36	55.15	84	97.32	33	61.62	36	43.88	225	347.68
4	गुजरात	99	285.73	79	350.57	132	375.82	310	796.22	282	963.84	902	2772.18
5	हरियाणा	8	15.42	13	49.54	45	77.85	56	88.62	44	57.09	166	288.52
6	झारखण्ड	1	0.45	3	2.31	5	9.72	25	22.00	35	16.15	69	50.63
7	कर्नाटक	172	223.63	154	436.20	608	577.11	1370	1417.03	1113	1135.63	3417	3789.60
8	केरल	12	26.92	15	20.32	21	47.57	99	118.58	145	304.22	292	517.61
9	मध्य प्रदेश	67	36.71	67	58.14	268	145.03	265	271.90	197	213.81	864	725.59
10	महाराष्ट्र	253	551.67	372	866.83	1503	2300.55	2404	3699.79	3993	3616.35	8525	11035.19
11	दिल्ली	1	2.42	4	25.37	3	12.63	-	-	4	42.00	12	82.42
12	उड़ीसा	6	42.22	4	13.30	30	99.18	62	250.77	73	217.14	175	622.61
13	पंजाब	1	1.59	6	9.59	27	25.28	109	78.34	87	72.01	230	186.81
14	राजस्थान	12	31.11	34	76.17	78	168.47	234	451.30	191	410.24	549	1137.29
15	तमिलनाडु	36	108.68	55	142.14	153	304.57	368	801.98	401	1016.16	1013	2373.53
16	उत्तर प्रदेश	3	8.57	1	0.59	89	63.97	398	230.05	364	324.97	855	628.15
17	पश्चिम बंगाल	3	7.92	10	34.24	163	129.02	99	92.11	125	62.67	400	325.96
18	गोवा	1	0.17	-	-	1	25.00	-	-	-	-	2	25.17
19	अण्डमान एवं निकोबार	-	-	-	-	-	-	1	5.19	-	-	1	5.19
20	जम्मू एवं कश्मीर	4	11.77	3	7.88	44	50.05	74	49.90	50	53.11	175	172.71
21	हिमाचल प्रदेश	13	82.96	16	62.05	23	55.86	97	80.23	73	198.31	222	479.41
22	उत्तराखण्ड	34	52.84	23	40.94	71	77.81	201	362.68	186	378.74	515	913.01
23	असम	5	3.40	9	18.38	71	104.19	33	43.66	255	230.71	373	400.34

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

क्रम सं.	राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		योग	
		संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में	संख्या	लाख रूपयों में
24	नागालैंड	15	29.49	53	117.71	143	167.87	4	21.33	-	-	215	336.40
25	सिक्किम	3	2.78	2	12.43	17	9.97	66	28.00	-	-	88	53.18
26	मणिपुर	-	-	6	43.62	94	134.19	-	-	-	-	100	177.81
27	मिजोरम	-	-	2	19.93	-	-	-	-	-	-	2	19.93
28	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	660	1010.37	-	-	-	-	660	1010.37
योग		965	2062.10	1086	2821.90	4662	6630.18	7138	9905.08	8334	9980.39	22185	31399.65
कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय			52.49		20.80		6.51		11.04		13.12	-	103.96
सकल योग			2114.59		2842.70		6636.69		9916.12		9993.51	-	31503.61

परिशिष्ट-ग

(पैराग्राफ 2.9.1 के संदर्भ में)

केन्द्रों द्वारा लागत मानदण्डों के उल्लंघन में अतिरिक्त आर्थिक सहायता जारी करने को दर्शाने वाले विवरण

केन्द्र का नाम	प्रकरणों की संख्या	आर्थिक सहायता की अतिरिक्त राशि (लाख रुपयों में)	टिप्पणियां
गुड़गांव	2	12.58	<ul style="list-style-type: none"> ➤ उत्तराखण्ड के एक लाभार्थी के प्रकरण में दिशानिर्देशों के विचलन में आर्थिक सहायता को अन्य व्यय मानने के पश्चात् 6.43 लाख रु. से 17.58 लाख रु. तक बढ़ाया गया था। ➤ नागालैंड. के एक लाभार्थी के प्रकरण में 1.43 लाख रु. के आर्थिक सहायता का अतिरिक्त भुगतान
हैदराबाद	3	0.82	सम्पत्ति की लागत में पहले ही सम्मिलित सबमर्सिबल पम्प की लागत को शामिल करने तथा भूमि विकास एवं फार्म उपस्कर की अतिरिक्त गणना के कारण।
रायपुर	20	3.00	एन.एच.बी. द्वारा निर्धारित दरों तथा मानदण्डों के अनुसरण न करने के कारण।
शिमला	1	0.19	-सम-
नासिक	26	2.20	अमान्य घटकों तथा एन.एच.बी. द्वारा निर्धारित दरों तथा मानदण्डों के अनुसरण न करने के कारण।
पुणे तथा नासिक	25	1.26	भूमि विकास लागत को परियोजना लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं माना जाना था। बेकार भूमि तथा पहाड़ी क्षेत्र के प्रकरणों में भूमि विकास लागत क्रमशः 30 तथा 40 प्रतिशत के रूप में मानी जानी थी। किन्तु, इन केन्द्रों ने बेकार भूमि, पहाड़ी क्षेत्र से अन्यथा भूमि विकास पर व्यय का 15 प्रतिशत से अधिक अनुमत किया।
नासिक	1	0.10	सभी घटकों की अनुमानित परियोजना लागत 2.76 लाख रु. तक परिकलित की गई थी जबकि इसे 0.50 लाख रु. की अतिरिक्त ई.पी.सी. तथा 0.10 लाख रु. के अतिरिक्त आर्थिक सहायता के कारण 3.26 लाख रु. को गलत ढंग से लिया गया था।
नागपुर	2	0.20	एन.एच.बी. ने ड्रिप सिंचाई हेतु आर्थिक सहायता संस्वीकृत किया फिर भी लाभार्थियों ने वस्तुतः यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए कि एन.एच.एम. से इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता जारी किए गए थे।
कुल	80	20.35	

परिशिष्ट-घ
(पैराग्राफ 2.10.3 के संदर्भ में)

2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान देश के मुख्य राज्यों में बागवानी फसलों की पैदावार, उपज तथा वार्षिक संयोजित वृद्धि दरों के अन्तर्गत क्षेत्र दर्शाने वाले विवरण

राज्य	हजारों हेक्टेयर में पैदावार के अन्तर्गत क्षेत्र					चार वर्षों के विषय में संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.)	उपज हजार मीट्रिक टन में					चार वर्षों के दौरान संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.)
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	
महाराष्ट्र	1926.8	2010.8	2326.9	2145.1	2208.8	3.47%	14460.7	15192.8	17075.2	16982.7	18006.3	5.64%
कर्नाटक	1491.4	1508.1	1662.1	1629.5	1623.8	2.15%	10147.9	10569.9	10699.3	12158.3	11541.3	3.27%
आन्ध्र प्रदेश	1498.6	1506.1	1605.5	1713.9	1777.1	4.35%	12525.1	13668.8	14667.4	17200.9	17888.3	9.32%
तमिलनाडु	1026.3	1061.1	1150.0	1209.9	1220.2	4.42%	11252.2	13681.6	16734.2	17652.8	19821.2	15.21%
गुजरात	887.4	1023.3	1103.6	983.2	1048.5	4.26%	6981.3	9402.6	11632.7	11912.5	13758.2	18.48%
उत्तर प्रदेश	1144.5	1173.1	1351.7	1348.7	1475.7	6.56%	17325.3	18850.6	20650.3	21821.5	23744.6	8.20%
पश्चिम बंगाल	1484.8	1501.9	1553.2	1641.4	1858.0	5.77%	21115.2	20725.6	21495.9	20225.6	25665.3	5.00%
बिहार	1222.1	1192.6	1107.3	1115.1	1121.4	ऋणात्मक वृद्धि	16822.2	16189.0	16608.0	17053.9	17334.8	0.75%
केरल	1680.9	1689.1	2034.1	1851.4	1876.2	2.79%	9453.1	9323.3	13090.6	10282.9	10578.0	2.85%
उड़ीसा	1298.0	1304.9	1211.1	1239.3	1257.4	ऋणात्मक वृद्धि	9915.3	9997.7	9936.6	10080.1	9975.9	0.15%

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संत लोंगोंवाल
अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान,
लोंगोंवाल

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5300 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

अध्याय III : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

3. सन्त लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

विशिष्टाएं

- संस्थान ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन एवं प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रमों की पहचान तथा निर्धारण करने के लिए स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया।
(पैराग्राफ 3.7)
- संस्थान ने वास्तविक कार्यबल के बजाए स्वीकृत कार्यबल के आधार पर अपने स्थापना व्यय को शामिल कर तथा आन्तरिक संसाधन सर्जन के अन्तर्गत संपूर्ण प्राप्तियों को बिना प्रदर्शित किए अपने बजट अनुमानों को तैयार किया।
(पैराग्राफ 3.8.1)
- संस्थान द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का कोई अवधिक मूल्यांकन संचालित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त डिग्री कार्यक्रमों के बहुत कम मांग में होने के बावजूद इसे जारी रखना न केवल स्थानीय जनसंख्या की अपेक्षाओं के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है बल्कि इसका परिणाम 1.41 करोड़ रु. के आंतरिक संसाधनों की महत्वपूर्ण हानि में भी हुआ।
(पैराग्राफ 3.9.1)
- असफल/निकाले गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के संबंध में 2003-04 में 32 से 2007-08 में 54 तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के संबंध में 2003-04 में 24 तथा 2007-08 में 42 तक बढ़ी।
(पैराग्राफ 3.9.2)
- औद्योगिक अनुभव के विद्यार्थियों का विचार किए बिना डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों की लम्बवत अस्थिरता हेतु आरक्षण के प्रावधान के साथ प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन संस्थान के डिग्री पाठ्यक्रमों में आसानी से प्रवेश का प्रावधान करते हुए प्रतीत होता है। परिणामतः, अनेक बिन्दु प्रवेश तथा अनेक बिन्दु निर्गम के संबंध में संस्थान के मानदण्ड प्राप्त नहीं किए जा सके थे।
(पैराग्राफ 3.9.3)
- संस्थान के 10 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, नौ डिग्री पाठ्यक्रमों तथा चार एम-टैक कार्यक्रमों में से केवल दो डिग्री पाठ्यक्रमों का ही अब तक राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन किया गया था।
(पैराग्राफ 3.9.4)

- संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जिसका परिणाम इसकी प्रवेश क्षमता से अधिक के विद्यार्थियों के नामांकन में हुआ।

(पैराग्राफ 3.9.5)

- संस्थान अपनी प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान परियोजनाओं के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु प्राप्त अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 3.10)

- आचार्यों, सहायक आचार्यों तथा व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के क्रमशः 45-50 प्रतिशत, 19-40 प्रतिशत तथा 10-17 प्रतिशत पिछले पांच वर्षों के दौरान खाली पड़े थे।

(पैराग्राफ 3.11.1)

- संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी। बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही थी तथा 17 वर्षों के बीत जाने के उपरान्त भी किसी आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष की स्थापना नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 3.12)

अनुशंसाओं का सारांश

- ❖ संस्थान को अध्ययनों के नए पाठ्यक्रमों की पहचान तथा निर्धारित करने के लिए स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं का संपूर्ण मूल्यांकन संचालित करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए।
- ❖ संस्थान को स्वीकृत कार्यबल तथा आंतरिक संसाधन सर्जन के अंतर्गत अपनी सम्पूर्ण प्राप्तियों को प्रदर्शित करने के बजाए वास्तविक कार्यबल के आधार पर अपने स्थापना व्ययों को शामिल कर अपने बजट अनुमानों को तैयार करना चाहिए।
- ❖ संस्थान को शैक्षिक पाठ्यक्रमों का नियमित अंतराल पर आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए ताकि अप्रचलित पाठ्यक्रमों को नए पाठ्यक्रमों से स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बदला जा सके।
- ❖ आरक्षण हेतु प्रमाणपत्र धारकों से डिप्लोमा तथा डिप्लोमा धारकों से डिग्री पाठ्यक्रमों की लम्बवत अस्थिरता को उनको अनुमत किया जाना चाहिए जिनके पास कम से कम औद्योगिक अनुभव हो।
- ❖ संस्थान को अपने कमजोर शैक्षिक निष्पादन हेतु कारणों की पहचान तथा विश्लेषण करना चाहिए तथा इसके सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।
- ❖ संस्थान द्वारा राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड से सभी अपने डिप्लोमा, डिग्री तथा एम-टेक कार्यक्रमों के प्रमाणन हेतु एकागत प्रयत्न करने चाहिए ताकि शैक्षिक गुणवत्ता का अनुरक्षण किया जा सकता है।

- ❖ संस्थान को ए.आई.सी.टी.ई. के दिशानिर्देशों की पूरी अनुपालना को सुनिश्चित करना चाहिए।
- ❖ संस्थान को अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं हेतु प्राप्त अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए।
- ❖ संस्थान को अपने शैक्षिक निष्पादन के सुधार के लिए अपने विभिन्न संकायों में रिक्त स्थानों को भरना चाहिए।
- ❖ संस्थान को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

3.1 प्रस्तावना

सन्त लोंगोवाल अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (संस्थान) लोंगोवाल पंजाब राज्य में संगरूर जिले में भारत सरकार (भा.स.) के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था। इसे तकनीकी शिक्षा की एकीकृत प्रणाली को प्रोत्साहित करने के आदर्श सहित “विभिन्नता का संस्थान” के रूप में माना गया था जो प्रमाणपत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री स्तरों पर निपुणता तथा ज्ञान का इष्टतम संसर्ग प्रदान करता है तथा राज्य के आर्थिक विकास हेतु पंजाब के युवाओं की उर्जा तथा उत्साह की रक्षा तथा पोषण करने के विचार के साथ लचीलापन, आवश्यकतानुसार घटाने बढ़ाने, अनेक बिन्दु प्रवेश तथा अनेक बिन्दु निर्गम को अनुमत करता है। संस्थान एक केन्द्रीय स्वायत्त संस्थान है जो पूर्णतः भा.स. द्वारा वित्तपोषित है तथा जिसे मंत्रालय द्वारा सामाजिक रूप से जून 2007 से पांच वर्षों की अवधि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत “विश्वविद्यालय के रूप में माना जाए” के स्तर पर स्वीकृत किया (अप्रैल 2007)।

3.2 संगठनात्मक ढांचा

संस्थान का प्रबंधन समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक समिति द्वारा किया जाता है। संस्थान का सामान्य शासन, निर्देशन तथा कार्यों का नियंत्रण प्रबंधन बोर्ड¹ (बोर्ड) को सौंपा गया है। बोर्ड का चेयरमैन भा.स. द्वारा नियुक्त किया जाता है। बोर्ड की सहायता हेतु पांच समितियां अर्थात् वित्तीय समिति, भवन तथा कार्य समिति, शैक्षिक परिषद/सीनेट, योजना तथा मॉनीटरिंग बोर्ड तथा सलाहकार समिति है। संस्थान का दिन प्रतिदिन प्रशासकीय नियंत्रण चेयरमैन/बोर्ड द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त निदेशक को सौंपा गया है। निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यकारी तथा शैक्षिक अधिकारी है तथा एक रजिस्ट्रार, तीन उप-रजिस्ट्रारों, एक सम्पदा अधिकारी तथा दो लाइब्रेरियनों द्वारा इसकी सहायता की जाती है।

¹ पहले इसे गवर्नर्स के बोर्ड के रूप में जाना जाता था तथा इसके चेयरमैन की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की सलाह से राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। संस्थान को “ विश्वविद्यालय के रूप में माना जाए” के रूप में घोषणा होने पर एक संस्थापन प्रलेख को प्रतिष्ठान तथा समिति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया (मई 2007) तथा नाम को प्रबंधन बोर्ड में बदला जा चुका है।

3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

संस्थान की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत संचालित की जाती है। संस्थान की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा 2003-04 से 2007-08 की अवधि आच्छादित करती है।

3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

संस्थान की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई कि क्या:-

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के सूत्रीकरण हेतु योजना प्रभावी थी तथा आवश्यकताओं के उचित निर्धारण पर आधारित थी;
- वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कार्यकुशल तथा प्रभावी था;
- संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को अनुपालना की जा रही थी तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के वांछित लाभ लाभार्थियों तक पहुँचे;
- उपलब्ध अवसंरचना तथा मानव संसाधन पर्याप्त, इष्टतम उपयोग किए गए तथा प्रभावी रूप से अनुरक्षित किए गए थे तथा
- वहां स्वस्थ तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद थी।

3.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निम्न लेखापरीक्षा मापदण्डों को अपनाया गया था:

- संस्थान के संस्थापन प्रलेख (सं.प्र.) के प्रावधानों तथा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) तथा अन्य अभिकरण;
- मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) तथा वि.अ.आ. द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, निर्देश तथा मापदण्ड;
- अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं हेतु लक्ष्य तथा
- सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधान

3.6 लेखापरीक्षा पद्धति

संस्थान की निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2008 में संस्थान के निदेशक के साथ प्रवेश सम्मेलन के साथ आरम्भ की गई थी जिसके दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र तथा मापदण्ड को वर्णित किया गया था। लेखापरीक्षा ने संस्थान के शैक्षिक विभाग, भण्डार तथा क्रय विभाग तथा सम्पदा कार्यालय के अभिलेखों की जांच की। प्रबंधन को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल कर ज्ञापन जारी किया तथा जनवरी 2009 में निर्गम सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। प्रबंधन के पक्ष पर विचार कर प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर अनुवर्ती पैराग्राफों में विचार किया गया है:

3.7 शैक्षिक पाठ्यक्रमों हेतु योजना

संस्थान के संस्थापन प्रलेख के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड को सीखने की प्रगति हेतु अभियांत्रिकी तथा तकनीकी की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन तथा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निर्धारित तथा संचालित करने चाहिए तथा ऐसी शाखाओं में ज्ञान का विस्तार करना चाहिए।

तथापि, बोर्ड ने उचित सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान अभियांत्रिकी तथा तकनीकी के क्षेत्र में कोई नया पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण का निर्धारण नहीं किया गया था।

अनुशंसा

- संस्थान को अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों की पहचान तथा निर्धारण करने के लिए स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के उचित सर्वेक्षण का संचालन करना चाहिए।

3.8 वित्तीय प्रबंधन

संस्थान पूर्णतया: भा.स. से अनुदान सहायता द्वारा वित्तपोषित है। यह VIII तथा IX वीं योजना के दौरान फेसों में परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था तथा इस अवधि के दौरान इसका पूर्ण व्यय योजनागत अनुदान से पूरा किया गया था। मंत्रालय की व्यय वित्तीय समिति के अध्यादेश के अनुसार संस्थान अप्रैल 2002 से आगे योजनागत माध्यम के साथ आया। उसके उपरान्त संस्थान द्वारा प्रस्तुत मांगों के आधार पर मंत्रालय द्वारा इसके आंतरिक संसाधन उत्सर्जन (आ.सं.उ.) के समायोजन के उपरान्त योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय हेतु इसके पृथक बजट अनुमानों के माध्यम से निधियां जारी की गई थी। 2003-04 से 2007-08 के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	योजनागत		गैर-योजनागत				कुल प्राप्तियां	कुल व्यय
	अनुदान	व्यय	अनुदान	आंतरिक प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	व्यय		
2003-04	4.35	2.62	15.00	8.94	23.94	15.21	28.29	17.83
2004-05	2.00	1.76	9.00	6.77	15.77	13.26	17.77	15.02
2005-06	2.70	3.55	8.30	7.48	15.78	13.12	18.48	16.67
2006-07	3.00	1.91	7.37	8.35	15.72	12.75	18.72	14.66
2007-08	1.50	1.79	8.88	8.99	17.87	13.51	19.37	15.30
कुल	13.55	11.63	48.55	40.53	89.08	67.85	102.63	79.48

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- वर्ष 2003-04 हेतु 15 करोड़ रू. के कुल गैर-योजनागत अनुदान में से संस्थान ने पुरानी परिसम्पत्तियों को बदलने हेतु 8.00 करोड़ रू. की आरक्षित निधि बनाई। पुरानी परिसम्पत्तियां जिन्हें बदला जाना था उनकी पहचान अभी तक नहीं की गई थी (दिसम्बर 2008) तथा आरक्षित निधि में धन अप्रयुक्त पड़ा था।
- स्थापना व्यय हेतु बजट अनुमान कर्मचारियों के वास्तविक कार्यबल के बजाए स्वीकृत कार्यबल के आधार पर तैयार किए गए थे। यह इंगित करता है कि बजटों को अवास्तविक आधार पर तैयार किया गया था जिसका परिणाम अनुदानों के अधिक आहरण में हुआ।

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित उजागर किया:

3.8.1 अनुदान सहायता का अधिक आहरण

संस्थान की वित्तीय समिति (समिति) ने निर्णय किया (मार्च 2003) कि संस्थान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन किसी भी प्रकृति के सभी लेखे वार्षिक लेखों का भाग होंगे। तदनुसार, इसके द्वारा संचयित सम्पूर्ण निधियों को बजट अनुमानों में आंतरिक संसाधन उत्सर्जन (आ.सं.उ.) के रूप में प्रदर्शित करना अपेक्षित होगा।

समिति के निर्णय के उल्लंघन में संस्थान ने अपनी परामर्शी सेवाओं के साथ-साथ कम्प्यूटर विकास निधि, संस्थान विकास निधि, विद्यार्थी कल्याण निधि तथा सलाइट प्रवेश परीक्षा खाते के कारण विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्कों से प्राप्त प्राप्तियों को आ.सं.उ. के अन्तर्गत बजट अनुमानों में शामिल नहीं किया। इसके बजाए, संस्थान ने प्राप्तियों हेतु पृथक बैंक खाते का अनुसूक्षण किया तथा बिना मंत्रालय को सूचित किए इन प्राप्तियों में से व्यय भी किया। पिछले पांच वर्षों के दौरान 1.88 करोड़ रू. का कुल व्यय करने के उपरान्त, 31 मार्च 2008 तक इन प्राप्तियों का कुल शेष 8.42 करोड़ रू. था। इसका परिणाम 31 मार्च 2008 तक 8.42 करोड़ रू. की अनुदान सहायता के अधिक आहरण में हुआ। इसके अतिरिक्त इन प्राप्तियों में से किया गया व्यय मंत्रालय के प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर रहा।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2008) कि मामला आगे होने वाली वित्तीय समिति की बैठक में उपयुक्त निर्णय हेतु रखा जाएगा।

3.8.2 अनुदान सहायता का विचलन

संस्थान ने कुछ सांस्थानिक तथा निजी प्रायोजकों के साथ "मोलीक्यूलस टू मैटेरियल" के विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने का निर्णय (नवम्बर 2005) लिया। मंत्रालय ने इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2006) की कि वह सम्मेलन कराने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में सम्मेलन हेतु अपने वार्षिक अनुदान से 11.82 लाख रू. का अस्थायी अग्रिम स्वीकृत (जनवरी-मार्च 2006) किया। सम्मेलन मार्च 2006 में हुआ तथा

12.26 लाख रू. का कुल व्यय किया था। वार्षिक अनुदान से स्वीकृति किया गया 11.82 लाख रू. का अस्थायी अग्रिम अभी तक (दिसम्बर 2008) समायोजित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2009) कि मामले को संस्थान की वित्तीय समिति की अगामी बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के विचार स्वीकार्य नहीं है कि वित्तीय समिति, मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन के अनुसमर्थन हेतु सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

3.8.3 अस्थायी अग्रिम का गैर-समायोजन

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के अनुसार विभागीय प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अस्थायी अग्रिम जिन प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए थे उनके पूर्ण होने के उपरान्त समायोजित किए जाने के अपेक्षित होते हैं। तथापि यह पाया गया कि अप्रैल 1994 से मार्च 2007 के दौरान संस्थान के कर्मचारियों को प्रदत्त 58.67 लाख रू. का अस्थायी अग्रिम 31 दिसम्बर 2008 तक समायोजित नहीं किया गया था।

अस्थायी अग्रिमों का इतनी लम्बी अवधि तक गैर-समायोजन न केवल सा.वि.नि. के प्रावधानों का करता है बल्कि धोखा-धड़ी, कुप्रबंधन तथा गबन से ओत-प्रोत प्रतीत होता है।

उत्तर में, प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2008) कि अग्रिमों को समायोजित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

3.8.4. अध्ययन राशि का अधिक भुगतान

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली के अनुसार अध्ययन अवकाश एक स्थायी कर्मचारी को दिया जाता है जिसने सेवा पांच वर्षों से कम प्रदान न की हो। अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि जो एक कर्मचारी को प्रदान की जा सकती है वह पूर्ण सेवा के दौरान 24 महीनों की है जो एक ही बार में या विभिन्न समयों पर तथा अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ थी संयोजन किया जा सकता है। तथापि, नियमित कार्य से लगातार अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि 36 महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2008 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान संस्थान ने छः लेक्चररों/सहायक आचार्यों को दो वर्षों की निर्धारित सीमा से अधिक तथा दो व्याख्याताओं को जो इस अवकाश के हकदार नहीं थे को अध्ययन अवकाश संस्वीकृत किया। निर्धारित सीमा से अधिक के अध्ययन अवकाश की संस्वीकृति न केवल निर्धारित नियमावली का उल्लंघन करती है बल्कि इसका परिणाम अवकाश वेतन राशि के कारण 28.73 लाख रू. के अधिक भुगतान में हुआ जो 31 दिसम्बर 2008 तक संबंधित संकाय सदस्यों से वसूला नहीं गया था।

3.8.5 कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की गैर-अनुपालना

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (अधिनियम) सभी स्थापनाओं जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं को लागू है तथा संस्थान भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित थे।

संस्थान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) को अंशदान करने के बजाए भा.स. से उक्त अधिनियम की प्रायोजनीयता से बिना छूट प्राप्त किए इसके अपनी अंशदायी भविष्य निधि सह उपदान नियमावली तैयार करके (फरवरी 1990) अपने कर्मचारियों हेतु इसकी अपनी अंशदायी भविष्य निधि का अनुसूक्षण कर रहा था। यह भी पाया गया कि अंशदाताओं को कर्मचारी भविष्य निधि को समय-समय पर लागू दरों पर ब्याज का क्रेडिट किया जा रहा था तथा अर्जित ब्याज में कमी की मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता से पूरा किया जा रहा था। परिणामतः मंत्रालय को कमी को पूरा करने के लिए 2003-04 से 2004-05 के दौरान 27.41 लाख रू. की राशि का भुगतान करना पड़ा। संस्थान ने भा.स. से अभी तक (दिसम्बर 2008) कोई छूट प्राप्त नहीं की थी।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2008) कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुप्रयोग से छूट के संबंध में मामले को मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

इस प्रकार, संस्थान में वित्तीय प्रबंधन की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि संस्थान ने अपने बजट अनुमानों को वास्तविक कार्यबल स्थिति के बजाए स्वीकृत कार्यबल के आधार पर अपने स्थापना व्ययों को शामिल करके तथा आंतरिक संसाधन उत्सर्जन के अन्तर्गत अपनी संपूर्ण आंतरिक प्राप्तियों को बिना प्रदर्शित किए तैयार किया था; आंतरिक प्राप्तियों को अप्राधिकृत रूप से रखा गया तथा इन प्राप्तियों में से बिना मंत्रालय की अनुमति लिए व्यय किया गया।

अनुशंसा

- संस्थान के अपने स्थापना व्यय को संस्वीकृत संख्या बल की बजाए वास्तविक कार्यरत संख्या बल के आधार पर समाविष्ट करते हुए तथा आंतरिक संसाधन सृजन के अंतर्गत अपनी सभी प्राप्तियों को प्रदर्शित करते हुए अपने बजट अनुमान को तैयार करना चाहिए।

3.9 शैक्षिक क्रियाकलाप

संस्थान मंत्रालय की राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा तथा ए.आई.सी.टी.ई. के अनुमोदन के आधार पर मार्च 2008 तक चार एम.टेक कार्यक्रमों के साथ-साथ अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में 12 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, 10 डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा नौ डिग्री पाठ्यक्रम चला रहा था। संस्थान ने अपने स्वयं का प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा प्रदान किया जबकि डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पंजाब

तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर से सम्बद्ध थे। ग्रहण क्षमता, नामित, पास हुए तथा अनुत्तीर्ण/छूट गए विद्यार्थियों की संख्या के विवरण अनुबंध में दर्शाए गए हैं।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

3.9.1 शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन

संगम ज्ञापन के अनुसार, संस्थान के शैक्षिक बोर्ड से विभागों/केन्द्रों की कार्रवाइयों की आवधिक समीक्षा करना तथा संस्थान के मानकों के बनाए रखने तथा सुधार करने की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने अपने चल रहे शैक्षिक पाठ्यक्रमों का कोई भी आवधिक मूल्यांकन नहीं किया। परिणामस्वरूप, संस्थान निर्देश के अपने मानकों को सुधारने के लिए कोई भी सुधारक कार्रवाई नहीं कर सका। यह भी पाया गया था कि 2003-04 से 2007-08 के दौरान रसायन अभियांत्रिकी (पेपर प्रौद्योगिकी में विशिष्टता के साथ) में डिग्री पाठ्यक्रमों की मांग कम थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
ग्रहण क्षमता	30	30	30	30	30
रिक्त स्थानों की संख्या	17	30	23	19	24
ग्रहण क्षमता की तुलना में रिक्त स्थानों की प्रतिशतता	57	100	77	63	80

जैसाकि तालिका से स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पाठ्यक्रम में रिक्त स्थानों की प्रतिशतता 57 से 100 प्रतिशत के बीच थी। संस्थान द्वारा स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुकूल इस पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के प्रयास नहीं किए गए थे जो 1.41 करोड़ रु. की सीमा तक के आई.आर.जी. की प्रभावी हानि में परिणत हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि अब वर्ष 2009-10 से रसायन प्रौद्योगिकी (पेपर प्रौद्योगिकी में विशिष्टता के साथ) की जगह पर रसायन अभियांत्रिकी में डिग्री पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था।

अनुशंसा

- संस्थान को स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों की नियमित अन्तराल पर समीक्षा करनी चाहिए ताकि अप्रचलित पाठ्यक्रमों को नए पाठ्यक्रमों से प्रतिस्थापित किया जा सके।

3.9.2 अनुत्तीर्ण/छूटनी दरों में वृद्धि

लेखापरीक्षा ने पाया कि असफल/छूट गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति को पंजीकृत किया। असफल/छूट गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता प्रमाणपत्र के संबंध में 2003-04 में 32 से बढ़कर 2007-08 में 54 हो गई और डिग्री पाठ्यक्रम के संबंध में

2003-04 में 24 से बढ़कर 2007-08 में 42 हो गई जो अनुबंध में विर्णित है। प्रबंधन ने असफल/छूट गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण/छूटनी दर की बढ़ती प्रवृत्ति संस्थान के खराब प्रदर्शन की सूचक थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2009) और बताया कि विद्यार्थियों की छूटनी/अनुत्तीर्ण दर को कम करने तथा समग्र प्रदर्शन में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुशंसा

- संस्थान को अपने खराब शैक्षिक कार्यों के कारणों की पहचान और विश्लेषण करना चाहिए तथा इसे सुधारने के लिए उपचारी उपाय करने चाहिए।

3.9.3. अधिदेश से विचलन

संस्थान का अधिदेश व्याख्या करता है कि संस्थान के प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा धारियों को उद्योग में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए और इन विद्यार्थियों को, यदि वे डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहते थे तो, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तथापि, संस्थान ने उनके औद्योगिक अनुभव पर विचार किए बिना ही डिप्लोमा एवं डिग्री के उर्ध्व गतिशीलता के लिए प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रत्येक में विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या बल के 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करते हुए अपने नामांकन नियमावली एवं प्रक्रिया का सूत्रीकरण किया। इस प्रणाली के अन्तर्गत यह पाया गया कि किसी उद्योग में कार्यभार ग्रहण करने के बजाए प्रमाणपत्र वाले विद्यार्थी डिप्लोमा मोड्यूल की ओर बढ़े तथा डिप्लोमा वाले विद्यार्थी डिग्री मोड्यूल की ओर बढ़े। अतः दिए गए आरक्षण और नामांकन नियमानवली एवं प्रक्रियाओं के साथ, प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संस्थान के डिग्री पाठ्यक्रम में आसान प्रवेश को उपलब्ध कराता प्रतीत हुआ। यह संस्थान के अधिदेश के विरुद्ध था जो बहु-सूत्री आगम एवं बहु-सूत्री निर्गम को परिकल्पित करता था।

अनुशंसा

- प्रमाणपत्र धारकों की डिप्लोमा तथा डिप्लोमा धारकों की डिग्री पाठ्यक्रमों की ओर उर्ध्व गतिशीलता हेतु आरक्षण के लिए केवल उन्हीं विद्यार्थियों को अनुमत करना चाहिए जिनके पास न्यूनतम औद्योगिक अनुभव हो।

3.9.4. शैक्षिक कार्यक्रमों का गैर-प्रत्यायन

प्रत्यायन, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.बी.ए.)² द्वारा गुणवत्ता आश्वासन की एक प्रक्रिया है और यह संगठन एवं शासन; वित्तीय संसाधनों; आबंटन एवं उपयोग; भौतिक संसाधनों

² एन.बी.ए. ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम 1987 के अंतर्गत संस्थापित एक स्वायत्त निकाय है।

(केन्द्रीय सुविधाएं); मानव संसाधनों; संकाय एवं सदस्यों; मानव संसाधनों; विद्यार्थियों; शिक्षा-सीख प्रक्रियाओं; पूरक प्रक्रियाओं; तथा अनुसंधान एवं विकास और परस्परिक प्रभाव जैसी आठ बहु-आयामी मानदण्डों के एक समुच्चय के कांतिक मूल्यांकन पर आधारित है। अपने कार्यक्रमों का प्रत्यायन चाहने वाले संस्थानों से संबंधित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के कम से कम दो बैचों का उत्तीर्ण होना अपेक्षित है और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मानदण्डों को संतुष्ट करना अपेक्षित है। संस्थान के सभी डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम इस प्रत्यायन योजना के अन्तर्गत आच्छादित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने अपने डिप्लोमा एवं एम. टेक. कार्यक्रमों के प्रत्यायन के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। संस्थान ने तीन वर्षों की अवधि के लिए दिसम्बर 2003 में अपने आठ डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रत्यायित करवाया जो दिसम्बर 2006 में समाप्त हो गया। आठ पाठ्यक्रमों में से, संस्थान ने जनवरी 2008 में केवल दो डिग्री पाठ्यक्रमों में ही प्रत्यायन स्थिति प्राप्त की और समाप्ति तिथि से दो वर्षों के बीत जाने के बाद दिसम्बर 2008 में पांच डिग्री पाठ्यक्रम के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन किया। आठ डिग्री पाठ्यक्रम के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अपने पाठ्यक्रमों के गैर-प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, संस्थान श्रेष्ठता के स्तर के प्रति भविष्य के विकास के लिए अपनी ताकत, कमजोरियों तथा अवसरों का समुचित मूल्यांकन नहीं कर सका।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य में शेष कार्यक्रमों के प्रत्यायन के लिए एक प्रस्ताव एन.बी.ए. को प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुशंसा

- संस्थान द्वारा अपने सभी डिप्लोमा, डिग्री एवं एम. टेक. कार्यक्रमों के प्रत्यायन के लिए एन.बी.ए. से संगठित प्रयास किए जाने चाहिए ताकि शैक्षिक गुणवत्ता बनी रहे।

3.9.5. ग्रहण क्षमता से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन

ए.आई.सी.टी.ई. दिशानिर्देश मुहैया कराता है कि किसी भी परिस्थिति में संस्थान की अनुमोदित ग्रहण क्षमता के अतिरिक्त अधिक नामांकन नहीं किए जाएंगे। इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, संस्थान डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई)/ एन.आर.आई. द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को ग्रहण क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत स्थान मुहैया करा रहा था। इसके अलावा, छटनी को आच्छादित करने के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में अपनी ग्रहण क्षमता के अतिरिक्त क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक विद्यार्थियों का भी नामांकन कर रहे थे।

प्रबंधन ने बताया कि स्थानों के ये अतिरिक्त प्रावधान बोर्ड के अनुमोदन से किए जा रहे थे जिनमें ए.आई.सी.टी.ई. तथा मंत्रालय के मनोनित भी शामिल थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड की सभाओं में ए.आई.सी.टी.ई. और मंत्रालय के प्रतिनिधियों की

उपस्थिति मात्र से ही ए.आई.सी.टी.ई./मंत्रालय के अनुमोदन को संकुचित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस मामले के संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. की स्वीकृति संस्थान के अभिलेखों में उपलब्ध थी।

अनुशांसा

- संस्थान को ए.आई.सी.टी.ई. दिशानिर्देशों के अनुपालन और नियत ग्रहण क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों के नामांकन को सुनिश्चित करना चाहिए।

3.9.6. डिग्री पाठ्यक्रम को शामिल करने में अधिक विलम्ब

ए.आई.सी.टी.ई. के अनुमोदन के पश्चात, बोर्ड ने मौजूदा स्टाफ और अवसंरचना की मदद से 30 विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता के साथ वर्ष 2001-02 से "सूचना प्रौद्योगिकी" में डिग्री पाठ्यक्रम को शामिल किया (दिसम्बर 2000)। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय था फिर भी संस्थान ने पांच वर्षों के विलम्ब के पश्चात वर्ष 2006-07 से पाठ्यक्रम को शामिल किया। पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने में विलम्ब के कारण संस्थान के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इस पाठ्यक्रम के विलम्ब से प्रारम्भ होने ने न केवल विद्यार्थियों को इसके अभिप्रेत लाभों से वंचित रखा बल्कि यह 1.12 करोड़ रु. की आई.आर.जी. के हानि में भी परिणत हुआ।

प्रबंधन ने बताया कि पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने से संबंधित पहली टिप्पणी 2006 में सचिव, एस.एल.आई.ई.टी. प्रवेश परीक्षा कक्ष से प्राप्त हुई थी और उसके बाद पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो गया। प्रबंधन का तर्क इस तथ्य से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने पहले से ही 2001-02 से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया था।

3.10 अनुसंधान गतिविधियां

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां एक शैक्षिक संस्थान के क्रांतिक अवयव को संस्थापित करती है। अनुसंधान एवं विकास कक्ष को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत शैक्षिक योजना, पाठ्यक्रम विकास एवं अनुदेशीय सामग्री विकास को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी श्रम शक्ति आवश्यकताओं के मूल्यांकन हेतु अन्वेषणात्मक अनुसंधान को मानिटर करने के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, अनुसंधान कार्य को उद्योग तथा सम्पूर्ण समाज की समस्याओं के लिए निरोधक एवं उत्पादक हल को उपलब्ध कराने के लिए अंतर विद्या क्षेत्रों में संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा ही संचालित किया जा रहा था। ये परियोजनाएं मंत्रालय, ए.आई.सी.टी.ई., विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जैसे विभिन्न संगठनों से सहायता अनुदान द्वारा पोषित है।

2003-08 के दौरान, संस्थान ने 3.65 करोड़ रु. की लागत से 38 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का कार्यभार संभाला। ऐसी 35 परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से निम्न प्रकट हुआ:

3.10.1. प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण

मंत्रालय ने पांच³ प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए परियोजना के अप्रचलन के आधुनिकीकरण तथा स्थानान्तरण (एम.ओ.डी.आर.ओ.बी.) के अन्तर्गत 38.00 लाख रू (अप्रैल 2003 से जनवरी 2004) का सहायता अनुदान स्वीकृत किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान सिर्फ 20.95 लाख रू (55 प्रतिशत) का उपयोग कर सका तथा 17.05 लाख रू का अव्ययित अनुदान मंत्रालय को लौटा दिया। अव्ययित अनुदान 20 से 80 प्रतिशत के बीच था। अनुदान का कम उपयोग परियोजना के अभिप्रेत लाभों की अप्राप्ति में परिणत हुआ।

प्रबंधन ने बताया कि उस अवधि के दौरान निदेशकों के लगातार बदलने से निधियों को पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशक का पद उस अवधि के दौरान कभी भी रिक्त नहीं रहा।

3.10.2 तकनीकी शिक्षा परियोजनाओं का दबाव क्षेत्र

मंत्रालय ने कुल 19.00 लाख रू की लागत पर तकनीकी शिक्षा का दबाव क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं[®] को स्वीकृत किया (अप्रैल 2003)। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान 19.00 लाख रू में से केवल 3.58 लाख रू का ही इस्तेमाल कर सका और परियोजना को पूरा किए बिना ही 15.42 लाख रू (81 प्रतिशत) की शेष राशि मंत्रालय को लौटा दिया। मंत्रालय ने अनुबद्ध समय अवधि से अधिक समय तक निधियों को रोके रखने के बावजूद भी परियोजना के अननुपालन के लिए संस्थान से औचित्य जानना चाहा (जनवरी/मार्च 2006) और इससे इन परियोजनाओं के गैर-निष्पत्ति हेतु दायित्व को नियत करने के लिए कहा। तथापि, संस्थान ने दिसम्बर 2008 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की है। अभी तक प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.10.3 अनुसंधान एवं विकास योजनाएं

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत (अप्रैल 2003 से मार्च 2005) अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत 45.00 लाख रू की लागत वाली पांच परियोजनाओं की जांच की। संस्थान ने इन चार⁴ परियोजनाओं के संबंध में 23.07 लाख रू का व्यय

³ ताप स्थान्तरण प्रयोगशाला; डिजिटल सिगनल संसाधन प्रयोगशाला; पेपर जांच एवं प्रिंटिंग प्रयोगशाला; कूलन तथा वातानुकूलन प्रयोगशाला तथा धातु एवं माप प्रयोगशाला।

[®] ऑन लाइन टूल वियरिंग तथा कटिंग पैरामीटरों का इष्टतमीकरण; दृश्य रूप से विकलांग उपयोगिकर्ताओं हेतु वाणी संश्लेषण एवं प्राकृतिक भाषा संसाधन पर स्फॉटवेयर के अन्तर्गत संचार उपकरणों का डिजाइन; तथा ग्रामीण उत्पादकता की वृद्धि

⁴ तनाव विश्लेषण तथा तत्वों में कमियों की पहचान; वक्ष कैंसर पहचान हेतु फ्रिक्वेंसी डोमेन ऑप्टिकल टोमोग्राफी इमेज का यंत्रिकीकरण एवं रूपरेखा; ई.एन.जी. सिगनल तथा ट्रांसड्यूसर का प्रतिरूपण प्रयोग करके न्यूरोमसक्यूलर रोग की पहचान हेतु प्रवीण प्रणाली के विकास हेतु ओप्टो-मेक्ट्रोनिक्स प्रणाली का विकास।

किया तथा ब्याज सहित 13.77 लाख रू. की अव्ययित राशि मंत्रालय को लौटा दी। यह पाया गया कि समापन रिपोर्टों राशि हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ संलग्न नहीं थी। समापन रिपोर्टों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

प्रबंधन ने बताया कि परियोजना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण सभी मामलों में अपेक्षित नहीं था और जहाँ कहीं भी आवश्यक था, परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन परियोजनाओं हेतु स्वीकृति आदेश अपेक्षा करता था कि परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति बोर्ड एवं मंत्रालय को प्रेषित होनी चाहिए थी।

अनुशंसा

- संस्थान को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु अनुदानों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए।

3.11 मानव संसाधन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं

संकाय सदस्यों की नियुक्ति तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रापण एवं अनुसंधान के संबंध में पाई गई कुछ त्रुटियां अनुवर्ती पैराग्राफों में वर्णित है:

3.11.1 संकाय की कमी

शैक्षणिक संस्थान में शैक्षिक स्तरों को बनाए रखने के लिए योग्य एवं अनुभवी संकाय सदस्यों की उपलब्धता पूर्वापेक्षित है। संकाय सदस्यों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि आचार्यों, सहायक आचार्यों एवं व्याख्याताओं की स्वीकृत पदों के कमशः 45-50 प्रतिशत 19-40 प्रतिशत तथा 10-17 प्रतिशत पद पर्याप्त बजट की उपलब्धता के बावजूद वर्ष 31 मार्च 2008 की समाप्ति तक पिछले पांच वर्षों के दौरान रिक्त पड़े थे। विवरण नीचे दिए गए है:

वर्ष	आचार्य		सहायक आचार्य		व्याख्याता		कुल	
	संस्वीकृत	रिक्त	संस्वीकृत	रिक्त	संस्वीकृत	रिक्त	संस्वीकृत	रिक्त
2003-04	22	11 (50)	43	11 (26)	115	11 (10)	180	33 (18)
2004-05	22	11 (50)	43	14 (33)	115	14 (12)	180	39 (22)
2005-06	22	10 (45)	43	15 (35)	115	20 (17)	180	45 (25)
2006-07	22	11 (50)	43	17 (40)	115	20 (17)	180	48 (27)
2007-08	22	10 (45)	43	8 (19)	115	20 (17)	180	38 (21)

(कोष्ठकों में आंकड़े संस्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त पदों की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

संकाय सदस्यों की कमी के बावजूद, संस्थान ने उन्हें प्रतिनियुक्ति एवं ग्रहणाधिकार की अनुमति दी तथा अतिरिक्त कार्य को संकायाध्यक्ष को सौंप दिया जिससे संकाय सदस्य की अल्पता और गंभीर हो गई। संस्थान के शैक्षिक बोर्ड ने यह पाया (नवम्बर 2006) कि संकाय की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता, खास तौर से प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में, बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2009) कि आचार्यों, सहायक आचार्यों, व्याख्याताओं आदि के प्रति रिक्तियों को भरने की कार्रवाई प्रगति में थी।

अनुशंसा

- संस्थान को अपने शैक्षिक निष्पादन के सुधार के संबंध में अपने विभिन्न संकायों में रिक्त स्थानों को भरना चाहिए।

3.11.2 अनुपयुक्त सामग्री प्रबंधन

सामान्य वित्तीय नियमावली अनुबंध करती है कि संगठन अपनी स्पष्ट आवश्यकता के प्रति सामग्रियों की खरीद करे तथा वास्तविक आवश्यकता से अग्रिम में ज्यादा या अधिक में सामग्री न खरीदने का ध्यान रखा जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने अपनी आवश्यकता का निर्धारण किए बिना उपभोज्य सामग्री खरीदी। दो विभागों में, अपनी खरीद की तिथि से एक से 14 वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी क्रमशः 9.72 लाख रू के कुल स्टॉक में से 7.87 लाख रू (80.96 प्रतिशत) तथा 9.16 लाख रू के कुल स्टॉक में से 8.68 लाख रू (94.75 प्रतिशत) की कीमत के उपभोज्य सामग्री मार्च 2008 की समाप्ति तक बिना उपयोग के पड़े थे। इसका परिणाम न केवल 16.65 लाख रू की सीमा तक निधियों के अवरोधन में हुआ बल्कि अप्रभावी सामग्री प्रबंधन को भी दर्शाया। इसके अतिरिक्त सामग्रियों की गुणवत्ता में ह्रास को भी अनियमित नहीं किया।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2008) और बताया कि उपभोज्य सामग्रियों को आने वाले वर्षों में क्रमिक रूप से उपयोग किया जाएगा।

3.11.3 कम्प्यूटरों की अनियमित खरीद

संस्थान ने अपने संकाय सदस्यों को जारी करने हेतु संस्थान के अध्यक्ष जो कि इस उद्देश्य हेतु सक्षम प्राधिकारी था के अनुमोदन के बिना 57.35 लाख रू की कीमत के 107 कम्प्यूटर खरीदें (मार्च 2004)। यह बाद में पाया गया था कि संस्थान ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जाए बिना स्पॉट खरीद समिति द्वारा यह कम्प्यूटर खरीदे। इसका परिणाम 57.35 लाख रू के कम्प्यूटरों की अनियमित खरीद में हुआ।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2008) कि खरीद आपातिक खरीद हेतु खरीद नियमावली के अनुसार समिति द्वारा की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस अवधि के दौरान निदेशक केवल शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार 10 लाख रू तक की खरीद के अनुमोदन हेतु सक्षम था।

3.11.4 इंटरनेट संयोजन हेतु अतिरिक्त व्यय

संस्थान ने 4 मैगा बाईट प्रति सैकेंड (एम.बी.पी.एस.) लीस लाईन सहित इंटरनेट संयोजन हेतु निविदा आमंत्रित की (नवम्बर 2004)। तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोलियों के खोलने के पश्चात, संस्थान ने संधिवार्ता हेतु सभी चारों तकनीकी योग्यता प्राप्त बोली

देने वालों को आमंत्रित करने का निश्चय किया (7 जनवरी 2005)। 11 जनवरी 2005 को संधिवार्ता बैठक के दौरान, विस्तृत चर्चाएं हुई थी तथा तकनीकी विशिष्टताओं के निर्धारण के पश्चात, सभी चारों फार्मों को अपनी नई तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोलियाँ प्रस्तुत करने को कहा गया था। संधिवार्ता बैठक के दौरान, बोली देने वालों में से एक अर्थात् बी.एस.एन.एल. को पता चला कि उनकी बोली सबसे कम थी तथा अभ्यावेदन किया कि संधिवार्ता केवल उनके साथ ही की जानी चाहिए थी क्योंकि वो सबसे कम बोली देने वाले थे। बी.एस.एन.एल. सहित तीन बोली देने वालों ने अपनी संशोधित बोली प्रस्तुत की (14 जनवरी 2005)। एच.सी.एल. इन्फोटेक लिमिटेड को 15.50 लाख रू. के उदाहरण मूल्य सहित सबसे कम बोली देने वाला तथा बी.एस.एन.एल. को 35.36 लाख रू. के उदाहरण मूल्य सहित तीसरा सबसे कम पाया गया था। यह इंगित किया गया था कि बी.एस.एन.एल. की दरें दोनों बोलियों में एक थी तथा संस्थान ने सबसे कम बोली देने वाले की अपेक्षा करते हुए, 35.36 लाख रू. के मूल्य पर बी.एस.एन.एल. को 4 एम.बी.पी.एस. लीस लाईन हेतु आदेश दिया (अप्रैल 2005) जिसका परिणाम 19.86 लाख रू. के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2008) कि ठेका पश्चत-निविदा संधिवार्ता हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के दृष्टांत में बी.एस.एन.एल. को दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 11 जनवरी 2005 को तकनीकी विशिष्टताओं के नवीकरण एवं नई बोलियाँ आमंत्रित करने के पश्चात, पहले प्रस्तुत की गई बोलियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था तथा अपने आप समाप्त हो जाती है।

3.11.5 स्टाफ मकानों का अप्राधिकृत कब्जा

मौलिक नियमावली प्रावधान करती है कि कर्मचारियों को आबंटित स्टाफ मकानों को अनुमेय सीमाओं के परे प्रतिधारण नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

	घटनाएं	आवास प्रतिधारण हेतु अनुमेय अवधि
(i)	त्याग पत्र, बरखास्तगी, अपनयन या सेवा की समाप्ति या बिना आज्ञा के अप्राधिकृत अनुपस्थिति	01 माह
(ii)	भारत में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की कार्यवाही पर	02 माह
(iii)	आबंटी की मृत्यु	24 माह

लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 मामलों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, संस्थान के स्टाफ ने प्रतिधारण हेतु अनुमेय अवधियों की समाप्ति के पश्चात भी अपने मकानों को खाली नहीं किया था। संस्थान ने न तो इन कर्मचारियों के प्रति कोई निष्कासन कार्यवाही प्रारम्भ की थी और न ही इनसे मानक/बाजारी किराया वसूल किया। इसने न केवल नियत नियमावली के गैर-अनुपालन को दर्शाया बल्कि इसका परिणाम अगस्त 2008 तक संस्थान को 7.93 लाख रू. की हानि में भी हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2008) और बताया कि मकानों को खाली कराने एवं मानक किराया वसूलने हेतु भी कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी।

3.11.6 विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान

पंजाब विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 भा.स. के कार्यालयों एवं कार्यों हेतु विद्युत शुल्क (वि.शु.) के उदग्रहण से छूट प्रदान करता है। संस्थान, एक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय होने से, वि.शु. के उदग्रहण से छूट हेतु योग्य था।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2000) कि संस्थान अपने प्रारंभ से अपने विद्युत बिलों पर वि.शु. अदा रहा था। संस्थान के प्रस्तुतीकरण पर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) ने जून 2006 से वि.शु. का उदग्रहण बन्द कर दिया परन्तु संस्थान मई 2006 तक पहले अदा की 47.56 लाख रू. की राशि के वि.शु. को वापस पाने में विफल रहा।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2008) कि वि.शु. की वापसी से संबंधित मामला पी.एस.ई.बी. एवं राज्य सरकार के साथ उठाया गया था।

3.11.7 ऊर्जा लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं का गैर-कार्यान्वयन

राष्ट्रीय उत्पादन परिषद ने संस्थान की अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा संचालित की (मई 2001) तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की:

विकल्प	वार्षिक ऊर्जा बचत (लाख में इकाईया)	वार्षिक ऊर्जा बचत (लाख रू. में)	निवेश आवश्यकता (लाख रू. में)
1. सर्वो ट्रान्सफार्मर्स का संस्थापन	0.39	1.22	1.50
2. 70 वा. उच्चदाव सोडियम वेपर (एच.पी.एस.वी.) लेम्पों द्वारा 125 वा. उच्च दाव मर्करी वेपर (एच.पी.एम.वी.) लेम्पों का बदलाव	0.54	1.68	5.00

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऊर्जा लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को, छः वर्षों से अधिक की समाप्ति के पश्चात भी, अभी तक पूर्ण रूप से कार्यान्वयन नहीं किया गया था। इसने मार्च 2008 तक ऊर्जा संरक्षण के कारण 12.59 लाख रू. की बचतों से संस्थान को वंचित किया।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2008) तथा बताया कि अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को कार्यान्वयन करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

3.12 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसकी संचालनों की दक्षता एवं प्रभावकारिता, लागू नियम एवं विनियमों की अनुपालना तथा समर्थ वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध सहित संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु अभिकल्पना की गई है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- संस्थान के संस्थापन प्रलेख के अनुसार, प्रत्येक तीसरे महीने बोर्ड की बैठक की जानी थी। मार्च 2008 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 20 बैठकों की आवश्यकता के प्रति केवल पाँच बैठकें हुई थी।
- इसके निदेशकों हेतु निर्धारित नियत कार्यकाल के प्रति पिछले पाँच वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की गई थी। निदेशकों का बारंबार बदलाव न केवल संस्थापन प्रलेख के प्रावधानों के उल्लंघन में था बल्कि इसने संस्थान के मामलों की उपयुक्त मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण को भी अस्तव्यस्त किया।
- जबकि संस्थान ने फरवरी 1990 में नियमों, विनियमों एवं उपनियमों के 11 सेट तैयार किए परंतु इसके पश्चात इन नियमों को मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कराने हेतु कोई उपयुक्त प्रयास नहीं किए गए थे। परिणामतः यह सभी नियमों, विनियमों एवं उप-नियमों को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के लागू किया जा रहा था।
- संस्थान ने 447 एकड़ माप वाले अपने परिसर में उपलब्ध पौधों एवं वृक्षों के संबंध में कोई रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किया था। परिणामतः लेखापरीक्षा में इन परिसंपत्तियों की कीमत निश्चित नहीं की जा सकी।
- वित्त समिति की अनुशंसों के अनुसार, संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रत्यक्ष सत्यापन आवधिक रूप से किया जाना था। संस्थान द्वारा पुस्तकालय का प्रत्यक्ष सत्यापन आवधिक रूप से नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, संस्थान ने जून-अगस्त 2008 के दौरान सत्यापन किया।
- संस्थान के बोर्ड ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता निश्चित करने, सहायता अनुदान का विवेचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा सामग्रियों को आवधिक सत्यापन करने हेतु एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष की स्थापना करने का निर्णय लिया (फरवरी 1991)। तथापि, अभी तक (दिसम्बर 2008) आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष की स्थापना नहीं की गई थी।

अनुशासा

- संस्थान को अपनी आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि को सशक्त करने की आवश्यकता है।

3.13 प्रभाव निर्धारण

संस्थान का प्रभाव निर्धारण कार्यान्वित करने हेतु जनवरी 2004 में एड्केशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड (ई.डी.सी.आई.एल.) की नियुक्ति की गई थी। निर्धारण के पश्चात मुख्य अनुशासाए की गई थी जैसा नीचे दिया गया है:

- प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।
- प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा स्नातकों को कम से कम कुछ समय हेतु उद्योग में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- प्रमाणपत्र से डिप्लोमा एवं डिप्लोमा से डिग्री पाठ्यक्रमों में सीधा एवं पार्श्विक दाखिला ब्रिज पाठ्यक्रमों की समाप्ति के पश्चात केवल सुयोग्य छात्रों को स्वीकृत करना चाहिए।
- उच्च संवर्ग स्थान पर संकाय सदस्यों की कमी को तुरंत प्रभाव से नियंत्रण करने की आवश्यकता थी।
- निर्णय सहायता प्रदान करने हेतु कार्यालय स्वाचालन के साथ-साथ कम्प्यूटर आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

ई.डी.सी.आई.एल की रिपोर्ट चार वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी दिसम्बर 2008 तक अनुचितन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी।

निष्कर्ष

बोर्ड ने अध्ययनों एवं प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने हेतु स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता का कोई व्यापक निर्धारण नहीं किया था। संस्थान ने वास्तविक कार्यबल के बजाए स्वीकृत कार्यबल के आधार पर अपने स्थापना व्यय को निगमित करके तथा आंतरिक संसाधन उत्पादन के अंतर्गत अपनी पूर्ण प्राप्तियों को प्रदर्शित किए बिना अपने बजट अनुमानों को तैयार नहीं किया था। संस्थान द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का कोई आवधिक निर्धारण नहीं किया गया था। संस्थान ने शैक्षिक निष्पादन के मानकों के अपने पूर्ण-प्राप्त स्तरों को अनुरक्षित नहीं किया क्योंकि असफल/विरत छात्रों की प्रतिशतता वर्ष प्रति वर्ष बढ़ी थी। संस्थान किसी औद्योगिक अनुभव का अनुचितन किए बिना डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को उद्ग्र गतिशीलता हेतु आरक्षण प्रदान करके बहुस्तर प्रवेश एवं बहुस्तर निकास की अपनी वास्तविक संकल्पना से

विचलित हो गया। संस्थान ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु प्राप्त अनुदानों का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित नहीं किया था। संकाय सदस्यों की रिक्तता को भरने हेतु कोई उपयुक्त प्रयास नहीं किए गए थे। संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी।

आभार प्रकट

हम इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान लेखापरीक्षा को संस्थान द्वारा प्रदान किए सहयोग एवं सहायता हेतु आभार प्रकट करते हैं।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (अक्टूबर 2008) तथा उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित हैं।

अनुबंध
(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

2003-08 के दौरान प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, डिग्री एवं एम.टेक कार्यक्रमों के संबंध में उपलब्ध स्थानों एवं दाखिला किए की संख्या उत्तीर्ण/विरत/विफल दर्शाने वाली विवरण

वर्ष (जिसमें पाठ्यक्रम पूर्ण किए गए थे)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (2 वर्षों की अवधि)					डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2 वर्षों की अवधि)					डिग्री पाठ्यक्रम (3 वर्षों की अवधि)					एम.टेक. पाठ्यक्रम (2 वर्षों की अवधि)				
	कुल प्रवेश क्षमता	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या	विरत/विफल छात्रों की संख्या	दाखिल किए गए छात्रों के प्रति विरत/विफल छात्रों की प्रतिशतता	कुल प्रवेश क्षमता	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या	विरत/विफल छात्रों की संख्या	दाखिल किए गए छात्रों के प्रति विरत/विफल छात्रों की प्रतिशतता	कुल प्रवेश क्षमता	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या	विरत/विफल छात्रों की संख्या	दाखिल किए गए छात्रों के प्रति विरत/विफल छात्रों की प्रतिशतता	कुल प्रवेश क्षमता	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या	विरत/विफल छात्रों की संख्या	दाखिल किए गए छात्रों के प्रति विरत/विफल छात्रों की प्रतिशतता
2003-04	360	410	279	131	32	300	343	307	36	10	300	305	231	74	24	61	47	47	00	00
2004-05	360	387	230	157	41	300	348	312	36	10	300	306	221	85	28	86	42	41	01	02
2005-06	360	385	231	154	40	300	343	319	24	07	300	282	210	72	26	86	37	37	00	00
2006-07	360	421	248	173	41	300	339	297	42	12	350	293	207	86	29	86	34	30	04	12
2007-08	360	416	193	223	54	300	286	257	29	10	350	309	178	131	42	86	47	अघोषित परिणाम		

- दाखिल किए छात्रों की संख्या पाठ्यक्रम के प्रारंभिक वर्ष में संबंधित पाठ्यक्रम हेतु दाखिल छात्रों की संख्या दर्शाते हैं।
- प्रमाणपत्र कार्यक्रमों में 15 प्रतिशत स्थानों एवं विरतों हेतु डिप्लोमा कार्यक्रमों में 10 प्रतिशत स्थानों, एन.आर.आई./एन.आर.आई प्रत्यायोजित छात्रों हेतु प्रत्येक डिप्लोमा एवं डिग्री कार्यक्रमों में 10 प्रतिशत स्थानों हेतु प्रावधान प्रवेश क्षमता से अधिक में किया गया था।



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
उद्यम मंत्रालय

कॉयर बोर्ड के क्रियाकलाप

अध्याय IV : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

4 कॉयर बोर्ड के क्रियाकलाप

विशिष्टताएं

- कॉयर बोर्ड ने 2003-04 से 2007-08 के दौरान 130.43 करोड़ रु की उस समय की योजनागत निधियों में से गैर-योजनागत व्यय के लिए 32 करोड़ रु का व्यय किया। बोर्ड के अपने गैर-योजनागत आबंटनों की वृद्धि हेतु प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में अस्वीकार किया गया।

(पैराग्राफ 4.6)

- महिला कॉयर योजना के अन्तर्गत 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान 7.91 करोड़ रु की सीमा तक योजना निधियों का उपयोग नहीं हुआ था।

(पैराग्राफ 4.7.2)

- महिला कॉयर योजना के अन्तर्गत किया गया विशेष अभियान जिस पर 2005-06 से 2006-07 के दौरान 7.65 करोड़ रु की राशि का व्यय किया गया था, अपर्याप्त प्रशिक्षण, त्रुटिपूर्ण रट्स* की आपूर्ति तथा लाभार्थियों के अनुचित चयन के कारण विचार किये गये के अनुसार सफल नहीं हो पाया था।

(पैराग्राफ 4.7.2.1)

- यद्यपि भारत सरकार द्वारा 2007-08 के लिए पुनर्नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के लिए जारी किये गए 9 करोड़ रु में से 7.44 करोड़ रु का उपयोग नहीं किया गया तथा यह भाग लेनेवाले बैंकों के पास रह गया, बोर्ड ने पूरी राशि के लिए सरकार को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया।

(पैराग्राफ 4.7.5)

- 2003-04 से 2007-08 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए बोर्ड द्वारा उद्दिष्ट 6.90 करोड़ रु के स्थान पर केवल 4.18 करोड़ रु (61 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

(पैराग्राफ 4.7.6)

- 2003-04 से 2007-08 के दौरान हिन्दुस्तान कॉयर के करघों का खाली समय तकनीकी खराबी (10 से 18 प्रतिशत), सूत की कमी (15 से 38 प्रतिशत) तथा श्रमिकों की कमी (16 से 28 प्रतिशत) के कारण 60 से 67 प्रतिशत के बीच था। 4.07 लाख व.मी. की संस्थापित क्षमता के स्थान पर पांच वर्षों के दौरान उत्पादन 1.56 लाख तथा 2.12 लाख व.मी. के बीच था।

(पैराग्राफ 4.8.1)

* कॉयर फाइबर से रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त मशीन

- बोर्ड के अधीन अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उत्पादों तथा मशीनरी का पूरी सीमा तक वाणिज्यिक रूप से लाभ नहीं उठाया गया था।

(पैराग्राफ 4.9.1.1 एवं 4.9.2)

- तंजावूर, राजमन्त्री तथा भुवनेश्वर के बंद प्रशिक्षण केन्द्रों के अनवरत अनुरक्षण के परिणामस्वरूप 2001-02 से 2007-08 तक की अवधि के लिए 1.04 करोड़ रु का निरर्थक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.10.1)

अनुशंसाओं का सारांश

- बोर्ड को विशेष अभियान के अंतर्गत आपूर्त रट्स के निष्क्रिय होने तथा रट्स के वितरण तथा गैर-प्राप्ति से संबंधित शिकायतों के कारणों को अभिनिश्चित करना चाहिए तथा योजना के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपचारी कार्रवाई करनी चाहिए।
- बोर्ड को समूहों के विकास में वास्तविक रूप से उपयोग की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए न कि केन्द्रक अभिकरण क्षेत्र अधिकारियों को संस्वीकृत की गई निधियों के लिए।
- भाग लेनेवाले बैंकों की रिमोट योजना के अधीन सम्पूर्ण केन्द्रीय आर्थिक सहायता को जारी करने की वर्तमान पद्धति की समीक्षा की जाए तथा योजना की शर्तों का बैंकों द्वारा भारी शेषों के प्रतिधारण से बचने के लिए किंचित परिवर्तन किया जाए।
- बोर्ड को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कारीगरों और उद्यमियों के बीच योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने कार्यकलापों के विस्तार को सरल तथा कारगर बनाना चाहिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट बजट के दस प्रतिशत क्षेत्र के लिए अभिप्रेत योजनाओं पर पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए।
- बोर्ड द्वारा हिन्दुस्तान कॉयर् के निष्पादन को सुधारने के लिए कारीगरों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना, पुरानी मशीनों पर निर्भरता को कम करना तथा उभरते उपभोक्ता अभिसर्चियों के अनुरूप मूल्य वर्धित उत्पाद तथा नवप्रवर्तित अभिकल्पनाओं को प्रस्तुत करते हुए सम्मिलित प्रयास किया जाना चाहिए।
- बोर्ड को अपने शोरूमों के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए; अव्यवहार्य शोरूमों को बंद करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई तथा आधुनिक व्यवसाय प्रक्रिया को अपनाकर शेष शोरूमों के क्रियाकलापों को फिर से तत्काल तैयार करना चाहिए।
- बोर्ड को भू जैव-अभियांत्रिकी तथा क्षरण-प्रतिरोधी प्रयोगों में भूवस्त्र की भारी संभावना को काम में लाने के लिए सम्मिलित प्रयास करना चाहिए।

- बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित किए गए नए प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों के अंतरण पणधारियों को समुचित तथा समयबद्ध तरीके से किए जाते हैं।
- बोर्ड को अपनी आंतरिक नियंत्रण पद्धति को समर्थ बनाने की आवश्यकता है।

4.1 प्रस्तावना

कॉयर बोर्ड, भारत में कॉयर उद्योग के धारणीय विकास हेतु एक सांविधिक निकाय के रूप में कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बोर्ड के कार्यों में पणधारियों को वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक अनुसंधान का आश्वासन देना, सहायता करना तथा प्रोत्साहन देना, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार, मानव संसाधन विकास, बाजार संवर्धन तथा कल्याण शामिल है। कॉयर, नारियल उद्योग का उपोत्पाद है जिसका सकल घरेलू उत्पाद मार्च 2008 तक 2100 करोड़ रु के लगभग अनुमानित किया गया था। भारत, कॉयर उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। लगभग पांच लाख लोग कॉयर उद्योग में नियोजित हैं, जिसमें से 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह श्रम प्रगाढ़, निर्यातोन्मुख उद्योग, पर्यावरण हितैषी उत्पादों का उत्पादन करके, ग्रामीण रोजगार पैदा करने तथा पारंपरिक उद्योग के उन्नयन, जो कि इस विषय क्षेत्र में केन्द्र सरकार के दो घोषित दबाव क्षेत्र हैं, के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। पिछले तीन दशकों के दौरान भारत में कॉयर तथा कॉयर रेशे के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कॉयर निर्यात वर्ष 2003-04 में 407.50 करोड़ रु मूल्य के 102253 टन से बढ़कर 2007-08 के अंत तक 592.88 करोड़ रु मूल्य के 187567 टन तक बढ़ा।

4.1.1 संगठनात्मक ढांचा

बोर्ड भारत सरकार (भा.स.) द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा 37 सदस्यों से गठित है। बोर्ड का मुख्यालय केरल राज्य के कोच्ची में है। इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय¹ हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक अथवा अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में है तथा गुवाहाटी और कोलकाता में दो उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं। संबंधित राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। बोर्ड के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केन्द्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान (सी सी आर आई), आलाप्पुषा (केरल) तथा केन्द्रीय कॉयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सी आई सी टी) बेंगलूर (कर्नाटक) के माध्यम से किया जाता है। कुशल मानवशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कॉयर प्रशिक्षण तथा अभिकल्पना केन्द्र (एन सी टी एवं डी सी), आलाप्पुषा (केरल), अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, तेन्काशी, 'तमिलनाडु' तथा क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्र प्रशिक्षण इकाई में लिया जाता है। बोर्ड

¹ कण्णूर (केरल), पोल्लाच्चि (तमिलनाडु), बेंगलूर (कर्नाटक), राजमन्त्री (आन्ध्र प्रदेश) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा)

देश भर में 30 शोरूम/बिक्री डिपो चलाता है। हिन्दुस्तान कॉयर, कॉयर चटाइयों को तैयार करने वाली फैक्टरी, बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व में है।

4.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

बोर्ड के कार्य की निष्पादन लेखापरीक्षा 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान बोर्ड की विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का निर्धारण करने के लिए जुलाई-अक्टूबर 2008 के दौरान की गई थी।

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई थी कि:

- वित्तीय प्रबंधन की प्रणाली प्रभावी थी;
- विभिन्न विकासपरक एवं संवर्धनात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यक्षम तथा प्रभावी पद्धति से किया गया था;
- बोर्ड द्वारा लिए गए उत्तरदायित्व में किए गए अनुसंधान कार्यकलाप परिणामोन्मुख थे तथा उनका कॉयर उद्योग के विकास के लिए उपयोग किया गया था तथा
- उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति यथा स्थान थी।

4.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

बोर्ड के निष्पादन को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित से व्युत्पन्न हुए:

- कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953;
- कॉयर उद्योग नियम, 1954;
- संशोधित शोरूम नियम, 1988;
- कॉयर उपकरण के संग्रहण हेतु भारत सरकार के अनुदेश;
- विपणन, प्रशिक्षण, आंतरिक नियंत्रण, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए भारत सरकार नीति तथा बोर्ड/भारत सरकार द्वारा इन विषयों पर समय-समय पर जारी अनुदेश।

4.5 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2008 में आरम्भ हुई। अगस्त 2008 में इसके सचिव के साथ एक प्रविष्टि सम्मेलन हुआ जिसके दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदण्ड एवं लेखापरीक्षा का क्षेत्र स्पष्ट किए गए थे। लेखापरीक्षा ने कोच्ची के मुख्य कार्यालय तथा 44 में से 16 क्षेत्र संघटकों से संबंधित अभिलेखों की जांच की जैसा कि

अनुबंध-I में विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों वाले ज्ञापन पत्र प्रबंधन को जारी किए गए थे तथा नवंबर 2008 में आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की विस्तार में चर्चा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.6 वित्तीय प्रबंधन

बोर्ड की निधियों का मुख्य स्रोत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धाराएं 14 एवं 14 ए के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान हैं। यह शोल्मों के कॉयर उत्पादों की बिक्री पर कमीशन तथा प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए सेवा कर जैसे कुछ आंतरिक राजस्व भी प्राप्त करता है। भारत सरकार द्वारा बोर्ड को निधियां योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए किश्तों में जारी की जाती हैं तथा बोर्ड विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों का संवितरण करता है। उद्दिष्ट योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निधियां अलग से जारी की जाती हैं।

2003-04 से 2007-08 की अवधि के लिए निधियों की प्राप्ति तथा उपयोगिता के वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	प्राप्त निधियां				प्रयुक्त निधियां*			आधिक्य (+) बचत (-)	
	गैर-योजनागत		योजनागत	कुल	गैर-योजनागत	योजनागत	कुल	गैर-योजनागत	योजनागत
	अनुदान अन्य [†]	कुल							
2003-04	3.42 1.59	5.01	17.04	22.05	4.26	15.72	19.98	-0.75	-1.32*
2004-05	2.62 1.95	4.57	16.79	21.36	4.82	17.41	22.23	0.25	0.62
2005-06	2.51 2.78	5.29	35.81	41.10	5.12	35.43	40.55	-0.17	-0.38
2006-07	2.51 2.04	4.55	29.40	33.95	3.89	23.04	26.93	-0.66	-6.36
2007-08	2.51 2.15	4.66	42.37	47.03	3.07	38.83	41.90	-1.59	-3.54
कुल	13.57 10.51	24.08	141.41	165.49	21.16	130.43	151.59	-2.92	-10.98

* वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-योजनागत/योजनागत अनुदानों के अंतर्गत अधिक व्यय अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से किया गया था।

† इसमें पंजीकरण तथा नवीकरण शुल्क, बिक्री पर कमीशन, अन्य विभागीय प्राप्तियां तथा वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त निधियां शामिल हैं।

* भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार को जारी 84 लाख रु शामिल है, जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

जैसे कि तालिका में देखा जा सकता है, बोर्ड द्वारा 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान योजना निधि आबंटन का लगभग आठ प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जा सका था। यह भी देखा गया कि उक्त अवधि के दौरान योजना व्यय के रूप में दर्ज किये गये 130.43 करोड़ रु में से लगभग 32 करोड़ रु (अनुबंध-II) की राशि का उपयोग गैर-योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था। बोर्ड ने बताया कि भारत सरकार ने यथार्थवादी पद्धति से गैर-योजनागत आवश्यकताओं को बजट प्रस्तावों में प्रस्तुत करने पर भी अपने गैर-योजनागत आबंटन को नहीं बढ़ाया था। यह योजना निधि आबंटनों से गैर-योजनागत व्यय पूरा करने के कारण को स्पष्ट नहीं करता है, विशेष रूप से, जब भारत सरकार ने गैर-योजनागत आबंटन की वृद्धि के लिए बोर्ड के प्रस्ताव को बहुत पहले, फरवरी 2006 में ही सुनिश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि लेखा शीर्षों को वार्षिक लेखे, प्रबंधन सूचना को तैयार करने तथा संसद के प्रश्नों आदि का उत्तर देने के कारण वर्गीकृत किया गया है तथा इस पर दबाव नहीं दिया जा सकता कि व्यय आयोजनेत्तर प्रवृत्ति का है।

मंत्रालय का उत्तर बोर्ड के उत्तर के प्रतिकूल है जो बताता था कि उक्त राशि योजनेत्तर व्यय के लिए प्रयुक्त की गई थी।

4.7 विकासात्मक तथा उन्नयात्मक योजनाएं

कॉयर बोर्ड की विकासात्मक तथा उन्नयात्मक योजनाओं को भारत सरकार के अनुदानों से विशेष रूप से निधिबद्ध करने का उद्देश्य देश में कॉयर उद्योग का विकास है। केवल दो मुख्य योजनाओं के संबंध में अर्थात् कॉयर उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन हेतु निधि की योजना, आबंटनों को बोर्ड के संस्वीकृत बजट में सुस्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। शेष योजनाओं के संबंध में, निधियों का आबंटन योजना (सामान्य) शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है। एकीकृत कॉयर विकास परियोजना (आई सी डी पी) भारत सरकार द्वारा 1982 में प्रायोजित सहकारिता के लिए योजना का एक आधुनिकीकरण घटक, Xवीं योजना अवधि तक चालू रहा जबकि योजना के अन्य घटक अर्थात् शेयर पूंजी सहायता, प्रबंधन आर्थिक सहायता उपस्कर तथा विपणन सहायता, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये थे। जबकि महिला कॉयर योजना केवल महिलाओं को लक्षित करके विकास पर केन्द्रित योजना है तथा इसमें रट्सकी खरीद हेतु बोर्ड द्वारा निधिबद्ध 75 प्रतिशत की अधिकतम आर्थिक सहायता है, ब्राउन फाइबर विकास योजना सहकारी समूह के बाहर के इकाई पर केन्द्रित है किन्तु यह लाभार्थियों से 75 प्रतिशत के पर्याप्त रूप से अधिक अंशदान की अपेक्षा करता है। नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन (रिमोट), बैंकों से आवधिक ऋण घटक (निर्धारित सीमाओं के अधीन 55 प्रतिशत) को समाविष्ट करने वाली एकमात्र योजना है। लेखापरीक्षा अवधि अर्थात् 2003-04 से 2007-08 के लिए ग्रामीण रोजगार उत्पत्ति तथा पारंपरिक कॉयर उद्योग के उन्नयन पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन, निष्पादन एवं प्रभाव का समग्र वर्णन अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

4.7.1 एकीकृत कॉयर विकास परियोजना

एकीकृत कॉयर विकास परियोजना (आईसीडीपी) ने नए प्राथमिक सहकारियों की स्थापना, विद्यमान सहकारियों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार, उन्नत हथकरघों की संस्थापना, कर्लिन्ग इकाई की स्थापना, स्वचालित कताई इकाई, रबड़ीकृत कॉयर उत्पाद विनिर्माण तथा अन्य संबद्ध उत्पादों की इकाई की स्थापना पर विचार किया। आई सी डी पी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से ऋण (75 प्रतिशत), केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता (20 प्रतिशत) तथा राज्य सरकारों/सहकारियों की इक्विटी भागीदारी (5 प्रतिशत) के रूप में निधिबद्ध करते हुए, 1993-94 में केरल में इसको आरम्भ करके, विभिन्न राज्यों में आरंभ की गई। जबकि योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पास बना रहा, फिर भी परियोजना का अनुवीक्षण बोर्ड को सौंपा गया। केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकारों के माध्यम से कॉयर इकाई को जारी की गई। भारत सरकार ने 225 कताई/डीफाइबरिंग इकाईयों की स्थापना के लिए 1993-94 से 2003-04 की अवधि के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों को 7.58 करोड़ रु जारी किए। यह देखा गया कि राज्य सरकारों ने 5.86 करोड़ रु का उपयोग करते हुए 225 इकाईयों के लक्ष्य के स्थान पर केवल 174 इकाईयों को ही आरम्भ किया। 51 आरम्भ नहीं की गई इकाईयों की आनुपातिक लागत 1.72 करोड़ रु की शेष राशि राज्य सरकारों के पास पड़ी हुई थी। राज्य सरकारों से विशेष प्रस्तावों के अभाव में भारत सरकार ने मई 2006 में योजना को बंद कर दिया।

यह अवलोकित किया गया कि अनुवीक्षण एजेंसी के रूप में बोर्ड ने शेष इकाईयों को आरम्भ करने अथवा भारत सरकार को धन वापस करने के लिए राज्य सरकारों के समक्ष इस मामले को नहीं उठाया था। उसने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि 7.58 करोड़ रु के उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए थे।

बोर्ड ने बताया (अगस्त 2008) कि वह मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध करेगा।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि राज्य सरकारों से विशिष्ट प्रस्तावों की कमी निधियों के अप्रयुक्त रहने का मुख्य कारण था।

उत्तर योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है इसके अनुसार केन्द्र सरकार को बोर्ड की अनुशंसाओं पर ही आर्थिक सहायता जारी की जानी थी, जो राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों पर आधारित थे। यह वर्णन नहीं करता कि राज्य सरकारों से विशिष्ट प्रस्तावों के अभावों में बोर्ड ने किस प्रकार निधियों को जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा की।

4.7.2 महिला कॉयर योजना

महिला कॉयर योजना कॉयर उद्योग में महिलोन्मुख स्व-रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा वर्ष 1992-93 से किया जा रहा था। इस योजना में कॉयर सेक्टर में महिला कारीगरों को प्रशिक्षण देने तथा उनकी अपनी इकाईयों को शुरू करने के उद्देश्य से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त रट्स प्रदान करने पर विचार किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित महिला कारीगरों को मोटरचालित रट्स (अधिकतम आर्थिक सहायता: 7500 रु) की लागत के 75 प्रतिशत की सीमा तक अथवा एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में मोटरचालित पारंपरिक रट्स (अधिकतम आर्थिक सहायता: 31 मार्च 2006 तक 2625 रु तथा उसके बाद 2925 रु) की सीमा तक बढ़ाया गया, बशर्ते कि स्वैच्छिक संगठनों/वित्तीय संस्थानों/अपने संसाधनों के माध्यम से लाभार्थियों द्वारा अन्य 25 प्रतिशत एकत्र किया गया था।

2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान वित्तीय परिव्यय, व्यय तथा प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या से संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रूपयों में)	प्रयुक्त निधियां (करोड़ रूपयों में)	निधियों के उपयोग की प्रतिशतता	प्रशिक्षण के लिए लक्ष्यांकित कारीगरों की संख्या	प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या	उपलब्धि की प्रतिशतता
2003-04	1.20	0.75	62.5	--	6956	--
2004-05	1.30	0.63	48.4	--	13318	--
2005-06	3.50	1.45	41.4	14350	19786	137.88
2006-07	3.50	0.82	23.4	18490	8703	47.1
2007-08	3.50	1.44	41.1	15135	8987	59.4
कुल	13.00	5.09		47975	57750	

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नांकित अवलोकित किया:

- बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत रिपोर्ट की अवधि के दौरान 5.06 करोड़ रु का व्यय करते हुए प्रशिक्षित 57750 महिला कारीगरों में से केवल 14506 कारीगरों को रट्स की खरीद हेतु वित्तीय सहायता दी। चूंकि योजना के दिशानिर्देशों में संभावी प्रशिक्षार्थियों की वित्तीय क्षमता का निर्धारण उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित करने से पहले विचार नहीं किया गया इसलिए योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित शेष 43244 कारीगरों (74.88 प्रतिशत) को योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त रट्स नहीं पा सके क्योंकि वे योजना के अंतर्गत अपेक्षित लाभभोगी अंशदान उपलब्ध नहीं करा सके थे। 43244 कारीगरों के प्रशिक्षण पर किया गया आनुपातिक व्यय 3.81 करोड़ रु निकाला गया। इस प्रकार, प्रशिक्षण देने तथा 3.81 करोड़ रु के व्यय करने के बावजूद बोर्ड 43244 महिला कारीगरों को स्व-रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।
- योजना को सूत्रबद्ध करते समय बोर्ड ने 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए वार्षिक लक्ष्य निश्चित नहीं किए थे। यह 2005-06 से ही लक्ष्यों को निश्चित करने लगा।

- 2003-04 से 2007-08 के दौरान 7.91 करोड़ रु (आबंटित निधियों का 61 प्रतिशत) अप्रयुक्त रह गया। 2005-06 से 2007-08 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान लक्ष्यांकित कारीगरों के केवल 78 प्रतिशत को प्रशिक्षित किया गया।
- यद्यपि योजना के दिशानिर्देशों में अनुबद्ध था कि योजना के अंतर्गत आपूर्त किए गए रट्स को लाभार्थियों द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए अपने पास रखना तथा संचालित करना था, फिर भी इस बात को दर्शाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था कि बोर्ड रट्स के वितरण के बाद इसका प्रभावी रूप से अनुवीक्षण कर रहा था।
- योजना दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान था कि लाभार्थियों के चयन हेतु संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, बोर्ड लक्षित वर्गों/क्षेत्रों को पहचानने तथा लाभार्थियों के चयन हेतु उनके निश्चित प्रतिशत को उद्दिष्ट करने में असफल रहा। यह भी देखा गया कि बोर्ड लक्षित वर्गों/क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रणाली की युक्ति नहीं निकाल सका।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि महिला शिल्पकार जो इस योजना के लक्षित क्षेत्र थे, समाज के सबसे कम आर्थिक स्तर से संबंधित थे और इन लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े वर्गों से था और वे अशिक्षित थे। उन्होंने अपेक्षित लाभार्थियों के 25 प्रतिशत अंशदान को बढ़ाना अत्यधिक कठिन समझा। मंत्रालय ने आगे बताया कि बोर्ड योजना की मॉनिटरिंग कर रहा था तथा ये इसके कार्यान्वयन को सुधारने हेतु संगठित प्रयास कर रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा उद्धृत समस्याओं का योजना के दिशानिर्देशों का सूत्रीकरण करते समय पता लगाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, 1992-93 के पहले से योजना के विद्यमान होने के बावजूद बोर्ड द्वारा केवल 2005-06 से लक्ष्य निर्धारित करना बोर्ड द्वारा योजना की खराब मॉनिटरिंग को इंगित करता है।

4.7.2.1 महिला कॉयर योजना - विशेष अभियान

योजना के अन्तर्गत बोर्ड ने 2005-06 में केरल राज्य में विशेष अभियान भी कार्यान्वित किया तथा इसके लिए 5.38 करोड़ रु उद्दिष्ट किए। विशेष अभियान में 65 लाख रु की लागत पर 18000 कारीगरों को प्रशिक्षण देने तथा रट्स की लागत के 75 प्रतिशत की समतुल्य आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए मोटरचालित पारंपरिक रट्स (एम टी आर) को उपलब्ध कराने में कुल 4.73 करोड़ रु की वित्तीय सहायता देने पर विचार किया गया। लाभार्थियों से प्राप्य अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। बोर्ड ने 1 अप्रैल 2006 से एक एम टी आर का मूल्य 3900 रु निश्चित किया।

यद्यपि एम टी आर की लागत के 75 प्रतिशत की समतुल्य आर्थिक सहायता का बोर्ड का हिस्सा नई दरों पर 2925 रु प्रति एम टी आर बनता था फिर भी उसने पूर्व संशोधित दरों पर अर्थात् केवल 2625 रु की दर पर आर्थिक सहायता जारी की।

तदनुसार, उसने 5.35 करोड़ रु (प्रशिक्षण के लिए 63 लाख रु तथा 18000 रट्स की खरीद के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 4.72 करोड़ रु) जारी किए। राज्य सरकार ने लाभार्थियों के पक्ष में 18000 रट्स के लिए 1275 रु प्रति रट्स की दर पर 2.30 करोड़ रु की शेष राशि जारी की। बोर्ड ने 2005-06 के दौरान 18560 कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया तथा प्रशिक्षित कारीगरों को 2006-07 के दौरान 17993 एम टी आर के वितरण के लिए व्यवस्था की। प्रशिक्षण प्रदान करने तथा एम टी आर की खरीद के लिए आर्थिक सहायता हेतु 7.65 करोड़ रु का कुल व्यय किया गया (प्रशिक्षण के लिए 63 लाख रु तथा एम टी आर के लिए 7.02 करोड़ रु)

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने यह अवलोकित किया कि:

- लाभार्थियों द्वारा रट्स की गैर-प्राप्ति, रट्स को निष्क्रिय रखे जाने, विनिर्देशों की पूर्ति नहीं करने वाले रट्स आदि जैसी व्यापक शिकायतें थीं। इन शिकायतों के बारे में अवगत होने पर बोर्ड ने अपने आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के माध्यम से 2007 में योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। बोर्ड को प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट न तो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गयी न ही उस पर की गई कार्रवाई का अभिलेख उपलब्ध कराया गया।
- बोर्ड ने दो महीने के छोटे अंतराल में 18560 कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया। चूंकि राष्ट्रीय कॉयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र के पास आधारभूत संरचना सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए प्रशिक्षण सहकारी समितियों एवं अन्य राज्य संगठनों की सहायता से दिया गया था। रट्स को चलाने में कारीगरों को उचित विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए तदर्थ व्यवस्थाएं असफल रही, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बेकार रखा गया। निदेशक राज्य सरकार कॉयर विकास ने भी यह स्वीकार किया (मार्च 2008) कि योजना विभिन्न कारणों जैसे प्रशिक्षण का अभाव, त्रुटिपूर्ण रट्स, कम उत्पादन, लाभार्थियों का अनुचित चयन आदि के कारण वांछित अनुसार सफल नहीं हो सकी। यद्यपि बोर्ड इन कमियों से अवगत था फिर भी उसने अब तक (अक्टूबर 2008) कमियों को सुधारने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी।

अतः सम्भावी प्रशिक्षार्थियों की वित्तीय क्षमता पर विचार किए बिना योजना का कार्यान्वयन करने के परिणामस्वरूप न केवल 3.81 करोड़ रु व्यर्थ हुए बल्कि कॉयर रेशा उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए स्व-रोजगार का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया था।

बोर्ड ने अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2009) कि बेकार पड़े हुए रट्स का विवरण एजेंसियों से संगृहीत किया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि रट्स की आपूर्ति में विलम्ब, प्रशिक्षण की आवश्यकता जैसी शिकायतों के संबंध में औपचारिक आंतरिक पूछताछ नहीं की गई थी।

तथापि, रट्स के क्रियाकलाप को मूल्यांकित करने के लिए अनौपचारिक प्रयास किए गए थे, ताकि आवश्यक सुधारक उपाय किए जा सकें।

उत्तर लाभार्थियों द्वारा रट्स की अप्राप्ति, रट्स का विशिष्टीकरण की पुष्टि न करना थे, रट्स निष्क्रिय रखना आदि जैसी व्यापक शिकायतों के मुद्दे पर मौन था। शिकायतों के संबंध में कोई भी औपचारिक जांच पड़ताल नहीं किया जाना इंगित करता था कि बोर्ड ने इन शिकायतों का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए थे।

योजना का प्रभावी निर्धारण प्रबंधन विकास केन्द्र, थिस्वनथापुरम द्वारा किया गया था (जून 2008)। केन्द्र ने योजना के कार्यान्वयन में कच्चे माल की सामग्रियों की खराब गुणवत्ता तथा गैर-उपलब्धता, मशीनों का ठप्प होना तथा बारंबार बिजली की खराबी जैसी विभिन्न कमियों की ओर इंगित किया। अध्ययन ने उपर्युक्त कमियों का पता लगाने के बाद योजना को जारी रखने की अनुशंसा की।

अनुशंसा

- बोर्ड को उनके द्वारा आपूर्त
- रट्स के बेकार रहने तथा विशेष अभियान के अंतर्गत रट्स के वितरण तथा गैर-प्राप्ति से संबंधित शिकायतों के कारणों को अभिनिश्चित करना चाहिए तथा योजना के लक्ष्य को पाने के लिए उपचारी कार्रवाई करनी चाहिए।

4.7.3 ब्राउन फाइबर विकास योजना

बोर्ड नए कॉयर इकाईयों की स्थापना तथा विद्यमान कॉयर इकाईयों के आधुनिकीकरण /नवीकरण के लिए सहकारी समूह के बाहर कॉयर उद्यमियों को वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा था। योजना का उद्देश्य नारियल भूसी के उपयोग में वर्धन एवं मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि पर लक्षित थी। इसमें सहकारी समूह के बाहर के उद्यमियों को उपस्करों की लागत तथा आधारिक संरचना सुविधाएं की 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर विचार किया गया था। 2003-04 से 2007-08 के दौरान योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा वित्तीय लक्ष्यों के विवरण निम्नलिखित हैं:

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	इकाईयां	राशि (करोड़ रूपयों में)	इकाईयां	राशि
2003-04	-	-	58	0.759
2004-05	-	-	48	0.625
2005-06	100	1.50	77	1.45
2006-07	125	1.75	56	0.85
2007-08	150	1.96	152	1.44

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि:

- बोर्ड ने योजना के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य निश्चित करने की प्रणाली को 2005-06 से ही प्रारंभ किया। बोर्ड ने 2005-06 से पहले लक्ष्यों को निश्चित नहीं करने का कोई कारण नहीं दिया है।
- वर्ष 2005-06 के दौरान स्थापित किए जाने वाले 1.50 करोड़ रु के कुल वित्तीय परिव्यय वाले 100 कॉयर इकाईयों के लक्ष्य के प्रति 1.45 करोड़ रु के वित्तीय बाहिंवारह से 77 कॉयर इकाईयों स्थापित की जा सकी। इसी प्रकार, 2006-07 के दौरान 125 कॉयर इकाईयों को स्थापित करने के लिए उद्दिष्ट 1.75 करोड़ रु में से 82 लाख रु केवल 56 कॉयर इकाईयों की स्थापना करने पर व्यय किया गया था। प्रत्यक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रतिशतता 2005-06 तथा 2006-07 में क्रमशः 77 तथा 44.8 रही।
- यह देखा गया कि 150 इकाईयों की स्थापना के लिए 1.96 करोड़ रु के लक्ष्यित वित्तीय परिव्यय के प्रति वर्ष 2007-08 के दौरान 1.44 करोड़ रु की निधियों के अधिक खर्च करने से 152 इकाईयों स्थापित की गई। यह इस बात को दर्शाता है कि बोर्ड ने यथार्थवादी आधार पर लक्ष्य निश्चित नहीं किए।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि वर्ष 2004-07 के दौरान तमिलनाडु तथा आस-पास के क्षेत्रों के सूखे ने ब्राउन फाइबर योजना की प्रगति को प्रभावित किया क्योंकि नई कॉयर इकाईयाँ आरम्भ नहीं की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा ने यह पाया कि मशीनों की अधिक लागत (मशीनों के नाम तथा योजना दिशानिर्देशों में दी गई उसकी लागत के अनुसार) के साथ आर्थिक सहायता का कम उच्च सीमा (25 प्रतिशत) तथा सहकारी सेक्टर का अपवर्जन, योजना की सफलता के मार्ग में संभाव्य स्कावटें थीं।

इस प्रकार, यद्यपि रिपोर्ट की अवधि के दौरान देशभर में ब्राउन फाइबर के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज हुई, इसलिए इसे योजना पर विशेष रूप से आरोपित नहीं किया जा सकता था क्योंकि बोर्ड ने सहायक इकाईयों के निष्पादन संबंधी कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया था।

प्रबंधन विकास केन्द्र ने योजना का संघात निर्धारण किया (जून 2008) तथा लेखापरीक्षा के इस दावे को, कि देशभर में ब्राउन फाइबर के उत्पादन में वृद्धि को योजना के योगदान पर आरोपित नहीं किया जा सकता था, को प्रमाणित किया। केन्द्र ने योजना के कार्यान्वयन में अन्य कमियों जैसे आवेदनों के निपटान के लिए एकल खिड़की की कमी, आर्थिक सहायता के संवितरण में अत्यधिक विलंब, विपणन समस्याओं के कारण सहायक इकाईयों की समाप्ति की ओर भी इंगित किया।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि योजना का निष्पादन अल्प था और बताया (फरवरी 2009) कि योजना की कम स्वीकार्यता राज्य सरकार की अधिक आकर्षक योजनाओं, खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग आदि के कारण भी था। उन्होंने बताया कि योजना की बेहतर शुरुआत करने तथा XI वीं योजना अवधि के दौरान इसको जारी रखने के लिए 1.50 लाख रु प्रति इकाई की मौजूदा आर्थिक सहायता से पांच लाख रु प्रति

इकाई की आर्थिक सहायता की बढ़ोतरी के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त योजना के विषय में पर्याप्त प्रचार पहुंचाने के लिए भी उपाय किये जा रहे थे।

तथापि, उत्तर वर्ष 2005-06 के पहले लक्ष्यों को नियत नहीं किए जाने के मुद्दों तथा वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान अवास्तविक लक्ष्यों को नियत करने पर मौन था।

4.7.4 पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की योजना

पारंपरिक कॉयर उद्योग को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, भारत सरकार ने 97.25 करोड़ रु के अनुमोदित परिव्यय के साथ “ पारंपरिक उद्योगों के नवीकरण के लिए निधि की योजना” (एस एफ यू आर टी आई) शीर्षक एक केन्द्रीय सेक्टर योजना प्रारंभ की (अक्टूबर 2005)। योजना का मुख्य उद्देश्य 2005-06 से शुरु होने वाले पांच वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न भागों में कॉयर समूहों के विकास द्वारा उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा उत्पादक बनाना था। लक्षित सेक्टर तथा सम्भावी लाभार्थियों में कारीगर, श्रमिक, मशीनरी बनाने वाले तथा कच्चा माल उत्पादक आदि शामिल थे। योजना में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, उत्पाद विकास तथा अभिकल्पना हस्तक्षेप, बाजार प्रोत्साहन सहायता एवं क्षमता निर्माण उपायों जैसे विभिन्न घटक थे।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में योजना अभिचालन समिति के अनुमोदन के साथ प्रत्येक समूह के लिए समूह विकास की जिम्मेदारी लेने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ केन्द्र/राज्य सरकारों के गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों तथा अर्ध सरकारी संस्थानों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों (आई ए) को पहचानना था। एजेंसियों को समूह विकास एजेंटों को पहचानना और नियुक्त करना था जो समनुदेशित समूहों में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। समूह विकास एजेंटों के उत्तरदायित्वों में नैदानिक अध्ययन करना, समूहों की वार्षिक कार्रवाई योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन, संस्थानों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना, स्थानीय अभिशासन ढांचे का निर्माण आदि शामिल होंगे। बोर्ड ने योजना की कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी क्षेत्र अधिकारियों (एन ए एफ ओ) के रूप में अपने पांच क्षेत्रीय अधिकारियों को मनोनीत किया। भारत सरकार द्वारा निधियों को समूह आधारित जारी किया जाना था तथा निधियों को प्रत्यक्ष रूप से नोडल एजेंसी को जारी किया जाना था, जो एन ए एफ ओ के माध्यम से पहचानी गई एजेंसियों को निधियां संवितरित करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनुमानित प्रति समूह स्वीकार्य वित्तीय सहायता 80 लाख रु थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नांकित अवलोकित किया:

- बोर्ड ने 2005-06 से शुरु होने वाले पांच वर्षों की अवधि में योजना कार्यान्वयन के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के दो समूह सहित देश के विभिन्न भागों में 26 कॉयर समूहों को पहचाना था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि यद्यपि भारत सरकार ने

योजना के अधीन मार्च 2008 तक 13.15 करोड़ रु की राशि जारी की थी, फिर भी बोर्ड ने एन ए एफ ओ को 12.08 करोड़ रु संस्वीकृत किए किन्तु केवल 5.80 करोड़ रु जारी किए। इसने शेष 6.28 करोड़ रु को बैंकों में आवधिक जमा/बचत बैंक खाते में रखा। एन ए एफ ओ ने 25 समूहों के विकास के लिए आई ए को केवल 1.27 करोड़ रु जारी किए (अगस्त 2008)। इस प्रकार, अगस्त 2008 को समूहों के विकास पर वास्तविक व्यय केवल 1.27 करोड़ रु हुआ था जबकि बोर्ड ने एन ए एफ ओ को संस्वीकृत पूरी राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार, उपयोग प्रमाणपत्र एन ए एफ ओ को जारी निधियों के वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं था।

- भारत सरकार द्वारा जारी 13.15 करोड़ रु में से 1.01 करोड़ रु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के लिए उद्दिष्ट थे। यद्यपि बोर्ड ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 75 लाख रु (असम के लिए 0.45 करोड़ रु तथा त्रिपुरा के लिए 0.30 करोड़ रु) संस्वीकृत किए फिर भी अगस्त 2008 के अंत तक असम में किया गया वास्तविक व्यय केवल 2 लाख रु था। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि आई ए को पहचानने में विलंब होने से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ क्योंकि त्रिपुरा के लिए आई ए को जुलाई 2008 में देर से पहचाना गया था।
- चूंकि अधिकांश कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता कार्यक्रमों, उद्घाटन दौरे तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी जैसे पूरक कार्यकलापों से आगे नहीं बढ़ सकी, इसलिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का अधिकांश भाग लक्ष्यांकित प्रवर्गों को बिना कोई लाभ पहुंचाए अव्ययित रह गया।
- बोर्ड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा कहा (सितम्बर 2008) कि आई ए द्वारा निधि के उपयोग की प्रगति बहुत धीमी थी और इसलिए उनको निधियां पूर्ण रूप से जारी नहीं की जा सकी। बोर्ड ने कार्यान्वयन के तीन वर्षों के बाद भी योजना के संघात का निर्धारण नहीं किया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2009) कि विलम्ब मुख्य रूप से कॉयोर गुच्छों तथा क्रियान्वयन अभिकरणों की पहचान करने, कार्मिकों को प्रशिक्षण आदि जैसी प्रक्रियाओं हेतु लिए गए अधिकतम समय के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, चूंकि सामान्य सुविधा केन्द्रों हेतु लाभार्थियों की क्षमता उनके अंशों को सन्निविष्ट करने के लिए बहुत ही कम थी इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जानी थी। मंत्रालय ने क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों में विलम्ब के लिए समूह आधारित विकास के नए विचार का सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए गैर-परम्परागत क्षेत्रों की अनिच्छा पर आरोपित किया। अप्रयुक्त निधियों के संबंध में, मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि कार्ययोजना के अनुसार, समग्र निधि को 31 मार्च 2009 के पहले प्रयुक्त कर लिया जाएगा।

अनुशंसा

- बोर्ड को समूहों के विकास में वास्तविक रूप से उपयोग की गई निधियों के संबंध में न कि एन ए एफ ओ को मंजूर की गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए।

4.7.5 नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजना

भारत सरकार ने XI वीं योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के दौरान 243 करोड़ रु के परिव्यय के साथ कॉयर उद्योग के “नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन” (आर ई एम ओ टी) के लिए एक नई केन्द्रीय सेक्टर योजना का अनुमोदन किया (मार्च 2008) जिसमें भारत सरकार का 99 करोड़ रु का अनुदान शामिल था। योजना में 40 प्रतिशत सरकारी अनुदान, पांच प्रतिशत लाभार्थी अंशदान तथा भाग लेनेवाले बैंकों से शेष 55 प्रतिशत आवधिक ऋण के लिए विचार किया गया था। बोर्ड को योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में मनोनीत किया था। कताई सेक्टर में उचित वर्क-शेड की व्यवस्था करने तथा पारंपरिक पुरानी रट्स का मोटरचालित रट्स से प्रतिस्थापन करने के लिए समर्थ बनाने तथा बहुत छोटे/घरेलू सेक्टर के पारंपरिक करघों के स्थान पर मशीनी करघों को प्रतिस्थापित करते हुए कताई तथा बहुत छोटे/घरेलू बुनाई इकाईयों के धारणीय विकास को सुकर बनाने के लिए योजना को पथ प्रदर्शक आधार पर आरम्भ किया गया था। योजना में 4000 कताई इकाईयों तथा 3200 छोटे घरेलू इकाईयों को सहायता प्रदान करने पर विचार किया गया। कताई तथा छोटे घरेलू सेक्टर की मानक परियोजना लागत क्रमशः 2 लाख तथा 5 लाख रु थी।

सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 2007-08 के दौरान 10 करोड़ रु के परिव्यय को अनुमोदित किया।

2007-08 के 10 करोड़ रु के कुल परिव्यय के प्रति भारत सरकार ने बोर्ड को 9 करोड़ रु जारी किए (मार्च 2008) किन्तु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट 1 करोड़ रु की राशि को जारी नहीं किया। 9 करोड़ रु में से, 650 आवेदकों के लिए अभिप्रेत 8.80 करोड़ रु तीन भाग लेनेवाले बैंकों को अंतरित किया गया था (मार्च 2008)। 20 लाख रु की शेष राशि को आधार-रेखा सर्वेक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों आदि के संचालन हेतु उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया था।

योजना के संचालनीय दिशानिर्देशों में यह अनुबद्ध किया गया था कि बैंक को बोर्ड से केन्द्रीय आर्थिक सहायता की प्राप्ति के 10 कलैन्डर दिनों के अंदर लाभार्थियों को आवधिक ऋणों की पूरी प्रमात्रा जारी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि 12.10 करोड़ रु (22 करोड़ रु की कुल परियोजना लागत का 55 प्रतिशत) के कुल आवधिक ऋण राशि को समाविष्ट करते हुए 650 आवेदनों के स्थान पर बोर्ड ने मार्च 2008 को तीन भाग लेनेवाले बैंकों (केनरा

बैंक, इंडियन बैंक तथा इंडियन ओवरसीस बैंक) को 8.80 करोड़ रु (परियोजना लागत का 40 प्रतिशत) अंतरित किया। तथापि भाग लेनेवाले बैंकों ने अगस्त 2008 को 78 कताई एवं 146 छोटे/घरेलू इकाईयों को केवल 1.87 करोड़ रु का आवधिक ऋण जारी किया। 1.87 करोड़ रु के आवधिक जमा के प्रति केन्द्रीय आर्थिक सहायता का तदनुसूची हिस्सा 1.36 करोड़ रु बनता था। इस प्रकार, भाग लेने वाले बैंकों ने 7.44 करोड़ रु की केन्द्रीय आर्थिक सहायता की प्राप्ति के 10 कलेंडर दिनों के अंदर कोई आवधिक ऋण जारी नहीं किया।

बोर्ड ने बताया (सितंबर 2008) कि योजना कार्यान्वयन के पहले चरण में थी तथा बैंक दो चरणों, पहला कार्य-शेड के निर्माण के लिए तथा दूसरा मशीनरी की खरीद के लिए आवधिक ऋणों को जारी करेगा। शेष 426 आवेदकों के लिए भाग लेने वाले बैंक अभी भी उनके परिसर के स्थानिक निरीक्षण की प्रक्रिया में थे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि बैंकों द्वारा ऋणों की स्वीकृति में विलम्ब, बैंकों द्वारा किसी भी ऋण को दिए जाने के पहले भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिमान के अनुसार, बैंकों को परिसरों का निरीक्षण, लेनदारों की क्षमता को जानना तथा भौतिक सत्यापन किये जाने के कारण था। विलम्ब को स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने बताया कि दिशानिर्देशों में कोई विरोधाभास नहीं था।

बोर्ड और मंत्रालय का उत्तर योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है जो उनके पास आर्थिक सहायता को जमा करने के बाद बैंकों द्वारा अवधि ऋण की पूरी राशि को जारी करने के लिए 10 दिनों की अवधि पर विचार करता था।

अनुशंसा

- भाग लेनेवाले बैंको को केन्द्र योजना के अंतर्गत समग्र केन्द्रीय आर्थिक सहायता जारी करने की वर्तमान पद्धति की समीक्षा की जाए तथा बैंकों द्वारा भारी शेषों के प्रतिधारण से बचने के लिए योजना की शर्तों को तदनुसार आशोधित किया जाए।

4.7.6 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कॉयर उद्योग का विकास

भारत सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उद्यमशील विकास कार्यक्रमों, दस्तकारी विकास कार्यक्रमों, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के बजट का 10 प्रतिशत अलग करता आ रहा है। तथापि, बोर्ड ने इन कार्यक्रमों को मुख्यतः विद्यालयों और आंगनवाडियों को चटाइयों की निःशुल्क आपूर्ति, प्रचार, विज्ञापन, प्रशिक्षण आदि तक सीमित रखा। मार्च 2008 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के प्रत्यक्ष लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

वर्ष	जागरूकता कार्यक्रम		प्रशिक्षण कार्यक्रम		प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
2003-04	-	-	-	-	90
2004-05	-	-	6	6	84
2005-06	-	-	6	6	88
2006-07	5	5	10	10	69
2007-08	1	1	10	10	340

- उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों हेतु कोई लक्ष्य तय नहीं किए गए थे, जबकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकरण में बोर्ड ने केवल 2004-05 के बाद से लक्ष्य तय करना प्रारम्भ किया।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदानों, आबंटित निधियां तथा उपलब्धियों के विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	प्राप्त अनुदान (योजना)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आबंटन	व्यय					कुल
			जागरूकता/क्यू आई पी कार्यक्रम	प्रचार/विज्ञापन	प्रशिक्षण	चटाई की निःशुल्क आपूर्ति	अन्य	
2003-04	17.04	1.80	--	0.08	0.004	0.26	0.09	0.43
2004-05	16.79	1.80	0.08	0.12	0.009	0.60	--	0.81
2005-06	35.81	1.00	--	0.26	0.40	--	0.28	0.94
2006-07	29.40	1.00	0.29	0.24	0.22	0.21	0.04	1.00
2007-08	42.37	1.30	0.01	0.46	0.05	0.30	0.18	1.00
कुल	141.41	6.90	0.38	1.16	0.68	1.37	0.59	4.18

- उपरोक्त से यह देखा जाए कि 2005-06 से 2007-08 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को उद्दिष्ट निधियां, बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदानों के अनुबद्ध 10 प्रतिशत के प्रति केवल 3.06 प्रतिशत थी।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट 6.90 करोड़ रु में से बोर्ड द्वारा केवल 4.18 करोड़ रु (61 प्रतिशत) का व्यय किया जा सका था।
- 2003-04 से 2007-08 के दौरान विद्यालयों और आंगनवाडियों को चटाइयों की निःशुल्क आपूर्ति पर व्यय, उपयोग की गई निधियों का 33 प्रतिशत था। चटाइयों की निःशुल्क आपूर्ति पर व्यय को कॉयर उद्योग के विकासात्मक कार्यक्रमों पर व्यय नहीं समझा जा सकता था।
- यद्यपि बोर्ड ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 4.18 करोड़ रु का व्यय किया, फिर भी, वह क्षेत्र में उद्योग को लोकप्रिय नहीं बना सका तथा लाभार्थियों द्वारा केन्द्रीय सेक्टर रोजगार उत्पन्न करने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठाया जा सका क्योंकि मार्च 2008 तक के अनुसार असम में केवल छः कॉयर इकाईयां पंजीकृत की गई थी। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र के अन्य राज्यों

में कोई भी इकाई को पंजीकृत नहीं किया गया था जिसने योजनाओं के मंद कार्यान्वयन को दर्शाया।

- प्रचार तथा विज्ञापन पर कुल व्यय के लगभग 28 प्रतिशत (1.16 करोड़ रु) का व्यय करने के बावजूद पर्याप्त कॉयर संबंधी कार्यकलापों को प्रारंभ नहीं किया जा सका।

बोर्ड ने यह स्वीकार किया कि अधिकांश उत्तर-पूर्वी राज्यों में कॉयर-संबंधी कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए जा सके।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि XIवीं योजना अवधि के दौरान नयी योजनाओं को आरम्भ करने तथा मौजूदा योजनाओं के सुधार के साथ, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निधियों का उपयोग अधिक विकासात्मक मध्यस्थता के साथ बढ़ेगा।

अनुशांसा


- बोर्ड को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कारीगरों और उद्यमियों के बीच योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने विस्तार कार्यकलापों को सुगम और कारगर बनाना चाहिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट बजट के दस प्रतिशत का उपयोग क्षेत्र के लिए अभिप्रेत योजनाओं पर पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए।

4.8 बोर्ड के वाणिज्यिक कार्यकलाप

4.8.1 हिन्दुस्तान कॉयर

हिन्दुस्तान कॉयर (फैक्टरी) की स्थापना आलपुष्पा में वर्ष 1968 में हुई जिसने कॉयर उद्योग के चटाई सेक्टर में यंत्रीकरण को प्रारंभ करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक उत्पादन 1 जनवरी 1969 से प्रारंभ किया। फैक्टरी में उत्पादित चटाइयों का परेषण आधार पर, बोर्ड के शोरूमों तथा बिक्री डिपों के माध्यम से मुख्यतः विक्रय किया गया था। निम्नांकित ग्राफ रिपोर्ट की अवधि के दौरान लक्ष्यों एवं उपलब्धियों तथा करघों के निष्क्रिय समय के विषय में फैक्टरी के निष्पादन को दर्शाता है।


हिन्दुस्तान कॉयर फैक्टरी का निष्पादन



लक्ष्य (वर्गमीटर लाख में)

उत्पादन (वर्गमीटर लाख में)

करघों के निष्क्रिय समय के विवरण



जैसे कि अनुबंध -III में दर्शाया गया है, 4.07 लाख व.मी. की संस्थापित वार्षिक क्षमता के प्रति, 2003-04 से 2005-06 वर्षों के लिए निश्चित वार्षिक लक्ष्य 3 लाख व.मी. था तथा 2006-07 एवं 2007-08 के लिए यह 2.5 लाख व.मी. था। वार्षिक लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियां 2003-04 से 2007-08 के दौरान 52 से 71 प्रतिशत के बीच थी। 2006-07 तथा 2007-08 को छोड़कर, रिपोर्ट की पूरी अवधि के दौरान फैक्ट्री घाटे में चल रही थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने निम्नांकित देखा:

- जैसे कि अनुबंध -IV में दर्शाया गया है, 2003-04 से 2007-08 के दौरान करघों का निष्क्रिय समय 60 से 67 प्रतिशत के बीच था जबकि प्रचालन घंटे, कुल घंटों के 33 से 40 प्रतिशत के बीच थे। करघे मशीनी खराबी (10 से 18 प्रतिशत), सूत की कमी (15 से 38 प्रतिशत) तथा श्रमिकों की कमी (16 से 28 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप निष्क्रिय रहे। प्रबंधन ने इन समस्याओं का पता लगाने के लिए सम्मिलित प्रयास नहीं किए।
- फैक्ट्री ऐसी चटाइयां बना रहा थी जो आंतरिक साज-सज्जा सेक्टर के उभरती प्रवृत्ति को जुटा नहीं रहा था। चटाइयों में जटिल तथा संशोधित डिजाइन के उत्पादन के लिए 14 लाख रु की लागत पर 1984 में खरीदे गए तथा 1987 में संस्थापित 46576 लाख व.मी. की संस्थापित वार्षिक क्षमता वाले जाक्वार्ड करघे ने उत्पादन में 2003-04 के दौरान 10475 व.मी. से 2006-07 के दौरान 340 व.मी. की गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शाई। मुख्य मरम्मतों के अभाव के कारण फरवरी 2007 से करघा निष्क्रिय पड़ा था।
- 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान फैक्ट्री द्वारा दर्ज किया गया न्यूनतम लाभ मुख्यतः कथित अवधि के दौरान क्रमशः प्राप्त 24 लाख रु तथा 29 लाख रु के विपणन विकास सहायता (एम डी ए) के कारण था।

- 31 मार्च 2008 तक के अनुसार फैक्टरी, शोरूमों एवं बिक्री डिपों के तैयार माल के अंतिम स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन ने 63 लाख रु मूल्य के स्टॉक की कमी को प्रकट किया जो फैक्टरी में अपर्याप्त सामान सूची नियंत्रण को दर्शाता था।

बोर्ड ने, रिक्त पदों को नहीं भरने के साथ-साथ 30 प्रतिशत तक कच्चे माल की मूल्य वृद्धि के होते हुए भी हानियों को चटाइयों के मूल्य के गैर-संशोधन पर आरोपित किया।

बोर्ड ने बताया (अगस्त 2008) कि स्टॉक में परिवर्तन आरम्भ से ही गैर-समाधान के कारण है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि उत्पादन पक्ष के साथ-साथ वित्तीय पक्ष में फैक्टरी के निष्पादन को सुधारने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे थे।


अनुशंसा

- कारीगरों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना, पुरानी मशीनों पर निर्भरता को कम करना, उभरते उपभोक्ता अभिसर्चियों के अनुकूल मूल्य वर्धित उत्पाद तथा नवप्रवर्तित डिजाइनों द्वारा हिन्दुस्तान कॉयर के निष्पादन को सुधारने के लिए बोर्ड द्वारा सम्मिलित प्रयास किया जाना चाहिए।

4.8.2 शोरूमों/बिक्री डिपो के निष्पादन

बोर्ड अपने उत्पादों के विपणन उद्देश्य हेतु देश के विभिन्न भागों में 30 शोरूम/बिक्री डिपो चलाता है। यह बिक्री के लिए अभिप्रेत कॉयर उत्पाद विनिर्माताओं से परेषण आधार पर प्राप्त करता है तथा बेची गई मर्दों पर निर्भर करते हुए 15 से 25 प्रतिशत के बीच की दरों पर अपनी बिक्री पर कमीशन प्राप्त करता है। निम्नांकित ग्राफ मार्च 2008 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान शोरूमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाता है।

शोरूमों का कार्यचालन परिणाम



लक्ष्य (करोड़ रु में) उपलब्धि (करोड़ रु में)

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि:

- 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान बिक्री की उपलब्धि लक्ष्यों की तुलना में 56.70 से 79.31 प्रतिशत के बीच रही तथा उपरोक्त अवधि के दौरान हानियां 1.01 करोड़ रु से 1.28 करोड़ रु की सीमा में थीं जैसे कि अनुबंध-V-क में दर्शाया गया है।
- कुल बिक्री से फैक्टरी उत्पादों की बिक्री का प्रतिशत केवल 34 था। सात चयनित शोरूमों के नमूना जांच ने यह प्रकट किया कि कुल बिक्री के प्रति फैक्टरी उत्पादों की बिक्री की प्रतिशतता केवल 28 थी जैसे कि अनुबंध-V-ख में दर्शाया गया है।

बोर्ड ने एम डी ए के कार्यान्वयन के बाद छूट योजना की समाप्ति, सस्ते प्राकृतिक तथा सिन्थेटिक अनुकल्पों से प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूल शोरूम अवस्थिति, शोरूमों के किराया में वृद्धि आदि पर शोरूमों के बुरे निष्पादन को आरोपित किया अगस्त 2008।

तथापि, बोर्ड ने बिक्री को बढ़ाने के लिए इन प्रतिबंधों को पार करने के लिए कोई उपचारी उपाय नहीं किए थे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि उनके आर्थिक व्यवहार्यता को सुधारने के लिए दर्शकगृहों को पुनःस्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

ए.पी.आई.टी.सी.ओ.लि., हैदराबाद द्वारा जून 2008 में किए गए अध्ययन ने भी लेखापरीक्षा के इस तर्क को प्रमाणित किया कि अधिकांश शोरूम बिक्री लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इस अध्ययन ने उत्साही विपणन योजना की कमी, उत्पादों का अप्रभावी मूल्यांकन, अपर्याप्त प्रचार, अल्प आधारभूत संरचना सुविधाएं, ग्राहक संतुष्टि को प्रेरित करने के लिए उपायों की कमी आदि जैसी कमियों को भी उजागर किया।

अनुशंसा

- बोर्ड को शोरूमों के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा अव्यवहार्य शोरूमों को बंद करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा आधुनिक व्यवसाय प्रक्रिया को अपनाकर शेष शोरूमों के कार्य को पुनः नया रूप देना चाहिए।

4.9 बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों का कार्य

बोर्ड के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को दो अनुसंधान संस्थानों अर्थात् केन्द्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान (सी.आई.सी.टी.), आलप्पुझा तथा केन्द्रीय कॉयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.सी.टी.), बेंगलूर के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जहां सी सी आर आई सफेद फाइबर² में अनुसंधान पर संकेन्द्रित है, वहीं सी.आई.सी.टी. ब्राउन फाइबर³ के उपयोग में अनुसंधान का उत्तरदायित्व लेता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए जारी 29.02 करोड़ रु के प्रति लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिपादित अवधि के दौरान 29.15 करोड़ रु का उपयोग किया गया था।

ये दोनों संस्थान वर्षों से, कॉयर रेशे के कर्षण तथा प्रसंस्करण, कॉयर मशीनरी के विकास और उत्पाद विकास एवं कॉयर व कॉयर के उत्पादों के बहुविध उपयोग के क्षेत्र में अनेक प्रसिद्ध आर एवं डी संस्थानों के सहयोग के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से अनुसंधान संचालित करते रहे थे।

4.9.1 नई मशीनों का विकास

यद्यपि संस्थान नई मशीनरी के विकास में कुछ प्रगति प्राप्त कर सका था, फिर भी लेखापरीक्षा को नई मशीनों के विकास पर निष्फल परिव्यय के कुछ उदाहरणों का पता लगा।

4.9.1.1 नारियल रेशे से कणिका बोर्ड के उत्पादन के लिए मशीन का विकास

बोर्ड ने पीएसजी पोलिटेक्निक कालेज लकड़ी के अनुकल्प के रूप में कोमल नारियल रेशे का उपयोग कर कणिका बोर्ड के उत्पादन के लिए मशीन के विकास हेतु 82 लाख रु की लागत के प्रति सितंबर 2003 तथा अप्रैल 2004 के बीच 66 लाख रु जारी किए। बोर्ड ने क्योंकि संयंत्र के बड़े आकार के कारण मशीन को न तो सीसीआरआई न ही सीआईसीटी में समायोजित किया जा सका था, उद्भवन केन्द्र के रूप में संयंत्र को कुछ समय के लिए कालेज में स्वयं ही प्रचालित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग कॉयर उद्योग के लाभ के लिए नहीं किया जा सका, जिससे डाब की भूसी के उपयोग में वृद्धि की जा सकती तथा महत्वपूर्ण सीमा तक वन संसाधनों के रिक्तीकरण से बचा जा सकता था।

² रेटेड नारियल भूसी से प्राप्त रेशा (ग्यारह महीनों के लिए खारे पानी में डुबाकर रेशे को नरम करने की प्रक्रिया)

³ गैर-रेटेड नारियल भूसी से प्राप्त रेशा

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (फरवरी 2009) कि वह पोलैची में एक भवन में मशीन संस्थापित करेगा जो क्षेत्रीय कार्यालय तथा परीक्षण प्रयोगशाला को जगह देगा।

4.9.2 जियोटैक्सटाईल को प्रोत्साहन

कॉयर भूवस्त्र (कॉयर जियो टैक्सटाईल), जो दुनिया भर में व्यापक रूप से मुख्यतः मिट्टी के क्षरण का प्रतिरोध करने तथा विविध सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, में असीम वृद्धि क्षमता प्राप्त की है। यद्यपि बोर्ड जियो टैक्सटाईल के प्रोत्साहन के लिए पहल कर रहा है, फिर भी यह धारणा ने देश में लोकप्रियता प्राप्त नहीं की है। बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2008) कि जागरूकता की कमी, प्रौद्योगिकी के प्रयोग की कमी, कॉयर जियो टैक्सटाईल का उद्गम तथा अत्यधिक भाड़ा प्रभाओं को देशभर में जियो टैक्सटाईल की लोकप्रियता प्राप्त नहीं करने के मुख्य कारण थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) ने सी सी आर आई द्वारा तैयार जियो टैक्सटाईल के लिए मसौदा स्पष्टीकरणों को अनुमोदित किया था (अगस्त 2007), इस बात को सरकारी तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया। जियो टैक्सटाईल को अभी राज्य/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची में एक मद के रूप में शामिल करने थे तथा सड़को, राजमार्गों/रेलवे तथा नहर बान्धों में भू-क्षरण के स्थिरीकरण तथा रोकथाम के लिए जियो टैक्सटाईल के प्रयोग के लिए भारी संभावना अप्रयुक्त रही।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि बी आई एस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के लिए प्रयास किये गए थे। इसके अतिरिक्त, उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन एक शृंखला संचालित की गई थी। उन्होंने सड़कों, पहाड़ी ढलानों आदि को संरक्षित करने के लिए जिओटेक्सटाइल कॉयर के प्रयोग हेतु रक्षा मंत्रालय से भी सम्पर्क किया था।

बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के दल ने अनुसंधान संस्थानों द्वारा कार्यान्वित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के संघात निर्धारण का मूल्यांकन किया (फरवरी 2008)। दल ने इंगित किया कि अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए कार्यकलाप कॉयर उद्योग के विकास में हितकारी थे तथा बोर्ड द्वारा विचार किए गए उद्देश्यों के साथ सामंजस्य में थे।

अनुशंसाएं

- बोर्ड को भू जैव-इंजीनियरिंग तथा क्षरण-प्रतिरोधी प्रयोगों में जियो टैक्सटाईल की भारी संभावना को काम में लाने के लिए सम्मिलित प्रयास करना चाहिए।
- बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित नई प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों के अंतरण पणधारियों को समुचित तथा समयबद्ध तरीके से किए जाते हैं।

4.10 अन्य योजनाएं

4.10.1 प्रशिक्षण केन्द्रों/उत्पादन केन्द्रों के गैर-अंतरण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय

बोर्ड द्वारा स्थापित छह प्रशिक्षण/प्रदर्शन-सहउत्पादन केन्द्रों^{*} में से दो 2001 में राज्य सरकारों को सौंपे गए तथा एक को 2001 में बंद कर दिया था। शेष केन्द्रों के कार्यकलापों को मार्च 2001 से रोक दिया गया था तथा जनवरी 2002 से कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया था। तथापि, न्यायालय आदेश के कारण कर्मचारियों की नियुक्ति को जारी रखना पड़ा। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रों को अधिकार में लेने से इन्कार बोर्ड की ओर से हुई चूक के कारण थी, जो निम्नवत है:

- केन्द्रों की सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा किए गए अनुबद्ध के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी थी। बोर्ड ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सभी केन्द्रों के कर्मचारियों को नियुक्त किया। बोर्ड कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए फाइल किए गए मामलों के लंबित निपटान के कारण उनकी छंटनी नहीं कर सका।
- बोर्ड ने केन्द्रों, जिन्हें राज्य सरकारों के पक्ष में स्थापित किया गया था, की स्थापना से पहले बोर्ड ने एक निर्धारित अवधि के पश्चात् केन्द्रों को अधिकार में लेने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से आश्वासन प्राप्त नहीं किया था।

यद्यपि 31 मार्च 2001 से केन्द्रों के कार्यकलाप रोक दिए गए, फिर भी बोर्ड अब भी तंजावूर, राजमुन्त्री तथा भुवनेश्वर के इन तीनों केन्द्रों पर व्यय कर रहा था। 2001-02 से 2007-08 तक तीन केन्द्रों के अनुसंधान की लागत 1.04 करोड़ रु थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि केन्द्रों का अन्तरण नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों ने उसका भार संभालने से अपने को अलग रखा। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उप-केन्द्रों को अब एक जगह लाने के लिए भवनों एवं उपकरण उपयोग किया जा रहा था जो क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण, विस्तार, प्रदर्शन आदि को सुकर बनाएगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड को सम्बन्धित राज्य सरकारों से, उनकी ओर से केन्द्रों की वास्तविक रूप से स्थापना करने से पहले, एक विशिष्ट अवधि के बाद केन्द्रों का भार लेने के सम्बन्ध में आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

^{*} (i) कर्नाटक में अरसीकारा (ii) तमिलनाडु में तंजावूर (iii) आन्ध्रप्रदेश में राजमुन्त्री तथा (iv) नरापुरम (v) उड़ीसा में भुवनेश्वर तथा (vi) असम में नलबाड़ी

4.11 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण, प्रवर्तनों की दक्षता और प्रभावकारिता, लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन तथा सुवस्थित वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में किसी स्थापना के उद्देश्यों की उपलब्धि संबंधी यथोचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है।

बोर्ड के चयनित क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा ने निम्नांकित को प्रकट किया:

- यद्यपि मार्च 2008 के अंत तक बोर्ड के पास 11.54 करोड़ रु मूल्य की स्थायी परिसंपत्तियां थीं, किन्तु स्थायी परिसंपत्तियों पंजी का निर्धारित प्रपत्र (जी एफ आर 40) में अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।
- आज की तारीख (मार्च 2008) तक बोर्ड द्वारा लेखाकरण, खरीद तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के इन क्षेत्रों के कार्यकलापों को विनियमित करने तथा सुप्रवाही बनाने के लिए कोई नियम पुस्तिका तैयार नहीं की गई है।
- मार्च 2008 के अंत तक केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग को निक्षेप कार्यों के लिए दिए गए 2.60 करोड़ रु के अग्रिम गैर-समायोजित रह गए, जिसमें से 1.47 करोड़ रु 1989-90 से 2002-03 की अवधि से संबंधित थे। इतनी लंबी अवधि के लिए इन अग्रिमों का गैर-समायोजन कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेतक है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के अधिकारी को लेखा/वित्त स्कंध भी सौंपा गया था। यह न केवल कर्तव्यों के गैर-पृथक्करण को दर्शाता था बल्कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के स्वतंत्र कार्य को भी प्रभावित कर सकता था।
- बोर्ड की क्षेत्र विरचनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा एक से नौ वर्षों की सीमा की अवधि के लिए बकाया थी। बोर्ड की नई दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय की पिछले नौ वर्षों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), केरल, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन बोर्ड की लेखापरीक्षा का संचालन करता तथा मुख्य अनियमितताओं को निरीक्षण रिपोर्टें (नि.रि.) के माध्यम से सूचित किया जाता है। अक्टूबर 2008 तक सात नि.रि. से संबंधित 100 पैराग्राफ बकाया थे जिनमें 2001 से आगे की अभ्युक्तियां शामिल थीं। इन अभ्युक्तियों के अनुवर्तन की कमी के कारण प्रबंधन इन नि.रि. में इंगित कमियों को सुधार नहीं सका।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2009) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई चूकों को ठीक किए जाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी तथा कर्मचारी गणों

की पुनर्नियुक्ति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जा रहे थे।

अनुशंसा

- बोर्ड को अपनी आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

4.12 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि बोर्ड ने कॉयर उद्योग के सतत विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक तथा प्रवर्तनात्मक योजनाओं का उत्तरदायित्व लिया था। विभिन्न विकासपरक तथा प्रवर्तनात्मक योजनाओं के मंद कार्यान्वयन, निधियों का गैर-उपयोग, लाभार्थियों का अनुचित चयन, श्रम एवं सूत की कमी, पुरानी मशीनरी पर निर्भरता, अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि पर आरोप्य है। एस एफ यू आर टी आई तथा आर ई एम ओ टी जैसी योजनाएं जिनकी समयबद्ध कार्रवाई योजनाओं पर विचार किया गया था, के कार्यान्वयन भी आधारभूत वास्तविकता पर विचार किए बिना अत्यन्त आशावादी प्रक्षेपणों के कारण की गई अपेक्षा अनुसार आगे नहीं बढ़ा था। अवधि के दौरान अनुसंधान पर 29.00 करोड़ रु से अधिक व्यय करने पर भी नए उत्पादों, मशीनरी के संबंध में उपलब्धियाँ तथा व्यापार के प्रौद्योगिकी प्रचार यथेष्ट के विपरीत था।

आभारोक्ति

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा को दिए गए सहयोग तथा सहायता के लिए हम आभारी हैं।

अनुबंध I
(पैराग्राफ 4.5 में संदर्भित)

नमूना जांच किए क्षेत्र संघटनों के विवरण

केरल	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), केरल, तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम, कोच्ची तथा त्रिचूर/क्षेत्रीय कार्यालय के शोरूम कण्णूर/हिन्दुस्तान कॉयर, आलाप्पुझा/केन्द्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान, आलाप्पुझा /राष्ट्रीय कॉयर प्रशिक्षण एवं अभिकल्पना केन्द्र, आलाप्पुझा
कर्नाटक	प्रधान महालेखाकार (सी एवं सी ए), कर्नाटक, बैंगलुरु	क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु/शोरूम, बैंगलुरु/कॉयर प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, बैंगलुरु
तमिलनाडु	प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), तमिलनाडु एवं पाण्डेचेरी, चैन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय, पोल्लाची/कॉयर अनुसंधान तथा विस्तार केन्द्र, तेन्काशी, मदुरै तथा चैन्नई के शोरूम
असम	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी	शोरूम, गुवाहाटी/उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

अनुबंध II

(पैराग्राफ 4.6 में संदर्भित)

योजना निधि से उपचित गैर-योजना व्यय के वर्ष वार विवरण
(योजना निधि ट्रायल बैलेंस से संकलित)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
लेखाकरण प्रभार	-	-	-	370788	-
लेखापरीक्षा शुल्क	22230	10970	32260	62025	121235
बैंक प्रभार	-	-	-	-	34345
एन पी एस को अंशदान	-	-	-	43499	67262
कैन्टीन आर्थिक सहायता	-	-	-	-	10968
सी बी पेंशन लेखा	-	-	-	-	7269342
सी बी आई आई सी एफ	-	-	-	-	2121964
परामर्श शुल्क	-	-	-	-	894752
विजली तथा जल प्रभार	567922	978711	771587	6478478	3840413
सामान्य व्यय	1321686	969000	1215619	5009267	6151125
आतिथ्यता	-	-	-	129990	317786
एल टी सी	-	-	-	-	1575046
कानूनी प्रभार	54855	49867	45131	72070	157150
स्टाफ कार का अनुस्क्षण	145850	66787	92428	20103	115485
चिकित्सा अग्रिम	-	25200	19343	19343	-
अधिसूचना प्रभार	1591150	1565201	-	14850	205398
पेंशन योगदान	1455400	1429792	4151834	11600877	6849570
डाक-व्यय	74166	158230	126040	574378	1057952
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	149800	312770	1411725	2454297	2098900
उद्यान वस्तुओं की खरीद	-	-	-	-	7470
दर तथा कर	230579	165480	21670	224986	306412
किराया	2059961	2115640	2539203	2660573	5593454
मरम्मत तथा अनुस्क्षण	-	-	420086	88410	206678
वेतन	18662798	21420557	23828589	41225692	58851611
पत्रिका के लिए अंशदान	71438	77634	97145	140262	281133
यात्रा अग्रिम	1296775	1539393	2898488	740006	4209062
टेलिफोन प्रभार	299285	298533	410313	1144146	1691318
अस्थायी अग्रिम	372324	471458	660548	902768	714542
यात्रा व्यय	5452607	3338695	7028098	8401788	12571908
वाहन व्यय	77991	64647	6583	9241	9241
मजदूरी	694000	620155	983786	991241	4968111
कुल	34600817	35678720	46760476	83379078	122299633

अनुबंध III

(पैराग्राफ 4.8.1 में संदर्भित)

2003-04 से 2007-08 की अवधि के लिए हिंदुस्तान कॉयर फैक्टरी का निष्पादन

वर्ष	लक्ष्य वर्ग मीटर (लाख में)	उत्पादन वर्ग मीटर (लाख में)	उपलब्धि की प्रतिशतता	लाभ (+) /हानि (-) (करोड़ रुपयों में)
2003-04	3	1.96	65.33	-0.28
2004-05	3	2.12	70.66	-0.23
2005-06	3	1.56	52.00	-0.49
2006-07	2.5	1.75	70.00	0.05
2007-08	2.5	1.76	70.40	0.24

अनुबंध- IV

(पैराग्राफ 4.8.1 में संदर्भित)

करघों के निष्क्रिय समय के विवरण

वर्ष	उत्पादन वर्ग मीटर (लाख में)	कार्यचालन समय (प्रतिशतता)	मशीनी मरम्मत (प्रतिशतता)	इलेक्ट्रिकल मरम्मत (प्रतिशतता)	सूत की कमी (प्रतिशत)	श्रमिकों की कमी (प्रतिशत)
2003-04	1.96	37	18	2.5	27	15.5
2004-05	2.12	39	15	3	15	28
2005-06	1.56	33	11	2	38	16
2006-07	1.75	38	15	1	23	23
2007-08	1.76	40	10	1	28	21

अनुबंध -V ए
(पैराग्राफ 4.8.2 में संदर्भित)

शोरूमों एवं बिक्री डिपों के कार्यचालन परिणाम

वर्ष	बिक्री लक्ष्य (करोड़ रुपयों में)	बिक्री प्राप्ति (करोड़ रुपयों में)	प्राप्ति की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	आय (करोड़ रुपयों में)	व्यय (करोड़ रुपयों में)	लाभ (+) हानि (-) (करोड़ रुपयों में)
2003-04	12.82	7.27	56.70	1.06	2.07	- 1.01
2004-05	12.77	7.63	59.75	1.02	2.18	- 1.16
2005-06	12.80	7.55	58.98	1.12	2.36	- 1.24
2006-07	12.80	7.81	61.03	1.12	2.40	- 1.28
2007-08	13.00	10.31	79.31	1.38	2.53	- 1.15

अनुबंध -V बी
(पैराग्राफ 4.8.2 में संदर्भित)

शोरूमों एवं बिक्री डिपो के निष्पादन की नमूना जांच

शोरूम का नाम	2003-04 से 2007-08 तक के वर्षों के लिए आंकड़े			लक्ष्य की तुलना में बिक्री उपलब्धि की प्रतिशतता	कुल बिक्री की तुलना में हिन्दुस्तान कॉयर उत्पादों की बिक्री की प्रतिशतता	मार्च 2008 तक वसूली लंबित प्राप्तियां (करोड़ रूपयों में)
	कुल लक्ष्य (करोड़ रूपयों में)	कुल बिक्री (करोड़ रूपयों में)	हिन्दुस्तान कॉयर उत्पादों की कुल बिक्री (करोड़ रूपयों में)			
तिरुवनंतपुरम	1.50	0.86	0.21	57.33	24.41	शून्य
कोच्ची	2.30	2.03	0.38	88.26	18.72	0.004
त्रिचूर	1.50	1.07	0.28	71.33	26.16	0.0023
बैंगलूर	2.78	2.12	0.65	76.25	30.66	0.0056
मदुरै	1.35	0.45	0.10	33.33	22.22	0.0009
चेन्नै	2.95	1.86	0.66	63.05	35.48	0.01
गुवाहाटी	1.21	0.69	0.24	57.02	34.78	0.08

भाग ख - अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL 300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500

अध्याय V : कृषि मंत्रालय

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)

5.1 रबी - 2005 के दौरान सरसों के लिए मूल्य समर्थन योजना (मू.स.यो.) के प्रचालन का कार्यान्वयन

5.1.1 प्रस्तावना

नेफेड कृषि उत्पाद की व्यवस्था करने, प्रोत्साहन देने तथा सहकारी विपणन को विकसित करने, संवर्धन करने तथा भण्डारण करने, इनपुट का वितरण करने एवं कृषि जिनसों के घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष सहकारी विपणन संघ है।

मूल्य समर्थन योजना (मू.स.यो.) जब मुक्त बाजार में जिनसों के मूल्यों में गिरावट हो तो किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार (भा.स.) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यू.स.मू.) का निर्धारण करने पर विचार करती है और इस योजना के अन्तर्गत मुक्त बाजार की कीमतों के न्यू.स.मू. पर पहुँचने तक क्रय करती है। भा.स. ने नेफेड को तिलहनों और दलहनों की 14 जिनसों की अधिप्राप्ति के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी को नियुक्त किया है। मू.स.यो. प्रचालन एक बहु-स्तरीय कार्यप्रणाली है जिसमें कृषि मंत्रालय, नेफेड, राज्य-स्तरीय सहकारी संघ, राज्य सरकारें और प्राथमिक स्तरीय सहकारी विपणन संस्थाएं शामिल हैं जैसाकि अनुबन्ध-I में विवरण दिया गया है। सम्बन्धित राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ नेफेड को अधिप्राप्ति कराने में समर्थक है और ये समर्थक क्रम से, प्राथमिक सहकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से किसानों से स्टॉक प्राप्त करते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कृषि और सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय, के अनुरोध (जनवरी 2006) के अनुसरण में रबी मौसम-2005 के दौरान सरसों से सम्बन्धित मू.स.यो. प्रचालन की लेखापरीक्षा जाँच की गई थी। अक्टूबर 2006 और जुलाई 2007 की समयावधि के दौरान राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश और नेफेड के कार्यालयों के अनुबन्ध-II में वर्णित, 26 अधिप्राप्ति केन्द्रों, के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न प्रकट हुआ:

5.2.1 प्राथमिक सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा सरसों की अधिप्राप्ति

मू.स.यो. हेतु नेफेड की कार्य योजना के अनुसार किसानों से, जैसाकि सम्बन्धित राज्य विभागों द्वारा यह दर्शाते हुए कि मू.स.यो. के अन्तर्गत सौंपे जा रहे स्टॉक की उनकी भूमि में खेती हुई थी, का जारी किया गया भूमि पर खेती की गई का आवश्यक दस्तावेजी सबूत प्राथमिक सहकारी विपणन संस्थाओं (प्रा.स.वि.सं.) द्वारा प्राप्त किया

जाना था। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मू.स.यो. परिचालनों का लाभ वास्तव में असल किसानों द्वारा न कि व्यापारियों और अन्य बिचोलियों द्वारा उठाया गया है। 26 अधिप्राप्ति केन्द्रों की लेखापरीक्षा करते समय 21 केन्द्रों के पटवारी अभिलेखों की इस पहलू के सत्यापन हेतु नमूना जाँच की गई थी। 21 केन्द्रों में, मू.स.यो. के अन्तर्गत 60 गाँवों के 4,876 किसानों ने 2,10,722 क्विंटल सरसों बेची। इसमें से 1,15,575 क्विंटल के सम्बन्ध में विसंगतियां पाई गईं जो कुल नमूना जाँच मात्रा का 55 प्रतिशत थी। ये विसंगतियां अधिक खरीद, गलत पतों, बगैर भूमि वाले किसानों और गिरदावरियों में हेर-फेर करना इत्यादि कारणों से अनियमित खरीद हुईं जिनका विवरण निम्न पैरों में दिया गया है :

5.2.2 सीमा निर्धारित किए बिना सरसों की खरीद

यह पाया गया कि नेफेड ने व्यक्तिगत किसानों से सरसों की उपज के क्षेत्र के अनुसार सरसों की अधिप्राप्ति की सीमा निर्धारित नहीं की थी। राजस्थान में, राज्य कृषि विभाग द्वारा घोषित प्रति एकड़/हैक्टेयर की औसत के अनुसार खरीद को सीमित करने के लिए जिला प्राधिकारियों ने अधिप्राप्ति एजेंसियों को निर्देश जारी किए, परन्तु हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों में जिला प्राधिकारियों/राज्य सरकारों द्वारा न तो ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे न ही नेफेड द्वारा कोई अनुदेश जारी किये गये थे। परिणामतः लेखापरीक्षा ने अधिप्राप्त की जाने वाली सरसों की वास्तविक मात्रा को निर्धारण करने के लिए क्षेत्र की औसतन पैदावार को मानदण्ड के रूप में अपनाया।

अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 10.58 करोड़ रु. मूल्य की 62,234.16 क्विंटल सरसों की अधिक खरीद 12 अधिप्राप्ति केन्द्रों में 40 गाँवों के 1,874 किसानों से की गई थी जैसाकि अनुबन्ध -III में विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि किसानों से अधिप्राप्त की गई मात्रा राजस्थान की तुलना में, हरियाणा, मध्यप्रदेश और गुजरात में कहीं अधिक थी हरियाणा में, किसानों से भूमि धारिता का दस्तावेजी सबूत लिए बिना ही अधिप्राप्ति की गई थी। ऐसी तदर्थतात्मिकता सरसों की खरीद के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाने और निजी व्यापारियों/इकाइयों के शामिल होने की संभावना की ओर ले जा सकती थी क्योंकि रबी-2005 के दौरान 20.84 लाख एमटी सरसों की भारी अधिप्राप्ति हुई थी।

5.2.3 गिरदावरियों में हेर-फेर के परिणामस्वरूप अनियमित खरीद

यह पाया गया कि राजस्थान के एक गाँव में गिरदावरियों में हेर-फेर किये गये थे जिसके परिणाम हेर-फेर की गई गिरदावरियों के आधार पर 0.15 करोड़ रु. की राशि की 903.17 क्विंटल सरसों अधिप्राप्ति हुई जैसा कि अनुबन्ध -IV में विवरण दिया गया है।

नेफेड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि रिपोर्ट के अनुसार हैक्टेयर को बीघा में बदलने के लिए एक हैक्टेयर को 6.25 बीघा के बराबर किया जाना था और उन्होंने किसान मित्रतापूर्ण क्रियाविधि की युक्ति निकालने के लिए राज्य सरकार/अधिप्राप्त करने वाली

एजेंसियों के साथ मामले को उठाया नेफेड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आपत्ति का संबंध गिरदावरियों में हेर-फेर जोकि किसानों से अधिप्रापण हेतु आधार थे से था।

5.2.4 सरसों की अनियमित खरीद

अभिलेखों की नमूना जाँच से सरसों की अनियमित खरीद के निम्न मामले प्रकट हुए :

- हरियाणा और मध्यप्रदेश में रबी-2005 के दौरान 8 अधिप्रापण केन्द्रों में 16 गाँवों के 699 किसानों द्वारा अपनी जमीन में सरसों की खेती नहीं की गई थी। तथ्य यह रहा कि संस्थाओं द्वारा 3.59 करोड़ रु की राशि की 21130 क्विंटल सरसों उनसे खरीदी गई थी जैसा कि अनुबन्ध -V में विवरण दिया गया है।
- हरियाणा के 6 अधिप्रापण केन्द्रों के 16 गाँवों में, यह भी इंगित नहीं किया गया था कि 5.32 करोड़ रु की राशि के 31,307 क्विंटल सरसों, 1,002 व्यक्तियों, जो न तो इन गाँवों के निवासी थे और ना ही इन गाँवों में उनकी कोई जमीन थी से खरीदी गई थी जैसा कि अनुबन्ध -VI में विवरण दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2008) कि ऐसे मामलों में खरीद, कृषि विपणन बोर्ड/स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों के प्रमाणपत्र के आधार पर की गई थी और ऐसे भारी अधिप्रापण अभियान का संचालन करते समय केन्द्रीय नोडल एजेंसी को राज्य स्तर की एजेंसियों पर विश्वास करना पड़ता है और पी.सी.एम.एस. वास्तव में मंडी स्तर पर प्रचालित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य पटवारी/तहसीलदार जो राजस्व प्रलेखों को सत्यापित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी थे, से सत्यापित नहीं थे। तथापि, मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

5.2.5 मू.स.पो. के अन्तर्गत अधिप्रापण प्रक्रिया समयपूर्व बन्द होने के कारण किसानों द्वारा स्थानीय मंडियों में सरसों की बिक्री

मू.स.पो. का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना था और इस योजना के अन्तर्गत खरीद अनिश्चित समय की रीति से जारी रखनी थी जब तक कि मुक्त बाजार में कीमतें न्यू.स.मू. तक पहुंच गए थे।

स्थानीय मंडियों से प्राप्त सूचना की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अधिप्रापण बीच में ही, अर्थात् मई के अन्त में, बन्द कर दिया गया था और परिणामतः जून से अगस्त 2005 के दौरान किसान अपनी उपज को 7.64 लाख क्विंटल के लगभग बिचौलियों/आढ़तियों को कम मूल्य अर्थात् 800-1750 रु प्रति क्विंटल के बीच बेचने को मजबूर हो गए थे जैसा कि विवरण अनुबन्ध-VII में दिया गया है। यह न केवल योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन ही नहीं दर्शाता है बल्कि योजना का असली उद्देश्य भी निष्फल रहा।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2008) कि भंडारण क्षमता, वित्तीय प्रबंध और अन्य संभार तंत्र व्यवस्था की कमी के कारण कुछ दिनों के लिए सरसों की खरीद स्थगित कर दी थी और बाद में पुनः आरम्भ की गई जिसका परिणाम सरसों की 3 लाख एमटी की अतिरिक्त मात्रा अधिप्राप्ति में हुआ।

मंत्रालय का उत्तर नेफेड के उत्तर, जिसमें अधिप्राप्ति रोकने का कारण निधियों की कमी बताया गया था, के विपरीत है।

5.3 अधिप्राप्ति की गुणवत्ता और भंडारण

गुणवत्ता पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए यह आवश्यक है कि भण्डार में रखे गए अधिप्राप्त किए गए स्टॉक की गुणवत्ता का विश्लेषण किया गया है और ऐसे विश्लेषणों की रिपोर्टें की अनुरक्षित की जाती है।

5.3.1 अधिप्राप्ति स्तर के दौरान सरसों के स्टॉक का नमूनीकरण

कार्य योजना के अनुसार, अधिप्राप्त किये गए/भण्डार किए गए स्टॉक से यादृच्छिक नमूने लिये जाने थे, मार्किट कमेटी और केन्द्रीय भण्डारण निगम (के.भ.नि.) से नमी की मात्रा की जाँच कराई जानी थी और नेफेड को उन विश्लेषणों की रिपोर्टें प्राप्त करनी थी। इसके अतिरिक्त, अन्य श्रेणी-विनिर्देशों के लिए नमूनों के विश्लेषण किये जाने थे।

विभिन्न संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच जैसा कि अनुबन्ध-VIII में विवरण दिया गया है से प्रकट हुआ कि लिए गए नमूनों के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। परिणामतः सरसों की अधिप्राप्ति का अनुपालन से स्पष्ट औसत गुणवत्ता (स्प.औ.गु.) श्रेणी का लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2008) कि नेफेड ने नमूने लिये थे परन्तु खरीददारी की अधिकता के कारण नमूनों के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे और अभिलेखों के सही रखरखाव के लिए उपचारी उपाय करने हेतु नेफेड को निर्देश दिए हैं।

5.3.2 अधिप्राप्त किये गए भण्डार में नमी की मात्रा के अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

नेफेड के शाखा कार्यालयों को अंतर्कार्यालय अन्तरण (अं.का.अं.) के लिए स्टॉक जमा/प्रेषण, प्रक्रिया और बिक्री हेतु उनके प्रचालन क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न वेयरहाउसों में रखे स्टॉक की स्थिति का अनुस्मरण किया जाना अपेक्षित था। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, स्टॉक में वृद्धि/कमी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रत्येक वेयरहाउस से स्टॉक की विवरणियां एकत्रित करनी थीं।

अभिलेखों की संवीक्षा से 31 मार्च 2007 को नेफेड के पाँच शाखा कार्यालयों के 91 वेयरहाउसों में 20,497 क्विंटल सरसों की कमी और 224 वेयरहाउसों में 61,254 क्विंटल की वृद्धि प्रकट हुई थी जैसा विवरण अनुबन्ध -IX में दिया गया है।

नेफेड की व्यापार प्रक्रिया की धारा 7.13 के अनुसार, प्रत्येक शाखा कार्यालय को वेयर हाऊस में जिसों के जमा करवाने के समय और भण्डारण हानि/वृद्धि के परिकलन हेतु सुपुर्दगी से समय पर भी नमी की मात्रा के अभिलेख रखने थे, क्योंकि नमी की मात्रा के बढ़ने या घटने का संबंध वेयरहाऊसों में रखे माल के भार में वृद्धि/कमी से है।

उपरोक्त शाखा कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि नमी का ऐसा कोई समेकित अभिलेख या तो जिसों को वेयरहाऊस में जमा करवाते समय या निपटान के समय नहीं बनाया गया था। परिणामतः 315 वेयरहाऊसों में दर्शाई कमी/आधिक्य की प्रामाणिकता, लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं हो सकी और सरसों की बिक्री/निपटान में अव्यवस्था की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के सुझावों को स्वीकार किया और बताया (अप्रैल-2008) कि व्यापार प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुसार नेफेड को शाखा स्तर पर नमी की मात्रा के रिकॉर्ड रखने के लिए निर्देश दिए थे ताकि सरसों की बिक्री एवं व्ययन में कुप्रबंध की सम्भावना पर नियन्त्रण रखा जा सके। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने दोषी शाखाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नेफेड को निर्देश दिए गए।

5.4 सरसों के बीज, तेल और केक की बिक्री

5.4.1 सरसों की अनियमित बिक्री

नेफेड की व्यापार प्रक्रिया में अनुबंधित है कि प्रत्येक सफल खरीददार को बोली की पुष्टि के समय से 48 घण्टों के भीतर सरसों के प्रतिभूति जमा के रूप में निविदागत मात्रा के मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करवाना चाहिए और शेष भुगतान 10 कार्य दिवसों के भीतर किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, पार्टी के 10 कार्य दिवसों के भीतर शेष भुगतान जमा करने में असफल रहने के मामले में उनके अनुरोध पर एक सप्ताह का समय विस्तार 12 प्रतिशत और एक और सप्ताह के लिए 15 प्रतिशत पर करना अनुज्ञेय था। यदि पार्टी विस्तार की हुई समयावधि में भुगतान नहीं करती तो जमा की गई प्रतिभूति जब्त हो जाएगी।

तथापि ऐसा पाया गया कि नेफेड के शाखा कार्यालयों ने इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया और 13 मामलों में 3.69 करोड़ रु की प्रतिभूति जमा प्राप्त करने में असफल रहे जैसा कि विवरण अनुबन्ध -X में दिया गया है। इस प्रकार जमा प्रतिभूति जब्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल-2008) कि नेफेड की कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई हानि नहीं हुई और भविष्य में दोबारा ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत का सख्ती से अनुपालन करने हेतु नेफेड को निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय का तर्क युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि प्रतिभूति का जमा न होना चूक के मामलों में इसे पूरा करने के नेफेड के अवसर को नकारता है।

5.5. भारत सरकार से ब्याज का अधिक दावा

नेफेड मू.स.यो. प्रचालन के कारण हुई हानियों की सूचना देने और हानियों की प्रतिपूर्ति का भा.स. से दावे करने के लिए भा.स. को आवधिक लाभ और हानि लेखे प्रस्तुत करता है। तथापि, यह पाया गया कि बिक्री आय को लेखे में ना लेने और कम गणना करने, सरसों के लेखे में अन्य प्रचालनों के खर्चों का गलत वर्गीकरण, बैंक और नेफेड के शाखा कार्यालयों से क्रेडिट में देरी, बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज के मिलान न होने के कारण ब्याज का गलत वर्गीकरण, लेन-देन न होने की समयावधि के लिए ब्याज प्रभारित करने आदि के कारण भा.स. से अधिक ब्याज का दावा किया गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया कि लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किये जाने पर, नेफेड ने भा.स. के खातों में 8.87 करोड़ रु. क्रेडिट कर के अपने खातों में आवश्यक सुधार कर दिए थे। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि नेफेड को यू.स.यो. प्रचालन के अन्तर्गत जिसवार व्ययों को बुक करने और अन्य स्त्रोतों से किए गए निवेश पर ब्याज की गणना में सावधानी रखने के निर्देश दिये जा चुके थे।

5.6 निष्कर्ष

- नेफेड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मू.स.यो. प्रचालन का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुँचता है, मू.स.यो. प्रचालन के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के लिए व्यक्तिगत किसानों के लिए प्रति एकड़/हैक्टेयर अधिकतम पैदावार निश्चित नहीं की थी।
- गिरदावरियों को सम्भावित चूकों निर्गम की तुलना के लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।
- नेफेड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मू.स.यो. प्रचालन का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुँचे। राज्य सरकार द्वारा भूमि मालिकों के अभिलेखों की तुलना में, अधिप्राप्ति अभिलेख नमूना परीक्षण के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई थी।
- किसानों के मध्य अधिप्राप्ति को समयपूर्व बन्द करने का प्रचार करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किये गए थे।
- नेफेड ने अपने मू.स.यो. प्रचालनों में अधिप्राप्ति एवं भंडारण स्तरों पर स्टॉक के नमूना लेने के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था।
- नेफेड ने अपने भण्डारण प्रचालन पर नियंत्रण रखने के लिए नमी की मात्रा के कारण स्टॉक में कमी/वृद्धि की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए वेयरहाउसों गोदामों के अभिलेखों की नमूना जाँच नहीं की थी।
- नेफेड ने मू.स.यो. के अन्तर्गत अधिप्राप्त की गई ज़िंसों के निपटान के लिए अपने व्यापार प्रक्रिया में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

5.7 अनुशासन

- नेफेड को मू.स.यो. प्रचालन का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए मू.स.यो. प्रचालन के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के लिए व्यक्तिगत किसानों के लिए प्रति एकड़/हेक्टेयर अधिकतम पैदावार निश्चित करनी चाहिए।
- गिरदावरियों को निर्गम की तुलना में सम्भावित चूकों, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों मू.स.यो. प्रचालन के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को साझेदार बनाकर की जानी चाहिए।
- नेफेड को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मू.स.यो. प्रचालन का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे राज्य सरकार द्वारा भूमि मालिकों के अभिलेख की अधिप्राप्ति अभिलेखों की तुलना में नमूना परीक्षण के लिए एक क्रियाविधि की युक्ति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नेफेड को राज्य सरकारों द्वारा की गई जाँच के अलावा स्वयं जाँच करनी चाहिए।
- पारदर्शिता बनाए रखने हेतु अधिप्राप्ति को समयपूर्व बन्द करने का पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।
- नेफेड को भविष्य में मू.स.यो. प्रचालन में अधिप्राप्ति एवं भंडारण स्तरों पर स्टॉक के नमूनों के लिए अभिलेखों का अनुस्क्षण किया जाना चाहिए।
- अपने भण्डारण प्रचालन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए नमी की मात्रा के कारण स्टॉक में कमी/वृद्धि की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए वेयरहाउसों के अभिलेखों की नमूना जाँच करने हेतु ठोस प्रयास किये जाने चाहिए।

अनुबन्ध-I
(पैराग्राफ 5.1.1 के संदर्भ में)
प्रचालनात्मक प्रबंधन

कार्यान्वयन एजेंसी	मू.स.यो. प्रचालन के मुख्य स्तर
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना।
राष्ट्रीय कृषि सहकारी और विपणन संघ	कार्य योजना तैयार करने, सामग्री बांधने का प्रबन्ध करने, भण्डारण, अधिप्राप्त किए स्टॉक की संचालन योजना बनाने, बीमा, अधिप्राप्त किए स्टॉक का निपटान करने और मू.स.यो. प्रचालन का समस्त अनुश्रवण करने हेतु नोडल एजेंसी।
राज्य सरकार	प्रचालन के लिए अपेक्षित उत्पादन और समर्थन पर इनपुट डाटा उपलब्ध कराना।
राज्य स्तरीय सहकारी संघ	नेफेड की ओर से राज्य में अधिप्राप्ति और भण्डारण प्रचालन में समन्वय करना तथा खरीदे गए स्टॉक के परिवहन का प्रबन्ध करना।
जिला प्रशासन	स्प.औ.गु. के अनुसार सरसों खरीद के लिए उच्च सीमा निर्धारित करने के लिए निर्देश जारी करना और किसानों को उपजाऊ भूमि के दस्तावेजी सबूत जारी करना।
प्राथमिक सहकारी विपणन संस्था साधारणतः क्रय विक्रय सहकारी समिति (के.वि.स.स.) पुकारी जाती है	स्प.औ.गु. के अनुसार सरसों की अधिप्राप्ति और अधिप्राप्ति केन्द्र स्थापित कर के उपरोक्त एजेंसियों द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण करना।

अनुबन्ध-II

(पैराग्राफ 5.2 के संदर्भ में)

नमूना जाँच किए गए नेफेड के अधिप्राप्ति केन्द्र/शाखा कार्यालयों का विवरण

राज्य का नाम	राज्य में कुल खरीददारी केन्द्र	लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए अधिप्राप्ति केन्द्र	नेफेड के राज्य/शाखा कार्यालय में के.वी.एस.एस. के अधिप्राप्ति केन्द्रों के स्थान
राजस्थान	262	12	नेवाई, टोडा रायसिंह, केकरी, रामगंज मंडी (कोटा), अत्रु, स्वाईमाधोपुर, मथानिया, नागौर, चित्तौड़गढ़, भामाशाह मंडी (कोटा), श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
			जयपुर और श्रीगंगानगर के शाखा कार्यालय
हरियाणा	48	6	रेवाड़ी, बावल, नारनौल, भिवानी, पटौदी, तावडू
			शाखा कार्यालय, चण्डीगढ़
गुजरात	32	6	धनेरा ¹ और मोरबी
			शाखा कार्यालय, अहमदाबाद
मध्यप्रदेश	97	2	श्योपुरकलां और नीमच
			शाखा कार्यालय, इन्दौर
दिल्ली			नेफेड मुख्यालय, दिल्ली
योग	439	26	

¹ धनेरा में पाँच संस्थाएँ

अनुबन्ध-III

(पैराग्राफ 5.2.2 के संदर्भ में)

औसत उपज के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक खरीद

अधिप्राप्ति केन्द्र का स्थान	किसानों की संख्या	राज्य के कृषि विभाग के अनुसार प्रति हैक्टेयर औसत उपज	किसानों से खरीद की मात्रा	मानदण्ड के अनुसार खरीद की मात्रा	अधिक खरीद की कुल मात्रा	अधिक खरीद का मूल्य (लाख रुपये में)
(मात्रा क्विंटल में)						
राजस्थान ²						
श्रीगंगानगर	10	16.00	709.15	549.08	160.07	2.72
हनुमानगढ़	15	16.00	556.71	467.28	89.43	1.52
उप-योग	25		1265.86	1016.36	249.50	4.24
हरियाणा						
रेवाड़ी	98	15.00	4390.94	865.95	3524.99	59.92
बावल	75	15.00	2857.65	1284.00	1573.65	26.75
नारनौल	245	12.50	9960.40	3028.75	6931.65	117.84
भिवानी	196	12.50	11061.05	3894.01	7167.04	121.84
पटौदी	107	15.00	5601.33	1085.47	4515.86	76.77
तावड़ू	77	12.50	3309.00	735.00	2574.00	43.76
उप-योग	798		37180.37	10893.18	26287.19	446.88
गुजरात						
धनेरा*	583	15.00	39057.88	17494.01	21563.87	366.59
मोरबी	117	13.63	8131.40	2418.50	5712.90	97.12
उप-योग	700		47189.28	19912.51	27276.77	463.71
मध्यप्रदेश						
नीमच	206	9.52	4074.64	1649.19	2425.45	41.23
श्योपुर	145	14.00	10340.05	4344.80	5995.25	101.92
उप-योग	351		14414.69	5993.99	8420.70	143.15
कुल योग	1874		100050.20	37816.04	62234.16	1057.98

² राजस्थान में धनेरा में पांच संस्थाएं जिला प्रशासन ने यू.स.यो. के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के लिए उत्पादकता की सीमा निर्धारित की।

* धनेरा में पांच संस्थाएं

अनुबन्ध-IV

(पैराग्राफ 5.2.3 के संदर्भ में)

क्र.वि.स.स. कोटा में हेर-फेर की गई गिरदावरियां

क्रम संख्या	खरीद रजिस्टर के अनुसार तुलाई की तिथि	रंगपुर गाँव के किसानों के नाम	पटवारी के गिरदावरी रजिस्टर के अनुसार क्षेत्र (बीघा में 6.25 बीघा एक हैक्टेयर के बराबर मानते हुए)	किसानों को जारी गिरदावरियों में हेर-फेर करने के बाद क्षेत्र (बीघा में)	भूमि के क्षेत्र में अन्तर (बीघा में)	वास्तविक खरीदी गई मात्रा (क्विंटल में)	मानदण्ड के अनुसार (क्विंटल में)	अधिक खरीद (क्विंटल में)
1	01.03.05	मोहन लाल	5.69	18.19	12.50	74.80	22.76	52.04
2	05.03.05	हेमराज	6.25	25.00	18.75	105.70	25.00	80.70
3.	07.03.05	छत्तर	12.06	49.56	37.50	171.70	48.25	123.45
4.	08.03.05	वर्धीलाल	8.88	40.13	31.25	141.76	35.52	106.24
5.	08.03.05	मांगीलाल	4.19	41.69	31.25	185.30	16.76	168.54
6.	12.03.05	छोटूलाल	5.56	43.06	37.50	172.35	22.25	150.10
7.	12.03.05	प्रकाशचन्द	6.25	25.00	18.75	80.75	25.00	55.75
8.	12.03.05	छत्तर	6.94	44.44	37.50	138.38	27.76	110.62
9.	17.03.05	गोपाल	6.25	39.06	32.81	80.73	25.00	55.73
योग								903.17

अनुबन्ध-V

(पैराग्राफ 5.2.4 के संदर्भ में)

पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के निवासी परन्तु उनकी भूमि में सरसों की खेती नहीं की गई

राज्य का नाम	अधिप्राप्ति केन्द्र का स्थान	व्यक्तियों की संख्या	ऐसे व्यक्तियों से खरीद की (क्विंटल में)	ऐसे व्यक्तियों से खरीदी सरसों का मूल्य (लाख रुपये में)
हरियाणा	रेवाड़ी	25	1058.07	17.99
	बावल	54	1707.50	29.02
	पटौदी	44	1547.11	26.30
	तावडू	28	962.65	16.37
मध्य प्रदेश	नीमच	309	5193.30	88.29
	श्योंपुर	239	10661.15	181.24
योग		699	21129.78	359.21

अनुबन्ध-VI

(पैराग्राफ 5.2.4 के संदर्भ में)

व्यक्ति जो न तो उन गाँवों के निवासी और ना ही उनकी उन गाँवों में कोई ज़मीन है

हरियाणा में अधिप्राप्ति केन्द्र का स्थान	व्यक्तियों की संख्या	ऐसे व्यक्तियों से खरीद की (क्विंटल में)	ऐसे व्यक्तियों से खरीदी सरसों का मूल्य (लाख रुपये में)
रेवाड़ी	13	449.75	7.65
बावल	219	6675.65	113.49
नारनौल	215	6141.40	104.40
भिवानी	319	11845.60	201.38
पटौदी	14	487.21	8.28
तावडू	222	5707.80	97.03
कुल	1002	31307.41	532.23

अनुबन्ध-VII

(पैराग्राफ 5.2.5 के संदर्भ में)

स्थानीय मण्डियों में सरसों का व्यापार

क्र. सं.	कृषि उपज मंडी/बाजार कमेटी का नाम	जून 2005 (मात्रा क्विंटल में)	जुलाई 2005 (मात्रा क्विंटल में)	अगस्त 2005 (मात्रा क्विंटल में)	प्रति क्विंटल दरें (रु. में)
1	नागौर	8863	4941	3502	1473-1678
2	चित्तौड़गढ़	39642	333	135	1525-1600
3	कोटा	74223	29504	27666	1475-1650
4	श्रीगंगानगर	6412	7671	6262	1456-1700
5	हनुमानगढ़	1470	147	76	1473-1540
6	नेवाँई	38600	19016	-	1485-1650
7	माधोपुर	42595	18617	4764	1310-1650
8	रेवाड़ी	51398	10227	6555	1130-1702
9	पटौदी	82119	289	1879	1350-1700
10	तावडू	-	-	-	1350-1650
11	भिवानी	22023	1379	372	1450-1570
12	नारनौल	17230	10298	2185	1450-1700
13	नीमच	1099	493	469	1450-1750
14	श्योपुरकलां	91956	28971	21549	800-1700
15	मोरबी	-	11	7	1260-1700
16	धनेरा	44219	22202	12729	1426-1637
	योग	521849	154099	88150	
			कुल योग	764098	

अनुबन्ध-VIII

(पैराग्राफ 5.3.1 के संदर्भ में)

अधिप्राप्ति स्तर पर किए नमूना जाँच की स्थिति

राज्य का नाम	जाँच किए गए अधिप्राप्ति केन्द्रों की कुल संख्या	नमूना जाँच की स्थिति
राजस्थान	2	नहीं किया गया
हरियाणा	6	-वही-
गुजरात	7	-वही-
मध्य प्रदेश	2	-वही-

अनुबन्ध-IX

(पैराग्राफ 5.3.2 के संदर्भ में)

वेयरहाउसों में आधिक्य/कमी की शाखावार स्थिति

नेफेड के शाखा कार्यालयों का नाम	भण्डार का आधिक्य दर्शाते वेयरहाउसों की संख्या	कुल आधिक्य (क्विंटल में)	भण्डार में कमी दर्शाते वेयरहाउसों की संख्या	कुल कमी (क्विंटल में)
अहमदाबाद	26	11104.59	12	2472.58
श्रीगंगानगर	25	18983.36	2	146.40
इन्दौर	76	6234.67	27	1433.27
जयपुर	44	17501.30	31	12832.52
चण्डीगढ़	53	7430.28	19	3612.15
योग	224	61254.20	91	20496.92

अनुबन्ध-X
(पैराग्राफ 5.4.1 के संदर्भ में)

प्रतिभूति जमा का अपवर्जन न करना

शाखा कार्यालय का स्थान	फर्मों की कुल संख्या	कुल निविदागत मात्रा (क्विंटल में)	उठाई गई कुल मात्रा (क्विंटल में)	2 सप्ताह की विस्तार अवधि के साथ उठाई गई मात्रा के लिए अनुमत कुल समय (दिनों में)	निविदागत मात्रा को उठाने में लगाया गया वास्तविक समय (दिनों में)	मात्रा को उठाने में कुल विलम्ब (दिनों में)	अपवर्जन न की गई प्रतिभूति जमा की राशि (रु. में)
अहमदाबाद	11	25402.00	23995.37	24	31-170	7-146	23919270
इन्दौर	1 (पहला सौदा)	71000.00	24425.00	24	63 (आंशिक उठाया)	39 (आंशिक उठाया)	5048524
	उसी फर्म के साथ दूसरा सौदा	46495.00	14262.50	24	लेखापरीक्षा तक (15.6.07)	उ.न.	7978452
योग		142897.00	62682.87				36946246

अध्याय VI: कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

6.1 8.34 करोड़ रू. के ब्याज की हानि

कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने अपनी प्रतिभूतियों की परिपक्वता लाभों को प्राप्त करने में विलम्ब के कारण 8.34 करोड़ रू. के ब्याज की हानि उठाई।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (को.खा.भ.नि.सं.), कोयला खान के कर्मचारियों से संग्रहित भविष्य निधि को उस पर सबसे श्रेष्ठ वापसी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रतिभूतियों तथा जमा में निवेश करता है।

फरवरी से नवम्बर 1996 के दौरान, को.खा.भ.नि.सं. ने 110.84 करोड़ रू. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भा.औ.वि.नि.) प्रतिभूतियों की चार श्रेणियों में निवेश किया, जो कि फरवरी 2002 से नवम्बर 2003 के दौरान परिपक्व हो जाने थे, जैसा कि अनुबन्ध में विवरण दिया गया है।

यह पाया गया कि भा.औ.वि.नि. की क्रेडिट दरें, जो कि निवेश के समय 'एएए' श्रेणी के अन्तर्गत थी, जून 1999 में 'एए+' श्रेणी तथा अप्रैल 2003 में 'डी' श्रेणी तक अधोमुखी हो गई थी। अपने वित्तीय लाभ में निरन्तर ह्रास के कारण भा.औ.वि.नि. ने को.खा.भ.नि.सं. को प्रतिभूतियों की परिपक्वता लाभों को भुगतान, 155 से 439 दिनों के विलम्ब के बाद किया। को.खा.भ.नि.सं. ने अपनी प्रतिभूतियों का उनकी परिपक्वता के बाद विलम्बित भुगतान के लिए भा.औ.वि.नि. से प्रत्यक्ष रूप से ब्याज का दावा नहीं किया था तथा फलस्वरूप 8.34 करोड़ की हानि उठाई।

यह भी अवलोकित किया गया था कि कोयला मंत्रालय ने को.खा.भ.नि.सं. को मामला बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ उठाने का निर्देश दिया (फरवरी 2004), परन्तु उनके साथ मामले को आगे बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की वसूली नहीं हुई।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (जुलाई 2008) कि भा.औ.वि.नि., प्रतिभूतियों के परिपक्वता लाभों के प्रेषण में विलम्ब थे, परन्तु वित्त मंत्रालय के साथ मामला न उठाने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, परिपक्वता लाभों की विलम्बित अवधियों के लिए ब्याज का दावा करने के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के साथ मामले को आगे न बढ़ाने के विषय में प्रबंधन की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 8.34 करोड़ रू. की ब्याज राशि की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2009 में भेजा गया था; उनका उत्तर मार्च 2009 तक प्रतीक्षित है।

6.2 कम्प्यूटरीकृत परियोजना पर 8.02 करोड़ रू. का व्यर्थ व्यय

त्रुटिरहित डाटा सुनिश्चित किए बगैर विक्रेता को कम्प्यूटरीकृत परियोजना प्रदान करने के परिणामस्वरूप 8.02 करोड़ रू. का व्यर्थ व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकृत का अभिप्रेत उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सका।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (को.खा.भ.नि.सं.) को न्यासी बोर्ड (न्या.बो.) ने अपनी 143 वीं बैठक में, संगठन के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए परामर्शदाता के रूप में वेबेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड (वे.टे.लि.) को नियुक्त करने का निर्णय लिया (मई 2005)। परामर्शदाता ने इस उद्देश्य के लिए एक ब्ल्यू प्रिंट प्रस्तुत किया (जुलाई 2005) और ओरेकल का तैयार इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (इ.रि.प्ला.) पैकेज या सिस्टम एप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट्स (एम.ए.पी.) के कार्यान्वयन के लिए अनुशंसित किया। आयुक्त को.खा.भ.नि.सं. ने एम.ए.पी. को 8.02 करोड़ रू. की लागत पर परियोजना प्रदान की (फरवरी 2006)। संविदात्मक समझौते के अनुसार, परियोजना 10 महीने की निर्धारित अवधि अर्थात् दिसम्बर 2006 तक में पूरा किया जाना था। डाटा क्लिनिंग और विद्यमान मास्टर डाटा का वैधीकरण को.खा.भ.नि.सं. का उत्तरदायित्व होगा जिससे कि क्लीन डाटा एम.ए.पी सिस्टम में अपलोड किया जा सके। चूंकि त्रुटिमुक्त डाटा की उपलब्धता परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए पूर्वापक्षित था, इसलिए को.खा.भ.नि.सं. को एम.ए.पी. को ऐसा डाटा, उन्हें परियोजना प्रदान करने से पहले उपलब्ध कराना चाहिए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2004 के प्रतिवेदन सं. 4 में को.खा.भ.नि.सं. लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण की टर्न-की परियोजना की विफलता के संबंध में उल्लेख किया गया था, जो 1.16 करोड़ रू. की लागत पर मै. कम्प्यूटर मेनटेनेंस कॉरपोरेशन लि. (सी.एम.सी.) को प्रदान किया गया था। परियोजना 87 लाख रू. के व्यय के बाद विफल हो गई क्योंकि को.खा.भ.नि.सं., सी.एम.सी. को त्रुटिमुक्त इनपुट डाटा उपलब्ध नहीं करा सका था। मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (का. रि.) में बताया (मार्च 2006) कि कम्प्यूटरीकरण के समग्र पहलू को को.खा.भ.नि.सं. के न्यासी बोर्ड द्वारा नया रूप दिया गया था तथा डाटा को क्लीन करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, यह पाया गया कि को.खा.भ.नि.सं. ने एस.ए.पी को सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का कार्य त्रुटिमुक्त डाटा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त प्रबंध किए बगैर प्रदान किया था। परिणामस्वरूप, परियोजना 8.02 करोड़ रू. का व्यय करने के बाद भी अब तक (जनवरी 2009) परिचालित नहीं की जा सकी थी।

यह भी अवलोकित किया गया कि यद्यपि को.खा.भ.नि.सं. ओरेकल का 10 जी वर्जन पर पहले से ही कार्य कर रहा था। एस.ए.पी. ने अपने परामर्शदाता और ई.डी.पी. प्रबंधक जिन्होंने वर्जन के लिए विरोध किया ओर यह निर्दिष्ट किया कि इससे भविष्य में जटिलताएं होगी की राय का ध्यान किए बगैर निम्न वर्जन अर्थात् 9.2 की आपूर्ति की।

जबकि यह विचलन था फिर भी आयुक्त ने निर्देश दिया कि केवल 5 लाख रू की एक राशि एस.ए.पी. के बिलों से रोकी जानी थी।

को.खा.भ.नि.सं. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (जून 2008) कि प्रणाली में पूर्ण और स्पष्ट डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, को.खा.भ.नि.सं. द्वारा एस.ए.पी. को त्रुटिमुक्त डाटा सुनिश्चित किए बगैर कम्प्यूटरीकरण परियोजना को प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग दो वर्षों की अवधि के लिए 8.02 करोड़ रू का व्यर्थ व्यय हुआ क्योंकि परियोजना अभी तक अक्रियात्मक थी। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का अभिप्रेत उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका था।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2009 में भेजा गया था; उनका उत्तर मार्च 2009 तक प्रतीक्षित है।

6.3 नाममात्र दर पर विद्युत आपूर्ति के कारण 1.74 करोड़ रू. की हानि

अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नाममात्र दर पर विद्युत आपूर्ति के फलस्वरूप कोयला खान भविष्य निधि संगठन को 1.74 करोड़ रू. की हानि उठाई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने, वर्ष मार्च 2005 की समाप्ति पर अपने रिपोर्ट संख्या-4 में यह उद्घाटित किया था कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन (को.खा.भ.नि.सं.) ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 1999-2004 की अवधि में विद्युत आपूर्ति पर 2.17 करोड़ रू का भुगतान किया था परन्तु उनसे 1.07 लाख रू की नाममात्र राशि की वसूली की गयी थी जिसके फलस्वरूप 2.16 करोड़ रू की हानि हुई। फलतः मंत्रालय ने को.खा.भ.नि.सं. को निर्देश दिया (जुलाई 2005) कि उसे उसके कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा अपने क्वार्टरों में प्रयुक्त विद्युत पर व्यय नहीं किया जाना चाहिये।

को.खा.भ.नि.सं. के पास अपने कार्यालय एवं कर्मचारियों के क्वार्टरों में आवश्यकता पूर्ति हेतु दो उच्च क्षमता वाले (उ.क्ष.) 100 के.वी.ए.¹ का कनेक्शन थे। माँग में वृद्धि के कारण विद्युत भार जनवरी 2005 से 200 के.वी.ए. से 350 के.वी.ए. क्षमता बढ़ाया गया था। विद्युत माँग कार्यालय के लिये 19.41 प्रतिशत और कर्मचारियों और अधिकारियों के क्वार्टरों के लिये 80.59 प्रतिशत का निर्धारण किया गया था।

यह अवलोकित किया गया कि को.खा.भ.नि.सं. द्वारा इन कर्मचारियों तथा अधिकारियों के क्वार्टरों में कोई विद्युत मीटर नहीं लगाए गए थे तथा मंत्रालय के निर्देश का अवहेलना करते हुए इनसे 4 से 15 रू प्रतिमाह नाममात्र दर से विद्युत प्रभारों की अभी भी वसूली की जा रही थी।

¹ किलो वोल्ट एम्पीयर

को.खा.भ.नि.सं. ने अप्रैल 2004 से मार्च 2008 तक, झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद को 2.17 करोड़ रू का भुगतान किया था। चूंकि कर्मचारियों और अधिकारियों के क्वार्टरों के लिए विद्युत भार घटक 80.59 प्रतिशत था, इसलिए कुल राशि जो कर्मचारियों तथा अधिकारियों से वसूल की जानी चाहिए 1.75 करोड़ रू थी तथापि, को.खा.भ.नि.सं. ने उनसे केवल 0.74 लाख रू मात्र की वसूली की फलस्वरूप लगभग 1.74 करोड़ रू की हानि हुई।

को.खा.भ.नि.सं. ने बताया (जून 2008) कि मुख्यालय एवं धनबाद में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में नियत दर पर विद्युत प्रभार की वसूली की जा रही थी तथा यह पद्धति तीन दशकों से भी अधिक अवधि से अपनाई जा रही थी और इस संबंध में आदेश संगठन के पास उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में स्पष्ट नहीं करता है कि मंत्रालय के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया जिससे 1.74 करोड़ रू की हानि उठानी पड़ी।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2009 में भेजा गया था; उनका उत्तर मार्च 2009 प्रतीक्षित है।

अनुबन्ध

(पैरागाफ 6.1 के संदर्भ में)

(भा.औ.वि.नि. में कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा किए गए निवेश का विवरण)

क्र. सं.	मूलराशि (अंकित मूल्य) (रूपयों में)	निवेशित राशि (पुस्तकीय मूल्य) (रूपयों में)	दर (प्रतिशत में)	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि की प्राप्ति तिथि	परिपक्वता राशि की प्राप्ति में दिनों का विलम्ब	परिपक्वता [®] राशि पर उत्पन्न ब्याज दर (प्रतिशत में)	वास्तविक राशि की प्राप्ति की तिथि तक ब्याज की हानि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4,00,00,000	4,00,25,000	15.00	25.02.1996	25.03.2003	30.04.2004	401	8.03	35,28,800
2.	15,00,00,000	15,00,93,750	16.25	06.09.1996	06.09.2003	28.05.2004	266	6.10	66,68,219
3.	41,84,00,000	40,81,94,962	16.00	30.11.1996	30.11.2003	30.04.2004	155	6.10	1,08,38,279
4.	50,00,00,000	51,37,94,414	16.00	30.11.1996	15.02.2002	30.04.2004	439	10.37	6,23,62,055
	1,10,84,00,000								8,33,97,353

[®] परिपक्वता पर उत्पन्न का संदर्भ बंध-पत्र, नोट या अन्य सावधी आय प्रतिभूत दर पर प्रदत्त वापसी की प्रतिशतता दर से है यदि निवेशक इसकी परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति की खरीद तथा अपने पास रखता है।

अध्याय VII : विदेश मंत्रालय

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

7.1 अनुचित भुगतान

भा.सां.सं.प. ने सरकारी नीतियों के उल्लंघन में तथा उपयुक्त औचित्य के बिना एक जन-सम्पर्क परामर्शदाता को कुल 49.91 लाख रू. का भुगतान किया।

सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार, सभी केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन/विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अतः मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सभी संलग्न कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को उनके विज्ञापन निदेशालय के माध्यम से किए जाने चाहिए। जहां तक अवसरों के मीडिया कवरेज का संबंध है, उक्त संगठनों को प्रैस सूचना ब्यूरो के पास उनकी सहायता हेतु जाना चाहिए।

इन नीतियों के उल्लंघन में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (भा.सा.सं.प.) ने एक जन सम्पर्क परामर्श फर्म (परामर्शदाता) के साथ अगस्त 2003 में समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) किया। स.ज्ञा. के अनुसार, प्रचार करने के कार्य को मीडिया में प्रदर्शन के विभिन्न स्तर के साथ दो पैकेजों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जैसा कि नीचे दिया गया है :

पैकेज 1 : इस पैकेज के अंतर्गत परामर्शदाता को 10 लाख या उससे अधिक पाठकों को समाविष्ट करते हुए एक मुख्य धारा प्रैस में एक लाख रू. की विज्ञापन की छपाई या एक लाख रू. के दू.द. विज्ञापन तथा “संभवता दोनों” को सुनिश्चित करना था। पैकेज परिषद द्वारा आयोजित सामान अवसरों के लिए था तथा इस पैकेज हेतु एक लाख रू. का भुगतान निर्धारित था।

पैकेज 2 : इस पैकेज के अंतर्गत, परामर्शदाता को मुख्य धारा प्रैस में सम्पादकीय लेखन तथा एक मुख्य धारा टी.वी. चैनल तथा तीन से पांच चैनलों पर क्लिपस को सुनिश्चित करना था जिसमें 5 लाख रू. से अधिक का स्थान तथा प्रसारण समय जोड़ना चाहिए था। यह पैकेज संवेदनशील अवसरों जहाँ राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि जैसे अ.अ.मु.व्य. उपस्थित होंगे की सुरक्षा के लिए था। इस पैकेज हेतु परामर्शदाता को 3.50 लाख रू. का भुगतान किया गया था।

स.ज्ञा. के अनुसार, पश्च अवसर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिटस को सूचीबद्ध प्रकाशनों एवं तिथियों की प्रैस क्लिपिंग की वास्तविक हार्ड कॉपी सहित मूल्यांकन के लिए कम्प्यूटर

प्लापी पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस कार्य का मूल्यांकन ग्राहक एवं परामर्शदाता की पारस्परिक सहमति द्वारा किराए के स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा किया जाना था।

यह ध्यान में आया कि स.ज्ञा. की शर्तों ने निष्पादन को जिसे परामर्शदाता द्वारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी का स्पष्टरूप से उल्लेख नहीं किया था। स.ज्ञा. के पैकेज 2 के अनुसार, परामर्शदाता को मुख्य धारा प्रैस में सम्पादकीय लेखन को सुनिश्चित करना था, जो कि स्पष्ट रूप से न तो क्रय किया गया था ना ही सुनिश्चित किया गया था।

यह पाया गया था कि भा.सां.सं.प. के पास परामर्शदाता की नियुक्ति से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा परामर्शदाता के कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया था। भा.सां.सं.प. ने 33 अवसरों हेतु 2003-08 के दौरान परामर्शदाता को विज्ञापनों, मुख्य धारा प्रैस में सम्पादकीय लेखन तथा टी.वी. चैनल्स पर अवसरों के प्रसारण के किसी प्रमाण जैसा कि स.ज्ञा. के अंतर्गत आवश्यक है के बिना कुल 49.91 लाख रू. का भुगतान किया था। परामर्शदाता ने बिना किसी बिल या सेवा-कर नम्बर के अपने लैटरहेड पर भुगतान के लिए दावे किए। भा.सां.सं.प. ने 2004-05 से 2006-07 की अवधि के दौरान परामर्शदाता को उनके पंजीकरण प्रमाण के बिना कुल 2.12 लाख रू. का सेवा-कर का भी भुगतान किया।

प्रबन्धन ने सितम्बर 2008 में बताया कि उन्होंने अप्रैल 2008 में दरों को संशोधित कर दिया था और तीन या चार अवसरों के लिए स.ज्ञा. के अनुसार राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया, जिसे वह एक अवसर हेतु पहले भुगतान कर रहा था। प्रबंधन का उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शक्ति प्रदान करता है।

इस प्रकार, सरकार की विज्ञापन नीति के उल्लंघन में तथा प्रैस सूचना ब्यूरो की सलाह के बगैर, परामर्शदाता को भा.सां.सं.प. द्वारा 49.91 लाख रू. का अनुचित भुगतान हुआ।

मामला सितम्बर 2008 को मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VIII : वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

8.1 बी.नि.वि.प्रा. के सदस्यों को अनुचित लाभ

बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) ने मार्च 2004 से जून 2008 के दौरान अपने सदस्यों के अनाधिकृत लाभों पर 25.38 लाख रु. खर्च किए।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के साथ पठित बी.नि.वि.प्रा. (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के अन्य अनुबंध एवं शर्तें) नियमावली, 2000 के प्रावधान के अनुसार, अध्यक्ष का वेतन भारत सरकार के सचिव के समान होना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसरण पूर्ण कालिक सदस्य का निर्धारण उसी प्रकार किया जाएगा। सेवा की अन्य शर्तें केन्द्रीय सरकार सिविल सेवाएं (संहिता) नियमावली, 1964 में अन्तर्विष्ट केन्द्रीय सरकार के वर्ग 'क' अधिकारी द्वारा आहरित समान वेतन के जैसी स्वीकार होंगी।

मार्च 2008 में, यह पाया गया था कि बी.नि.वि.प्रा. ने नियमों के उल्लंघन में अपने सदस्यों के आवास पर विभिन्न सुविधाएं जैसी कि 10000 रु. से 65000 रु. प्रति माह की दर पर बीमांकिक भत्तों का भुगतान, क्लब सदस्यता, ट्रेडमील तथा इनवर्टर आदि उपलब्ध कराया था। परिणामतः, बी.नि.वि.प्रा. ने मार्च 2004 से जून 2008 की अवधि के दौरान अपने सदस्यों को बढ़े हुए अनुचित लाभ से 25.38 लाख रु. का व्यय किया।

प्रबंधन ने मार्च 2008 में बताया कि लगातार बिजली कटौती के कारण इन्वर्टरस प्रदान किए गए थे तथा कार्यालय व्यायामशाला में स्थान की कमी होने के कारण आवासों पर ट्रेडमील प्रदान की गई थी। वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा पैराग्राफ के उत्तर में अक्टूबर 2008 में बी.नि.वि.प्रा. द्वारा भेजे गए पत्र की प्रति अग्रेषित करते हुए बताया कि बी.नि.वि.प्रा. में सभी व्यक्तियों को बीमांकिक भत्तों का भुगतान नवम्बर 2005 में प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार है जो उनकी नियामक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त योग्यता के स्तर/उत्तीर्ण किए गए विषयों की संख्या पर निर्भर करता है।

उत्तर बी.नि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए बी.नि.वि.प्रा. (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के अन्य अनुबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2000 के सामंजस्य नहीं है जो इसके सदस्यों को ऐसे

लाभ प्रदान करने की शक्तियों सहित प्राधिकार का प्रावधान नहीं करता। इसके अतिरिक्त क्लब सदस्यता, ट्रेडमील तथा इन्वर्टर आदि प्रदान करने हेतु कोई सरकारी आदेश नहीं है।

इस प्रकार, मंत्रालय का उत्तर न तो नियमों के सामंजस्य में है और न ही सरकारी आदेशों द्वारा समर्थित है।

मंत्रालय को बी.नि.वि.प्रा. को नियमों से परे दिए गए लाभों को वापस लेने तथा उन्हें भुगतान किए गए या इसके द्वारा व्यय किए गए 25.38 लाख रू. की अनियमित राशि की वसूली हेतु निर्देश देने चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

8.2 निवेशकों के धन का निष्फल व्यय

भा.प्र.वि.बो. द्वारा प्रतियोगितात्मक बोली के बिना तथा लोक टिप्पणियां प्राप्त करने से पहले तथा डाटा बेस तैयार करने का कार्य प्रदान करने के परिणामस्वरूप 11.54 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) ने भा.प्र.वि.बो. (बाजार भागीदारों का केन्द्रीय डाटा बेस) नियमन, 2003 के अन्तर्गत प्रतिभूति बाजार भागीदारों तथा निवेशक पहचान संख्या (बा.भा.नि.प.सं.) के केन्द्रीय डाटाबेस की स्थापना करना अधिसूचित (20 नवम्बर 2003) किया। डाटाबेस सभी बाजार भागीदारों तथा निवेशकों को उनके अनन्य पहचान संख्या (अ.प.सं.) के आबंटन के माध्यम से पंजीकरण करने हेतु था। इसमें भागीदारों के संबंध में जनांकिकी विवरण, जीवमितीय प्रभाव तथा डिजिटल फोटोग्राफ जैसे डाटा का संचयन तथा अनुरक्षण शामिल था।

भा.प्र.वि.बो. ने अन्य देशों में प्रचलित प्रक्रिया तथा प्रणाली के अध्ययन के उपरान्त डाटा बेस को बनाने के संबंध में एक व्यापक विचार-विमर्श दस्तावेज तैयार किया। इसने बिना किसी प्रतियोगितात्मक बोली के समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) के माध्यम से मई 2003 में राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा लि. (रा.प्र.ज.लि.) को बा.भा.नि.प.सं. का कार्य प्रदान किया। स.ज्ञा. के अनुसार, प्रत्येक बाजार भागीदारों को भा.प्र.वि.बो. के पास प्रत्येक को 300 रू. का पंजीकरण शुल्क जमा कराना अपेक्षित था जो रा.प्र.ज.लि. को इसके द्वारा जारी कार्डों की संख्या के आधार पर आवधिक अन्तरालों पर दिया जाना था। भा.प्र.वि.बो. के अभिलेखों में सही आधार जिस पर 300 रू. की दर निर्धारित की गई थी, उपलब्ध नहीं थे।

यह पाया गया कि भा.प्र.वि.बो. ने विचार विमर्श दस्तावेज को वेबसाइट पर डाला तथा भागीदारों से 20 सितम्बर 2003 तक अर्थात् रा.प्र.ज.लि. को कार्य प्रदान किए जाने के

चार महीने बाद, उनको फीडबैक भेजने को कहा। इसमें भा.प्र.वि.बो. ने बताया कि बाजार भागीदारों तथा लोगों से टिपणियाँ इसे बाजार भागीदारों के केन्द्रीय डाटाबेस को बनाने की योजना को अंतिम रूप देने में सहायक होगी। मध्यस्थों, बाजार भागीदारों, कम्पनियों आदि से डाटाबेस के बारे में आशंका व्यक्त कर रहे कई अभिवेदन प्राप्त हुए। डाटाबेस की स्थापना नवम्बर 2003 में की गई थी तथा जून 2005 तक 70 लाख डीमेट लेखों की तुलना में केवल तीन लाख बा.भा.नि.प.सं., अ.प.सं. ही जारी किए गए थे। भा.प्र.वि.बो. ने बा.भा.नि.प.सं. से संबंधित मामले के पुनः निरीक्षण हेतु एक समिति की स्थापना की (मार्च 2005) जिसने निर्णय दिया कि अंगुली छाप बहुल आई.डी., अ.प.सं. प्राप्त करने की लागत तथा प्रणाली की अपर्याप्त पहुंच से संबंधित निवेशकों की चिन्ताओं के कारण वर्तमान प्रणाली को जारी नहीं रखना चाहिए।

इन अनुशंसाओं के प्रकाश में, भा.प्र.वि.बो. ने बा.भा.नि.प.सं. नियमन के अन्तर्गत सभी नए पंजीकरणों तथा अ.प.सं. की आवश्यकताओं को निलम्बित (जुलाई 2005) कर दिया तथा रा.प्र.ज.लि. को भागीदारों से संग्रहित 11.54 करोड़ रु. का कुल भुगतान किया। अप्रैल 2007 से आगे, प्रतिभूति बाजार में सभी भागीदारों के लिए अनन्य पहचान संख्या के रूप में स्था.ले.सं. को अनिवार्य किया गया था। अभी तक रा.प्र.ज.लि. के पास डाटाबेस निष्क्रिय पड़ा हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2008) कि बा.भा.नि.प.सं. को प्रारंभिक आधार पर लिया गया था तथा आरम्भ में यह भागीदारों के छोटे दलों में प्रचालनात्मक किया गया था और इसके आच्छादन को धीरे-धीरे बढ़ाया गया। इसमें आगे यह भी बताया कि रा.प्र.ज.लि. को इसकी उपयुक्तता के निर्धारण के उपरान्त कार्य प्रदान किया गया था।

उत्तर एक अनुबोध है क्योंकि ये तथ्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है तथा मै. रा.प्र.ज.लि. तथा भा.प्र.वि.बो. के बीच हुआ स.ज्ञा. इस तथ्य को इंगित नहीं करता कि बा.भा.नि.प.सं. को आरम्भ में प्राथमिक आधार पर लिया गया था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रति भागीदार 300 रु. के निर्धारण के आधार के बारे में शांत था जिसे न तो प्रतियोगितात्मक आधार और न ही विचार विमर्श द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।

इस प्रकार, बाजार भागीदारों से बिना प्रतियोगितात्मक बोली तथा फीडबैक की प्रतीक्षा किए बिना, बा.भा.नि.प.सं. डाटाबेस का कार्य प्रदान करने के कारण जो डाटाबेस की व्यवहार्यता तथा इसके कार्यान्वयन में शामिल जोखिम के उचित निर्धारण को योग्य बना सकता था, भा.प्र.वि.बो. ने 11.54 करोड़ रु. का निष्फल व्यय किया।

अध्याय IX : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

9.1 अपात्र अभ्यर्थियों को यात्रा अनुदान की निमुक्ति

2003-04 से 2006-07 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपात्र अभ्यर्थियों को विदेश यात्रा हेतु 48.44 लाख रु. का यात्रा अनुदान संस्वीकृत किया था।

यात्रा अनुदान के अनुसार, अ.भा.त.शि.प.¹ द्वारा मान्यताप्राप्त विभागों/संस्थानों के मेधावी संकायों को अभियांत्रिकी तथा तकनीकी, प्रबंधन, भेषजी, वास्तुकला, नगर-आयोजन, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प इत्यादि के क्षेत्रों में अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी अथवा परिसंवाद में अनुसंधान कागजात के प्रस्तुतीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मानव संसाधन विकास द्वारा वित्तपोषित संस्थानों जैसे भा.प्रौ.सं.², भा.वि.सं.³ रा.प्रौ.सं.⁴ तथा भा.प्र.सं.⁵ में कार्यरत संकायों हेतु लागू नहीं है।

उक्त योजना दिशानिर्देशों की अवहेलना में, अ.भा.त.शि.प. ने 2003-04 से 2006-07 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित संस्थानों भा.प्रौ.सं., रा.प्रौ.सं. भा.वि.सं. इत्यादि में संकायों के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों जो यात्रा अनुदान हेतु अपात्र थे को कुल 48.44 लाख रु. का यात्रा अनुदान संस्वीकृत किया था। सितम्बर 2006 के बाद आवेदकों को यात्रा अनुदान बन्द कर दिया गया था।

सितम्बर 2008 में अ.भा.त.शि.प. ने बताया कि भा.प्रौ.सं. इत्यादि को सितम्बर 2006 तक पुरानी प्रथा के अनुसार यात्रा अनुदान उपलब्ध कराया था। अ.भा.त.शि.प. का उत्तर योजना दिशानिर्देशों से असंगत है जिसमें स्पष्ट अनुबंध है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित संस्थानों/विश्वविद्यालयों जैसे कि भा.प्रौ.सं., भा.वि.सं., रा.प्रौ.सं. तथा भा.प्र.सं. में कार्यरत आवेदक पात्र नहीं है।

¹ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

² भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

³ भारतीय विज्ञान संस्थान

⁴ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

⁵ भारतीय प्रबंधन संस्थान

मामला सितम्बर 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

9.2 1.32 करोड़ रु. की कम वसूली

2004-05 से 2007-08 के दौरान ज.ने.वि. ने अपने कर्मचारियों से जल प्रभारों की कम वसूली के कारण 1.32 करोड़ रु. की हानि वहन की।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (ज.ने.वि.) के स्टाफ क्वार्टरों एवं 17 छात्रावासों की जल खपत को दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) द्वारा सामूहिक मीटरों की सहायता से शुल्क लिया जाता है। प्रति इकाई खपत नियामक के आधार पर, ज.ने.वि. द्वारा शेष को छात्रावासों को अंश को समस्त उपयोग के 47 प्रतिशत के रूप में परिकलित किया (मई 2008) गया था। स्टाफ क्वार्टरों हेतु व्यक्तिगत जल मीटर अभी तक नहीं लगाए गए थे।

विश्वविद्यालय ने मार्च 2005 तक अपने कर्मचारियों से प्रति माह प्रति स्टाफ क्वार्टर 7 रु. से 17 रु. के बीच की समान दरों पर जल प्रभारों की वसूली की गई जिसके उपरान्त 21 रु. से 51 रु. प्रति माह (पुरानी दरों से तीन गुणा) प्रति स्टाफ क्वार्टर तक संशोधित कर दिया गया था। 7 रु. से 17 रु. की पुरानी जल दरों के निर्धारण के आधार अन्तर्विष्ट करने वाले दस्तावेज अनुमार्गणीय नहीं थे। मई 2006 में जल प्रभारों की नई दरों (अप्रैल 2005 से लागू) के निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की जांच ने उजागर किया कि वे स्टाफ क्वार्टरों द्वारा उपयोग किए गए जल की प्रतिशतता की गणना किए बिना तदर्थ आधार पर स्वीकृत किए गए थे।

2004-05 से 2007-08 के दौरान, ज.ने.वि. ने दि.ज.बो. को जल प्रभारों के प्रति 3.05 करोड़ रु. का भुगतान किया। यह मानते हुए कि उस अवधि के दौरान स्टाफ क्वार्टरों द्वारा उपभोग्य जल का प्रतिशतता अंश मई 2008 में निकाले गए अर्थात् 47 प्रतिशत के समरूप था, इस अवधि के लिए स्टाफ क्वार्टरों के धारकों से वास्तव में लगभग 1.43 करोड़ रु. की राशि वसूली योग्य थी। इसमें प्रति ज.ने.वि. ने उनसे केवल 11.38 लाख रु. की राशि की वसूली की।

इस प्रकार, इन चार वर्षों के दौरान ज.ने.वि. ने अपने कर्मचारियों से जल प्रभारों की कम वसूली के कारण लगभग 1.32 करोड़ रु. की हानि की।

मामला अगस्त 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

9.3 लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में भारतीय स्टेट बैंक तथा डाकघर को उपलब्ध कराई गई जगह हेतु निर्धारित दर पर लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं की जिसका परिणाम अप्रैल 2002 से मार्च 2008 तक की अवधि के लिए 23.30 लाख रु. की कम वसूली में हुआ।

सम्पदा निदेशालय, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी, उनके द्वारा आबंटित सामान्य पूल आवास से संचालित बैंकों एवं डाकघरों से प्रति माह क्रमशः 249 रु. एवं 92 रु. प्रति वर्ग मी. का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (ज.ने.वि.) को अप्रैल 2002 से लाइसेंस शुल्क की वसूली हेतु इन दरों का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय ने (फरवरी 1992) भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) को अपने परिसर में नीलगिरी काम्पलैक्स में 118.42 वर्ग मी. माप की जगह 1274.27 रु. प्रतिमाह के लाइसेंस शुल्क पर उपलब्ध कराई थी, जिसे फरवरी 2007 में 1401 रु. प्रतिमाह तक बढ़ा दिया गया था। ज.ने.वि. द्वारा बैंक से अप्रैल 2002 से मार्च 2008 तक की अवधि के लिए प्रभारित लाइसेंस शुल्क, जो कि जनवरी 2007 तक 1274.27 रु. प्रतिमाह एवं फरवरी 2007 तक 1401 रु. प्रतिमाह थी, सरकार द्वारा निर्धारित 249 रु. प्रति वर्ग मी. प्रतिमाह की दर से काफी कम थी। बैंक से इस दर पर वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क अप्रैल 2002 से मार्च 2008 तक 29487 रु. प्रतिमाह परिकलित होता था।

21.23 लाख रु. के कुल वसूली योग्य किराए के प्रति ज.ने.वि. ने केवल 0.94 लाख रु. की वसूली की थी, जिसका परिणाम इस अवधि के दौरान 20.29 लाख रु. की कम वसूली में हुआ।

इसके अतिरिक्त, ज.ने.वि. ने 29 जनवरी 1993 को 51.46 वर्ग मी. की जगह 554 रु. प्रतिमाह के लाइसेंस शुल्क पर डाकघर के संचालन हेतु भी आबंटित की थी। इस मामले में भी, ज.ने.वि. ने अप्रैल 2002 से लागू निर्धारित दर 92 रु. प्रति वर्ग मी. के शुल्क की वसूली नहीं की थी। अप्रैल 2002 से मार्च 2008 तक इस दर पर डाक विभाग से 3.41 लाख रु. के वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क के प्रति, ज.ने.वि. ने केवल 0.40 लाख रु. की वसूली की थी जिसका परिणाम 3.01 लाख रु. की कम वसूली में हुआ।

इस प्रकार, निर्धारित दरों पर किराये की वसूली करने में ज.ने.वि. की विफलता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2002 से मार्च 2008 की अवधि के लिए बैंक तथा डाक विभाग से 23.30 लाख रु. के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई।

ज.ने.वि. ने बताया (सितम्बर 2008) कि वह एक विशेष मामले के रूप में नाममात्र दरों पर बैंक से लाइसेंस शुल्क लेने के लिए सहमत था एवं डाक विभाग से किराया शुल्क लेने के संबंध में मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचार-विमर्श हेतु रखा जा रहा था। उत्तर सम्पदा निदेशालय के आदेशों की अपालना के विषय को सम्बोधित नहीं करता है।

मामला अगस्त 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

9.4 विज्ञापन पर 84 लाख रू. का परिहार्य व्यय

डी.ए.वी.पी. के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करने के मंत्रालय के निर्देशों के प्रतिकूल स्थानीय एजेंसी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण, एन.आई.टी. दुर्गापुर ने 84 लाख रू. का परिहार्य व्यय किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर (एन.आई.टी.) प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक में विज्ञापनों के माध्यम से विद्यार्थी, जनसाधारण और अन्य को अपनी शैक्षणिक पाठ्यक्रम और दीक्षान्त समारोह नोटिस इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रचार करता है।

नवम्बर 2007 में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार (सरकार) ने जुलाई 2005 में सभी एन.आई.टी. को निर्देश दिया कि वे दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), जो कि विज्ञापन संचालन करने हेतु एक नोडल एजेंसी है, के माध्यम से आपने सभी विज्ञापन दें। इस उद्देश्य के लिए, एन.आई.टी. को डी.ए.वी.पी. में खाता खोलने का निर्देश दिया, जिससे कि सभी विज्ञापन उनके द्वारा प्रस्तुत किये जा सकें। यद्यपि डी.ए.वी.पी. की दरें निजी समाचार एजेंसियों की दर से काफी कम (लगभग 85 प्रतिशत तक) है, फिर भी एन.आई.टी. ने सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए निजी एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापनों को प्रकाशित करने की पूर्व प्रथा को जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2006 से मार्च 2008 तक 84 लाख रू. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

नवम्बर 2007 में एन.आई.टी. ने तर्क किया कि डी.ए.वी.पी. के माध्यम से विज्ञापन देने में अधिक समय लगेगा लेकिन इसने जनवरी 2008 में डी.ए.वी.पी. में खाता खोलने के लिए मंत्रालय को निवेदन किया है।

एन.आई.टी. का दावा इस तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम और दीक्षान्त समारोह एन.आई.टी. के नियमित वार्षिक कार्यक्रम थे जिनके विज्ञापन हेतु

प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित सामान्य समय का ध्यान रखते हुए डी.ए.वी.पी. के साथ परामर्श करके पहले से ही योजना को बनाया जा सकता है।

इस प्रकार, डी.ए.वी.पी. के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण, एन.आई.टी. ने 84 लाख रू. का परिहार्य व्यय किया, जिसे टाला जा सकता था बशर्ते कि सरकार के जुलाई 2005 के आदेश के बाद डी.ए.वी.पी. में खाता खोल लिया गया होता।

इस मामले को जुलाई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय

9.5 कर्मचारी आवास की खरीद पर 2.58 करोड़ रू. का निष्फल व्यय

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों के लिए फ्लैटों के क्रय पर 2.58 करोड़ रू. का व्यय किया जो कि अप्रयुक्त रहे।

भारत सरकार (सरकार), वित्त मंत्रालय के आदेश (नवम्बर 1965), निर्धारित है कि मकान किराया भत्ता केवल उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्होंने सरकारी आवास हेतु आवेदन किया तथा उन्हें इन्कार किया गया था। ऐसे स्थानों जहाँ सरकारी आवास आवश्यकता से अधिक थे, सरकारी कर्मचारी को अधिकारिक सम्पदा प्रबंधक द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी ताकि उन्हें मकान किराया दिया जा सके। यह आदेश विभागीय पूल आवासों हेतु योग्य कर्मचारियों को भी आवृत्त करता है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय (रा.शै.यो.प्र.वि.) ने अपने कर्मचारियों से मांगों के आधार पर, उन्हें रिहायशी आवास प्रदान करने हेतु द्वारका में 2.05 करोड़ रू. के 25 फ्लैटों को 2002 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे थे। क्वार्टरों के विस्तार का कार्य 52.67 लाख रू. के व्यय पर चार वर्षों के उपरान्त पूर्ण किया गया था तथा आबंटन हेतु क्वार्टर मई 2006 में तैयार किए गए थे। यह पाया गया था कि इन फ्लैटों की खरीद हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए रा.शै.यो.प्र.वि. की स्थायी वित्त समिति की एक बैठक (मई 2000) के दौरान निदेशक (वित्त), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया था कि सरकार में रिहायशी आवासों का संतुष्टि स्तर लगभग 40 प्रतिशत था जिसे यथोचित माना गया था तथा विस्मित था क्या रा.शै.यो.प्र.वि. में इस स्तर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की कोई आवश्यकता थी। तथापि इस नियम की सचिव, शिक्षा द्वारा अवेहलना की गई थी। जब रा.शै.यो.प्र.वि. ने कर्मचारियों को मई

2006 तथा फरवरी 2007 में फ्लैट आबंटित किए उन्होंने फ्लैटों के आबंटन को स्वीकार नहीं किया।

चूंकि रा.शै.यो.प्र.वि. इसको अपना विभागीय पूल का अनुक्षण कर रहा था, इसे अपने कर्मचारियों को म.कि.भ. का भुगतान करने से पहले अ.प्र. प्राप्त करने के सरकारी आदेशों का पालन करना चाहिए था। तथापि यह पाया गया कि रा.शै.यो.प्र.वि. ने अपने कर्मचारियों को अ.प्र. के बिना जून 2006 से दिसम्बर 2008 के दौरान 23.05 लाख रू. के म.कि.भ. का भुगतान किया था। यह 1.47 लाख रू. की कुल लाइसेंस फीस से भी वंचित रहा था जो कर्मचारियों से वसूली जा सकती थी यदि उन्होंने आबंटन को स्वीकार किया होता।

इस प्रकार, रा.शै.यो.प्र.वि. ने म.कि.भ. के अग्राह्य भुगतान तथा लाइसेंस फीस की गैर वसूली के कारण 24.52 लाख रू. की हानि वहन की। इसके अतिरिक्त 2.58 करोड़ रू. की कीमत के सभी 25 फ्लैट दिसम्बर 2008 तक खाली पड़े रहे।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2008 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय X : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

10.1 लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन के बावजूद उपचारी कार्यवाही के कार्यान्वयन में विफलता

लोक लेखा समिति को आश्वासन कि उपचारी कार्यवाही की जाएगी के बावजूद प्रसार भारती ने रायॅल्टी के अधिक भुगतान करना जारी रखा।

प्रसार भारती अपने दूरदर्शन चैनल पर प्रसारण हेतु रा.फि.वि.नि.¹ से रायॅल्टी पर फिल्मों का प्रापण करती है। रायॅल्टी हेतु भुगतान प्रसार भारती द्वारा नियत दर कार्ड के आधार पर विनियमित हैं। कार्ड दर के अनुसार, रायॅल्टी शुल्क प्रति फिल्म 3 लाख रू. तथा 20 लाख रू. के बीच बढ़िया श्रेणीकृत पर निर्भर है। प्रथम प्रसारण से दो वर्षों के भीतर एक से अधिक अवसर पर उसी फिल्म के प्रसारण हेतु भुगतान द्वितीय तथा बाद के दोबारा प्रसारण हेतु क्रमशः 50 एवं 25 प्रतिशत के स्लाईडिंग स्केल पर नियमित किया जाता है।

प्रसार भारती द्वारा रा.फि.वि.नि. को किए 58.35 लाख रू. के अधिक भुगतान के संबंध में 2008 की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन सं.-सी.ए. 2 में उल्लेख किया गया था। मंत्रालय ने अपनी कार्यवाही रिपोर्ट में बताया (नवम्बर 2008) था कि सभी फिल्मों हेतु किए गए भुगतानों की समीक्षा हेतु कार्यवाही की जा चुकी थी तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक कदम उठा लिए गए थे जिससे कि अधिक भुगतान नहीं किए गए थे। इसके बावजूद यह पाया गया था कि दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा (फिल्म अनुभाग), प्रसार भारती की एक इकाई, ने उनके वर्गीकरण एक दोबारा प्रसारणों के संबंध में बिलों की उपयुक्त संवीक्षा की कमी के कारण तीन मामलों में मई से नवम्बर 2007 के दौरान रा.फि.वि.नि. को 21 लाख रू. की रायॅल्टी का अधिक भुगतान किया था। प्रसार भारती ने फिल्मों के प्रसारण की फिल्मवार तिथियों का अनुरक्षण नहीं किया तथा उनके दोबारा प्रसारणों के संदर्भ के बिना रा.फि.वि.नि. को भुगतान किया था।

मई 2008 में इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रसार भारती ने जुलाई 2008 में 21 लाख रू. की राशि की वसूली की। नवम्बर 2008 में उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि प्रसार भारती के फिल्म अनुभाग के कर्मचारियों को भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के पर्याप्त उपाय करने के निर्देश दिए जा चुके थे।

¹ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

प्रसार भारती द्वारा निरंतर अधिक भुगतानों ने दर्शाया कि उनकी आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि ने त्रुटिपूर्ण रहना जारी रखा तथा मंत्रालय आंतरिक नियंत्रण के दृढीकरण के संबंध में लोक लेखा समिति के निर्देशों के अपने आश्वासन के बावजूद यह सुनिश्चित करने में असफल था कि संगठन के प्रबंधन द्वारा इसको कार्यान्वित किया गया था।

अध्याय XI : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

11.1 पेंशन का कम भुगतान: 9.16 करोड़ रु.

पेंशन की गणना हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनाई गई कम्प्यूटरीकृत कर्मचारी पेंशन प्रणाली की प्रणाली अभिकल्पना में त्रुटि का परिणाम नमूना जांच किए गए मामलों में 9.16 करोड़ रु. की पेंशन के कम भुगतान में हुआ।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नियम 13 के अनुसार पेंशन हेतु योग्य एक सदस्य, पेंशन के संराशीकरण के तहत, सामान्यतः ग्राह्य पेंशन के स्थान पर वास्तविक मासिक पेंशन से 90 से 100 गुणा पर परिकल्पित पू.वा¹ का लाभ तथा लघुकृत पेंशन के आहरण हेतु चुनाव कर कर सकता है। संराशीकरण के उपरान्त देय मासिक पेंशन को पू.वा. की गणना के प्रयोजन हेतु वास्तविक मासिक पेंशन माना जाएगा। पू.वा. का लाभ उठाने का चुनाव करने पर सदस्य संराशीकृत पेंशन के 10 से 12.5 प्रतिशत तक लघुकृत पेंशन प्राप्त करेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देशव्यापी क.क.पें.प्र.², कर्मचारी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन लाभों की गणना तथा पेंशन भुगतान आदेशों को सृजित करने हेतु एक अनुप्रयोग, जो हैदराबाद, गून्टूर, बेंगलोर, मुम्बई, चण्डीगढ़, चैन्नई तथा दिल्ली स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में भी लागू था, प्रारम्भ की थी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2006 के प्रतिवेदन सं. 3 के पैरा 10.1 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोलकत्ता द्वारा पेंशन का कम भुगतान इंगित किया गया था। लोक लेखा समिति के दृष्टांत पर जारी सरकार के आदेशों के अनुसार जुलाई 2006 तक देय श्रम मंत्रालय द्वारा कार्रवाई टिप्पणी अगस्त 2008 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पेंशन से संबंधित 85,778 अभिलेखों की अतिरिक्त नमूना जांच तथा उनके द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेशों के आकड़ों के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि सदस्यों, जिन्होंने पू.वा. हेतु तथा पेंशन का संराशीकरण हेतु चुनाव किया था, को कुल 9.16 करोड़ रु. की कम पेंशन का भुगतान किया गया था क्योंकि प्रणाली को संराशीकरण को घटाने के उपरान्त देय पेंशन की शेष राशि के बजाए वास्तविक पेंशन को 10 से 12.5 प्रतिशत तक घटाने हेतु तैयार किया गया था जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

¹ पूंजी की वापसी

² कम्प्यूटरीकृत कर्मचारी पेंशन प्रणाली

क्षेत्र का नाम	नमूना जांच की अवधि	मामलो की संख्या जिन्होंने पू.वा. तथा पेंशन का चुनाव किया	कर्मचारियों की कुल कम राशि का भुगतान (लाख रुपये में)
क्षे.भ.नि.आ. ³ हैदाराबाद	2000-07	5,374	42.28
क्षे.भ.नि.आ. गून्टुर	2000-07	5,687	41.81
क्षे.भ.नि.आ. बैंगलोर	2005-07	638	4.07
क्षे.भ.नि.आ., मुम्बई	2000-06	3176	43.47
क्षे.भ.नि.आ., चण्डीगढ़	2000-07	784	7.17
क्षे.भ.नि.आ., चैन्नई	1998-07	66,540	732.88
क्षे.भ.नि.आ., दिल्ली	2000-08	3,579	44.20
योग		85,778	915.88

संबंधित क्षे.भ.नि.आ. ने कम भुगतान पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों हेतु कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2008 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

³ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अध्याय XII: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

12.1 पेंशन निधियों के निवेश पर हानियाँ

पेंशन निधियों के निवेश पर राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों के आह्वान करने में विफलता तथा घाटे में जा रही कम्पनी में निवेश करने के परिणाम स्वरूप 39 लाख रू. के ब्याज की हानि तथा 20 लाख रू. की निधियों का अवरोधन हुआ।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.) की पेंशन निधियाँ भा.लो.प्र.सं. के अधिकारियों एवं स्टाफ तथा गृह मंत्रालय (गृ.मं.) को समाविष्ट किए गए भा.लो.प्र.सं. पेंशन निधि ट्रस्ट संचालित की गई थी। न्यासियों इन निधियों को भा.लो.प्र.सं. पेंशन निधि विनियम, 1998 के नियम -6 के अनुसार निवेश करने हेतु प्राधिकृत थे। लेखापरीक्षा जाँच ने प्रकट किया कि भा.लो.प्र.सं. ने निम्नलिखित मामलों में अपने बकायों की गैर-वसूली हेतु संबंधित राज्य सरकारों की प्रत्याभूतियों का आह्वान नहीं किया था;

- (i) न्यासियों ने 1 दिसम्बर 2005 को भुगतान तिथि को अंतिम तिथि के साथ सात वर्षों हेतु मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (म.प्र.बि.बो.) द्वारा जारी 15 प्रतिशत डिबेंचर में 10 लाख रू. निवेश (दिसम्बर 1998) किए। बंधपत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्याभूति प्राप्त थे। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय था तथा मूलधन को 33 प्रतिशत, 33 प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत की दर पर क्रमशः 1 दिसम्बर 2003, 1 दिसम्बर 2004 एवं 1 दिसम्बर 2005 की तीन किश्तों में वापस किया जाना था। जनवरी 2001 तक 3 लाख रू. की राशि का ब्याज देने के पश्चात प्र.बि.बो. ना तो कोई ब्याज भुगतान किया और न ही देय तिथियों पर मूलधन की किश्तों का भुगतान किया। राज्य सरकार की प्रत्याभूति का आह्वान करने के स्थान पर भा.लो.प्र.सं. 18.25 लाख¹ रू. की राशि के मूलधन एवं ब्याज के अपने प्राप्यों के अंतिम निपटान में 12.77 लाख रू. को स्वीकार करने को सहमत हो गया (मई 2006)। इस प्रकार, 10 लाख रू. के मूलधन के समायोजन के पश्चात भा.लो.प्र.सं. ने 11.25 लाख रू. (मई 2006 तक) के प्राप्यों के प्रति 5.77 लाख रू. का कुल ब्याज प्राप्त किया जिसका परिणाम 5.48 लाख रू. की ब्याज की हानि में हुआ।

¹ 10 लाख रू. मूलधन जमा 1050000 रू. ब्याज (सात वर्षों हेतु 15 प्रतिशत की दर से) जमा 75000 रू. अतिदेय ब्याज (मई 2006 तक) = 2125000 रू. - 300000 = 18.25 लाख रू.।

- (ii) न्यासियों ने 25 दिसम्बर 2003 को भुगतान तिथि की अंतिम तिथि के साथ पाँच वर्षों हेतु उत्तर प्रदेश कोपरेटिव स्पीनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड (उ.प्र.को.स्पी.मि.फे.लि.) द्वारा जारी 14.90 प्रतिशत (कर योग्य) सुरक्षित विमोच्य उ.प्र.को.स्पी.मि.फे.लि. डिबेंचर बंधपत्रों में 20 लाख रू. का निवेश किया (दिसम्बर 1998)। ये बंधपत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्याभूति प्राप्त थे। मूलधन को 33 प्रतिशत, 33 प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत की दर पर क्रमशः 24 दिसम्बर 2002, 24 जून 2003 एवं 24 दिसम्बर 2003 की तीन किश्तों में वापस किया जाना था। दिसम्बर 1999 तक 2.98 लाख रू. की राशि का ब्याज देने के पश्चात उ.प्र.को.स्पी.मि.फे. ने न तो कोई ब्याज दिया और न ही देय तिथियों पर मूलधन की किश्तों का भुगतान किया। यद्यपि भा.लो.प्र.सं. ने मामला राज्य सरकार को प्रेषित किया (मई 2008) फिर भी इसने अपनी प्रत्याभूति का आह्वान नहीं किया। फलस्वरूप, यह मार्च 2008 तक उपार्जित 21.82 लाख² रू. का ब्याज भी नहीं वसूल सका। इसके अतिरिक्त, 20 लाख रू. की राशि का मूलधन भी चार वर्षों से अधिक के लिए अवरूद्ध रहा।
- (iii) यह पाया गया था कि न्यासियों ने उ.प्र. प्रदेशिया औद्योगिक एवं निवेश निगम लि. (उ.प्र.प्र.औ.नि.नि.लि.) जो कि घाटे में जा रही कम्पनी थी, के वचन पत्रों के प्रकार में नियमित बंधपत्रों में 20 लाख रू. का निवेश किया (मार्च 2002)। यह निवेश भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्याभूति प्राप्त था। ब्याज 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक आधार पर देय था तथा मूलधन के अंकित मूल्य पर पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर माँग विकल्प सहित 10 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत पर क्रमशः पाँचवें, छठे एवं सातवें वर्षों की समाप्ति पर तीन किश्तों में वापस किया जाना था। उ.प्र.प्र.औ.नि.नि.लि. ने अक्टूबर 2002 तक 1.30 लाख रू. की देय राशि का ब्याज अदा किया जिसके पश्चात कोई ब्याज अदा नहीं किया गया। राज्य सरकार की प्रत्याभूति का आह्वान करने के बावजूद भा.लो.प्र.सं. 31.70 लाख³ रू. की राशि के मूलधन एवं ब्याज के अपने प्राप्यों के अंतिम निपटान में 20 लाख रू. स्वीकार करने को सहमत हो गया (मार्च 2007)। इस प्रकार 20 लाख रू. के मूलधन के समायोजन के पश्चात

² पाँच वर्षों हेतु 14.90 प्रतिशत की दर से 20 लाख रू. पर ब्याज = 14.90 लाख रू. - 2.98 लाख रू. = 11.92 लाख रू.

परिपक्वता की तिथि पर देय कुल राशि 20 लाख रू. + 11.92 लाख रू. = 31.92 लाख रू.

6.20 प्रतिशत की प्रचलित दर पर 31.92 लाख रू. पर ब्याज = 9.90 लाख रू.

कुल ब्याज = 11.92 लाख रू. + 8.42 लाख रू. = 21.82 लाख रू.

³ 20 लाख रू. का मूलधन जमा 1300000 रू. ब्याज (पाँच वर्षों हेतु 13 प्रतिशत की दर से) = 3300000 रू. - 1300000 रू. = 31.70 लाख रू.

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

भा.लो.प्र.सं. ने 13 लाख रू. के प्राप्यों के प्रति 1.30 लाख रू. का कुल ब्याज प्राप्त किया जिसका परिणाम 11.70 लाख रू. के ब्याज की हानि में हुआ।

इस प्रकार, राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों का आह्वान न करने एवं घाटे में जा रही कम्पनी में निधियों का निवेश करने से भा.लो.प्र.सं. ने 39 लाख रू. की हानि वहन की। इसके अतिरिक्त, 20 लाख रू. की कुल निधियाँ पाँच वर्षों से अधिक के लिए अवरूद्ध रही।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2008) कि सभी निवेश आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किए गए थे तथा बंधपत्र संबंधित राज्य सरकारों की बिना शर्त अप्रतिसंहार्य प्रत्याभूतियों के अंतर्गत आवृत थे। तथापि, उत्तर संबंधित राज्य सरकारों का प्रत्याभूतियों का आह्वान न करने के मामले पर मौन था। यह घाटे में जा रही कम्पनी में निधियों को निवेश करने के मामले में भी मौन था।

इस प्रकार, तथ्य यह रह जाता है कि राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों का आह्वान करने के स्थान पर पारस्परिक निपटान के लिए जाने एवं घाटे में जा रही कम्पनी में निधियों के निवेश से भा.लो.प्र.सं. को 39 लाख रू. की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, 20 लाख रू. की राशि चार वर्षों से अधिक के लिए अवरूद्ध रही (दिसम्बर 2008)।

अध्याय XIII: जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय

कोचीन पत्तन न्यास

13.1 समय पर बीमे के नवीकरण नहीं करने से 1.04 करोड रू. का परिहार्य व्यय

एक निकर्षण पोत के बीमे के नवीकरण से संबंधित निर्णय लेने में विलंब के कारण कोचीन पत्तन न्यास द्वारा 1.04 करोड रू. का परिहार्य व्यय किया गया।

कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) द्वारा अपने निकर्षण पोत, जी.एच.डी. - नेहरू शताब्दी, का 2000 से कुल हानि, आंशिक हानि, कुल संघर्ष देयताओं तथा निस्तारण प्रभारों जैसे जोखिमों के लिए बीमाकरण किया गया था। चूंकि निकर्षण पोत का बीमा अप्रैल 2006 में समाप्त होने वाला था, इसका 1 मई 2006 को नवीकरण करना नियत था। समाप्ति तिथि के केवल 14 दिनों के पहले अर्थात् 17 अप्रैल 2006 को को.प.न्या. ने अपनी परिसंपत्तियों के बीमाकरण के लिए चार सार्वजनिक क्षेत्र तथा एक निजी क्षेत्र बीमा कंपनियों से दरें आमंत्रित कीं। अंतिम तिथि के भीतर प्राप्त तीन बोलियों में से, मैसर्स नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के 4.20 लाख रू. के वार्षिक प्रीमियम का प्रस्ताव किफायती पाया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया (जून 2006)। तथापि, निकर्षण पोत को प्रशासनिक विलंब के कारण 6 दिसंबर 2006 से आगे ही बीमाकृत किया गया था।

इस बीच, 24 अक्टूबर 2006 को निकर्षण पोत को.प.न्या. के बाहरी चैनल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसे क्षति पहुंची। चूंकि इस अवधि के दौरान कोई बीमा नहीं था, इसलिए को.प.न्या. को अपने संसाधनों से इसकी मरम्मत के लिए 1.04 करोड रू. का व्यय करना पड़ा।

अतः, पिछली बीमा पालिसी की समाप्ति के तुरंत बाद निकर्षण पोत का बीमाकरण नहीं करने से, को.प.न्या. को 1.04 करोड रू. का परिहार्य व्यय उठाना पड़ा।

इसके उत्तर में को.प.न्या. ने बताया (सितंबर 2008) कि महापत्तन न्यास अधिनियम में परिसंपत्तियों के बीमे के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था तथा को.प.न्या. ने 2000 से कुछ परिसंपत्तियों का बीमाकरण स्वतः ही आरम्भ किया था। को.प.न्या. ने आगे यह कहा कि प्रचालन व्यय के प्रति दुर्घटना प्रभारों को प्रभारित करना एक नीतिगत निर्णय था तथा नीतिगत मामले के अनुसार, बहुत पुरानी परिसंपत्तियों के बीमे का लगातार नवीकरण नहीं किया जाता था।

इस तथ्य को मद्दे नजर रखते हुए कि को.प.न्या. द्वारा न केवल अपनी परिसंपत्तियों का बीमा 2000 से कर रहा था बल्कि दुर्घटना के बाद निकर्षण पोत के बीमे का नवीकरण किया गया था, प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है। यदि को.प.न्या. ने 30 अप्रैल 2006 को बीमा की समाप्ति के तुरंत बाद बीमा किया होता, तो निकर्षण पोत की मरम्मत के लिए किए गए 1.04 करोड़ रू. के व्यय से बचा जा सकता था।

यह मामला नवंबर 2008 को मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

मोरमुगाव पत्तन न्यास

13.2 2.68 करोड़ रू. का व्यर्थ निवेश

क्रूज यात्रियों के लिए अपेक्षित सुविधाओं की कमी के कारण टर्मिनल का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप 2.68 करोड़ रू. का व्यर्थ निवेश हुआ।

भारत में क्रूज जहाजरानी तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मोरमुगाव पत्तन को सम्मिलित करते हुए सात पत्तनों में क्रूज जहाजरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2004)। तदनुसार, संबंधित पत्तन न्यास को, संभाव्यता रिपोर्टों को, मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मोरमुगाव पत्तन न्यास (मो.प.न्या.) ने जलयानों को टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विद्यमान पारगमन शेड को आशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया (अप्रैल 2005)। यह कार्य 2.65 करोड़ रू. के व्यय पर नवम्बर 2005 में पूरा किया गया था। यह पाया गया था कि जुलाई, 2008 तक टर्मिनल का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि क्रूज यात्रियों के लिए टर्मिनल में अपेक्षित मनोरंजक तथा दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यह भी पाया गया कि टर्मिनल में लगाए गए वातानुकूलित उपकरण के अनुस्क्षण में मो.प.न्या. ने मार्च 2008 तक 2.59 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय वहन किया था।

इस प्रकार, क्रूज यात्रियों को पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण लगभग तीन वर्ष तक टर्मिनल के उपयोग न होने के परिणामस्वरूप 2.68 करोड़ रू. का व्यर्थ निवेश हुआ।

पत्तन प्राधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2007) कि इस अवधि के दौरान यात्रियों का जहाज पर चढ़ना या जहाज से उतरना न होने के कारण टर्मिनल सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा सका था। मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2008) कि क्रूज यात्रियों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे।

पत्तन/मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा के निर्णय की पुष्टि करता है कि आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण टर्मिनल अप्रयुक्त रहा।

13.3 22.28 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय

ठेकेदार द्वारा अन्तरित रीच स्टैकर के इन-हाऊस संचालन की व्यवस्था न करने से मोरमुगाव पत्तन न्यास ने 22.28 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय किया।

मोरमुगाव पत्तन न्यास (मो.प.न्या.) ने एक ठेकेदार को 60.39 लाख रू. प्रति वर्ष की लागत पर 10 वर्षों की अवधि के लिए, पत्तन में कन्टेनरों के संचालन हेतु "निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अंतरण" (बी.ओ.ओ.टी.) के आधार पर एक रीच स्टैकर उपलब्ध कराने का कार्य प्रदान किया (फरवरी 1997)। 4 अप्रैल, 1997 को रीच स्टैकर को लगाया गया था और 3 अप्रैल 2007 को ठेका समाप्त हुआ। फलस्वरूप स्टैकर मो.प.न्या. की सम्पत्ति बन गया।

यद्यपि, ठेका समाप्त होना अपेक्षित था फिर भी मो.प.न्या. ने रीच स्टैकर को संचालित करने के लिए अपने क्रेन चालकों को प्रशिक्षित करने या उस उद्देश्य के लिए ठेके पर चालकों की नियुक्ति करने के संबंध में कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की थी। इसके बजाए इसने, अगले छः माहों के लिए रीच स्टैकर के संचालन को जारी रखने के लिए ठेकेदार से अनुरोध किया गया जिसे उन्होंने 5 लाख रू. प्रति माह संचालन प्रभार पर इस कार्य को स्वीकार कर लिया था। ठेकेदार ने 11 अक्टूबर, 2007 तक स्टैकर को संचालित किया उसके बाद न्यास के कंटेनर को संचालित करने के पूरे कार्य, एक निजी पार्टी को आउटसोर्स किए गए थे (12 अक्टूबर 2007)। रीच स्टैकर को संचालन करने के लिए 4 अप्रैल से 11 अक्टूबर 2007 तक मु.प.न्या. ने 31.83 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मो.प.न्या. बोर्ड को प्रस्तुत किए गए अनुमानों के अनुसार (अप्रैल 2007) देखने पर यदि पत्तन 1.50 लाख रू. के मासिक व्यय पर रीच स्टैकर का संचालन करता तो इसे करने के लिए इसे तीन संचालक और तीन हैल्पर किराये पर लेने होते। इस व्यवस्था के अंतर्गत रीच स्टैकर का संचालन का खर्च ऊपर उल्लिखित अवधि में, ठेकेदार को भुगतान किए गए 31.83 लाख रू. के प्रति केवल 9.55 लाख रू. ही होते।

अतः बी.ओ.ओ.टी. ठेके की समाप्ति के बाद रीच स्टैकर के संचालन की व्यवस्था करने के लिए समय पर कार्रवाई न करने की मो.प.न्या. की विफलता के परिणामस्वरूप 22.28 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय का भार उठाना पड़ा।

न्यास प्राधिकारियों ने बताया (जून 2008) कि उन्होंने न्यास में कंटेनर को संचालित करने के कार्य को आउटसोर्स से करवाने का निर्णय ले लिया था। तथापि, निविदा आदि में विलम्ब हुआ था। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के कारण कार्यशक्ति में रिक्तिकरण के कारण कंटेनर से संबंधित कार्य के लिए कर्मचारियों को विशिष्ट रूप से चिह्नित नहीं किया जा सका था। अतः मासिक भुगतान करके रीच स्टैकर का संचालन अनिवार्य हुआ था। मंत्रालय ने न्यास के उत्तर को अपनी सहमति दी (जून 2008)।

मो.प.न्या./ मंत्रालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उच्च दरों पर बी.ओ.ओ.टी. ठेकेदार के साथ कार्य जारी रखने के बजाय बोर्ड को सूचित की गई अनुमानित लागत पर तीन संचालकों तथा तीन सहायकों को किराये पर लगाकर रीच स्टैकर का संचालन अधिक किफायती होता। मो.प.न्या. को ठेके की समाप्ति के पहले इस व्यवस्था को उपयुक्त बनाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए।

मुम्बई पत्तन न्यास

13.4 लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

मुम्बई पत्तन न्यास ने अपने भूमि/भवन के पट्टेदारी के 18 मामलों में लाइसेंस शुल्क को संशोधित नहीं किया जिसका परिणाम अक्टूबर 2001 से दिसम्बर 2006 की अवधि हेतु 62.63 लाख रु. की कम वसूली में हुआ।

मुम्बई पत्तन न्यास (मो.प.न्या.) अपने डॉक क्षेत्र में कई सरकारी तथा निजी पार्टियों को पट्टेदारी के आधार पर जगह उपलब्ध कराता है। अक्टूबर 2001 से पहले यह इन पट्टेधारियों से व्यक्तिगत आबंटन आदेशों जो समय-समय पर संशोधित किए गए थे, में निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क प्रभारित कर रहा था। अक्टूबर 2001 से आगे, यह प्रभार महा पत्तन न्यासों हेतु टैरिफ प्राधिकरण (म.प.न्या.टै.प्रा.) द्वारा अनुमोदित दरों के डॉक के मान में शामिल थे। दरों के मान के अनुसार, मो.प.न्या. को खुले जगह क्षेत्र हेतु 90 रु. प्रति वर्ग मी. तथा अपने भवनों में जगह हेतु 165 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से लाइसेंस शुल्क प्रभारित करना चाहिए था। इन दरों को म.प.न्या.टै.प्रा. ने 31 दिसम्बर 2006 से आगे संशोधित कर दिया था।

39 मामलों की लेखापरीक्षा संविधा ने उजागर किया कि मो.प.न्या. ने 21 मामलों में अक्टूबर 2001 से प्रभावी लाइसेंस शुल्क की नई दरों को लागू किया था जबकि ये 834.78 वर्ग मी. की कुल जगह को आच्छादित करते हुए 18 मामलों में लागू नहीं किया गया था जिसके कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। तथापि, 31 दिसम्बर 2006 से प्रभावी संशोधित लाइसेंस शुल्क सभी मामलों में लागू किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि अक्टूबर 2001 से प्रभावी लाइसेंस शुल्क की नई दरों को उक्त 18 मामलों में लागू किया जाना चाहिए था। तथापि, इन 18 मामलों में अक्टूबर 2001 से दिसम्बर

2006 की मध्यवर्ती अवधि हेतु 74.79 लाख रू के कुल वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क के प्रति मो.प.न्या. ने केवल 11.86 लाख रू की राशि के लाइसेंस शुल्क की वसूली की। जिसका परिणाम 62.63 लाख रू की कम वसूली में हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2008) कि बकायों की वसूली हेतु कार्रवाई आरम्भ की जा रही थी।

13.5 अधिसूचित प्रभारों की उगाही में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

पत्तन क्षेत्रों में पोतों को जल आपूर्ति हेतु लाइसेंस प्राधिकरणों पर प्रभारों की उगाही में विलम्ब

मुम्बई पत्तन न्यास (मो.प.न्या.) अपने डॉक तथा बन्दरस पर पोतों को जल आपूर्ति की इसकी सुविधाओं को लाइसेंस अभिकरणों द्वारा प्रयोग करने के लिए अनुमत कर रहा था। कार्यकलाप को नियामक ढांचे के अन्तर्गत लाने के कारण से मो.प.न्या. ने इन सुविधाओं के इन अभिकरणों द्वारा प्रयोग करने पर प्रति 1000 लीटर 30 रू की उगाही हेतु महा पतनों हेतु टैरिफ प्राधिकरण (म.प.न्या.टै.प्रा.) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितम्बर 2005)। म.प.न्या.टै.प्रा. ने सितम्बर 2006 में प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया तथा गजट अधिसूचना के उपरान्त 31 दिसम्बर 2006 से उगाही लागू हो गई।

लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि मो.प.न्या. ने लगभग सात महीनों के विलम्ब के उपरान्त 18 अगस्त 2007 से उगाही को लागू किया। प्रबंधन द्वारा उगाही के कार्यान्वयन में विलम्ब को बन्दरस के प्रति इसकी व्यवहारिकता के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता को आरोपित किया क्योंकि म.प.न्या.टै.प्रा. द्वारा अनुमोदित दरों के मान में लाइसेंस अभिकरणों द्वारा जल आपूर्ति हेतु लागू करने के लिए प्रावधान विनिर्दिष्ट नहीं थे। मो.प.न्या. ने 2 अगस्त 2007 को अपने वित्तीय सलाहकार से स्पष्टीकरण मांगा तथा उसने स्पष्टीकृत किया (अगस्त 2007) कि नई उगाही सभी क्षेत्रों/जगहों के प्रति व्यवहार्य थी। परिणामतः 14 अगस्त 2007 को उगाही हेतु आदेश जारी किए गए तथा मो.प.न्या. ने 18 अगस्त 2007 से नए प्रभारों की वसूली प्रारम्भ कर दी। इसने 18 अगस्त से 17 सितम्बर 2007 तक 23288 लीटर की जल आपूर्ति हेतु 6.98 लाख रू का संचयन किया। यह पाया गया कि लाइसेंस प्राधिकरणों द्वारा जल की आपूर्ति हेतु प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता था कि मो.प.न्या. की सुविधाओं के प्रयोग हेतु प्रभारों की उगाही की जाएगी तथा इसलिए वहाँ किसी स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, मो.प.न्या. ने सात महीनों के विलम्ब के उपरान्त 2 अगस्त 2007 को ही स्पष्टीकरण मांगा था।

इस प्रकार नई उगाही के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण मो.प.न्या. को 31 दिसम्बर 2006 से 17 अगस्त 2007 तक की अवधि के दौरान जल आपूर्ति पर लगभग 53.10

लाख रू. की हानि का वहन करना पड़ा। चूंकि मो.प.न्या. ने नए प्रभारों की उगाही के उपरान्त ही जल आपूर्ति के संबंध में डाटा अनुरक्षण करना प्रारम्भ किया था तथा 18 अगस्त से 17 सितम्बर 2007 की अवधि हेतु जल आपूर्ति के संबंध में डाटा 31 दिसम्बर 2006 से 17 अगस्त 2007 की अवधि हेतु प्रतिमाह जल की औसत आपूर्ति को निकालने हेतु प्रयोग में लाया गया।

मामला मंत्रालय को प्रेषित (जुलाई 2008) किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास

13.6 40 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास ने मान्यता अवधि के समाप्ति के बाद क्रय आदेश प्रस्तुत करके डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी से लोकोमोटिव के प्रापण में 40 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वी.पी.टी.) ने अपने दो अल्प शक्ति के लोकोमोटिव वी.पी.टी.-9 एवं वी.पी.टी.-10 जो अपने निर्धारित लाभकारी समय से टिके हुए थे को बदलने के लिए डब्ल्यू.डी.एस.-6 (1350 एच.पी.) एवं डब्ल्यू.डी.जी 3ए (3100 एच.पी.) विनिर्दिष्टता वाले डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव की आपूर्ति हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी (डी.एल.डब्ल्यू.) से निविदा आमंत्रित (22 फरवरी 2006) की।

डी.एल.डब्ल्यू. ने डब्ल्यू.डी.एस.-6 एवं डब्ल्यू.डी.जी 3ए लोकोमोटिव की आपूर्ति के लिए, कर एवं अन्य प्रभारों को छोड़कर 30 अप्रैल 2006 की वैधता अवधि सहित क्रमशः 5.78 करोड़ रू. एवं 7.39 करोड़ रू. का यूनिट मूल्य उद्धृत किया (23 फरवरी 2006) जिसकी मान्यता अवधि 30 अप्रैल 2006 तक है। वी.पी.टी. ने डी.एल.डब्ल्यू. को इस प्रकार के लोकोमोटिव का सुझाव देने के लिए अनुरोध किया (6 अप्रैल 2006) जो अकेले ही 58 एन. बॉक्स रेक्स के पूरे विद्युत भार को संचालित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। डी.एल.डब्ल्यू. ने सुझाव दिया (10 अप्रैल 2006) कि इस उद्देश्य के लिए डब्ल्यू.डी.जी 3 ए सबसे अधिक उपयुक्त है तथा दोहराया कि मूल्य के परिवर्तन से बचने के लिए क्रय आदेश को 30 अप्रैल 2006 के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यह पाया गया कि वी.पी.टी. ने एक डब्ल्यू.डी.जी. 3 ए लोकोमोटिव के लिए क्रय आदेश 15 नवम्बर 2006 अर्थात् वैधता अवधि की समाप्ति के साढ़े छः माह के बाद प्रस्तुत किया। उस समय तक, डी.एल.डब्ल्यू. ने डब्ल्यू.डी.जी. 3 ए लोकोमोटिव के यूनिट मूल्य को 7.39 करोड़ रू. से 7.70 करोड़ रू. तक बढ़ा दिया था। तदनुसार, कर

एवं अन्य प्रभार सहित लोकोमोटिव पहुँचाने की लागत 9.49 करोड़ रू. से 9.89 करोड़ रू. तक बढ़ गई। इस प्रकार, क्रय आदेश को वैधता अवधि के अन्दर प्रस्तुत न करने से वी.पी.टी. ने 40 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

उत्तर में, वी.पी.टी. ने बताया (अक्टूबर 2008) कि उसने उच्च शक्ति वाले लोकोमोटिव प्राप्त करने का अपना अभिप्राप्त इरादा डी.एल.डब्ल्यू को अभिव्यक्त किया था तथा उन्हें वित्तीय प्रतिबद्धता के बैगर एक बजटीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। इसने आगे बताया कि बजटीय उद्धरण प्राप्त करने का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं था कि क्रय आदेश इसमें शामिल प्रक्रिया को अपनाए बगैर वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इसने आगे बताया कि 5 करोड़ रू. से अधिक मूल्य वाले पूंजीगत उपकरणों के प्रापण में प्रशासनिक कार्यविधि के कारण सामान्यतः कम से कम छः माह का समय लगता था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव की शर्तों से अवगत होने के बाद यह वी.पी.टी. के हित में था कि इस प्रकार कार्य करें जिससे खरीद सभी कार्यालयी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अधिक मितव्ययता से की जा सके और मूल्यों में परिवर्तन से बचने के लिए आदेशों को समय के भीतर प्रस्तुत किया जा सके।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2008 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

13.7 38.18 लाख रू. के राजस्व का घाटा

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को वैधता अवधि की समाप्ति के बाद क्रय आदेश प्रस्तुत करने के कारण सेल से सामग्री के प्रापण में 38.18 लाख रू. की हानि उठाई।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वि.प.न्या.) ने 1606 एम.टी. रेल (105 एल.बी.एस. श्रेणी-III औद्योगिक उपयोग) के प्रापण के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी किया (अक्टूबर 2006)। चूंकि केवल एक ही टेंडर प्राप्त हुआ था, वी.पी.टी. ने मैसर्स जिंदल एवं मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (सेल) से 28 मार्च 2007 को टेंडर खोलने की तिथि से विशेष सीमित निविदा पूछताछ आमंत्रित की (फरवरी 2007)। मैसर्स जिंदल ने निविदा उद्धृत करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (मार्च 2007), जबकि सेल ने वी.पी.टी. के सम्मुख तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली प्रस्तुत की (मार्च 2007)। तकनीकी बोली के अनुसार, रेलों के लिए उद्धृत किया गया मूल्य टेंडर खोलने की तिथि अर्थात् 28 मार्च 2007 से सुपुर्दगी सहित तीन माह के लिए वैध थी। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित था कि तीन माह की समाप्ति के बाद, सुपुर्दगी के समय जो मूल्य होगा, वही लागू होगा।

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

इसके बावजूद, सेल के मूल्य प्रस्ताव में निर्धारित समय सीमा से अवगत हुए, वी.पी.टी. ने टेंडर को अंतिम रूप देने में शामिल औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब किया। केवल तकनीकी बोली जिसमें कोई भी मूल्य उद्धृत नहीं किया गया था को 28 मार्च 2007 को खोला गया। मूल्य बोली जिसमें 28800 रू. प्रति एम.टी. की उद्धृत की गई को केवल 6 जून 2007 को अर्थात् वैधता अवधि की समाप्ति से 22 दिन पहले खोला गया। वैधता अवधि 28 जून 2007 को समाप्त हो गई तथा वि.प.न्या. ने 1255 एम.टी. के लिए 29950 रू. प्रति एम.टी. तथा 340.27 एम.टी. के लिए 35780 रू. प्रति एम.टी. की बढ़ाई गई दरों पर रेलों का प्रापण (जुलाई-नवम्बर 2007 के बीच) किया, इस प्रक्रिया में परिहार्य अतिरिक्त व्यय करते हुए 38.18 लाख रू. का खर्च किया गया।

प्रबंधन ने बताया (मई 2008) कि क्रय आदेश में दर का उल्लेख होने के बावजूद भी दर एवं आपूर्ति उनके नियंत्रण में नहीं थी तथा सेल की नीति के अनुसार सुपुर्दगी के समय प्रचलित दर को सदैव उन्हीं से प्रभारित किया जाता था। मंत्रालय ने प्रबंधन के अभिमत की पुष्टि की (सितम्बर 2008)।

मंत्रालय का उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता था कि कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने में विलम्ब क्यों हुआ था जिससे प्रस्ताव के वैधता के दौरान प्रापण को प्रभावित कर सकता था।

अध्याय XIV: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारतीय सांख्यिकी संस्थान

14.1. बैंकों तथा डाकघर से 59.51 लाख रू. के किराये की अवसूली

सरकार के आदेश का अपसरण करते हुए भारतीय सांख्यिकी संस्थान की अपने परिसर में बैंकों और डाकघर से किराए के रूप में 59.51 लाख रू. के कुल किराए की वसूली करने में विफल था।

नवम्बर 1982 में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकता (आई.एस.आई) ने अपने कार्यालय भवन में इलाहाबाद बैंक, डनलप ब्रीज शाखा (बैंक) को 925 वर्ग फुट का स्थान एक्सटेंशन काउंटर चलाने के लिए दिया। जून 2006 से, इसने बैंक को एक ए.टी.एम. चलाने के लिए 95 वर्ग फुट की जगह भी अपने परिसर में अनुमत की।

यह पाया गया कि आई.एस.आई. ने बैंक को एक्सटेंशन और ए.टी.एम. काउंटर के लिए उपलब्ध कराये गए स्थान के लिए किराया प्राप्त नहीं कर रहा था जबकि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (सरकार) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन[♦] के अनुसार आई.एस.आई. को 16 मार्च 1999, 1 अप्रैल 2002 और 1 अप्रैल 2005 से क्रमशः 220 रू., 249रू और 279 रू. प्रतिमाह की दर से किराया वसूल करना था। 16 मार्च 1999 से मई 2008 की अवधि हेतु इस कारण किराये की गैर-वसूली की कुल राशि 24.52 लाख रू. बनती है। 16 मार्च 1999 से पहले की प्रवृत्त दरों से संबंधित अभिलेखों अनुपलब्धता के कारण, उस तिथि से पूर्व किराये की गैर-वसूली पर विचार नहीं किया गया।

दिसम्बर 2001 में आई.एस.आई. ने अपने परिसर में 2500 वर्ग फुट के क्षेत्र को एक डाकघर को उसके कार्यालय आवास हेतु 5000 रू. प्रतिमाह की दर के टोकन किराये पर दिया जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से काफी कम था। इस कारण 15 दिसम्बर 2001 से मई 2008 की अवधि में 13.62 लाख रू. की कम वसूली हुई।

इस प्रकार, आई.एस.आई. के दिल्ली केन्द्र ने अपने परिसर में इंडियन बैंक, महारौली इन्स्टीच्यूशनल एशिया शाखा को अक्टूबर 1998 से 37263 रू. प्रति माह की दर पर 2710 वर्ग फुट माप का एक स्थान किराये पर दिया जो अक्टूबर 2002 और अक्टूबर 2006 से क्रमशः 44716 रू. और 54200 रू. प्रतिमाह संशोधित किया गया था। ये सभी

[♦] 1 जनवरी 2004, 11 नवम्बर 2005 और 19 दिसम्बर 2007

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

दरें सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से कम थीं जिसके परिणामस्वरूप 21.37 लाख रू के किराये की कम वसूली हुई।

इस प्रकार, आई.एस.आई. द्वारा सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अवसूली के कारण 59.51 लाख रू की हानि तथा अपने ग्राहकों से किराये की कम वसूली हुई।

यह मामला जून 2008 में मंत्रालय को सूचित किया गया और उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XV: शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

15.1 पार्किंग लॉट की गैर-उपयोगिता के कारण 1.20 करोड़ रु. की निधि का अवरोधन

के.लो.नि.वि. मैनुअल के संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में ठेकेदार को पार्किंग लॉट के लिए कब्जा रहित कार्यस्थल की और संरचनात्मक आरेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में दि.वि.प्रा. की विफलता के परिणामस्वरूप 1.20 करोड़ रु. की निधियों का अवरोधन तथा 22 लाख रु. की राजस्व हानि हुई क्योंकि पार्किंग लॉट निष्क्रिय पड़ा था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) मैनुअल का पैरा 15.2.13 निर्धारित करता है कि आमंत्रित निविदा सूचना (एन.आई.टी.) को स्वीकृत करने से पहले सुस्पष्ट स्थल, ठेकेदार को सामग्री और अपेक्षित आरेखों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना विभागीय प्राधिकरियों का कर्तव्य है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली स्थित पार्किंग लॉट 'डी' के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को 87.14 लाख रु. की निविदा लागत पर सौंपा जिसकी प्रारम्भ तथा समाप्त करने की तिथि क्रमशः 9 फरवरी 2006 और 8 अगस्त 2006 थी। चूंकि ठेकेदार को सुस्पष्ट स्थल और संरचनात्मक आरेखों समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई इसलिए कार्य में असाधारण रूप से विलम्ब हुआ। फलस्वरूप दि.वि.प्रा. को, मूल्यों में वृद्धि के कारण मार्च 2008 तक निष्पादित कार्य के लिए ठेकेदार को 1.20 करोड़ रु. की अदायगी करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप 33.14 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ। कार्य नवम्बर 2008 तक अपूर्ण पड़ा था।

यह भी देखा गया कि पार्किंग लॉट के अनुमान में इसकी पहुँच सड़क का कार्य सम्मिलित नहीं था जो बाद में दूसरे ठेकेदार को जून 2008 में 13.92 लाख रु. की लागत पर सौंपा गया। इस कार्य को दो महीने में समाप्त किया जाना था, लेकिन यह नवम्बर 2008 तक अपूर्ण रहा।

इस प्रकार संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में कब्जा रहित कार्यस्थल और आरेखों की उपलब्धता के बिना पार्किंग लॉट का निर्माण कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप 1.20 करोड़

रु. के व्यर्थ व्यय में परिणित हुआ और लगभग 22* लाख रु. के परिणामी राजस्व की हानि हुई क्योंकि पार्किंग लॉट समय पर पूरा नहीं हुआ था।

इसके अतिरिक्त मूल कार्य के अनुमानों में पहुँच सड़क के प्रावधानों को सम्मिलित न करना दि.वि.प्रा. की त्रुटिपूर्ण योजना को दर्शाता है।

दि.वि.प्रा. ने कार्य के निष्पादन में विलंब को स्वीकार किया (जनवरी 2008) और बताया कि पार्किंग लॉट अब नीलामी के लिए उपलब्ध था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित पार्किंग लॉट की पहुँच सड़क का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। पार्किंग लॉट तक पहुँच सड़क को पूरा किए बिना पार्किंग लॉट को प्रचालन योग्य नहीं बनाया जा सकता है और इसकी नीलामी भी नहीं की जा सकती है। तदनुसार विभाग को निरन्तर राजस्व हानि उठानी पड़ेगी।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2009 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

15.2 66.26 लाख रु. का अनियमित व्यय

इनहाऊस सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निजी प्रैस से आवासीय योजना के लिए ब्राऊजर को छपवाने का परिणाम 66.26 लाख रु. के अन्यायोचित व्यय में हुआ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने दिसम्बर 1994 से जून 2005 तक अपनी प्रिंटिंग प्रैस के आधुनिकीकरण पर 65.78 लाख रु. का व्यय किया। जून 2005 में दो आफसेट मशीनों की वृद्धि से इसने मल्टी कलर प्रिंटिंग जाब को करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी।

दि.वि.प्रा. ने सितंबर 2002 में निर्देश जारी किए थे कि दि.वि.प्रा. प्रैस से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र (अ.प्र.प.) प्राप्त किए तथा मूल्य निर्धारण करवाए बिना बाहरी एजेंसियों को कोई भी आर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। इन निर्देशों के उल्लंघन में दि.वि.प्रा. ने अपने प्रैस विंग से बिना अ.प्र.प. प्राप्त किए तथा मूल्य निर्धारित कराये बिना 66.26 लाख रु. की लागत पर अक्टूबर तथा नवंबर, 2006 के दौरान अपनी आवासीय योजना 2006 से संबंधित 339801 ब्राऊजर छपवाए।

दि.वि.प्रा. ने बताया (जुलाई 2008) कि उसके पास मल्टी कलर प्रिंटिंग तथा डिजाईन बनाने इत्यादि की कोई इनहाऊस सुविधाएं नहीं थी।

* आसपास के पार्किंग लॉट के 80,000 रु. प्रतिमाह की पार्किंग दर के आधार पर परिकल्पित

प्रबंधन का दावा इसकी प्रैस विंग के उत्तर (दिसंबर 2007) से असंगत है जिसने बताया था कि इसने वर्ष 2006 में न केवल समान ब्राउज़र प्रिंट किए बल्कि जून 2005 से दो आफसेट मशीनों के सम्मिलित होने से इसकी मल्टी कलर ब्राउज़रों की छपाई की क्षमता हो गई थी।

अपनी इन-हाउस सुविधाओं का उपयोग करने की बजाए बाहरी एजेंसी से ब्राउज़रों की छपाई पर 66.26 लाख रू का व्यय हुआ जो न्यायसंगत नहीं था।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2008 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

15.3 41.19 लाख रू. का निष्फल व्यय

पुस्तकालय-सह-मनोरंजन हॉल के निर्माण पर किया गया 41.19 लाख रू. का व्यय लाभार्थियों को सुविधाओं से वंचित रखते हुए तीन वर्ष से अधिक के लिए निष्क्रिय रहा

अर्जुन नगर के निकट के क्षेत्र के निवासियों के लिए पुस्तकालय-सह-मनोरंजन सुविधा प्रदान करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने 49.82 लाख रू. की अनुमानित लागत पर पुस्तकालय-सह-मनोरंजन हॉल (हॉल) का निर्माण करने का निर्णय लिया (जून/जुलाई 2003)। उन्होंने आगे अध्यक्ष, दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी (दि.प.ला.) के साथ परामर्श से निर्णय लिया (अगस्त 2003) कि पुस्तकालय का संचालन दि.प.ला. द्वारा किया जाएगा जो इसके अनुरक्षण, देख-रेख तथा विद्युत आपूर्ति को भी देखेगा। जिन क्षेत्रों में मनोरंजन कक्ष, शौचालय इत्यादि होंगे, उनका दि.वि.प्रा. द्वारा रख-रखाव किया जाएगा। इस प्रबंधन के लिए दि.वि.प्रा. को दि.प.ला. को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजना था तथा दि.प.ला. के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात दोनों पार्टियों में औपचारिक सहमति ज्ञापन (स.ज्ञा.) हस्ताक्षरित होना था।

यह देखा गया कि दि.वि.प्रा. ने न तो दि.प.ला. को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया और न ही उनके साथ किसी स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किए तथा ठेकेदार को बातचीत द्वारा तय की गई 20.62 लाख रू. की राशि पर हॉल के निर्माण का कार्य सौंपा (नवंबर 2003), जिसमें कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि 7 अप्रैल 2004 था। कार्य 13 महीनों से अधिक विलम्ब के पश्चात सामग्रियों तथा ड्राईंग की गैर-उपलब्धता के कारण 17 मई 2005 को 39.08 लाख रू. की लागत पर समाप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप कार्य की अधिक तथा नई मर्दों के कार्यान्वयन से 18.46 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह आगे देखा गया कि मई 2006 में कार्य समाप्त होने के पश्चात भी दि.प.ला. को हॉल सौंपने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इस दौरान, दि.वि.प्रा.

ने इसकी मरम्मत पर 2.11 लाख रू खर्च किए (सितम्बर 2007)। हॉल अभी तक अप्रयुक्त पड़ा था (जनवरी 2009)।

इस प्रकार, बिना उचित योजना तथा प्रबन्धन की दि.प.ला. तक पहुँच न होने के परिणामस्वरूप 41.19 लाख रू का व्यर्थ निवेश हुआ। क्षेत्र के निवासी लाईब्रेरी तथा मनोरंजन सुविधाओं से भी वंचित रहे।

उत्तर में, दि.वि.प्रा. ने बताया (मई 2008) कि दि.प.ला. खत्म होने की प्रक्रिया में थी, दिल्ली लाईब्रेरी बोर्ड की अवधारणा में बदलाव हो गया था तथा वह हॉल का कब्जा लेने में अभी इच्छुक नहीं था। इसको दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की परिषद को सौंपने का प्रशासनिक निर्णय लिया जा रहा था जिसने लाईब्रेरी के संचालन में दिलचस्पी दिखाई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि दि.वि.प्रा. ने दि.प.ला. को लाईब्रेरी के संचालन तथा अनुक्षण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। दि.प.ला. के प्राधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2008) कि दि.प.ला. के निदेशक दिल्ली लाईब्रेरी बोर्ड के सदस्य-सचिव थे तथा दि.वि.प्रा. ने निदेशक के साथ कभी संपर्क नहीं किया था। यह भी बताया गया था कि दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी कभी भी समाप्त होने की प्रक्रिया में नहीं थी तथा पूरे शहर में कार्य कर रही थी।

मामला जनवरी 2009 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

15.4 कार्यों को अनियोजित ढंग से सौंपना

सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों को आरंभ करने का परिणाम विद्युत कार्यों की समाप्ति में विलम्ब के कारण 24.88 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय में हुआ ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नियमपुस्तिका में अध्यादेश है कि एक कार्यकारी प्राधिकारी को निविदा आमंत्रण हेतु नोटिस (नि.आ.नो.) के अनुमोदन से पहले सुस्पष्ट स्थल, सामग्री और आवश्यक रूपरेखा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने ठेकेदार को अपनी स्वयं की वित्तीय योजना के अंतर्गत ग्रुप-I के 192 तथा ग्रुप -II के 208 मकानों के विद्युतीकरण का कार्य क्रमशः 18.77 लाख रू तथा 20.34 लाख रू की निविदा लागत पर सौंपा (दिसम्बर 2002)। ग्रुप-I मकानों के कार्य को आरंभ करने तथा समाप्ति की निर्धारित तिथियां 27 दिसंबर 2002 तथा 26 जून 2005 थीं । ग्रुप-II मकानों का कार्य 5 जनवरी 2003 को आरंभ किया जाना था तथा 4 जुलाई 2005 को समाप्त किया जाना था ।

चूंकि दि.वि.प्रा. द्वारा समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी इसलिए इन मकानों के सिविल कार्यों की समाप्ति की निर्धारित तिथियों से अत्याधिक विलम्ब के बाद, अक्टूबर 2006 में तथा जनवरी 2007 में समाप्त किए गए थे। सिविल कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारण विद्युतीकरण कार्यों को ठेकेदार को 28.59 लाख रू. के भुगतान के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका।

उसी समय ठेकेदार ने कीमतों में वृद्धि के कारण उद्धृत दरों पर कार्य को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (अक्टूबर 2007)। फलस्वरूप दि.वि.प्रा. ने नवंबर 2007 में कार्य को पहले ही बंद कर दिया तथा शेष कार्य को दिसंबर 2007 में उसी एजेन्सी को 35.40 लाख रू. की लागत पर सौंपा।

इस प्रकार, सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों को आरंभ करने का परिणाम विद्युत कार्यों की समाप्ति में विलम्ब के कारण 24.88 लाख रू. के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

दि.वि.प्रा. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2008) तथा बताया कि सिविल कार्यों की धीमी प्रगति के कारण विद्युत कार्यों की प्रगति धीमी रही। दि.वि.प्रा. ने आगे बताया कि चूंकि मकानों के निर्माण में विलम्ब के कारणों के लिए वे स्वयं आरोप्य थे, इसलिए उन्होंने ठेकेदार के कार्य को रोकने का अनुरोध को इस डर से स्वीकार किया कि वे क्षति के दावे के लिए कोर्ट में चले जाएंगे।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2009 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XVI: युवा कार्य एवं खेल कूद मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

16.1 अधिक मांगे गए विद्युत भार के भुगतान पर अपव्यय

भारतीय खेल प्राधिकरण ने मार्च 2004 से अक्टूबर 2007 के दौरान अतिरिक्त अनुबंधित मांग के कारण वित्त प्रभार हेतु 1.50 करोड़ रू. का भुगतान किया।

अगस्त, 2002 के दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना मुहैया कराती है कि उ.दा.¹ संयोजन के मामले में भार कटौती हेतु आवेदन पत्र मूल स्वीकृति की तारीख के दो वर्ष पश्चात स्वीकार्य किया जा सकता है तथा न्यूनीकृत भार, भार कटौती हेतु आवेदनपत्र की स्वीकृति की तारीख से 10 कार्य दिवसों के अन्दर स्वीकृत किया जाएगा।

इंदिरा गांधी खेल परिसर, नई दिल्ली को विद्युत आपूर्ति करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) के पास 3885 के.वी.ए. स्वीकृत भार सहित एक उ.दा. संयोजन है। मु.उ.वि.आ.² द्वारा खेल परिसर को प्रस्तुत बिजली बिल की जांच से प्रकट हुआ कि मार्च 2004 से अक्टूबर 2007 के दौरान विद्युत का खपत 360 के.वी.ए. से 1620 के.वी.ए. के बीच थी। भा.खे.प्रा. ने अतिरिक्त अनुबंधित भार के कारण 2.13 करोड़ रू. की अधिक राशि का भुगतान किया। यदि 1620 के.वी.ए. के अधिकतम भार के अतिरिक्त भुगतान को लिया जाए तो अतिरिक्त भुगतान 1.50 करोड़ रू. होगा।

खेल परिसर नवम्बर 2007 से नवीकरणाधीन है और 3885 के.वी.ए. के अनुबंधित भार हेतु बिलों का भुगतान किया गया था, जबकि मूल खपत 180 के.वी.ए. तक कम हो गई थी।

खेल परिसर में स्वीकृत भार की तुलना में विद्युत की वास्तविक खपत समीक्षा करने में भा.खे.प्रा. के प्रबन्धन की विफलता का परिणाम विद्युत प्रभार के भुगतान के प्रति अतिरिक्त आवर्ती मासिक व्यय में हुआ।

इंगित किए जाने पर, भा.खे.प्रा. ने जनवरी 2008 में स्वीकृत भार को कम कराने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की तथापि चालू स्वीकृत भार अगस्त 2008 तक जारी था।

¹ उच्च दाब

² मुंबई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति

मामले को सितम्बर 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।


अध्याय : XVII

17.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर की गई उपचारात्मक/शोधक कार्रवाई को दर्शाते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु, अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करें और सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए और आगे के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित का.टि. संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकायों) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति (परिशिष्ट-IX) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त अनुदेशों के बावजूद, मंत्रालयों ने अधिकांश पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 139 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजनी अपेक्षित थीं, में से 56 पैराग्राफों के संबंध में अन्तिम का.टि. प्रतीक्षित थीं जबकि 83 पैराग्राफों के संबंध में का.टि. प्राप्त ही नहीं हुई थीं।



83 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. प्राप्त नहीं हुई थी, में से 35 पैराग्राफ मार्च 1993 पर समाप्त हुए वर्ष तक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित थे।

नई दिल्ली
दिनांक: 09 जून 2009


(के. आर. श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 29 जून 2009


(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

আপনার

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केंद्रीय स्वायत्त निकायों को 2007-2008 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
कृषि			
1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	शून्य	शून्य
2.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	5200.00	शून्य
3.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	5304.28	शून्य
4.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाँव	13003.65	शून्य
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	2.54	शून्य
6.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगाँव	744.00	शून्य
7.	तटीय मत्स्यपालन प्राधिकरण, चैन्नई	शून्य	शून्य
		24254.47	शून्य
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा			
8.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	223043.00	9600.00
		223043.00	9600.00
पशु पालन एवं डेरी उद्योग			
9.	भारतीय पशु- चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	170.40	शून्य
		170.40	शून्य
रसायन एवं उर्वरक			
10.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	3706.31	शून्य
		3706.31	शून्य
कोयला एवं खान			
11.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
वाणिज्य			
12.	कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य-पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	12422.00	शून्य
13.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बेंगलुरु	8124.00	शून्य
14.	कॉफी बोर्ड (मूल निधि लेखे), बेंगलुरु	शून्य	शून्य
15.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चैन्नई	शून्य	शून्य
16.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन	शून्य	शून्य
17.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता	शून्य	शून्य

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
18.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई	शून्य	शून्य
19.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली	शून्य	शून्य
20.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	500.00	शून्य
21.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	8440.71	शून्य
22.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम	10275.00	शून्य
23.	मसाला बोर्ड, कोची	6545.00	शून्य
24.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्दूर	शून्य	शून्य
25.	चाय बोर्ड, कोलकाता	14917.00	शून्य
		61223.71	शून्य
कोरपोरेट कार्य			
26.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग, नई दिल्ली	500.00	शून्य
		500.00	शून्य
उपभोक्ता कार्य			
27.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	150.00	शून्य
		150.00	शून्य
संस्कृति			
28.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद	224.80	शून्य
29.	एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	800.87	शून्य
30.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	913.60	शून्य
31.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी	752.00	शून्य
32.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	1350.74	शून्य
33.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली	745.63	शून्य
34.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	334.77	शून्य
35.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	958.86	शून्य
36.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	645.68	शून्य
37.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	4015.38	शून्य
38.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	720.00	शून्य
39.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चैन्नई	496.20	शून्य
40.	खुदा बख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	155.34	शून्य
41.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	936.43	शून्य
42.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	3593.00	शून्य
43.	कला संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	248.69	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
44.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	2109.92	शून्य
45.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली	300.00*	शून्य
46.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	2914.93	शून्य
47.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	177.73	शून्य
48.	उत्तर पूर्वी केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	314.54	शून्य
49.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	259.54	शून्य
50.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	2629.12	शून्य
51.	रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर	276.00	शून्य
52.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	1475.11	शून्य
53.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	1170.34	शून्य
54.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	2063.71	शून्य
55.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	162.68	शून्य
56.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थन्जावुर, तमिलनाडु	269.07	शून्य
57.	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता	720.00	शून्य
58.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	155.80	शून्य
		31890.48	शून्य
रक्षा			
59.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	175.57	शून्य
60.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकाल खेलकूद संस्थान, पहलगॉव	40.17	शून्य
61.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी	67.33	शून्य
		283.07	शून्य
विदेश कार्य			
62.	हज समिति, मुम्बई	शून्य	शून्य
63.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	7700.00	शून्य
64.	भारतीय विश्व कार्य परिषद, नई दिल्ली	340.00	शून्य
		8040.00	शून्य
पर्यावरण एवं वन			
65.	पशु कल्याण बोर्ड, चैन्नई	2122.00	शून्य
66.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	1700.00	शून्य
67.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चैन्नई	146.01	शून्य
68.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	1400.00	शून्य
		5368.01	शून्य

* संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त कोरपस निधि

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
वित्त			
69.	बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	शून्य	शून्य
70.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
71.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	47001.00.	शून्य
72.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	85.00	शून्य
73.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	5692.91	शून्य
74.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1861.04	शून्य
75.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	3470.12	शून्य
76.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	438.56	शून्य
77.	भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	68.60	शून्य
78.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	1595.00	शून्य
79.	भारतीय दन्त्य परिषद, नई दिल्ली	19.00	शून्य
80.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	31165.00	शून्य
81.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली	31.00	शून्य
82.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	160.00	शून्य
83.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	356.59	शून्य
84.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
85.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	1730.00	शून्य
86.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	150.00	शून्य
87.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	1786.17	शून्य
88.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु	6000.00	शून्य
89.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	298.00	शून्य
90.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु	600.00	शून्य
91.	राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बेंगलुरु	538.15	शून्य
92.	उत्तर-पूर्वी इन्दिरा गाँधी स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलाँग	4200.00	शून्य
93.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली	15.00	शून्य
94.	स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	20300.00	शून्य
95.	राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली	495.00	शून्य
96.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	79.15	शून्य
		128135.29	शून्य
भासी उद्योग			

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
97.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं प्रा. एवं प्रे. अवसंरचना परियोजना समिति (रा.आ.प.प्रा.प्रे.अ.प.), नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
गृह मंत्रालय			
98.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	1579.02	शून्य
99.	नगर परिषद, पोर्ट ब्लेयर, अ.नि. द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
		1579.02	शून्य
मानव संसाधन विकास			
100.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	9941.14	शून्य
101.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	25259.03	शून्य
102.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	2721.77	शून्य
103.	अरोविल्ले प्रतिष्ठान, अरोविल्ले, पान्डिचेरी	476.00	शून्य
104.	बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	1531.32	शून्य
105.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	29663.03	शून्य
106.	भारत शिक्षा कोश, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
107.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चैन्नई	247.50	शून्य
108.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	95.00	शून्य
109.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई	120.00	शून्य
110.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	137.50	शून्य
111.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	2540.00	शून्य
112.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	20751.67	शून्य
113.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालन्धर	1200.00	शून्य
114.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3187.24	शून्य
115.	गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गाँधीग्राम, डिन्डीगुल, तमिलनाडु	शून्य	शून्य
116.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	924.98	शून्य
117.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	440.68	शून्य
118.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	2878.56	शून्य
119.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	291.74	शून्य
120.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	1120.00	शून्य
121.	इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	67.66	शून्य
122.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2800.00	शून्य
123.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	2550.00	शून्य
124.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	1050.00	शून्य

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
125.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2400.00	शून्य.
126.	भारतीय पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर	1100.00	शून्य
127.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	शून्य	शून्य
128.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलुरु	शून्य	शून्य
129.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	1719.00	शून्य
130.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	शून्य	शून्य
131.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड	3234.75	शून्य
132.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	शून्य	शून्य
133.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	11922.00	शून्य
134.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	12933.57	शून्य
135.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी	6874.00	शून्य
136.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	12680.00	शून्य
137.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	15400.00	शून्य
138.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	14352.93	शून्य
139.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	10699.50	शून्य
140.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	4927.17	शून्य
141.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली	15292.01	शून्य
142.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	13958.67	शून्य
143.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	96400.00	शून्य
144.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा	1420.00	शून्य
145.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
146.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1122.03	शून्य
147.	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर	5874.21	शून्य
148.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3646.85	शून्य
149.	मिजोरम विश्वविद्यालय, ऐजल	6637.54	शून्य
150.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	520.00	शून्य
151.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	1950.00	शून्य
152.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	1700.00	शून्य
153.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2600.00	शून्य
154.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	3162.25	शून्य
155.	राष्ट्रीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली	1394.68	शून्य
156.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	1681.05	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
157.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	195.09	शून्य
158.	राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
159.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, दिल्ली	170.00	शून्य
160.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	1740.00	शून्य
161.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
162.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	9095.00	शून्य
163.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	180.00	शून्य
164.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1040.00	शून्य
165.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	1210.00	शून्य
166.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल	935.00	शून्य
167.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	840.06	शून्य
168.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्नई	767.93	शून्य
169.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	534.25	शून्य
170.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अग्रतला	1500.00	शून्य
171.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	1800.00	शून्य
172.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	3110.00	शून्य
173.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	1450.00	शून्य
174.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोजीकोड	3650.00	शून्य
175.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	3515.00	शून्य
176.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	1050.00	शून्य
177.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर	1125.00	शून्य
178.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	3440.00	शून्य
179.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	2210.00	शून्य
180.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	1950.00	शून्य
181.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरथकल	3800.00	शून्य
182.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	4000.00	शून्य
183.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	3200.00	शून्य
184.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई	3476.52	शून्य
185.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली	600.00	शून्य
186.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	110480.00	शून्य
187.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर	1950.00	शून्य
188.	उत्तर-पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलाँग	8903.12	शून्य

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
189.	सभ्यता, भारतीय विज्ञान के इतिहास की परियोजना, दार्शनिकता एवं संस्कृति अध्ययन केन्द्र, दिल्ली	174.96	शून्य
190.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी	4241.12	शून्य
191.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	5219.67	शून्य
192.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	शून्य	शून्य
193.	संत लोंगोवाल अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल	875.00	शून्य
194.	सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	3100.00	शून्य
195.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	1000.00	शून्य
196.	सिक्किम विश्वविद्यालय	1850.00	शून्य
197.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	2517.98	शून्य
198.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2617.00	शून्य
199.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	183634.00	शून्य
200.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	8156.85	शून्य
201.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	13814.59	शून्य
202.	विश्वेस्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	2850.00	शून्य
203.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन	8510.57	शून्य
		782075.74	शून्य
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम			
204.	कॉयर बोर्ड, कोची	शून्य	शून्य
205.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	50.00	शून्य
		50.00	शून्य
सूचना एवं प्रसारण			
206.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	109327.00	21074.00
207.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	237.00	शून्य
		109564.00	21074.00
श्रम एवं रोजगार			
208.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	3351.00	शून्य
209.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
210.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
211.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश	785.00	शून्य
		4136.00	शून्य
विधि एवं न्याय			
212.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	शून्य	शून्य
213.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, (सं.क्षे.) चण्डीगढ़	2.00	शून्य
214.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली	175.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
		177.00	शून्य
अल्पसंख्यक कार्य			
215.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	290.00	शून्य
		290.00	शून्य
विद्युत			
216.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	4495.00	शून्य
217.	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली	600.00	शून्य
218.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	1071.00	शून्य
		6166.00	शून्य
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस			
219.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	200.00	शून्य
		200.00	शून्य
रेलवे			
220.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
ग्रामीण विकास			
221.	लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	6225.26	शून्य
222.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	3905.04	शून्य
		10130.30	शून्य
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
223.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	7898.00	शून्य
224.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	1900.00	शून्य
		9798.00	शून्य
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान			
225.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	186369.57	शून्य
		186369.57	शून्य
जहाजरानी			
226.	चैन्नई पत्तन न्यास, चैन्नई	शून्य	शून्य
227.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	शून्य	शून्य
228.	भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान, मुम्बई	शून्य	शून्य
229.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नहावाशेश	शून्य	शून्य
230.	कांडला पत्तन न्यास, गाँधीधाम	शून्य	शून्य
231.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	शून्य	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
232.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	60.18	शून्य
233.	मोरमुगांव पत्तन न्यास, मोरमुगांव	शून्य	शून्य
234.	अध्यक्ष मुम्बई पत्तन न्यास पहले मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
235.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
236.	मुम्बई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास	शून्य	शून्य
237.	नया मंगलौर पत्तन न्यास, नया मंगलौर	शून्य	शून्य
238.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	शून्य	शून्य
239.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य
240.	महापत्तन शुल्क प्राधिकरण, मुम्बई	140.28	शून्य
241.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य
242.	विजाग गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
243.	विजाग पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
		200.46	शून्य
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता			
244.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	1280.00	शून्य
245.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	134.25	शून्य
246.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद	1410.00	शून्य
247.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	1574.98	शून्य
248.	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अस्थि संबंधी विकलांग संस्थान, कोलकाता	521.45	शून्य
249.	राष्ट्रीय बहु-अपंगता व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (रा.ब.व्य.अ.सं.) मुत्तुकाडू, चैन्नई	250.00	शून्य
250.	आत्मविमोह, प्रमास्तिष्कीय घात, मानसिक विकलांगता और बहुविध विकलांगता पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
251.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	698.00	शून्य
252.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	399.99	शून्य
253.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक	1345.00	शून्य
		7613.67	शून्य
दूरसंचार			
254.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.), नई दिल्ली	2245.00	शून्य
255.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-अं.भ.नि., नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		2245.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
कपड़ा			
256.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु	11159.00	शून्य
257.	पटसन निर्माता विकास परिषद, कोलकाता	5250.00	शून्य
258.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	1000.00	शून्य
259.	कपड़ा समिति, मुम्बई	2238.00	शून्य
		19647.00	शून्य
शहरी विकास			
260.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
261.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	109.23	शून्य
262.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवारती	शून्य	शून्य
263.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	10192.41	शून्य
264.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	288.54	शून्य
		10590.18	शून्य
जल संसाधन			
265.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	3383.35	शून्य
266.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य
267.	बेतवा नदी, झांसी	शून्य	शून्य
268.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	2200.00	शून्य
		5583.35	शून्य
महिला एवं बाल विकास			
269.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	640.00	शून्य
270.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली	202.00	शून्य
		842.00	शून्य
युवा मामले और खेलकूद			
271.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	2100.00	शून्य
272.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	3194.00	शून्य
273.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	19222.00	शून्य
		24516.00	शून्य
	कुल योग	1668538.03	30674.00

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प.(क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2007-08 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
कृषि			
1	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली	1194.85	शून्य
2	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	2030.00	शून्य
3	लघु किसान कृषि व्यापार सहायता संघ, नई दिल्ली	31488.80	शून्य
परमाणु ऊर्जा			
4	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुम्बई	3196.89	शून्य
5	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	1839.98	शून्य
6	गणितीय विज्ञान संस्थान, चैन्नई	1683.00	शून्य
7	भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	3382.00	शून्य
8	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर	12560.00	शून्य
9	साहा नाभिकीय भौतिक विज्ञान संस्थान, कोलकाता	4928.00	शून्य
10	टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	18618.48	शून्य
11	टाटा स्मारक केन्द्र (टा.स्मा.के.), मुम्बई	13010.00	शून्य
रसायन एवं उर्वरक			
12	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	1389.41	शून्य
13	कीटनाशी प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान, गुडगांव	599.99	शून्य
वाणिज्य			
14	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	612.46	शून्य
15	कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	799.60	शून्य
16	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	151.90	शून्य
17	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद इ.पी.सी., कोलकाता	277.40	शून्य
18	इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	363.05	शून्य
19	भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि., मुम्बई	25000.00	शून्य
20	अभियांत्रिकी इ.पी.सी. कोलकाता	948.15	शून्य
21	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली	120.58	शून्य
22	भारतीय वाणिज्य सदन एवं उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	320.39	शून्य
23	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	541.88	शून्य
24	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	1128.63	शून्य
25	भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली	454.65	शून्य
26	भारतीय सिल्क निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	158.04	शून्य
27	भारतीय पैकिंग संस्थान, मुम्बई	300.00	शून्य
28	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, चैन्नई	392.40	शून्य
29	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुम्बई	8624.74	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
30	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	454.00	शून्य
31	प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई	200.00	शून्य
32	भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली	75.00	शून्य
33	शल्क निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता	270.62	शून्य
34	खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	239.23	शून्य
35	फुटवियर अभिकल्पना एवं विकास संस्थान, नोएडा	926.76	शून्य
संस्कृति			
36	नव नालंदा महाविहार, बिहार	331.81	शून्य
रक्षा			
37	छावनी बोर्ड, अहमदनगर	148.50	शून्य
38	छावनी बोर्ड, बैरककोर	104.00	शून्य
39	छावनी बोर्ड, चकराता	218.00	शून्य
40	छावनी बोर्ड, क्लीमेंट टाउन	159.50	शून्य
41	छावनी बोर्ड, दानापुर	259.00	शून्य
42	छावनी बोर्ड, कसौली	131.00	शून्य
43	छावनी बोर्ड, खास्योल	182.25	शून्य
44	छावनी बोर्ड, लन्डौर	112.90	शून्य
45	छावनी बोर्ड, लैंसडॉन	180.00	शून्य
46	छावनी बोर्ड, रामगढ़	264.00	शून्य
47	छावनी बोर्ड, रानीखेत	380.00	शून्य
48	छावनी बोर्ड, वैंलिंगटन	318.16	शून्य
49	छावनी बोर्ड, अल्मोड़ा	50.00	शून्य
50	छावनी बोर्ड, बादामीबाग	170.50	शून्य
51	छावनी बोर्ड, बकलोह	96.54	शून्य
52	छावनी बोर्ड, दागशाइ	104.50	शून्य
53	छावनी बोर्ड, डलहौजी	96.00	शून्य
54	छावनी बोर्ड, फैज़ाबाद	148.00	शून्य
55	छावनी बोर्ड, जलपहाड़	133.75	शून्य
56	छावनी बोर्ड, शाहजहांपुर	75.00	शून्य
57	छावनी बोर्ड, जम्मू	60.90	शून्य
58	छावनी बोर्ड, जुटोग	92.50	शून्य
59	छावनी बोर्ड, लेबोंग	81.00	शून्य
60	छावनी बोर्ड, नैनीताल	110.00	शून्य
61	छावनी बोर्ड, पचमड़ी	100.00	शून्य
62	छावनी बोर्ड, शिलोंग	128.00	शून्य
63	छावनी बोर्ड, सुबाटू	96.00	शून्य
64	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान	1298.45	शून्य
पर्यावरण एवं वन			
65	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	7324.00	शून्य

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
66	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	843.00	शून्य
67	भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलुरु	650.00	शून्य
विदेश कार्य			
68	गैर-सम्मिलित एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली समिति, नई दिल्ली	175.00	शून्य
वित्त			
69	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	215.00	शून्य
70	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	562.62	शून्य
71	पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण	475.00	शून्य
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग			
72	पश्चिम बंगाल उद्योग विकास निगम परिषद गृह, कोलकाता	2237.00	शून्य
73	पश्चिम बंगाल राज्य खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी विकास निगम लि., कोलकाता	203.50	शून्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
74	अखिल भारतीय स्पीच एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	1100.00	शून्य
75	केन्द्रीय संयुक्त भवन परिसर परिषद	160.82	शून्य
76	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	385.24	शून्य
77	गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, तमिलनाडु	160.00	शून्य
78	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	1376.82	शून्य
79	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई	972.20	शून्य
80	कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वर्धा	1648.00	शून्य
81	लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं समवर्गी रोग संस्थान, नई दिल्ली	2163.00	शून्य
82	लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रीय संस्थान, तेजपुर	225.00	शून्य
83	राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा	1132.00	शून्य
84	नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र	129.00	शून्य
85	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	65.08	शून्य
86	भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर	1000.00	शून्य
87	चिकित्सीय सेवाएं क्षेत्रीय संस्थान, इम्फाल	4300.00	शून्य
88	पराचिकित्सीय एवं उपचर्या आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, ऐजवाल	384.00	शून्य
89	राज्य परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नवीनता अभिकरण, लखनऊ	3612.02	शून्य
90	वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान, नई दिल्ली	1500.00	शून्य
मानव संसाधन विकास			
91	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	75.00	शून्य
92	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु	12600.00	शून्य
औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन			
93	केन्द्रीय उत्पादन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलुरु	1082.50	शून्य
सूचना एवं प्रसारण			
94	भारतीय बाल चलचित्र समिति, मुंबई	350.00	शून्य
95	भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे	1445.00	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
96	भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली	449.82	शून्य
97	सत्यजीत राय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता	977.30	शून्य
अल्पसंख्यक मामले			
98	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	5000.00	शून्य
खान			
99	जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, नागपुर	220.00	शून्य
100	राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान	64.00	शून्य
नई एवं पुर्ननवीकरण ऊर्जा			
101	वायु ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (वा.ऊ.प्रौ.के.), चैन्नई	1075.00	शून्य
102	राष्ट्रीय पुर्ननवीकरण ऊर्जा संस्थान (रा.पु.ऊ.सं.), कपूरथला	367.00	शून्य
लघु उद्योग			
103	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	763.95	शून्य
104	राष्ट्रीय सीमेन्ट एवं भवन सामग्री परिषद, नई दिल्ली	250.00	शून्य
105	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (भा.ल.उ.वि.बैं.), नई दिल्ली	11793.00	शून्य
श्रम एवं रोजगार			
106	राष्ट्रीय अनुदेश जनसंचार संस्थान (रा.अ.ज.सं.), चैन्नई	220.00	शून्य
विधि एवं न्याय			
107	संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान	29.00	शून्य
108	भारतीय विधि संस्थान	75.00	शून्य
भू-विज्ञान			
109	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएं केन्द्र, हैदराबाद	7497.53	शून्य
110	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र, गोवा	5679.26	शून्य
111	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	13167.52	शून्य
112	भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान, पुणे	1450.00	शून्य
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन			
113	केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक एवं खेलकूद बोर्ड, नई दिल्ली	50.00	शून्य
114	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	207.50	शून्य
योजना आयोग			
115	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	487.00	शून्य
विद्युत			
116	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु	6781.00	शून्य
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस			
117	पेट्रोलियम प्रयोगशाला समिति, नोएडा	196.00	शून्य
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता			
118	डा. अम्बेडकर संस्थान, नई दिल्ली	100.00	शून्य
119	मानसिक विकास केन्द्र रामचन्द्र नगर, विजयवाड़ा, आन्ध्रप्रदेश	70.00	शून्य
120	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ली	410.00	शून्य
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान			
121	परामर्शी विकास केन्द्र, नई दिल्ली	200.00	शून्य
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
122	अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	993.00	शून्य
123	आर्यभट्ट निरीक्षण सम्बन्धी विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	2300.00	शून्य
124	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	630.00	शून्य
125	बोस संस्थान, कोलकाता	2623.00	शून्य
126	द्रविय क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र बैंगलुरु	400.00	शून्य
127	डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केन्द्र, हैदराबाद	1506.00	शून्य
128	भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरु	451.00	शून्य
129	भारतीय कृषि विज्ञान संघ, कोलकाता	4425.00	शून्य
130	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बैंगलोर	3908.00	शून्य
131	भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, मुंबई	2255.00	शून्य
132	भारतीय राष्ट्रीय अभियान्त्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	200.00	शून्य
133	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	886.00	शून्य
134	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता	227.00	शून्य
135	जैवसंस्थान एवं धारणीय विकास संस्थान, इम्फाल	300.00	शून्य
136	जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	968.00	शून्य
137	अन्तर्राष्ट्रीय धातु विज्ञान ऊर्जा एवं नई सामग्री उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	4500.00	शून्य
138	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बैंगलोर	3500.00	शून्य
139	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	298.00	शून्य
140	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली	3662.00	शून्य
141	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुडगाँवा	1710.00	शून्य
142	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे	2982.00	शून्य
143	राष्ट्रीय पादप जिनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	1360.00	शून्य
144	रमन अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरु	2523.00	शून्य
145	सत्येन्द्र नाथ बोस राष्ट्रीय आधुनिक विज्ञान केन्द्र, कोलकाता	1437.00	शून्य
146	सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	409.00	शून्य
147	विज्ञान प्रसार, नोएडा	800.00	शून्य
148	वाडिया हिमालयी भूगर्भशास्त्र संस्थान, देहरादून	1411.00	शून्य
सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन			
149	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता	7639.76	शून्य
दूरसंचार			
150	टेलिमैटिक्स विकास केन्द्र (टे.-वि.के.), नई दिल्ली	9600.00	शून्य
कपड़ा			
151	परिधान निर्यात उन्नयन परिषद, नई दिल्ली	383.98	शून्य
152	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, नई दिल्ली	13016.00	शून्य
जनजातीय कार्य			
153	भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., नई दिल्ली	2050.84	शून्य
शहरी विकास			
154	भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	899.58	शून्य
155	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली	206.19	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
महिला एवं बाल विकास			
156	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली	3808.57	शून्य
157	राष्ट्रीय बाल अधिकार बचाव आयोग, नई दिल्ली	540.00	शून्य
158	राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	1500.00	शून्य
युवा मामले एवं खेलकूद			
159	भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली	शून्य	9521.00
160	राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	865.00	शून्य
कुल योग		337215.74	9521.00

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.1.1 के संदर्भ में)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत निकाय, जिनकी 2007-2008 की सूचना दिसम्बर 2008 तक प्राप्त नहीं हुई थी

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/निकाय का नाम
	मानव संसाधन विकास
1.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम रेलवे
2.	रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली विधि एवं न्याय
3.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सं.क्षे.), पाण्डिचेरी

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.1.2 के संदर्भ में)

निकायों की सूची जिन्होंने लेखे तीन माह से अधिक के विलम्ब के उपरान्त प्रस्तुत किए

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
1.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तन्जावरं	01-10-2007
2.	भारतीय समुद्रीय अध्ययन संस्थान, मुम्बई	03-10-2007
3.	राष्ट्रीय फ़ेशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	04-10-2007
4.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	05-10-2007
5.	उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	08-10-2007
6.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	08-10-2007
7.	राजघाट समाधी समिति, नई दिल्ली	11-10-2007
8.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	12-10-2007
9.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	16-10-2007
10.	श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, थिरुवनतपुरम	17-10-2007
11.	लक्षद्वीप निर्माण देव बोर्ड, कावारती	18-10-2007
12.	बाबासाहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	19-10-2007
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	22-10-2007
14.	दिल्ली विश्वविद्यालय	23-10-2007
15.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	26-10-2007
16.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	27-10-2007
17.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा	29-10-2007
18.	मणिपुर विश्वविद्यालय	29-10-2007
19.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	31-10-2007
20.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	01-11-2007
21.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	06-11-2007
22.	भारतीय वन्यजीवन संस्थान, देहरादून	06-11-2007
23.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	10-11-2007
24.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा उन्नयन परिषद, बड़ोदरा	13-11-2007
25.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड	14-11-2007
26.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	14-11-2007
27.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	14-11-2007
28.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	19-11-2007
29.	आई.आई.टी.-रूड़की	27-11-2007
30.	राष्ट्रीय आर्युवेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	17-12-2007

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

31.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	26-12-2007
32.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	26-12-2007
33.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	08-01-2008
34.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	09-01-2008
35.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	11-01-2008
36.	भारतीय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर	24-01-2008
37.	राष्ट्रीय बहु-अपंगता व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चैन्नई	28-01-2008
38.	उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग	04-03-2008
39.	अ.वि.वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	25-03-2008
40.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	26-03-2008
41.	राष्ट्रीय मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	26-03-2008
42.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	07-04-2008
43.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	08-04-2008
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर	23-04-2008
45.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	09-06-2008
46.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	17-06-2008
47.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	03-07-2008
48.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	08-10-2008
49.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	31-12-2008
निकायों की सूची जिनके लेखे दिसम्बर 2008 तक प्राप्त नहीं हुए थे		
1.	भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली	
2.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग-संस्थानिक विकास निधि, नई दिल्ली	
3.	राष्ट्रीय डा.भी.रा.अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, जलन्धर	
4.	भारतीय विश्व कार्य परिषद, नई दिल्ली	
5.	भारतीय हज़र समिति, मुम्बई	
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	
7.	तटीय एक्वाकलचर प्राधिकरण, चैन्नई	
8.	निगम परिषद, पोर्टबलेयर	
9.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्राधिकरण, नई दिल्ली	
10.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.1.3 के संदर्भ में)

2007-08 की अवधि तक के लिए लेखों के प्रस्तुतीकरण में बकाया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	से बकाया	वर्षों की संख्या जिससे बकाया
1.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग-संस्थानिक विकास निधि, नई दिल्ली	2002-03	6
2.	भारतीय विश्व कार्य परिषद, नई दिल्ली	2003-04	5
3.	भारतीय हज़र समिति, मुम्बई	2005-06	3
4.	तटीय एक्वाकलचर प्राधिकरण, चैन्नई	2005-06	3

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.2 के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2008 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय -वार)
(क)	2006-07 (लेखा वर्ष)
	संस्कृति
1.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
2.	विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कोलकाता
	मानव संसाधन विकास
3.	भारतीय विज्ञान, दर्शन तथा संस्कृति के इतिहास की परियोजना, नई दिल्ली
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
	विधि एवं न्याय
6.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, (सं.शा.क्षे.) चण्डीगढ़
	सामामजिक न्याय एवं अधिकारिता
7.	राष्ट्रीय बहु अपंगता व्यक्ति रोजगार संस्थान (रा.ब.अ.व्य.रो.सं.), मुत्तुकाडू, चैन्नई
	शहरी विकास
8.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
9.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कावारात्ती
	महिला एवं बाल विकास
10.	केन्द्रीय अंगीकरण स्रोत अभिकरण, नई दिल्ली
(ख)	2007-08 (लेखा वर्ष)
	पशु पालन एवं डेरी उद्योग
1.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
	वाणिज्य
2.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली
3.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
4.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई
5.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन
6.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चैन्नई
	उपभोक्ता कार्य
7.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
	संस्कृति
8.	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
9.	गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय -वार)
10.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
12.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्था, कोलकाता
13.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
14.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
15.	कलकक्षेत्रा संस्था, चैन्नई
16.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
	पर्यावरण एवं वन
17.	पशु कल्याण बोर्ड, चैन्नई
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
18.	केन्द्रीय योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
19.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
20.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद, नई दिल्ली
21.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
22.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय मोरारजी देसाई योगा संस्थान, नई दिल्ली
24.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
25.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
26.	राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बैंगलूरु
	गृह कार्य
27.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली
	मानव संसाधन एवं विकास
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
29.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
30.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
31.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
32.	जामिया मिलिया इस्मालिया, नई दिल्ली
33.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
34.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
35.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग संस्थान, नई दिल्ली
36.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
37.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
38.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
39.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
40.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई
41.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
42.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय -वार)
43.	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
44.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई
45.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
46.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
47.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
48.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलूरु
49.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटका, सूरतकल
50.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
51.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्नई
52.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी
	विद्युत
53.	ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली
	ग्रामीण विकास
54.	लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद, नई दिल्ली
	जहाजरानी
55.	कांडला डॉक श्रम बोर्ड, कांडला
56.	अध्यक्ष, मुंबई पत्तन न्यास- पहले मुंबई गोदी श्रम बोर्ड, मुंबई
57.	मुंबई पत्तन न्यास- पेंशन निधि न्यास
58.	विज्ञाग पत्तन न्यास, विशाखापटनम
59.	तूतीकोरैन पत्तन न्यास, तूतीकोरैन
	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
60.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रव्य अपंगता संस्थान, मुम्बई
61.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक
62.	राष्ट्रीय मानसिक अपंगता संस्थान, सिकन्दराबाद, हैदराबाद
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
63.	भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण सी.पी.एफ. लेखा, नई दिल्ली
64.	भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण लेखा, नई दिल्ली
	शहरी विकास
65.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली
66.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली
	जल संसाधन
67.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.2 के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों द्वारा संसद में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विलम्ब महीनों में
कृषि			
1.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव	2006-07	4
2.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची	2006-07	2
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2006-07	3
4.	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	2006-07	4
वाणिज्य			
5.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची	2006-07	2
उपभोक्ता कार्य			
6.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	2006-07	2
संस्कृति			
7.	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	2006-07	3
8.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड), नई दिल्ली	2006-07	3
9.	गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	2006-07	4
10.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	2006-07	3
11.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	2005-06	11
12.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	2005-06	3
13.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	2006-07	3
14.	कलकक्षेत्रा संस्था, चैन्नई	2006-07	3
रक्षा			
15.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगवांव	2006-07	11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
16.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2006-07	3
17.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली	2006-07	11
18.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	2006-07	2
19.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	2006-07	2
20.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	2006-07	3
21.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु	2006-07	3
गृह कार्य			
22.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	2006-07	2

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	नविलम्ब महीनों में
मानव संसाधन विकास			
23.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2006-07	2
24.	केन्द्रीय तिब्बत विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	2006-07	2
25.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2006-07	2
26.	राष्ट्रीय बाल भवन समिति, नई दिल्ली	2006-07	2
27.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद, नई दिल्ली	2006-07	2
28.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	2006-07	3
29.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2006-07	2
30.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2006-07	11
31.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	2006-07	3
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	2006-07	3
33.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	2006-07	9
34.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2006-07	2
35.	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा	2006-07	2
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोजीकोड (कालीकट)	2006-07	3
37.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	2006-07	2
38.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलूरु	2006-07	2
39.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटका, सूरतकल.	2006-07	3
40.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर	2006-07	4
41.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान, भोपाल	2006-07	11
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	2006-07	3
43.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	2006-07	2
44.	ओरोविले संस्था, ओरोविले, तमिलनाडु	2006-07	2
45.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चैन्नई	2006-07	2
46.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्नई	2006-07	2
47.	बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	2006-07	4
श्रम एवं रोजगार			
48.	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, नागपुर	2006-07	4
रेल			
49.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	2006-07	3
ग्रामीण विकास			
50.	जाति कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद, नई दिल्ली	2006-07	11
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता			
51.	भारतीय पुर्नवास परिषद, नई दिल्ली	2006-07	2
52.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रव्य अपंगता संस्थान, मुंबई	2006-07	9
शहरी विकास			
53.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड, नई दिल्ली	2006-07	2

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	नविलम्ब महीनों में
54.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली महिला एवं बाल विकास	2006-07	11
55.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली युवा कार्य एवं खेल कूद	2006-07	11
56.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारिरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	2006-07	2



(पैराग्राफ 1.3 के संदर्भ में)

बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
कृषि	1990-91	3	11.25
	1991-92	8	16.50
	1992-93	2	6.60
	1993-94	2	67.04
	1994-95	1	2.50
	1995-96	2	11.91
	1996-97	2	1.34
	1997-98	6	14.88
	1998-99	2	1.00
	1999-00	1	0.07
	2000-01	4	5.09
	2001-02	12	17.31
	2002-03	6	8.08
	2003-04	12	20.71
	2004-05	23	345.73
	2005-06	29	10052.61
	2006-07	151	49597.07
	266	60179.69	
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन	2004-05	3	32.06
	2005-06	1	215.83
	2006-07	62	8772.73
	66	9020.62	
परमाणु ऊर्जा	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	4	3.12
	1999-00	7	16.56
	2000-01	7	17.24
	2001-02	5	4.85
	2002-03	1	0.80
	2003-04	12	9.06
	2004-05	26	223.25
	2005-06	48	95.05
	2006-07	195	814.87
		313	1194.81
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	2005-06	1	0.01
	2006-07	17	3.53
		18	3.54
रसायन एवं पेट्रो रसायन	2006-07	1	790.00
		1	790.00
उर्वरक विभाग	2006-07	7	5.40
		7	5.40
वाणिज्य एवं कपड़ा			
(i) वाणिज्य	2001-02	1	150.00
	2002-03	21	2230.30

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2003-04	11	2497.27
	2004-05	13	2553.77
	2005-06	31	2838.60
	2006-07	143	74364.30
		220	84634.24
(ii) कपड़ा	1978-79	11	47.23
	1979-80	3	14.60
	1980-81	3	3.88
	1981-82	1	0.40
	1982-83	4	2.02
	1984-85	2	0.88
	1985-86	3	2.15
	1988-89	1	0.25
	1989-90	3	1.75
	1990-91	1	3.32
	1991-92	3	7.47
	1992-93	9	20.71
	1993-94	9	95.11
	1994-95	31	26.27
	1995-96	48	231.35
	1996-97	16	51.89
	1997-98	17	42.63
	1998-99	11	31.24
	1999-00	29	126.75
	2000-01	29	89.94
	2001-02	31	47.91
	2002-03	44	89.79
	2003-04	86	640.57
	2004-05	190	2040.73
2005-06	350	5764.76	
2006-07	573	9724.51	
	1508	19108.11	
नागरिक उड्डयन	2006-07	01	1549
		01	1549
संस्कृति	1990-91	7	2.14
	1991-92	17	91.24
	1992-93	388	1315.30
	1993-94	349	1094.64
	1994-95	232	274.66
	1995-96	297	448.47
	1996-97	111	650.49
	1997-98	155	2517.12
	1998-99	127	279.95
	1999-00	79	785.10
	2000-01	371	307.31
	2001-02	75	1162.92
	2002-03	294	948.59
	2003-04	542	1243.69
	2004-05	519	632.28
	2005-06	474	306.16
2006-07	276	2368.10	

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
		4313	14428.16
पर्यावरण एवं वन	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6531.00
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1439.00
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	131	85.00
	1995-96	10	21.00
	1996-97	418	13658.77
	1997-98	592	8824.68
	1998-99	300	14.00
	1999-00	492	2356.64
	2000-01	518	3739.07
2001-02	556	4069.84	
2002-03	556	857.67	
2003-04	770	4247.44	
2004-05	563	766.69	
2005-06	810	10698.87	
2006-07	1050	39037.04	
		8843	101379.63
गृह कार्य	2006-07	1	0.10
		1	0.10
वित्त			
(ii) राजस्व विभाग	1996-97	1	0.03
	1997-98	2	0.05
	1999-00	1	0.02
	2002-03	1	24.00
		5	24.10
विनिवेश विभाग	2004-05	24	91.46
		24	91.46
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1991-92	2	6.20
	1992-93	9	87.36
	1993-94	18	152.69
	1994-95	23	153.86
	1995-96	18	142.24
	1996-97	15	154.99
	1997-98	16	241.57
	1998-99	32	313.64
	1999-00	29	327.60
	2000-01	58	816.88
	2001-02	63	1460.77
	2002-03	96	2247.58
2003-04	161	2371.50	

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2004-05	235	2722.63
	2005-06	408	5509.07
	2006-07	409	6380.89
		1592	23089.47
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
(i) स्वास्थ्य	1983-84	1	0.78
	1984-85	1	0.90
	1986-87	1	0.50
	1987-88	1	12.00
	1988-89	1	0.30
	1989-90	1	1.00
	1993-94	8	236.44
	1994-95	1	0.31
	1995-96	17	396.10
	1996-97	3	21.22
	1997-98	35	588.90
	1998-99	56	1560.21
	1999-00	66	1589.94
	2000-01	50	1323.74
	2001-02	32	802.29
	2002-03	39	832.74
	2003-04	253	5180.44
	2004-05	128	5530.47
	2005-06	310	37284.71
	2006-07	830	137938.84
		1834	193301.83
(ii) परिवार कल्याण	1993-94	5	8.88
	1995-96	63	163.83
	1996-97	78	230.59
	1997-98	48	286.71
	1998-99	37	187.99
	1999-00	25	331.11
	2000-01	54	1133.58
	2001-02	49	759.72
	2002-03	78	2025.02
	2003-04	155	6971.83
	2004-05	213	21524.62
	2005-06	473	167647.21
	2006-07	763	349671.04
		2041	550942.13
(iii) आयुष	1994-95	1	20.86
	1995-96	1	16.00
	1996-97	1	0.68
	1997-98	5	22.56
	1998-99	2	15.00
	1999-00	16	92.23
	2000-01	6	28.65
	2001-02	14	215.98
	2002-03	19	81.63
	2003-04	20	421.65
2004-05	25	548.47	

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2005-06	218	3284.85
	2006-07	333	8252.06
		661	13000.62
मानव संसाधन विकास			
माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1982-83	1	5.00
	1984-85	1	0.60
	1985-86	9	5.04
	1986-87	19	17.70
	1987-88	4	13.09
	1988-89	21	74.23
	1989-90	33	55.61
	1990-91	9	20.84
	1991-92	7	8.93
	1992-93	10	77.23
	1993-94	28	298.03
	1994-95	35	511.22
	1995-96	53	1262.27
	1996-97	46	506.04
	1997-98	43	366.74
	1998-99	54	1407.09
	1999-00	57	938.32
	2000-01	40	1962.15
	2001-02	66	7311.12
	2002-03	102	9174.74
2003-04	220	5352.10	
2004-05	165	12219.84	
2005-06	167	52710.88	
2006-07	296	219418.00	
		1486	313716.81
उच्चतर शिक्षा विभाग	1977-78	2	8.00
	1978-79	23	29.26
	1979-80	16	18.32
	1980-81	9	17.2
	1981-82	12	22.10
	1982-83	32	67.65
	1983-84	20	39.31
	1984-85	15	28.55
	1985-86	82	406.77
	1986-87	29	110.57
	1987-88	102	552.91
	1988-89	81	392.36
	1989-90	83	571.23
	1990-91	12	11.75
	1991-92	41	299.07
	1992-93	46	429.16
	1993-94	58	554.57
	1994-95	17	122.33
	1995-96	20	180.58
1996-97	21	272.12	
1997-98	31	347.27	
1998-99	35	180.67	

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1999-00	93	1382.06
	2000-01	86	660.83
	2001-02	98	777.55
	2002-03	182	1692.58
	2003-04	184	2213.53
	2004-05	216	2676.47
	2005-06	515	3019.65
	2006-07	447	95108.55
		2608	112192.97
सूचना प्रौद्योगिकी	2001-02	2	11.00
	2002-03	63	5935.00
	2003-04	58	3094.00
	2004-05	68	13723.00
	2005-06	129	19614.00
	2006-07	161	43355.00
		481	85732.00
उद्योग			
(i) भारी उद्योग	2000-01	1	182.00
	2002-03	1	30.00
	2003-04	6	257.00
	2004-05	8	2237.00
	2005-06	19	11312.00
	2006-07	39	114474.00
		74	128492.00
(ii) लघु उद्योग	1998-99	2	200.00
	2001-02	4	49.00
	2005-06	13	498.00
	2006-07	64	3461.00
		83	4208.00
(iii) औद्योगिक नीति एवं उन्नयन	2004-05	8	5648.00
	2005-06	10	1404.00
	2006-07	39	25409.00
		57	32461.00
(iv) लोक उद्यम विभाग	2004-05	2	9.00
	2005-06	8	145.00
	2006-07	32	1081.00
		42	1235.00
श्रम एवं रोजगार	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	3	1.62
	1987-88	3	2.94
	1988-89	1	6.21
	1989-90	9	10.10
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	2	0.64
	1993-94	5	3.89
	1994-95	3	3.71
	1995-96	13	92.10
	1996-97	101	184.58
1997-98	4	4.32	

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1998-99	17	19.52
	1999-00	21	26.12
	2000-01	31	57.17
	2001-02	19	83.62
	2002-03	17	12.17
	2003-04	15	192.73
	2004-05	38	170.75
	2005-06	23	113.36
	2006-07	134	4773.87
		484	5805.44
विधि एवं न्याय			
(i) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	1982-83	2	1.00
	1983-84	3	1.30
	1984-85	3	0.90
	1989-90	2	1.00
	1990-91	1	0.25
	1991-92	7	1.48
	1992-93	4	0.40
	1993-94	5	2.90
	1994-95	2	2.50
	1995-96	3	0.30
	1996-97	4	1.66
	1997-98	7	8.25
	1998-99	6	23.00
	1999-00	6	28.50
	2000-01	1	9.50
	2001-02	1	5.00
	2004-05	7	24.20
	2005-06	9	59.96
	2006-07	20	144.75
		93	316.85
(ii) विधायी विभाग	1993-94	1	0.05
	1996-97	1	0.05
	2001-02	1	0.03
	2004-05	1	0.10
	2005-06	2	0.40
		6	0.63
(iii) विधिक कार्य विभाग	2003-04	1	150.00
	2006-07	1	0.50
		2	150.50
खान	2005-06	1	41.00
	2006-07	2	50.00
		3	91.00
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2003-04	2	1000.96
	2004-05	3	209.91
	2005-06	95	1069.28
	2006-07	96	3920.00
		196	6200.15
भूविज्ञान	1983-84	8	13.16
	1984-85	22	22.66
	1985-86	32	32.61

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1986-87	22	25.78
	1987-88	40	52.83
	1988-89	45	58.00
	1989-90	61	60.39
	1990-91	17	227.46
	1991-92	13	114.60
	1992-93	8	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	7	36.50
	1995-96	22	46.74
	1996-97	51	105.06
	1997-98	57	276.81
	1998-99	41	432.28
	1999-00	34	435.69
	2000-01	50	422.71
	2001-02	39	2821.40
	2002-03	26	2533.69
	2003-04	112	2219.62
	2004-05	74	7051.40
	2005-06	107	9442.08
	2006-07	75	13989.60
		979	40464.27
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशान कार्मिक तथा प्रशिक्षण	2006-07	4	30.35
		4	30.35
योजना आयोग	2005-06	2	3.64
	2006-07	8	7.55
		10	11.19
विद्युत	2006-07	6	4128.70
		6	4128.70
जहाजरानी	2006-07	3	197.44
		3	197.44
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05
	1986-87	6	1.35
	1987-88	4	4.88
	1989-90	2	0.07
	1990-91	1	5.24
	1991-92	1	1.24
	1993-94	2	1.28
	1998-99	1	0.20
	1999-00	2	1.30
	2000-01	7	64.19
	2001-02	18	451.06
	2002-03	21	176.75
	2003-04	45	294.21

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे		
		संख्या	राशि	
	2004-05	65	562.23	
	2005-06	101	536.57	
	2006-07	121	984.32	
		411	3087.13	
शहरी विकास	1985-86	4	1.75	
	1987-88	3	4.15	
	1988-89	4	1.15	
	1989-90	1	1.50	
	1990-91	1	0.20	
	1993-94	2	2.55	
	1994-95	1	1.10	
	1996-97	1	3.00	
	1999-00	3	123.19	
	2000-01	2	6.00	
	2001-02	7	371.38	
	2002-03	1	4.48	
	2003-04	12	2499.53	
	2005-06	22	2654.78	
	2006-07	127	38440.47	
		191	44115.23	
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1991-92	1	2.85	
	1992-93	1	23.00	
	1993-94	1	0.26	
	1995-96	1	2.20	
	1996-97	1	1.10	
	2000-01	1	43.79	
	2001-02	1	1000.00	
	2003-04	10	2470.52	
	2004-05	5	1364.16	
	2005-06	12	17354.27	
	2006-07	111	27880.68	
			145	50142.83
	जल संसाधन	1986-87	3	12.50
1987-88		1	4.04	
1988-89		2	5.80	
1989-90		2	2.85	
1990-91		3	7.17	
1991-92		4	8.91	
2000-01		2	6.19	
2001-02		4	46.46	
2005-06		3	23.66	
2006-07		63	399.45	
		87	517.03	
महिला एवं बाल विकास	1986-87	129	360.28	
	1987-88	203	561.47	
	1988-89	307	654.21	
	1989-90	351	820.48	
	1990-91	258	645.33	
	1991-92	292	1102.55	
	1992-93	289	1096.35	
	1993-94	404	993.49	

2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी ए 15

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2007 तक)	मार्च 2007 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2008 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1994-95	418	1126.94
	1995-96	263	861.70
	1996-97	481	1911.19
	1997-98	304	982.21
	1998-99	230	2751.93
	1999-00	186	1083.36
	2000-01	185	2194.69
	2001-02	276	1454.77
	2002-03	363	2392.36
	2003-04	144	1197.12
	2004-05	210	3772.42
	2005-06	215	8573.71
	2006-07	206	3516.31
		5714	38052.87
युवा कार्य एवं खेलकूद	1987-88	19	10.94
	1988-89	75	37.86
	1989-90	141	46.92
	1990-91	174	76.08
	1991-92	121	62.92
	1992-93	285	202.79
	1993-94	288	234.65
	1994-95	172	192.49
	1995-96	266	310.11
	1996-97	256	370.03
	1997-98	122	130.89
	1998-99	314	571.73
	1999-00	524	1059.77
	2000-01	668	944.26
	2001-02	12	16.17
	2002-03	620	1162.31
	2003-04	773	1461.55
2004-05	1008	1943.41	
2005-06	236	637.45	
2006-07	93	2880.05	
		6167	12352.38
कुल योग		41046	1956444.68



(पैराग्राफ 17.1 के संदर्भ में)

अक्तूबर 2008 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुए	पत्राचार अधीन
1.	कृषि	2006	1	-	1
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	2006	1	-	1
		2007	1	-	1
3.	संस्कृति	1998	1	-	1
		2001	2	-	2
		2004	2	2	-
		2007	2	2	-
4.	उपभोक्ता कार्य	2006	1	-	1
5.	विदेश कार्य	2004	1	-	1
6.	वित्त	2003	1	-	1
		2004	1	-	1
		2006	1	-	1
		2007	1	1	-
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	1	-	1
		2002	2	1	1
		2004	3	-	3
		2005	2	2	-
		2007	2	2	-
8.	भारी उद्योग	2005	1	1	-
9.	मानव संसाधन विकास	2001	2	-	2
		2002	3	2	1
		2004	6	2	4
		2005	3	1	2
		2006	7	5	2
		2007	6	6	-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुए	पत्राचार अधीन
10.	सूचना एवं प्रसारण	2002	3	-	3
		2003	1	-	1
		2004	1	-	1
		2005	5	2	3
		2006	7	-	7
		2007	4	2	2
11.	श्रम	2005	2	2	-
12.	अल्पसंख्यक कार्य	2004	1	-	1
13.	जहाजरानी	2005	3	-	3
		2006	4	1	3
		2007	6	3	3
14.	लघु उद्योग	2006	1	1	-
15.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2006	1	1	-
16.	कपड़ा	2007	1	1	-
17.	शहरी विकास (दि.वि.प्रा.)	1989	1	1	-
		1990	5	5	-
		1991	8	8	-
		1992	9	9	-
		1993	12	12	-
		2007	1	1	-
18.	महिला एवं बाल विकास	2002	1	-	1
19.	युवा कार्य एवं खेलकूद	1994	1	-	1
		2005	4	4	-
		2006	2	2	-
		2007	1	1	-
योग			139	83	56

